राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 9] बारहवीं विधान सभा के नवम् सत्र का उनतीसवां दिवस [संख्या : 19

सोमवार;

17 मार्च, 2008

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष: राम-राम सा, राम-राम।

अनेक माननीय सदस्य: राम-राम।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मनोहरसिंहजी।

(प्रश्न संख्या : 280 अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

डा. चन्द्रशेखरजी बैद।

नवीन अग्निशमन वाहनों की खरीद

281. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): क्या स्वायत शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2004 से अब तक कितने अग्निशमन वाहन कब-कब खरीदे गये? वर्षवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उपलब्ध अग्निशमन वाहनों में से कितने कब से खराब हैं तथा उक्त को कब तक दुरुस्त करवा दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बड़े शहरों की बहुमंजिला इमारतों में लगी आग को बुझाने हेतु पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस हेतु क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि अग्निशमन कर्मियों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो किस स्तर के कितने पद? क्या सरकार उक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

(5) क्या सरकार अत्याधुनिक अग्निशमन उपकरणों से सुसज्जित अग्निशमन वाहन खरीदने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कितनी तथा नहीं, तो क्यों?

(6) क्या सरकार द्वारा अग्निशमन उपकरणों हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित किये हुए हैं? यदि हां, तो क्या? प्रति सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, नगरीय विकास (श्री सुरेन्द्र गोयल) : (1) राज्य सरकार द्वारा ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत स्वीकृत कार्य योजना में वर्ष, 2004 एवं उसके पश्चात 13 अग्निशमन वाहन क्रय कर विभिन्न नगर निकायों को आबंटित किये गये जिसका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर है।

आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा सम्भागीय मुख्यालय की निकायों को 32 अग्निशमन वाहन क्रय कर आबंटित किये गये, जिनका विवरण परिशिष्ट-ब पर है। नगरीय निकायों द्वारा स्वयं के स्तर से 19 अग्निशमन वाहन क्रय किये गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-स पर है। रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों हेतु 3 अग्निशमन वाहन क्रय किये गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट 'द' पर है।

(2) वर्तमान में राज्य में कुल 305 अग्निशमन वाहन उपलब्ध हैं। इनमें से 257 कार्यशील वाहन, 23 नकारा वाहन, 25 खराब मरम्मत योग्य वाहन हैं। जिनका विवरण परिशिष्ट 'य' पर संलग्न है। मरम्मत योग्य वाहनों की शीघ्र मरम्मत कराने हेतु सभी को निर्देशित किया जा रहा है।

(3) जी हां। वर्तमान में निकायों में उपलब्ध स्काई लिफ्ट (हास्ट) वाहन का उपयोग बहुमंजिला इमारतों में अग्नि दुर्घटना होने पर आवश्यकतानुसार किया जाता है। साथ ही नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार अग्निशमन व्यवस्थाओं को स्थापित किये जाने हेतु जयपुर रीजन भवन विनियम, 2000 में समुचित प्रावधान किये हुए हैं।

(4) राज्य की नगरीय निकायों एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में अग्निशमन कर्मियों के रिक्त पदों का पदवार विवरण परिशिष्ट 'र' पर है। स्वायत शासन विभाग में सहायक अग्निशमन अधिकारियों के 13 पदों हेतु भर्ती की प्रक्रिया जारी है। फायरमैन एवं वाहन चालकों के रिक्त पदों के विरुद्ध मान्यता प्राप्त सैनिक कल्याण समितियों से सेवा निवृत्त सैनिकों एवं होमगार्ड के स्वयं सेवकों की सेवाएं लेने हेतु निकायों को स्वीकृति जारी की हुई है।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

(5) जी हां। नगरीय विकास विभाग द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण एवं राजस्थान आवासन मण्डल को एक-एक हाईड्रोलिक प्लेटफार्म कम टर्न टेबल लेडर (स्नॉकल लेडर) क्रय कर नगर निगम जयपुर को उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति जारी की जा चुकी है। प्रति परिशिष्ट 'ल' पर उपलब्ध है।

विभाग द्वारा एक विस्तृत कार्य योजना तैयार कर सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भिजवाई गई है। इसकी स्वीकृति होने पर यंत्र, अग्निशमन वाहन, उपकरण क्रय करने की कार्यवाही की जावेगी। यह कार्य योजना 203 करोड़ 10 लाख रुपये की प्रस्तावित है।

आर.यू.आई.डी.पी. के द्वितीय चरण में चयनित 15 शहरों हेतु अग्निशमन उपकरण एवं वाहन खरीदने हेतु कार्य योजना आवश्यकता एवं आबंटित राशि के दृष्टिगत बनाई जाकर वर्ष 2009 में क्रय करने की कार्यवाही की जावेगी।

रीको द्वारा 5 अग्निशमन वाहन क्रय करने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त निकायों द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं आवश्यकता के अनुरूप समय-समय पर क्रय करने की कार्यवाही की जाती है।

(6) अग्निशमन सेवाओं हेतु स्थाई अग्निशमन सलाहकार समिति, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मुख्य मापदण्ड परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि इन्होंने एक चीज तो स्पष्ट रूप से अपने जवाब में...

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा है।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): एक चीज तो आपने स्पष्ट अपने जवाब में स्वीकार कर ली कि एम्बुलेंसेज की संख्या जितनी होनी चाहिए उससे कम है, जितनी चालू हालत में होनी चाहिए, वह नकारा हैं। आपके पास में अग्निशमन के यंत्र नहीं हैं और जितनी दूरी पर अग्नि शमन केन्द्र होने चाहिए वह नहीं हैं। इसके साथ-साथ आप यह भी बतायें कि यह जो सारी व्यवस्था में

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

सुधार करने के आंकड़े आपने प्रस्तुत किये हैं, 2004 से लेकर और 2008 तक अभी तक आपने इस सम्बन्ध में क्या किया और यह जो योजना क्रियान्वित करने की रुपरेखा आपने खींची है, इसमें दी है, यह रूपरेखा कब तक पूर्ण कर ली जाएगी। साथ में आप यह भी बतायें कि राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है, ऐसे में नगर निकाय क्षेत्रों में एम्बुलेंसेज की क्या व्यवस्था आपने कर रखी है। कितने नगर निकाय क्षेत्र ऐसे हैं जहां एम्बुलेंसेज नहीं हैं और उसके अन्दर यह फायर ब्रिगेड लाने की आप क्या व्यवस्था करेंगे।

दूसरा यह है कि जो एनुअल इंस्पेक्शन आपका जो बना था, जो सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश थे कि "Cinema Halls, Nursing Homes, Hotels, Restaurants, Gas agencies, Ware Houses, Petrol Pumps, Multi-storey buildings, schools etc. not adopting fire safety measures should be issued show cause notice followed by disconnection of services of water and electricity." तो यह जो आपने एक परिपत्र निकाला था, 2006 के अन्दर, जिसके अन्दर आपने कहा था कि इन सारी सरकारी संस्थाओं का एनुअल इंस्पेक्शन होना अनिवार्य है तो एनुअल इंस्पेक्शन करके एक निश्चित समयावधि के अन्दर आपने उनको सर्टिफिकेट प्रदान किया या नहीं किया। नहीं किया तो क्यों नहीं किया? क्योंकि आम तौर पर यह देखने में आया है कि पिछले 3 साल में कहीं भी जयपुर में या जयपुर के बाहर ग्रामीण इलाकों में आग लगी तो फायर ब्रिगेड या तो समय पर नहीं पहुंची, 20 मिनट के अन्दर आपका पिज्जा और पेटीज तो अवेलेबल हो जाती है लेकिन दमकल उपलब्ध होती है आपको ढाई घण्टे, तीन घण्टे बाद। बाइस गोदाम में और औद्योगिक क्षेत्र में जो आग लगी उसके अन्दर तीन दिन तक वह आग नहीं बुझाई जा सकी। तो इन सारी व्यवस्थाओं को कब तक कर लिया जाएगा?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): पिज्जा और बर्गर तो पश्चिम का खान-पान है।

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): उपाध्यक्ष महोदय, पहला सवाल माननीय सदस्य ने पूछा कि कितनी नगर-पालिकाओं और नगर निकायों में अग्निशमन केन्द्र हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि राज्य में 95 नगर निकायों में फायर सर्विस है और गाड़ियां 274 हैं तथा 113 अग्नि-शमन केन्द्र हैं। एक तो यह बात। इसमें से 23 नकारा हैं और 25 एम्बुलेंसेज कभी खराब हो जाती हैं, उसको ठीक करवाते हैं। मतलब कभी ठीक हो गई, किसी

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

के फाइनेंस की व्यवस्था के कारण 2-4 दिन खराब हो गई और ज्यों ही पैसा आया, उसको ठीक करवा दिया। यह हमेशा एक प्रक्रिया लगी रहती है, कभी ठीक हो जाती है, और कभी खराब हो जाती है। ऐसे 25 वाहन हैं, इसमें मेरा यह निवेदन है। ग्यारहवें वित्त आयोग का जो आपने सवाल पूछा कि 2004 के बाद कितने खरीदे तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ग्यारहवें वित्त आयोग में कुल 102 अग्नि-शमन वाहन खरीदे थे, जिसमें 2004 के बाद में 13 खरीदे थे और बाकी के उससे पहले खरीदे थे। उसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय, ग्यारहवें वित्त आयोग में ही यह 57 केन्द्रों का निर्माण किया गया जो 22 करोड़ रुपये आये थे, 22 करोड़ में से 10 करोड़ रुपये तो भवन बनाने में और 12 करोड़ रुपये वाहन खरीदने में लगाये थे।

अब मैं माननीय सदस्य को निवेदन करुं कि 203 करोड़ की योजना भारत सरकार को भेजी गई है। और वहां से ज्यों ही स्वीकृति जारी हो जाएगी उसके बाद में जो इक्विपमेंट्स हैं और यह फायर ब्रिगेड है, या प्रशिक्षण के लिये है, कोई व्यवस्था करनी है उसके सम्बन्ध में, वह आते ही वह करेंगे, एक तो यह निवेदन है। दूसरा, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि सिनेमा हाल, पैट्रोल पम्प, विस्फोटक भण्डारण के स्थलों का वार्षिक परीक्षण करते हैं तो यह निवेदन है कि 15 मीटर के नीचे के भवनों का एन.बी.सी. के अनुसार फायर की एन.ओ.सी. आवश्यक नहीं है। मांगने पर ही दी जाती है और अस्पताल, स्कूल, आडिटोरियम की फायर की एन.ओ.सी. मांगने पर दी जाती है। इसके अलावा 15 मीटर से ऊंचे समस्त भवनों हेतु फायर की एन.ओ.सी. अनिवार्य है, जो दी जाती है और जो भी 15 मीटर से ऊपर एन.ओ.सी. मांगता है, उनको एन.ओ.सी. दी जाती है। और अब 15 मीटर से ऊपर जो भी भवन बनते हैं, इसके अन्दर आप देख लीजिये कि जो भी भवन 15 मीटर का बनता है उसके ऊपर अलग से सीढ़ियों की व्यवस्था होती है, उसके पास में 6 मीटर की जगह फायर ब्रिगेड के घूमने के लिये रखनी पड़ती है और अन्दर, मकान के अन्दर जो फायर की सेफ्टी के लिये इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं उसके लिये अलग से व्यवस्था होती है और जब भी कोई व्यक्ति जो 15 मीटर से ऊपर भवन बनाता है और वह रहने की निकायों से स्वीकृति लेने हेतु आता है तो तब तक उसको रहने की स्वीकृति नहीं दी जाती है जब तक वह सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं कर लेता है। यह मेरा आप लोगों से निवेदन है।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, (व्यवधान) एक, एक।

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): और दूसरा मेरा यह निवेदन है, जो आपने सुप्रीम कोर्ट का कहा है, सुप्रीम कोर्ट का आपने परिपत्र के बारे में जिक्र किया है तो मैं इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन करूं कि परिपत्र, परिपत्र में जो सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ है, उसमें कहीं नेग्लिजेंसी होगी तो मैं इसकी जांच करवा लूंगा, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। धन्यवाद।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिलकुल पाइण्टेड दो सवाल पूछना चाहता हूं, जो इस चीज से रिलेटेड हैं। पहला तो यह है कि आज राज्य सरकार ने, यह जो मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग्स तो बन रही हैं, यह मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग बनाने की परमीशन तो दे दी लेकिन वह ऊपर की मंजिल पर आग बुझाने के न तो आपके पास फायर ब्रिगेड है, न उपयुक्त साधन आपके पास उपलब्ध है, नम्बर-वन।

नम्बर-2, जिन नगर निकायों में फायर ब्रिगेड की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जैसे चूरू के अन्दर 10 नगर निकाय हैं, उसमें तीन पर ही फायर ब्रिगेड की सुविधा उपलब्ध है। सात पर नहीं है तो इन पर फायर ब्रिगेड की सुविधा आप कब तक उपलब्ध करा देंगे?

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): इसमें तो ऐसा है, माननीय सदस्य कि वित्तीय प्रावधानों की उपलब्धता के अनुसार जो भी जल्दी से जल्दी हो सकता है, चूरू तो आपके इनका क्षेत्र है। आपके वहां है तो इसमें कोई जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है, उतना करा देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो...(व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि हमारे चित्तौड़ में कितने अग्निशमन केन्द्र वर्तमान में संचालित हैं?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय, यह बताने का कष्ट करेंगे कि...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: देखिये, वह हो गया।

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): वह जो खरीद रहे हैं और जो देखिये...(व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): चित्तौड़ में वर्तमान में कितने अग्निशमन सेवाएं संचालित हैं और क्या राजस्थान सरकार कपासन में... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): जे.डी.ए. और हाउसिंग बोर्ड को...(व्यवधान) वित्तीय स्वीकृति के लिए... (व्यवधान) प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है। जो बहुत भारी-भारी मशीनें होती हैं, जो मतलब 15 मीटर से ऊपर वाली बिल्डिंग बनी हुई है, उसके ऊपर अगर कहीं आग लग जाए तो उसको सेफ्टी पाइंट आफ व्यू से दो खरीद रहे हैं और खरीदने की वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी है और जयपुर के लिए वह बहुत उपयोगी होंगे। और इसके अलावा मैं आप लोगों से निवेदन कर दूं कि अपने जो नया अधिनियम बन रहा है उसमें भी फायर के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। और यह अपार्टमैंट वाला जो एक्ट ला रहे हैं उसमें भी फायर के लिए अलग से प्रावधान बनाकर ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आने वाले समय में जिस प्रकार की जो, मतलब अग्निकांड से बचा जा सके और न फिर किसी प्रकार से...(व्यवधान) नहीं हो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, बहुत बढ़िया।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चित्तौड़ जिले में कितनी अग्निशमन की गाड़ियां हैं और क्या यह जो संचालित है, मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कपासन में अग्निशमन केन्द्र देने का विचार रखते हैं?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन है कि यह जो बड़े-बड़े विद्यालय और महाविद्यालय बने हुए हैं...(व्यवधान) वहां बने हुए हैं। इनके भवन निर्माण के बाद में क्या इस बात की जांच की गयी है कि वहां पर अग्निशमन के लिए प्रबंध किये गये हैं या नहीं।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि...(व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): मैं विधायक मद से पूरा...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): जांच की गयी है?

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): पूरा उसका जो व्यय है वह वहन करने के लिए तैयार हूं परन्तु उसकी संचालन व्यवस्था विभाग करेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या नगर निकायों में ही आग लगती है? ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं लगती है? अभी तो आपने नगर निकायों पर सब में व्यवस्था नहीं की। ग्रामीण क्षेत्र में आग लगने पर क्या व्यवस्था है? क्योंकि दो-दो घंटे के बाद में आपकी शहर की अग्निशमन की मशीन जाती है। जब तक वहां पर बुरा हाल हो जाता है इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में अग्निशमन, आग लगने पर बुझाने की क्या व्यवस्था है?

एक माननीय सदस्य: वहां तो आप ही आग लगाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा ग्रामीण क्षेत्र के बारे में पूछा है। मैं इनसे निवेदन कर रहा हूं कि यह बायलाज बने हुए है, उसमें 50 हजार की पापुलेशन पर एक फायर ब्रिगेड, तीन लाख तक के बीच में एक फायर ब्रिगेड होती है। ग्रामीण क्षेत्र में कोई आग लग जाए, उसके शहरी क्षेत्र में जहां पर फायर ब्रिगेड की व्यवस्था है वहां पर 10 वर्ग किलोमीटर की परिधि में मतलब, पांच मिनट में फायर ब्रिगेड को पहुंचना पड़ता है और ग्रामीण क्षेत्र में आग लग जाए तो 20 मिनट में वहां फायर ब्रिगेड पहुंचती है तो ज्यों ही इतला मिलती है तुरन्त वहां पर मतलब अग्निशमन वहां पहुंच जाता है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 20 मिनट में...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नेक्स्ट क्वेश्चन। माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (धोद): मंत्री महोदय, दातारामगढ़ पूरी तहसील में एक भी नगर निकाय नहीं है। तीन लाख की आबादी है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आ गया अब। नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): कपासन, एक बात है,...(व्यवधान) चित्तौड़ से लगभग 60 किलोमीटर है...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहीं आग लग जाती है तो आप दो-दो दिन तक नहीं पहुंच पाते हैं।

श्री अमराराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दातारामगढ़ में... (व्यवधान) वहां पर तीन लाख की आबादी है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (धोद): और सीकर से जाने में 75 किलोमीटर है, आप अन्दाज कीजिए कि तीन लाख की आबादी में कोई अग्निशमन की व्यवस्था नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: जवाब आ गया। अब जवाब आ गया।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है इस पर...(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह लोक महत्व का विषय है।

श्री अमराराम (धोद): अभी बहुत है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है, इनका...(व्यवधान) विषय है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बहुत विस्तृत से जवाब दिया जा चुका है, माननीय सदस्य।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): हमारा बिन्दु तो इसमें आया ही नहीं है।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री हेमराज मीणा। श्री हेमराज मीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माननीय सदस्य।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): क्या यह सम्भव है कि बीकानेर शहर से एक एम्बुलेंस चलकर 125 किलोमीटर दूर बीकानेर जिले की सीमा तक 20 मिनट में पहुंच सकती है?

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब कोई एक-एक जगह का, यह एक-एक नगरपालिकाओं का नहीं पूछने दूंगा मैं।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): हमारे राजगढ़ नगरपालिका में कोई अग्निशमन केन्द्र नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: राजगढ़ का नहीं। अलग-अलग नहीं पूछने देंगे।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): फायर ब्रिगेड का सारे राजस्थान का मामला है यह तो...(व्यवधान) सारे राजस्थान का मामला है। राजगढ़ तो इतना बड़ा शहर है।

श्री उपाध्यक्ष: राजगढ़, लूणकरणसर पचासों नगरपालिका का अलग-अलग नहीं...(व्यवधान) अलग-अलग एरिया का नहीं, नहीं पूछ सकते। माननीय सदस्य, कह दिया इन्होंने।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अग्निशमन की गाड़ियां दौड़ती हैं वह आपको पता नहीं है?

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): अग्निशमन सेवा की कोई व्यवस्था नहीं है वहां पर।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आ गया जवाब।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): जहां पर आग लगती है तो सीरियसनैस...(व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): ग्रामीण अंचल में आग की दुर्घटनाएं अधिक होती हैं और उनको काश्तकारों को बचाने का एक मात्र उपाय है अग्निशमन।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं ।

एक माननीय सदस्य: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रिलेटेड प्रश्न का तो जवाब आ गया, आप अगला प्रश्न पुकारें।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): ग्रामीण अंचल में तार टूटने से, अन्य प्रकार रंजिश से भी और अन्य कारणों से भी आग लगने की पूरी सम्भावना है। अत: ग्रामीण अंचल में अग्निशमन कपासन हैडक्वार्टर पर की जाए व्यवस्था।

श्री उपाध्यक्ष: जवाब आ गया। माननीय सदस्य, सरकार की तरफ से जवाब आ गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आग लगाने का काम ग्रामीण क्षेत्र में तो धोद से आने वाले माननीय सदस्य करते हैं और आग बुझाने का काम हम लोग करते हैं। पिछले चार सालों से यह करते हैं पूरे राजस्थान में आग लगाने की कोशिश की इन्होंने और हमने राजस्थान में आग बुझाने की कोशिश की।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): बुझा कहां रहे हो? राजगढ़ नगरपालिका में अग्निशमन है नहीं।

श्री अमराराम (धोद): यह जो राजस्थान जलता है वह तो दिखता नहीं है और कलकत्ता दिखता है आपकी सरकार को।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): अब आपका कहां आग लगाने का विचार है? फायर ब्रिगेड भेज दें आपके, अब आग कहां लगाने का विचार है?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से एक प्रश्न यह करना चाहता हूं कि क्या ग्रामीण क्षेत्र में फायर फायटिंग इक्विपमैंट...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अलग-अलग स्थानों की व्यवस्था, माननीय सदस्य, देखो, अलग-अलग...(व्यवधान) व्यवस्था दे दी है मैंने, बैठिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): और यह अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराने हेतु कोई कार्य किये जाने वाले हैं क्या? यह आप फरमाने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये। हर नगरपालिका के बारे में सवाल नहीं पूछने देंगे। बैठिये आप।

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): मीण क्षेत्र का जवाब तो माननीय ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्रीजी देंगे। मेरे पास तो नगरीय विकास और स्वायत्त शासन और आवासन मंडल है। तो मैं आपसे यही गुजारिश और निवेदन करता हूं कि...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वित्तीय संसाधन होने पर व्यवस्था की जाएगी, कह दिया इन्होंने।

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): कि मेरे पास में जो अग्निशमन वाहन है, आपके ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी आग लग

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

जाए, कहीं दुर्घटना हो जाए तो उनको वह मतलब उनको सुरक्षित करने के लिए, मैं आपकी इत्तला होते ही वहां पर भिजवाकर उसको नुकसान नहीं होने देंगे हम।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): आपकी आग तो यह तुरन्त बुझाएंगे।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): वहां अग्निशमन वाहन है ही नहीं तो भेजोगे कैसे आप?

श्री उपाध्यक्ष: नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री हेमराज मीणा।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): चित्तौड़ जिले में अग्निशमन वाहन... (व्यवधान) पिछले चार वर्ष में कितने अग्निकांड की घटनाएं घटीं?

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): अग्निशमन वाहन की व्यवस्था कीजिए, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था कीजिए, मेरा तो आपसे यही निवेदन है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री हेमराज मीणा।

भंवरगढ़ (बारां) में खेल स्टेडियम का निर्माण

282. **श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): क्या युवा एवं खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार राज्य में खेलकूद को प्रोत्साहन देने हेतु खेल मैदान एवं स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो स्टेडियम निर्माण एवं बजट आबंटन के क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं?

(2) गत चार वर्षों में सरकार द्वारा खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या-क्या योजनाएं शुरू की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बारां जिला केन्द्र एवं भंवरगढ़ में स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

राज्य मंत्री, युवा एवं खेलकूद (श्री प्रताप सिंह सिंघवी): (1) जी हां। समग्र स्टेडियम विकास कार्यक्रम के तहत सम्भाग/जिला/तहसील स्तर पर स्टेडियम बनाने की योजना है। योजना के मापदंड परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(श्री प्रतापसिंह सिंघवी)

(2) गत चार वर्षों में खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु प्रारम्भ की गई योजनाओं का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी हां। बारां जिला मुख्यालय पर स्टेडियम निर्माण का कार्य प्रगति पर है। स्टेडियम की चारदीवारी का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा बैडमिंटन हाल का कार्य भी लगभग पूर्ण किया जा चुका है।

7000 से अधिक की आबादी वाले गांवों में खेल मैदान विकसित किये जाने की योजना के अन्तर्गत ग्राम भंवरगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की खेल भूमि को चिह्नित कर लिया गया है। इस स्कूल में खेल मैदान बनाने हेतु 25 हजार रुपये की राशि जारी कर दी गई है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि खेल स्टेडियम के लिए केवल मात्र ग्रामीण क्षेत्र में जहां कि सात हजार की आबादी है वहां पर केवल 25 हजार रुपये का इन्होंने प्रावधान रखा है। मैं जानकारी चाहूंगा मंत्रीजी से कि 25 हजार में खेल स्टेडियम में कौनसा काम प्रस्तावित है और ऐसी तीन जगह इन्होंने चिह्नित की हैं हरनावदासाजी है, भंवरगढ़, अटरू है, क्या यह 25 हजार में काम चलेगा या सरकार इस राशि को बढ़ाने का विचार रखती है? मोरपुर है। क्या सरकार इसको बढ़ाने का विचार रखती है क्योंकि, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 25 हजार में तो कोई स्टेडियम बनेगा नहीं। न तो बाउण्ड्री बनेगी और न वहां कोई कमरा बनेगा। न 25 हजार में सामान खरीद पाएंगे स्टेडियम में तो यह नाम का नाम ही रहेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा सवाल है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मंत्रीजी का जवाब आया है तहसील स्तर पर जो स्टेडियम निर्माण करने के लिए 79 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है तो बारां जिले में हमारी सात-आठ तहसील केन्द्र है। क्या सरकार ने वहां पर 79 लाख रुपये का जो बजट प्रस्तावित किया है, वहां तो 25 हजार रुपये ही दिया है, क्या उस बजट को भी बढ़ाने का विचार रखते हैं?

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1998 में 12 प्रशिक्षकों को अनुबंध पर रखा गया था खेल को प्रोत्साहन करने के लिए और 10 वर्ष से लगातार वह अनुबंध पर चल रहे हैं। बहुत अल्प वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में काम

(श्री हेमराज मीणा)

कर रहे हैं। उनको डेली वेजेज का पैसा भी नहीं मिल रहा है। क्या सरकार उनको जो प्रशिक्षक लगा रखे हैं, सरकार ने 1998 में लगाये थे, क्या सरकार उनको स्थाई करने का विचार रखती है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा सवाल था कि मंत्रीजी भी बारां जिले के हैं और मैं भी बारां जिले का ही सवाल कर रहा हूं, खेल विभाग में बहुत सारी जगह खाली हैं तो मंत्रीजी यह जो खाली जगह पड़ी हैं, खेल विभाग में उसको कब तक भरने का विचार रखते हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: जवाब देने दीजिए।

एक माननीय सदस्य: मेरे दो सवाल हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, युवा एवं खेलकूद):...(व्यवधान) 60 किलोमीटर है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से माननीय सदस्य ने कहा है हमने एक नीति बनायी हुई है इसमें जिला मुख्यालय, सम्भाग मुख्यालय और तहसील स्तर पर अलग-अलग राशि का आबंटन करके खेलों को भी स्पेसिफाई किया हुआ है कि सम्भाग मुख्यालय पर किस प्रकार के खेल खेले जाएंगे। जिला मुख्यालय पर किस प्रकार के खेल खेले जाएंगे और तहसील मुख्यालय पर किन खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। उसके लिए हमने जो राशि वहां के खेल मैदानों को देखते हुए और वहां हमारे पास जो वित्तीय संसाधान हैं, उनको देखते हुए हमने एक क्राइटेरिया बनाया है। उसी के अनुरूप हमने यह राशि का आबंटन किया है।

दूसरा, मेरा आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार से सात हजार की आबादी का, अभी माननीय सदस्य ने कहा है कि कुछ गांवों का जो बारां जिले से संबंधित है, उनके नाम भी लिये।

निश्चित रूप से हमने वहां पर जो सरकार की नीति के अनुसार राजस्थान के जितने भी गांव हैं, जो सात हजार की आबादी से अधिक हैं, 25 हजार रुपये प्रति खेल के मैदान को थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने के लिए दिया है, न कि स्टेडियम बनाने के लिए दिया है। इसमें आदमी, बच्चा या वहां पर जो भी खेल संकुल का प्रभारी है, वह वहां पर वालीबाल ले लें, पाइप व नैट वगैरह की व्यवस्था कर लें। छोटे-मोटे संसाधन वहां पर उपलब्ध कराकर बच्चों में खेलने की आदत डालें, इसलिए हमने यह 25 हजार का प्रावधान किया है। जिस

(श्री प्रताप सिहं सिंघवी)

प्रकार से माननीय सदस्य ने बारां जिले के तीन गांव मोडपुरा, हरनावदा शाहजी और भंवरगढ़ में आपने बताया कि 25-25 हजार की राशि का आबंटन किया है, वह बहुत कम है। आप इसको बढ़ायें। निश्चित रूप से यह बात सही है कि वहां पर जिस प्रकार की भौगोलिक स्थिति है, आस-पास कोई दूसरी जगह नहीं है, काफी ग्रामीण इलाका है, वहां पर भी 25 हजार की जो हमने राशि दी है, वह वहां के ग्रामीण इलाके को देखते हुए किया है, फिर भी मैं हमारे अधिकारियों से बात करूंगा कि इसमें क्या किया जा सकता है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह भी अपने एम.एल.ए. फण्ड से दें और एम.पी. फण्ड के लिये एम.पी. साहब से निवेदन करें और अपने खेल मैदानों के लिये अधिक से अधिक राशि आबंटन करवायें। इस प्रकार का मैं निवेदन करूंगा जो आपने तीन गांवों के नाम बताये, निश्चित रूप से मैं हमारे अधिकारियों से मिलकर, बात करके यह कोशिश करूंगा कि इन मैदानों में और क्या किया जा सकता है, यह मैं आपको आश्वस्त करता हूं।

दूसरा, आपने जो खेल विभाग में कर्मचारियों और अधिकारियों की काफी कमी बताई है, उसके बारे में आपने अभी मेरा ध्यान आकर्षित किया।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): बारां जिले में केवल एक ही कर्मचारी है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। बारां जिले में कब तक पद भरेंगे? आप इतना-सा तो बता दें।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (खेल मंत्री): बारां जिला राजस्थान के बाहर नहीं है। पूरे राजस्थान में खेल अधिकारियों की कमी है। यह बात सही है वित्तीय प्रावधानों की कमी होने की वजह से, वित्तीय संसाधनों की कमी होने की वजह से या बजट प्रावधान कम होने से हम उनकी भर्ती नहीं कर पाये हैं। मैं हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी से व माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि हमको भर्तियों के लिए परमिशन दें ताकि राजस्थान में खेल को बढ़ावा मिल सके और जिन-जिन जिलों में खेल विभाग के अधिकारियों की या कर्मचारियों की कमी है, उनको पूरा किया जा सके। इस बात के लिए मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यशस्वी माननीय मुख्य मंत्रीजी को और माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि अंशकालिक शारीरिक शिक्षक जो लिये गये हैं, वह

(श्री बद्रीलाल जाट)

राजस्थान में कहां-कहां लिये गये और बाकी की प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर लेंगे?

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तहसील स्तर पर खेल के सम्बन्ध में 79 लाख रुपये का प्रावधान है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परिशिष्ट-अ पर जो माननीय मंत्रीजी ने जवाब दिया है, उसमें तहसील स्तर पर 79 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान है एक स्टेडियम पर। (व्यवधान) मैं कहना चाहूंगा कि जो 79 लाख में से हमें कितना बजट देंगे? इन्होंने तो यह अनाउंस कर रखा था 79 लाख रुपये का बजट तहसील स्तर के स्टेडियम में देने का प्रावधान है तो तहसील हमारा किशनगंज भी है, तहसील भंवरगढ़ है, हरनावद शाहजी है। क्या इन 79 लाख में से बजट देंगे हमको या नहीं?

श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर (महुवा): उपाध्यक्ष महोदय, खेल से संबंधित मेरा एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठें।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत हैड क्वार्टर पर आंशिक शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति करने की प्रक्रिया में मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ग्राम पंचायत हैड क्वार्टर पर कब तक प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी? आंशिक शिक्षकों की भर्ती .. (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): आप तो मंत्रीजी यह बता दो..(व्यवधान) कौनसा खेल खेलोगे, यह बता दो..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कोई अंकित नहीं हो। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं हो रहा है। आपका पूरा जवाब आ गया न। (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): ×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर (महुवा):×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, पूरा जवाब आ गया। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज):×××

श्री उपाध्यक्ष: शुरूआत हुई है अभी तक तो ..(व्यवधान) माननीय सदस्य, भाषण नहीं। बैठिये आप। श्री अशोक बैरवा। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज):×××

श्री उपाध्यक्ष: आ गयी आपकी पूरी बात। (व्यवधान) जवाब दे दिया। (व्यवधान) विस्तृत जवाब दे दिया। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आ गया सब का। (व्यवधान)

श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर (महुवा):×××

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा):×××

श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर (महुवा):×××

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) अंकित नहीं हो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब जवाब आ गया। (व्यवधान) फिर क्या प्रश्न है आपका, कह दिया इन्होंने। माननीय सदस्य, आपका कोई अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) यह इन्होंने कह दिया कि सब जगह लगा दिये। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं होगा। नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

डा. सुरेश चौधरी (भादरा):×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन):×××

श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर (महुवा):×××

डा. सुरेश चौधरी (भादरा):×××

श्री उपाध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन श्री अशोक बैरवा। श्री देवीशंकर भूतड़ा, नैक्स्ट क्वेश्चन। (व्यवधान) श्री वीरेन्द्र बेनीवाल। माननीय सदस्य, मैंने दूसरा क्वेश्चन पुकार लिया। बैठ जाइये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, इन्होंने कौनसा कह दिया कि सब कमी दूर हो गयी, आवश्यकतानुसार व्यवस्था की जायेगी। (व्यवधान) अभी कमी आज की चली नहीं आ रही है। माननीय सदस्य, बैठिये आप। (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर (महुवा):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री उपाध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन माननीय अशोक जी खण्डार।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): प्रश्न संख्या 283

डा. सुरेश चौधरी (भादरा):×××

श्री उपाध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री अशोक बैरवा।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य मैंने दूसरा प्रश्न काल कर लिया। बैठिये आप। (व्यवधान) मैंने दूसरा प्रश्न कॉल कर लिया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, किसका जवाब दें, दस आदमी खड़े हो गये। बैठ जाइये आप। (व्यवधान) नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री अशोक बैरवा।

बोदल-पाली घाटस (सवाईमाधोपुर) राज्य राजमार्ग का उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण

283. **श्री अशोक बैरवा** (खण्डार): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा सवाईमाधोपुर बोदल-पाली घाट स्टेट हाइवे की चौड़ाई एवं डामरीकरण के कार्य हेतु कब एवं कितनी राशि की किस योजना मद में

(श्री अशोक बैरवा)

स्वीकृति जारी की गई? विवरण मय कार्य आदेश एवं 'जी' शिड्यूल की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) स्वीकृत कार्य की शर्तें एवं अनुबन्ध एवं कार्य आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) ग्राम बोदल से पाली घाट सड़क निर्माण के कार्य में विलम्ब के क्या कारण रहे एवं किन-किन कारणों से कार्य पूर्ण करने की समयावधि कब-कब बढ़ाई गई? इस बाबत क्या-क्या कार्यवाही एवं पेनल्टी कार्य पर लगाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त निर्माण कार्य के निर्माण में घटिया निर्माण एवं घटिया सामग्री तथा गुणवत्ता की शिकायतें/जन शिकायतें उच्च अधिकारियों के निरीक्षण में प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) अब उक्त कार्यों में क्या-क्या कार्य बकाया है? उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा ? साथ ही कार्य गुणवत्ता में सुधार हेतु निगरानी एवं निरीक्षण की क्या कार्यवाही की जा रही है?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़): (1) सवाईमाधोपुर-बोदल-पाली घाट स्टेट हाइवे (संख्या-30) के डामरीकरण एवं चौड़ाइकरण के कार्य हेतु अन्तरराज्यीय सड़क योजना के अन्तर्गत अक्टूबर, 2005 में 499.54 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई। जिसके अन्तर्गत 14 कि.मी. सड़कों को 3.5 मीटर से 7.0 मीटर में चौड़ा करने एवं गांव के हिस्सों में सीमेन्ट कंक्रीट पेवमेंट का कार्य किया जाना था।

(2) कार्य आदेश की प्रति परिशिष्ट 'अ' एवं जी शिड्यूल की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(3) इस कार्य के विलम्ब के विभिन्न कारण थे, जो निम्न प्रकार हैं :-

1. किलोमीटर 102 तथा 105 वें 108 में स्थित नहरों में पानी की आवक।
2. कार्य के कुछ हिस्से में वन विभाग द्वारा आपत्तियां।
3. दूर संचार की केबिलों को हटाने में देरी।
4. कार्य स्थल पर बाइपास के लिए जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

5. किलोमीटर 95 से 96 में कवलर्ट की नींव खुदाई में हार्डरोक तोड़ने के लिये ब्लास्टिंग की अनुमति नहीं मिलने के कारण।
6. ग्राम वहरावण्ड में अतिक्रमण नहीं हटने के कारण।
7. किलोमीटर 105/0 में इलैक्ट्रिक पोल आ जाने के कारण।

उपरोक्त कारणों से कार्य की समय अवधि चार माह के लिए दिनांक 19.08.06 से 19.12.2006 तक बढ़ाई गई। अनुबंध को जीवित रखने के लिए अन्तरिम समय अवधि या विभिन्न समय पर 31.01.2008 तक बढ़ाई गई। समय अविध बढ़ाने के आदेशों की सूची एवं प्रतियां परिशिष्ट 'द' पर उपलब्ध हैं।

कार्य की गति बढ़ाने के लिए समय-समय पर संवेदक को नोटिस जारी किये गये जिसकी सूची एवं प्रति परिशिष्ट 'य' पर उपलब्ध है। कार्य में देरी के लिए अनुबंध की धारा 2 एवं 3-सी के अनुसार पैनल्टी लगाने की कार्यवाही की जा रही है।

(4) जी हां। घटिया निर्माण एवं घटिया सामग्री के बारे में जन प्रतिनिधियों से शिकायत मिली है। इसके अतिरिक्त विभिन्न जिला स्तरीय मीटिंगों एवं उच्च अधिकारियों के निरीक्षण में गुणवत्ता के बारे में रिपोर्ट की गयी है जिसकी सूची परिशिष्ट 'र' पर संलग्न है।

तीन किलोमीटर में संवेदक द्वारा खराब कार्य को विभागीय स्तर पर संवेदक की क्षतिपूर्ति पर ठीक कराया गया।

संवेदक द्वारा खराब कार्य के कारण अनुबंध के क्लाज 14 के अनुसार 7 प्रतिशत की शास्ति आरोपित की जा चुकी है तथा 10 प्रतिशत शास्ति आरोपित करने की कार्यवाही की जा रही है।

किये गये कार्य की जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, भरतपुर को जांच कर रिपोर्ट देने के आदेश जारी कर दिये हैं।

(5) उक्त कार्य में 14 किलोमीटर की लम्बाई में 3.5 मीटर से 7.0 मीटर चौड़ा करने तथा 23 सी.डी. वर्क्स का कार्य किया जाना था जिसमें से तीन किलोमीटर में डब्ल्यू.बी.एम. एवं डामरीकरण, 6 किलोमीटर में किये गये कार्य में पाई गई कमियों को दूर करना एवं दो सी.डी. वर्क्स का कार्य शेष है। शेष रहे कार्य को चार माह में पूर्ण करा लिया जायेगा।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कार्य की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता स्तर से नियमित निगरानी की व्यवस्था कर दी गई है। सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता नियमित कार्य की जांच करेंगे। अधिशासी अभियन्ता, गुण नियंत्रण, सवाईमाधोपुर कार्य का निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप जांच करेंगे।

(रिपोर्ट की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसमें बिंदु संख्या तीन पर जो विलम्ब के कारण बताये हैं सड़क बनाने में वो एक भी सही नहीं हैं क्योंकि जो नहरों के रास्ते की बात बता रहे हैं, वहां दो जगह नहरें हैं और दोनों कवर्ड हैं। दूसरा, जो बताया है कि वन विभाग द्वारा आपत्तियां कुछ नहीं हैं, वहां भी फोरेस्ट एरिया है ही नहीं। तीसरा, बाइपास की उस इलाके में जहां जरूरत नहीं है, बाइपास का कारण बताया है। कहीं भी आवश्यकता नहीं है बाइपास की। इनके तालमेल में अभाव था इसलिए काम पूरा नहीं हुआ।

दूसरा, वहरावण्डा गांव है उसके अतिक्रमण हटाने के लिए एक सिंगल प्रयास नहीं किया गया, पूरे गांव का जो मैन रोड है एज इट इज है, वहां कोई भी विभाग ने प्रयास नहीं किया। इसमें सारे विभाग के अधिकारी मिले हुए हैं। दूसरा, जो कार्यादेश बढ़ाने के इन्होंने जो कारण बताये हैं उससे तो मैं संतुष्ट हूं ही नहीं।

दूसरी, बड़ी गम्भीर बात एक और है उसमें, इसकी क्वालिटी और गुणवत्ता के लिए बार-बार सवाल उठाये जा रहे हैं। वहां के क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के साथ बात करी है, वहां की जनता जवाब दे रही है। इस कार्य को 9 माह में पूर्ण होना था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परन्तु उसको 27 माह हो गये और 9 बार कार्य अवधि बढ़ायी है।

तीसरा, यह सरकार और मंत्री...(व्यवधान) तीसरा, बड़ी गम्भीर बात और है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: कहने दीजिए, कहने दीजिए।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): प्रश्न क्या पूछा? प्रश्न तो कुछ भी नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): तीसरी जो बात है, 9 बार टाइम बढ़ाया, 9 माह में काम होना था, 27 महीने हो गये, अभी तक भी काम बाकी है और सरकार, माननीय मंत्री महोदय चार महीने और बढ़ा रहे हैं, फिर बरसात आ जायेगी।

चौथी बात मेरी खास बात यह है कि यह रास्ता मेरे खण्डार से होकर एम.पी. को जाता है शिवपुर और ग्वालियर जहां सी.एम. साहिबा का मायका है, क्या आप इस रोड को भी गम्भीरता से नहीं बनाना चाहते? मुझे ठोस आश्वासन दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो समय बढ़ाने की बात माननीय सदस्य ने कहा कि वन विभाग वहां है नहीं, वन विभाग का पत्र मेरे पास जो इसमें लगा हुआ है, उसमें उन्होंने लिखा है कि वन क्षेत्र है, आप काम कर रहे हैं, इसको, काम को आप रोको।

नम्बर दो, आपने कहा कि नहर विभाग ने इसमें क्रोसिंग के लिए कुछ नहीं कहा। नहर विभाग का पत्र भी है कि आपने बिना अनुमति के नहर में यह बाइपास बना लिया है जिससे नहर क्षतिग्रस्त हो गयी है। अत: क्षतिग्रस्त नहर को सही करवाने और भविष्य में बिना पूर्व अनुमति के इस विभाग को कार्य नहीं करने के लिए कहा है।

तीसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि यह कार्य विलम्ब से हुआ और यह भी सही है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि इसकी समय अवधि भी बीच-बीच में बढ़ायी गयी और जब यह सारी बात ध्यान में आयी तो हमने जो संवेदक है, कांट्रेक्टर है उसको क्लाज 14 में नोटिस देकर तीन किलोमीटर का काम डामरीकरण का, जो ठीक नहीं किया था, तीन लाख रुपये का काम करवाया और वो राशि उससे वसूल कर ली। सात प्रतिशत उसके पैनल्टी लगा दी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और अब क्लाज 2 के अन्दर हमने फाइनल नोटिस उसको दे दिया है और 10 परसेंट पैनल्टी हम उसको और लगा रहे हैं। और उसके बाद भी, मैं खुद मानता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि सड़क संत्र लम्बा चौड़ा है, राजस्थान में एक लाख 67 हजार किलोमीटर सड़कें हैं और उनकी गुणवत्ता सही रहे, इसी दृष्टि से हमने पहली बार सारे माननीय विधायकों को, सांसदों को, जिला प्रमुखों को, प्रधानों को और ग्राम पंचायत के सरपंचों तक को पत्र लिख कर यह एक शिड्यूल दिया था कि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आप इतने-इतने दिनों में एक बार हमारे अधिकारीगण को समय दें, उसके अनुसार निरीक्षण करें। माननीय विधायक महोदय को भी 6-7 पत्र हमारे मुख्य अभियन्ता और दूसरे के गये होंगे।

फिर भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पूरे मामले के अन्दर जो गुणवत्ता की कमी रही है उस गुणवत्ता की कमी के लिए मैं एस.ई., भरतपुर, एक्स.ईएन., गुण नियंत्रक खण्ड जयपुर, जयपुर से भेज कर और परीक्षण उच्च अधिकारी केन्द्रीय प्रयोगशाला, इन तीनों की एक कमेटी बना करके इसकी जांच करवा रहा हूं। और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें अगर कहीं उत्तरदायित्व का निर्धारण करने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि समय अवधि बढ़ायी गयी है और गुणवत्ता के बारे में भी वहां के जिला परिषद के सदस्य ने भी एक पत्र लिखा था, शिकायती पत्र, तो अगर आवश्यकता पड़ी उसमें उत्तरदायित्व का निर्धारण भी करना पड़ेगा तो चाहे उसके अन्दर हमारे अधीक्षण अभियन्ता हों चाहे हमारे अधिशासी अभियन्ता हों, जो भी हों उत्तरदायित्व का निर्धारण करके उनके खिलाफ भी सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे ताकि समय पर सड़क का काम हो।

और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो बचा हुआ कार्य है, सारा काम उस संवेदक से वापस लेंगे, उस संवेदक के खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे, ब्लैक लिस्टेड करने की आवश्यकता पड़ी तो ब्लैक लिस्टेड करेंगे। और उस पूरे काम को आगामी तीन महीने में मानक स्तर का सारा ठीक करवा के और उसका इंस्पैक्शन माननीय विधायक महोदय से स्वयं से करा देंगे। यह तीन महीने के अन्दर हमने काम पूरा कर लिया, अब आप देख लो और कोई कमी होगी तो उसको भी दूर करेंगे।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): माननीय मंत्री महोदय, मैं आपकी बात से बिलकुल आश्वस्त हूं पर बरसात से पहले यह काम पूरा होगा कि नहीं, इसमें मुझे संदेह है।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को इस सड़क से होकर के एकाध महीने में गुजरना पड़ता है। यह बात सही है कि छान जाएं, वहरावण्डा जाएं, खातोली जाएं, इस सड़क की स्थिति

(मोहम्मद माहिर आजाद)

कुछ खराब थी लेकिन ट्रांसपोर्ट मध्य प्रदेश का, खुद माननीय सदस्य मान रहे हैं कि हैवी लोड हो गया, बढ़ गया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप उसका यह भौतिक सत्यापन या उसकी यह फिजिबिलिटी दिखाएं कि वहां डामर रोड सक्सेस होगा या नहीं होगा। अगर पानी का ज्यादा बहाव रहता है और ट्रैफिक का लोड ज्यादा है और डामर रोड वहां पर सक्सेस नहीं हो तो मेरा निवेदन है कि उसकी बजाय चाहे आप इस काम का जो आपने कांट्रेक्ट किया उसको कम करके और सी.सी. रोड अगर करायेंगे तो ही वो वहां कारगर सिद्ध होगा और आने-जाने वाले लोगों को और जनता को और आवागमन के साधनों को तभी जाकर उसका लाभ मिल पायेगा।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ): एक मिनट, मेरा एक जनरल क्वेश्चन है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि कई ऐसे उदाहरण हैं जब एक गांव में पहुंचने का एक मात्र जो रास्ता है जी.टी. शीट में कटा हुआ है, सी.एम.जी.एस.वाई. के या और किसी योजना के तहत आप सड़क बना रहे हैं। फोरेस्ट डिपार्टमेंट ने यह सूचनाएं केन्द्र सरकार को, डिपार्टमेंट ऑफ एन्वायर्नमेंट एण्ड फोरेस्ट को नहीं भेजी। आपके कई ऐसी योजनाओं में आपने तीन चौथाई रकम लगा दी है और उनकी इसकी वजह से आपका कार्य रुक गया है, कम से कम दोनों डिपार्टमेंट बैठ कर इस बात का सर्वे करें और फोरेस्ट डिपार्टमेंट की खुद की कमी की वजह से अगर आपको कहीं भी किसी की व्यवस्था को लागू करने में दिक्कत आ रही है तो वो प्रताड़ित हों।

आपने तीन चौथाई पैसा लगा दिया, मेरे यहां भी ऐसे हैं जहां सड़क आपकी तीन चौथाई बन चुकी है, दोनों एण्ड से बन चुकी है और सूचना नहीं भेजी गयी थी, यह गलती उनकी है, गांव वालों की नहीं है। उस जगह पहुंचने का एक मात्र वो ही रास्ता है, जब तक वो डामर नहीं बना था तब तक कच्चा रास्ता था, आखिर उस पर काम रोक देना और दो-दो साल तक अगर वो काम रुक जाता है हानि तो जनता की है और जनता का पैसा है। कम से कम माननीय मंत्री महोदय को कड़ाई से इस पर कदम उठाना चाहिए और डिपार्टमेंट ऑफ फोरेस्ट जो सिर्फ एन्वायर्नमेंट की और फोरेस्ट लैंड की बात

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

करके ऐसे कामों में व्यवधान डालती है उस पर कोई न कोई तत्परता से कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): मेरा निवेदन गुणवत्ता के मामले में है।

श्री उपाध्यक्ष: इसी सड़क के?

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): वह सड़क जो ...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आप इसी से संबंधित पूछिये।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): मैं इससे संबंधित गुणवत्ता के सम्बन्ध में ही पूछ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: गुणवत्ता की बात....

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य है, आप भी खुश होंगे इस मामले से।

श्री उपाध्यक्ष: सामान्य नहीं,...(व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जो सड़कें हमने सेना को हस्तांतरित कर दी हैं उनकी गुणवत्ता कौन देखता है?

श्री उपाध्यक्ष: यह सवाल महत्वपूर्ण है।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): क्या हम देखते हैं कि नहीं क्योंकि सेना के द्वारा बनाई गयी सड़कों की गुणवत्ता कम पाई गयी है। यह मेरा निवेदन है।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): सेना को छोड़िये आप। उपाध्यक्ष महोदय, जो 27 महीने में काम हुआ और बीच-बीच में इसकी घटिया क्वालिटी की शिकायत हुई तो इसके अन्दर जो अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ तो आपने एक भी कार्यवाही नहीं की। नौ-नौ अधिकारियों ने जांच की और रिपोर्ट भी उनके खिलाफ दी है तो वहां अधिशासी अभियन्ता, वहां का एस ई अभियन्ता, सभी लोग जो इसमें शामिल हैं इसको लेट करने में और भ्रष्टाचार करने में, उनके खिलाफ आप कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। संवेदक की गलती बता रहे हैं, संवेदक के खिलाफ तो कार्यवाही करें परन्तु जो काम हम सी डी वर्क चाहते हैं वह तो आप करेंगे ...

श्री उपाध्यक्ष: सीनियर अधिकारी लगा देंगे।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): परन्तु अधिकारी के खिलाफ आप कार्यवाही क्यों नहीं करना चाहते हैं? दूसरी मेरी बात यह है कि सवाईमाधोपुर से जब तक छह किलोमीटर की सड़क हमारी बाकी है, जो स्टेट हाइवे में मिलती है वह फोरेस्ट का एरिया कवर्ड हो गया तो उसको आप डबल करने के लिए, क्योंकि पहले भी आपने आर्डर दिये थे, पी डब्ल्यू डी ने दो मीटर वाइडनिंग, चौड़ा करने के लिए, आज सैंकड़ों दुर्घटनाएं वहां होती हैं और हैवी लोड है यह भी मानता हूं मैं। तो आप कृपा करके सवाईमाधोपुर से भोजल तक फोरेस्ट एन ओ सी देकर उसको चौड़ा करें और जो अधिकारी वहां भ्रष्ट बैठे हुए हैं उनके खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही करने का मुझे आश्वासन दें और हमारे बरसात से पहले पूर्ण करा दें। यही मेरा अनुरोध है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न पर मैंने पहले ही कह दिया कि एक कमेटी बनाई है जिसमें एस ई, पी डब्ल्यू डी भरतपुर, एक्स ई एन, गुण नियंत्रण खण्ड जयपुर, और पूरे मैटेरियल का परीक्षण करने के लिए परीक्षण उच्च अधिकारी केन्द्रीय प्रयोगशाला जयपुर, यह तीनों की कमेटी जाएगी और पन्द्रह दिन के अन्दर अन्दर जांच रिपोर्ट देगी। और जांच रिपोर्ट के आधार पर इसकी गुणवत्ता में कमी पाये जाने के लिए जो भी अधिकारी दोषी होगा चाहे वह कोई किसी भी स्तर का हो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। मैं पहले निवेदन कर चुका हूं।

श्री उपाध्यक्ष: फोरेस्ट विभाग से संबंधित...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): दूसरा मैंने यह निवेदन किया था कि चार महीने के अन्दर-अन्दर बची हुई सड़क को जो पहले स्वीकृत है निश्चित तौर पर इंटर स्टेट सड़क है, उपाध्यक्ष महोदय, और तीस किलोमीटर की है, मध्य प्रदेश शिवपुरी को जोड़ने वाली है तो चार महीने के अन्दर अन्दर बची हुई सड़क के निर्माण के कार्य को हम पूरा करेंगे।

तीसरा, माननीय सदस्य ने यह कहा कि वन विभाग के कारण से जो जी टी सीट के अन्दर रास्ते कटे हैं, हम स्वीकृति जारी कर देंगे बाद में वन विभाग की आपत्ति से कोई काम बीच में रुक जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से काम थे लगभग 142 ऐसी सड़कें थीं और बीच के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करके एक समन्वय समिति टाइप बनी थी फोरेस्ट डिपार्टमैंट की और पी डब्ल्यू डी की। दोनों प्रिंसिपल सैक्रेटरी हर तीन महीने में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बैठ रहे हैं और आज की तारीख में उनकी संख्या घटते-घटते पूरे राजस्थान के अन्दर 40-42 सड़कें ऐसी हैं जो वन विभाग की आपत्ति के कारण रुकी हुई हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, आप तो स्वयं इस चीज को जानते हैं कि इस एन्वायरमैंट के कारण से, फोरेस्ट के कारण से जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने जो एम्पावर्ड बोर्ड बनाया, कई मामलों में तो हमें यहां से प्रस्ताव बनाकर लखनऊ भेजकर और उसके बाद उसको एम्पावर्ड बोर्ड तक भेजना पड़ता है। और एम्पावर्ड बोर्ड कई मामलों में खुद इसका इंस्पैक्शन करने के लिए भी आते हैं। परन्तु फिर भी आपकी चिन्ता बिल्कुल ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि जो वन विभाग की आपत्तियां जिनका निराकरण यहीं हो सकता है उनको यहीं करवाएं।

माननीय सदस्य ने कहा सिवाणा से आने वाले ने कि जो सड़क सेना बनाती है, उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि राजस्थान के बोर्डर लगा हुआ इलाका बहुत है और लगभग 1400 किलोमीटर सड़क जो सेना की है जो ग्रैफ बनाती है, सेना की सड़कों को भी बनाने के लिए अलग से उनका एक तकनीकी डिवीजन है उसमें हमारा किसी तरह का इंटरफियरेंस नहीं है। परन्तु फिर भी अगर कोई सड़क वहां गुणवत्ता लिये हुए नहीं हो और हमारे पास कोई शिकायत आती है तो हम सेना के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर उनको अवगत जरुर कराते हैं। अगर माननीय सदस्य के पास इस तरह की कोई जानकारी है और मुझे बतायेंगे तो मेरे विभाग की तरफ से सेना के उच्च अधिकारियों को बताऊंगा।

यह वन विभाग की सड़कों का एक बार फिर इसी महीने मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा हम दोनों विभाग के अधिकारी बैठकर उसमें जहां यहां आपत्तियों का निराकरण होगा वह इसी महीने बैठकर उन आपत्तियों का निराकरण करेंगे1 हमारी खुद की मंशा है कि सड़क समय पर बने। और जो प्रश्नगत सड़क है इसकी गुणवत्ता के लिए, और इसके अन्दर जो इसका कार्य बढ़ाया गया उस बात को लेकर सारे मामले की जांच निश्चित तौर पर करा कर यह जांच रिपोर्ट पन्द्रह दिन में आएगी, लम्बा चौड़ा समय मैंने मांगा नहीं, पन्द्रह दिन में जांच रिपोर्ट आने के बाद इस पर निश्चित तौर पर सख्त कार्यवाही करेंगे।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, इसी सम्बन्ध में प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष: नो, नो...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो सड़कें स्वीकृत हुई हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बहुत हो गया, माननीय सदस्य,...(व्यवधान) माननीय सदस्य।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): एक लोहागढ़ है वह तो बन गयी फोरेस्ट के अन्दर और दूसरी काजल ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कोई अंकित नहीं होगा।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ×××

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा):×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कुछ अंकित नहीं हो रहा है...(व्यवधान) बैठिये माननीय सदस्य, कुछ अंकित नहीं हो रहा है आपका।

श्री देवी शकर भूतड़ा। (अनुपस्थित)

(प्रश्न संख्या-284 कृपया आगे देखें)

...(व्यवधान) बैठिये, कुछ अंकित नहीं हो रहा है1

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा):×××

श्री उपाध्यक्ष: वन मंत्रीजी से संबंधित नहीं है । श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): सवाईमाधोपुर से भोजल के लिए माननीय मंत्री महोदय, फोरेस्ट से एन ओ सी के लिए माननीय केन्द्रीय वन मंत्री से वार्ता हो गयी सवाईमाधोपुर से भोजल तक का छह किलोमीटर का सड़क है, सैकड़ों दुर्घटनाएं वहां हो रही हैं, आप एक बार भेजें इसकी एन ओ सी आ जाएगी, आवश्यक सड़क है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सी आर एफ के अन्दर इसके प्रस्ताव भेजने पर विचार करेंगे और यह माननीय सदस्य ने काजलवास की धूणी वाली सड़क की बात की, मैं आज ही अधिकारियों से बात करके यह क्यों रुकी हुई है, इसका मालूम करके व्यक्तिगत तौर पर आपको बता दूंगा।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र के बालिग गैर खातेदारों को खातेदारी अधिकारी

285. **श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री द्वारा वर्ष 2007 में नहरी क्षेत्र के दौरे के दौरान इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के गैर खातेदारों को खातेदारी देने के क्रम में वर्ष 1973 के स्थान पर वर्ष 2001 को आधार मानकर बालिग पुत्रों को सीलिंग सीमा तक खातेदारी देने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो क्या उक्त घोषणा की क्रियान्विति कर लम्बित प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया? यदि हां, तो कितने प्रकरणों का व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री रामनारायण डूडी) : जी नहीं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या आपने उक्त घोषणा का अवलोकन किया? दूसरा मेरे द्वारा पूर्व में पूछे गये प्रश्न के उत्तर में आप द्वारा यह बताया गया था कि ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु संबंधी नियम कानून परीक्षण किये जा रहे हैं और वहां इस बिंदु पर महाधिवक्ता राजस्थान सरकार से राय ली जा रही है। क्या उक्त राय ले ली गयी? यदि हां, तो वह सदन के पटल पर रखें। क्या नहर जो सिंचित क्षेत्र है इसमें राज्य के अन्य जिलों की जो सीलिंग सीमा है, वह भिन्न भिन्न है। और उसको देखते हुए आई जी एन पी क्षेत्र की सीलिंग सीमा कम है जब कि भूमि एक है, किस्म एक है। नहर की इंटेंसिटी को देखते हुए क्या यह सही है कि उक्त सीलिंग सीमा भी बढ़कर के 85 बीघा होनी चाहिए थी ? यदि हां तो इसके बारे में हमारा क्या विचार है, यह तीन प्रश्न मैं मंत्री महोदय से करना चाहता हूं।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है अभी जो सीलिंग वाले एक्ट के अन्दर जब तक अमेंडमेंट नहीं होगा जब तक इसके अन्दर गवर्नमैंट नहीं बढ़ा सकती। और इसके तहत हमने समय-समय पर परियोजना क्षेत्र के किसानों के हितों को देखते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15- एएए में उप धारा 3, 4 एवं 5 दिनांक 4.8.1983 को जोड़ी गयी

(श्री रामनारायण डूडी)

जिसके अन्तर्गत जिला गंगानगर और बीकानेर एवं जैसलमेर क्षेत्र में दिनांक 15.10.1955 के पूर्व काश्तकारों को खातेदारी हकों के सीलिंग सीमा तक दिये जाने का प्रावधान किया गया। और इसके अन्तर्गत कमाण्ड भूमि पर प्रथम पच्चीस बीघा सिंचित व पचास बीघा असिंचित निशुल्क खातेदारी का जो सीलिंग सीमा तक दिये जाते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, शेष भूमि के सम्बन्ध में निर्धारित आरक्षित कीमत लेकर खातेदारी दी जाती है।

यहां यह भी बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि राज्य सरकार ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15-एएए में 11.11.1992 को संशोधन कर नई उप धारा 2-क समाविष्ट की है और इस उप धारा के माध्यम से इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 106 व 107 के अन्तर्गत प्रथम भू-संरक्षण एवं भू-अभिलेखन के दौरान तैयार किये गये अभिलेख खुद काश्त का होल्डर अथवा खुद काश्त के अन्य श्रेणी का काश्तकार उल्लेखित है, को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने हेतु प्रावधान किया गया है । यदि किसी काश्तकार के नाम भू-अभिलेख में उक्त सीमा से अधिक भूमि हो तो खातेदारी अधिकार केवल सीलिंग सीमा तक ही दी जा सकेगी। और इसके अन्दर फिर सरकार ने यह महसूस किया और 2001 के अन्दर उपनिवेशन विभाग के द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में गैर खातेदार को सीलिंग, सरप्लस भूमि उनके बालिग सदस्यों को आबंटित करने हेतु एक मंत्रिमंडलीय ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था। आज्ञा संख्या 17/2001 भी जारी हो चुकी थी जिसमें इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में भूमि का आबंटन एवं विक्रय नियम 75 के नियम 13 सी जोड़ने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया था कि ऐसे गैर खातेदार कृषक के पुत्र, अविवाहित पुत्री, पौत्र तथा अविवाहित पौत्री को भी सीलिंग सीमा तक भूमि का आबंटन किया जावे। ऐसा आबंटी 1/1/2001 को वयस्क होगा तथा आबंटन के पश्चात् प्रत्येक आबंटी के पास नहरी भूमि सीलिंग सीमा से कम होना होगा। भूमिधारी गैर खातेदार कृषक के अतिरिक्त अन्य आबंटियों को भूमि कीमतों में दी जायेगी। यह एक मंत्रिमंडल, कैबिनेट का डिसीजन था। मगर जब ला के अन्दर यह गया तो वहां उसको टर्न डाउन कर दिया गया कि जब तक आप 1973 के एक्ट में अमेंडमेंट नहीं कर देंगे तब तक इस धारा को जोड़कर आप इनमें प्रावधान नहीं कर सकेंगे। मूल सीलिंग एक्ट जो 1973 का है उसके अन्दर अमेंडमेंट करना पड़ेगा।

(श्री रामनारायण डूडी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो यह जो स्थिति है और इसके तहत आज जो नहरी क्षेत्र के अन्दर जितनी भी भूमि है जो अलाटमेंट की जाती है, एक निश्चित सीमा तक ही है। 25 बीघा सिंचित, 50 बीघा बारानी असिंचित और जो राजस्थान सीलिंग एक्ट के अन्दर स्टेण्डर्ड है उसके मुताबिक मैं यहां यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इन्होंने अभी कहा अलग-अलग जगहों के अलग-अलग एरियावाइज सीलिंग सीमा निर्धारित होनी चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर 1 जनवरी, 1973 को सीलिंग एक्ट लागू किया गया था। राज्य में प्रभाव में आया। अधिनियम की धारा 4 में अधिकतर सीमा क्षेत्र में प्रावधान किया गया जो अधिकतम सीमा क्षेत्र प्रत्येक व्यक्ति को जो परिवार नहीं हो 10 एवं 5 या 5 सदस्यों से कम प्रत्येक परिवार की दशा में जो इकाई के रूप में एक पात्र इकाई माना है, ऐसे परिवार प्रभावित हैं। जो अधिकतम सीमा क्षेत्र होगा, एक वर्ष में कम से कम दो फसलें उगाने में समर्थ सुनिश्चित सिंचाई, इसके बाद आवश्यक सिंचाई के अधीन भूमि कहा गया है के अधीन भूमि 18 एकड़ भी दी जायेगी और वर्ष में कम कम एक फसल उगाने में समर्थ सुनिश्चित सिंचाई के अधीन भूमि 27 एकड़, यह सीलिंग सीमा रखी है और 24 जुलाई को विद्यमान फलोद्यान और अलग-अलग मामलात के अन्दर भी उसमें सीलिंग सीमा का प्रावधान किया गया था उसमें अन्दर भी 54 एकड़ का प्रावधान रखा गया है। तो इससे यह स्थिति स्पष्ट है जो मूल आपने प्रश्न पूछा है, यह बात सही है कि हमारी घोषणाओं के अन्दर, मुख्य मंत्रीजी जब राजस्थान कैनाल के दौरे पर गयी थीं उन्होंने करीबन 15-20 घोषणाएं की थीं और सभी की क्रियान्वित कर दी गयी जिससे हजारों काश्तकारों को लाभ मिल रहा है। कुछ थोड़े बहुत केसेज कहीं विवाद के हैं, कहीं एफिडेविट का मामला है। तो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि 1973 वाले एक्ट में जब तक अमेंडमेंट नहीं हो जाता है तब तक जो सीलिंग सीमा है उससे ज्यादा भूमि राजस्थान के अन्दर, चूंकि राजस्थान कैनाल का पानी लगता है और दो बार निश्चित पानी लगने की स्थिति के अन्दर यहां यह सीलिंग सीमा भी निर्धारित की हुई है तो हमने अभी जो एक परिपत्र जारी किया था...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): तो यह बताओ कब तक दे दोगे? जो माननीय सदस्य ने पूछा है कब तक खातेदारी दोगे, कहानी लम्बी चला दी... (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): मना कर दिया ना उन्होंने। मना कर दिया नहीं देंगे। बात खतम।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): : आने दीजिये विस्तार से।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): खातेदारी, 1973 के इस एक्ट में अमेंडमेंट जब तक नहीं कर सकेंगे तब तक हम नहीं दे सकते हैं। अलग-अलग पहलुओं के अन्दर...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से एक प्रश्न करना चाहूंगा। आपने मेरी मूल भावना को समझते हुए इसके बारे में बहुत विस्तार से इस बात को रखा उसके लिये आपका धन्यवाद लेकिन 1973 के एक्ट में संशोधन किया जाना कब तक प्रस्तावित है? कब तक आप इसको करके किसानों के हित में यह फैसला कर पायेंगे? क्योंकि इससे राज्य के हजारों किसान सीधे प्रभावित होने वाले हैं तो मैं पूछना चाहूंगा कि इस एक्ट में संशोधन कब तक किया जायेगा?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कल्लाजी को कहने दीजिये।

श्री अमराराम (धोद): और यह 6 लाख नाम एक्ट जमीन सीलिंग से ज्यादा आपके ही...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपने बुलाया है मेरे को।

श्री अमराराम (धोद): क्या मंत्री महोदय, यह सही है कि राजस्थान में सीलिंग से ज्यादा 6,09,746 एकड़ जमीन का...(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): आपका क्वेश्चन नहीं है। अलग है। जाने दो...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: पूछो।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): इससे संबंधित नहीं है...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): छह लाख एकड़ में से आप उनके तो नहीं बढ़ा रहे हैं, किसानों से तो ले लिया। छह लाख एकड़ जमीन जो सीलिंग से ज्यादा है जिसमें चार साल में मात्र आपने दो हजार एकड़ भूमि डिस्ट्रिब्यूट की है, क्या यह छह लाख एकड़ जमीन आप छह महीने में वितरित करने का इरादा रखते हैं या नहीं रखते हैं?

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्रीजी यह बताने का कष्ट करें कि गैर खातेदारों की संख्या कितनी है जो मूल प्रश्न में भी पूछा गया है उसका आपने जवाब नहीं दिया। क्या उनसे जमीन खाली करा सकते हैं?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): एक स्पेसिफिक प्रश्न है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): और यदि नहीं करवा सकते हैं तो 1973 के एक्ट में अमेंडमेंट आप करिये और करके किसानों के खातेदारी राइट कब तक दे देंगे?

और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कौन-कौनसी घोषणाएं की हैं? आप कह रहे हैं कि जी नहीं। वहां अखबारों में तो आया था कि किसानों को खातेदारी राइट दिये जायेंगे। तो आप बतायें कि कौन-कौनसी घोषणाएं की हैं और उसमें घोषणा थी या नहीं थी?

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी से जुड़ा हुआ मेरे जैसलमेर जिले का प्रश्न है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1973 का संशोधन कब तक कराया जायेगा, यह कृपया माननीय मंत्री जवाब देने का कष्ट करें।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): जैसलमेर जिले में नहर आयी सन् 1984 में। नहर का पानी सन् 1984 में लगा। परिवार की यूनिट मान रहे हैं 1974 से। तो निवेदन है जिस परिवार ने भूमिहीन में फार्म भरा, जो खातेदार था उसके पास दो सौ बीघा जमीन थी उसने तो फार्म भरा नहीं और चार परिवार थे कोई भूमिहीन तो चारों ने फार्म भरा। भूमिहीनों को तो अलाटमेंट हो गये लेकिन खातेदार परिवार पीढ़ियों की उनकी जमीन है वह वंचित रह गये

(श्री सांगसिंह भाटी)

और सिर्फ 25 बीघा जमीन उनको मिल रही है जब कि परिवार उसका आठ दस बालिग पुत्र हो चुके हैं तो आप, क्यों नहीं नहरों में पानी लगने लगा गांव में उस दिन से यूनिट मानकर उनको अलाटमेंट किया जाए।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बी पी एल से जुड़ा हुआ सवाल है। आप यह लम्बा भाषण मत कराइये। आप अगला सवाल लीजिये। बी पी एल परिवार से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष: स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे हैं। आप बीच में नहीं। (व्यवधान) इसी से संबंधित है...(व्यवधान) इसी से राजस्थान लैंड से है...(व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): यह भाषण नहीं है। यह माननीय सदस्य, भाषण कैसे हुआ? यह जमीन खातेदारी की है, पीढ़ियों से उस जमीन के अन्दर बैठा है। पीढ़ियों का खातेदार है। उस खातेदार को सिर्फ 25 बीघा जमीन, जब कि उस परिवार में कम से कम दस परिवार, उसके नौजवान लड़के शादीशुदा हो चुके हैं उनको तो 25 बीघा और जो भूमिहीन बैठे थे उनको चार अगर परिवार चार अगर बालिग हो गये उन लोगों को अलाटमेंट हो जाए। खातेदार ने क्या गुनाह किया है? इसलिये जिस दिन नहरों में पानी आया है जिले में उसको यूनिट मानते हुए खातेदारी अधिकार दिये जाएं यह मेरा सुझाव है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के 1985 का एक्ट...(व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): बोलने का अवसर दो। यह हाउस है, किसी की बपौती नहीं है।

एक माननीय सदस्य: गलती हुई है उनकी।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले आबंटन करते वक्त 1985 के नियमों के अन्दर करते थे। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): मंत्री महोदय, 1973 में संशोधन कब होगा? यह बता दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं। (व्यवधान) बीच में बोलचाल नहीं...(व्यवधान) माननीय सदस्य, आप खुद डिस्टर्ब करते हैं (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): माननीय सांगसिंहजी, जैसलमेर से आने वाले सदस्य ने जो पूछा है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बीच में खुद डिस्टर्ब करते हो... (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): हमने टी.सी. से पी.सी. के मामले में उसको बढ़ाकर के बालिग पुत्रों को, 2001 तक जो बालिग पुत्र हो गये हैं उनको सी.एम. की घोषणा के अनुसार आदेश निकाल दिये हैं, उस श्रेणी के अंतर्गत जितने लोग आयेंगे उनको अलाटमेंट हो जायेगा।

श्री अमराराम (धोद): आप तो 6 लाख एकड़ जमीन कब देंगे किसानों को।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त, प्रश्नकाल समाप्त...(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): अमरारामजी, आपके क्वेश्चन का जवाब आ चुका है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्नकाल समाप्त।

श्री अमराराम (धोद): 6 लाख एकड़ जमीन आप दबाकर के बैठे हो, यह आप कब देंगे...(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): मैंने आपको जवाब भेज दिया है, आप देख लेना।

एक माननीय सदस्य: उपाध्यक्ष महोदय, रजिस्ट्री के समय... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय रेवेन्यु मिनिस्टर साहब, आप कब लायेंगे एक्ट में अमेंडमेंट?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिराजें...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय मंत्री महोदय, यह रोड़ा एक्ट क्या है उसके बारे में भी बतावें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिराजें...(व्यवधान)

(शेष तारांकित/अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया पृष्ठ संख्या-251 पर देखें)

(श्री उपाध्यक्ष)

अनुपस्थिति के लिये अनुमति

श्रीमती उषा पूनिया, पर्यटन राज्य मंत्री 17 मार्च, 2008 तक

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्रीमती उषा पूनिया, पर्यटन राज्य मंत्री ने अपनी पुत्री के इलाज के सिलसिले में मुख्यालय से बाहर रहने के कारण दिनांक 17 मार्च, 2008 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाये?

(स्वीकृति)

अनुमति प्रदान की गयी।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. डा. बी.डी. कल्ला एवं आठ अन्य सदस्यों की ओर से राजस्थान वैट अधिनियम की धारा-73 में वर्णित आडिट की प्रक्रिया में अधिवक्ताओं को अधिकृत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव हाल में घटित घटना से संबंधित नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इस पर विचार किया जाये, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। वैसे भी माननीय सदस्य को आज विनियोग एवं वित्त विधेयक पर चर्चा के समय बोलने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है।

2. श्री खुशवीर सिंह एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में परमिटधारी व्यक्तियों से डोडा पोस्त का विक्रय मूल्य अधिक लिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

3. श्री जुबेर खान, सदस्य की ओर से राज्य में अनेक श्मशानों एवं कब्रिस्तानों के मौके पर होते हुए भी उनका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में नहीं होने के कारण चारदिवारी निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों में उत्पन्न हो रही समस्या के संबंध में।

4. मोहम्मद माहिर आजाद, सदस्य की ओर से सार्वजनिक निर्माण विभाग में कनिष्ट अभियन्ता (सिविल) डिप्लोमा/डिग्रीधारी को पदोन्नति दिये

(श्री उपाध्यक्ष)

जाने एवं कनिष्ट अभियंता (विद्युत) डिप्लोमा/डिग्रीधारकों को पदोन्नति नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

5. श्री महिपाल एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से सार्वजनिक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता (सिविल) डिप्लोमा/डिग्रीधारी को पदोन्नति दिये जाने एवं कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) डिप्लोमा/डिग्रीधारकों को पदोन्नति नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी हाल ही में घटित घटना से संबंधित नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री खुशवीर सिंह, श्री जुबेर खान, मोहम्मद माहिर आजाद एवं श्री महिपाल सिंह यादव को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री जीवाराम चौधरी, सदस्य की ओर से सांचौर में महाविद्यालय खोलने के संबंध में।

2. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में एम.आर.आई. मशीन लगाने के संबंध में।

3. श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से अजमेर की गुलाब बाड़ी एवं धोला भाटा राजकीय डिस्पेंसरी के लिए भूमि उपलब्ध करवाने के संबंध में।

4. श्री अशोक नागपाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के श्री विजयनगर में उप जिला कलक्टर कार्यालय खोलने के संबंध में।

5. श्री बद्रीलाल जाट, सदस्य की ओर से शिक्षा विभाग में पूर्व लोक जुम्बिश योजना में एजेन्सी के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों को राज्य सेवा में लेने तथा शारीरिक शिक्षकों के पद भरने के संबंध में।

6. श्री रामचन्द्र जारोड़ा, सदस्य की ओर से जिला नागौर में अकाल राहत कार्य शीघ्र शुरू करने के संबंध में।

7. श्री जगसीराम कोली, सदस्य की ओर से रेवदर क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में।

8. श्री नवनीत लाल नीनामा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र घाटोल की तहसील पीपलखूंट के रिक्त पड़े पटवारियों के पद भरने के संबंध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

9. श्री शिवजीराम मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की बरदपुरा सिंचाई परियोजना में पानी की आवक बढ़ाने हेतु गोरमगढ़ एनीकट का निर्माण करवाने के संबंध में।

10. श्री हीरालाल निवाई, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र निवाई की रम्भा नदी पर पुलिया का निर्माण करने के संबंध में।

11. श्री अशोक कुमार नवलखा, सदस्य की ओर से नगर पालिका निम्बाहेड़ा में दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित वेतन श्रृंखला दिये जाने के संबंध में।

12. श्री भागीरथ चौधरी, सदस्य की ओर से किशनगढ़ की ट्रोमा यूनिट के लिए नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति दिलाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों से उपरोक्त प्राप्त सूचनाएं आज थोड़ा समय बजट के भाषण में ज्यादा लगने की वजह से, आज तीन-चार बिल पेश करने हैं, इसलिए इनको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री खुशवीर सिंह।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

प्रश्नकाल में सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों की अनुपस्थिति

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि आपको याद होगा कि शनिवार को आपने जब एक सदस्य का नाम पुकारा और वह सदस्य हालांकि यहां था, उधर बैठा था और इधर आ गया। तब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रीजी ने कहा था कि आप प्रताड़ना दीजिये। यह बहुत गलत बात है कि नाम लिया जाता है और उसके बाद समय पर सदस्य उपस्थित नहीं रहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रश्नकाल में एक नहीं, दो नहीं, तीन सत्ता पक्ष के वह सदस्य जिनके प्रश्न आज की इस प्रश्न तालिका के अंदर अंकित थे और उसके बावजूद वह अनुपस्थित रहे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्न रोजाना से आने वाले...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिराजें...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, पहले मेरी एक बात सुन लें...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): यह मैनेजमेंट का मामला है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, शत-प्रतिशत उपस्थिति आज तक रही ही नहीं कभी।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पहला प्रश्न श्री मनोहर सिंहजी, लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य का था। उसके बाद में दूसरा प्रश्न ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य का था।

श्री उपाध्यक्ष: सदस्य कभी काम...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उसके बाद एक प्रश्न हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य का था, एक नहीं, दो नहीं, तीन-तीन सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह कोई नयी बात नहीं है माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): जब प्रश्न आज की इस प्रश्न सूची में थे, उसके बाद वह यहां उपस्थित नहीं हैं, या तो चाहे वह प्रश्न लगाकर के मंत्री के दबाव में अनुपस्थित रहे हैं या अगर वह प्रश्न नहीं लगाना चाहते, उनकी समस्या का समाधान हो गया तो उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं कि एक प्रश्न का उत्तर मंगाने पर कितना पैसा खर्च होता है। सत्ता पक्ष के सदस्यों को अगर सवाल नहीं करना है तो इनके प्रश्न लिस्टेड ही मत कीजिये। केवल यह विपक्ष को दे दीजिये, आसाम में और पूर्वोत्तर राज्यों में इस तरह की व्यवस्था है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिराजें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): जब हमारी समिति वहां गयी तो वहां यह व्यवस्था है कि सत्ता पक्ष के लोग सवाल नहीं पूछते।

श्री उपाध्यक्ष: कह दिया आपने माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, आप कृपया व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष: कह दिया आपने माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं, आप इसको देखें...(व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): सदन किसी की बपौती नहीं है।...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप कार्य एवं संचालन संबंधी नियमों के नियम को देखें, इन नियमों के अंदर आप देखें...(व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): माननीय सदस्य, यह सदन आपकी बपौती नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): जिसका नाम पुकारा जायेगा, जिसने प्रश्न लगाया है, वह सदन में उपस्थित रहेगा और खड़ा होकर के अपना प्रश्न पुकारेगा।

श्री उपाध्यक्ष: सही बात है, माननीय सदस्य...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो विनम्र निवेदन है कि आप इस पर व्यवस्था दें या तो प्रश्न अलाऊ नहीं करें और प्रश्न लगाते हैं तो उपस्थित रहें, अनुपस्थिति की आपको सूचना दे सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कई काम हो सकते हैं...(व्यवधान) लेकिन आपको लिखित में ब्यौरा दे दें कि आज हम नहीं आयेंगे।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य, सदन अभी...(व्यवधान) केवल विपक्ष की बपौती नहीं है...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नियमों से चलेंगे, इस तरह से नहीं चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये, माननीय सदस्य...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): वह बता दे, बिना मजबूरी के इसलिए नहीं आ पा रहा है...(व्यवधान) सदन में अनुपस्थित रहे...(व्यवधान) यह गैर जिम्मेदाराना काम है इसलिए आसन से निवेदन है कि आप उनको प्रताड़ना दें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये। आ गयी आपकी बात।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उसके कारण से जांच कराने के आदेश दें कि वह क्यों अनुपस्थित रहे?

श्री उपाध्यक्ष: बैठें आप माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, यह तो बतायें कि यह किन नियमों से बोल रहे हैं...(व्यवधान) ऐसे ही ठोके जा रहे हैं।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचौर): किसी काम से कोई चला गया...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इसमें व्यवस्था है कि कोई सदस्य है तो आप लिखवा लेते आथोरिटी...(व्यवधान)

बीकानेर में घर-घर में मौसमी बीमारियां

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सिंचाई मंत्रीजी ने यह जानकारी दी कि बीकानेर में केवल पांच आदमी बीमार हैं, मैं कल बीकानेर जाकर के आया हूं, घर-घर हास्पिटल बन गया है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप पूछ लेते...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिराजें...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप उनसे लिखवा लेते, उनसे पूछ लेते...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): लगभग पांच सौ से अधिक आदमी बीकानेर में दूषित जल पीने से बीमार हैं। इसलिए माननीय मंत्रीजी वहां का दौरा करके...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: गलत परिपाटी कर रखी है आप लोगों ने...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): वहां लोगों को अच्छा उपचार मिले और जिन पाइप लाइनों से दूषित पानी आ रहा है उनको तत्काल बदलें और स्वच्छ और शुद्व पेयजल बीकानेर के लोगों को प्रोवाइड कराने का कष्ट करें, नहीं तो वहां पर बहुत हालत खराब है। वहां पर लोगों ने हमको भी काफी खरी-खोटी सुनायी कि वहां पर कितना गंदा पानी आ रहा है और घर-घर में लोगों को ड्रिप चढ़ रही है। रेलवे के अस्पताल में 13 आदमी भर्ती थे, पीबीएम अस्पताल में भर्ती थे और वहां रामपुरा का जो हास्पिटल है, सिटी डिस्पेंसरी वहां की, वहां पर कम से कम पिछले दिनों में 427 रोगी ड्रिप चढ़ाकर गये हैं। ऐसी स्थिति में माननीय मंत्रीजी, तत्काल वहां पर दौरा करके लोगों का उपचार कराएं, उनको उचित मुआवजा दें और साथ-साथ जो पाइप लाइन दूषित पानी से जुड़ी हुई गई हैं उनको तत्काल बदलवाने का काम करें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री खुशवीर सिंह जोजावर।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):...(व्यवधान) इनको भागना पड़ा बीकानेर से, उन्होंने कहा कि हमारा विधायक आता नहीं है, हमारा विधायक हमें सम्भालता नहीं है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): कल्ला साहब, यह सही है कि वहां कल्ला साहब के हाय-हाय के नारे लगे कि हमारा विधायक बीकानेर में कभी आता ही नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल पर आपको व्यवस्था देनी चाहिए, मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ओन ए पाइंट आफ इन्फोर्मेशन। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उस दिन आप खुद ही नहीं थे। ...(व्यवधान) कोई माननीय सदस्य की मजबूरी हो सकती है, व्यवस्था का इसमें क्या सवाल है, आना चाहिए। आप खुद नहीं थे, अब आए हैं और बीकानेर भी नहीं गए आप। वहां के लोग कहते हैं कि आप आते नहीं हैं, हमारा विधायक हमें सम्भालता नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपको पता ही नहीं है, मैं तो कल ही जाकर आया हूं। आप टोंक नहीं जाते हैं, आप डाक बंगले में ही ज्यादा रहते हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं डाक बंगले में रहता हूं लेकिन मेरी कोई शिकायत नहीं कर सका, आपको भागना पड़ा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपकी शिकायत तो वह कुंदनलालजी शर्मा को पूछो, क्या-क्या शिकायत थी आपकी।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वही कुन्दनलालजी आपके रिश्तेदार हैं।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लाडनूं से आने वाले माननीय विधायक मनोहरसिंहजी की गाड़ी पंक्चर हो गई और उसमें टाइम लग गया इसलिए नहीं आ पाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिए।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र सराड़ा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): वह बीकानेर गए थे, बीकानेर का दौरा किया था तो रास्ते में गाड़ी लेट हो गई और पंक्चर हो गई। पूरे बीकानेर की व्यवस्था देखने गए थे, ई टी वी में फोटो खिंचवाने गए थे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): परबतसर के पास हुई क्या? (व्यवधान)

सराड़ा विधान सभा क्षेत्र में महामारी की तरह बीमारी का फैलना

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सराड़ा के बारे में निवेदन करना चाह रहा हूं कि वहां महामारी की तरह बीमारी फैल रही है और कल एक बच्चा मर गया, देरा मीणा के दो बच्चे थे, 5 साल का और 3 साल का और कल एक बच्चा मर गया। उसके 5 दिन पहले भी एक बच्चा मर गया, दोनों बच्चे मर गए, वहां घर-घर में बीमारी फैल रही है।

श्री उपाध्यक्ष: आप इस बारे में स्थगन प्रस्ताव रखिए, उस पर व्यवस्था दी जाएगी।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने कोशिश की, मैं पांइट आफ इन्फोर्मेशन के माध्यम से सूचना दे रहा हूं। वहां मेडिकल की कोई व्यवस्था नहीं है। सलाड़ा ग्राम पंचायत, बड़गांव ग्राम पंचायत और मेरे विधान सभा क्षेत्र के कई गांवों से सूचना आ रही है और जिसे बड़ी माताजी कहते हैं, बड़ी चेचक हो गई है। और पुराने लोगों का यह कहना है वहां यह बीमारी पहले कुत्तों में फैली थी, कुत्ते बहुत सारे मर गए, उसके बाद इन्सानों में फैल गई और हर घर में बहुत बीमार हो रहे हैं। लेकिन जो चेचक हो गई है, मीजल्स हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि मेडिकल की वहां पर्याप्त सुविधा नहीं है, टीमें नहीं हैं। नाममात्र सूचना मिलने के बाद वहां प्रशासन सक्रिय तो हुआ है पर खाली ए एन एम्स और इनको भेजने से काम नहीं चलेगा। सरकार को चाहिए कि वहां इमीजिएट खबर लेकर के टीमें भेजें, टीमें भेजकर जगह-जगह पता कराए वरना महामारी की तरह बीमारी फैल जाएगी। और जिस व्यक्ति के देरा के बच्चे मरे हैं, सरकार को पर्याप्त सुविधा देनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए और उसका पता करना चाहिए कि कहां-कहां यह बीमारी फैली है। मैं चाहूंगा कि सरकार आपके माध्यम से पता करके सदन को सूचित करे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री खुशवीर सिंह।

रूपवास (निवाई) में स्काई ओवरसीज फैक्ट्री के 27 श्रमिकों की बेदखली

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के रूपवास रीको एरिया में स्काई ओवरसीज फैक्ट्री के 27 श्रमिकों को

(श्री हीरालाल)

मिल प्रबन्धकों ने बिना किसी नोटिस दिए, सूचना दिए उनको बाहर कर दिया है। उन्होंने ई एस आई और पी एफ की मांग की और 15 दिन से वहां हड़ताल चल रही है और श्रमिकों के भूखे मरने की स्थिति है। वहां का मैनेजमेंट श्रमिकों से किसी तरह की बात नहीं कर रहा है, मेरा आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्रीजी से निवेदन है वहां लेबर कमिश्नर, टोंक उनसे बात करे और हड़ताल का निपटारा कराए ताकि वे मजदूर भूखे न मरें, मेरा आपसे निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री खुशवीर सिंह।

डोडा पोस्त के उपभोक्ताओं को अधिक मूल्य पर उपलब्ध होना

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं लगातार पिछले चार वर्ष से इस प्रयास में लगा हुआ हूं। हमारे पश्चिमी राजस्थान के अन्य माननीय सदस्य भी इसमें रुचि ले रहे हैं कि राजस्थान में जिन स्थानों पर अफीम की खेती होती है सरकार के द्वारा उनको परमिट जारी किए जाते हैं खेती करने का और सरकार उनसे अफीम खरीदती है। दूसरी तरफ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस अफीम का...(व्यवधान) सरकार कोई भी हो।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): केन्द्र सरकार को कहो न आप ताकि सदन को सही जानकारी तो उपलब्ध हो, राज्य सरकार का मामला नहीं है, यह केन्द्र सरकार का मामला है, वित मंत्रालय स्वयं देखता है और वही लाइसेंस जारी करता है और उसके माध्यम से ही सारी व्यवस्था सुचारू रूप से होती है। डोडा पोस्त किसमें से आएगा?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप अफीम के उत्पादक हो इसलिए अफीम की बात करते हो, यह डोडा पोस्त की बात कर रहे हैं।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): आदरणीय प्रतिपक्ष के सदस्य, डोडा पोस्त किसमें से आएगा, जब किसी काश्तकार को लाइसेंस ही जारी नहीं किया तो कैसे ओपियम बनाएंगे?

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): इनका ज्ञान अफीम का इनके पास ही रहने दीजिए और इनकी बात सुनिए, आपने इजाजत दी है इनको। (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लाइसेंसधारी ही ओपियम की खेती कर सकता है, अफीम की खेती। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अफीम की खेती इनके यहां रहने दो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें जरूरत नहीं है।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): आपको देगा कौन?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, खुशवीर सिंह।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछली चार वर्षों से मैं भी प्रयास कर रहा हूं कि अफीम की खेती करने से जो डोडा पोस्त निकलता है और उसको वह किसान अपनी अफीम निकालने के बाद बेचता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया था 2005 में, उसके जवाब में आया कि सरकार ने डोडा पोस्त का मूल्य 13 रुपए निर्धारित किया है। दूसरी बार मैंने अगला प्रश्न लगाया अगले वर्ष तो उसका जवाब आया कि इसको बढ़ाकर हमने 15 रुपए कर दिया। इस बार मैंने जब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया उसमें जवाब आया कि उसका 50 रुपए कर दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए तो मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो 50 रुपए का क्रय मूल्य निर्धारित किया है और हमारे पक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजे थपथपाई लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि जो गरीब उपभोक्ता जो अधिकांश पश्चिमी राजस्थान में रहते हैं वह परमिट होल्डर हैं और सरकार ने उनको परमिट जारी किए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नवीनीकरण के नाम से उनसे 50 रुपए वसूले जा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इसका सेवन कौन लोग करते हैं जो जीवन के 50 बसन्त देख चुके हैं या सूर्य नारायण की 50 परिक्रम कर दी, उन से ऊपर वाले ही इसका उपयोग करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी भलीभांति समझते हैं इस समस्या को, अब इन परिस्थितियों में वह छोड़ने की परिस्थिति में नहीं है, उम्र दराज लोग हैं, वह छोड़ नहीं पाते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार ने 50 रुपए क्रय मूल्य निर्धारित किया लेकिन विक्रय मूल्य 700 रुपए है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और गंगानगर में 800 रुपए। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी जब अप्रोप्रिएशन बिल का जवाब दें तो मैं चाहूंगा सरकार से कि उन गरीब लोगों से 50 रुपए के स्थान

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

पर आप 100 प्रतिशत उनसे प्रोफिट ले लें, टैक्स लगा लें, 200 प्रतिशत टैक्स लगा लें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 300 प्रतिशत टैक्स लगा लें, 400 प्रतिशत टैक्स लगा लें। लेकिन 700 रुपए और 50 रुपए वसूलें, यह उचित और न्यायोचित नहीं है उन गरीब लोगों से। उपाध्यक्ष महोदय, आज जहां शराब के लिए जब मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया उसमें मेरे पास जवाब आया, उन्होंने अनड्यू जवाब भेज दिया। एक माननीय सदस्य ने कहा इसकी खेती समाप्त कर दी जाए, खेती समाप्त हो जाएगी उस दिन देखा जाएगा, लेकिन उस जवाब का कोई औचित्य नहीं है। जहां शराब की दुकान 200 मीटर के स्थान पर गलत डिस्टेंस दिखाकर 100-100 मीटर की जा रही है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में हर मंदिर के पास में, हर बस स्टैण्ड के पास में, हर प्राथमिक बालिका विद्यालय के पास में शराब के खुलेआम ठेके चल रहे हैं उसको रोकने की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष: यह शराब की बात बीच में कहां से आ गई? आप तो डोडा पोस्त के बारे में बात करिए।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो डोडा पोस्त का सरकार ने 50 रुपये क्रय मूल्य निर्धारित किया है उसका 100 प्रतिशत, 200 प्रतिशत, 300 प्रतिशत कर लगा सकते हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, उन गरीब लोगों से जिनकी रोजी-रोटी का पता नहीं है उन गरीब लोगों से सरकार 700 रुपये विक्रय मूल्य वसूल करती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा इसमें बड़े-बड़े ठेकेदार भरसक कोशिश में हैं वो सरकार के कुछ नुमाइंदों से मिले हुए हैं और उनकी मिलीभगत से, पिछली बार 15 विधायक माननीय मुख्य मंत्रीजी से मिले हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आज पुनः उन गरीब लोगों के लिए, उन गरीब लोगों की आवाज अगर इस सदन में उठे और उन गरीब लोगों के लिए चिन्तन नहीं होगा तो फिर ऐसे बड़े-बड़े स्कैंडल करने वाले जो हजारों-हजार करोड़ का स्कैंडल करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं उनका क्या होगा?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि सरकार अपने जवाब में उन डोडा पोस्त परमिट होल्डर्स हैं उनके लिए अधिक से अधिक 300 या 400 रुपये प्रति किलो में डोडा पोस्त उपलब्ध कराए और उन सभी के पास

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

परमिट हैं। शराब के लिए कोई परमिट की आवश्यकता नहीं है, कोई भी मर्जी आये शराब पीकर मर्जी आये जो कर सकता है, लेकिन ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक हजार रुपये किलो में अफीम केन्द्र सरकार खरीदती है जब कि अन्तरराष्ट्रीय मूल्य एक लाख रुपये हैं। क्यों न एक लाख रुपये के भाव से काश्तकारों को अफीम का पैसा दिलाया जाए? आप वहां से यह नहीं करा सकते और काश्तकारों ने लूट मचा रखी है। (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है कि गत कांग्रेस सरकार ने डोडा पोस्त काश्तकारों से काश्त से कम मूल्य में खरीदा दो रुपये में। ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बैठिए, बैठिए, आप।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार): केन्द्र सरकार एक हजार रुपये में काश्तकारों से अफीम खरीदती है जब कि अन्तरराष्ट्रीय भाव एक लाख रुपये किलो है। क्यों नहीं एक लाख रुपये के भाव से काश्तकारों को पैसा दिया जाए? केन्द्र सरकार क्यों काश्तकारों का शोषण कर रही है? क्या यह आपको दिखायी नहीं देता है? आपको यह कहना चाहिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला पिछले साल भी उठा था। (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): गत कांग्रेस सरकार ने मात्र दो रुपये किलो खरीदा था।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र की सरकार ने काश्तकारों से जो डोडा पोस्त खरीदा था ..(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): काश्तश्कारों के साथ आप अन्याय कर रहे हैं।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार): माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 15 के बजाय 50 रुपये करके काश्तकारों के हित में उचित निर्णय लिया और केन्द्र सरकार मनमाने भाव से, मनमाने रूप से काश्तकारों से ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अंकित न करें।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार):×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बात आ गई। (व्यवधान) माननीय सदस्य। कोई अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार):×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन):×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। अर्जुनजी, बैठिए आप।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिए। बैठिए आप। माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार):×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: बैठिए आप। ...(व्यवधान) बैठिए माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, बैठिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार):×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिए। कोई इस पर बहस थोड़े ही हो रही है। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन):×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: बैठिए, बैठिए, कह दिया आपने।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन):×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: बैठिए आप। कोई कुछ भी अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन):×××

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार):×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री जुबेर खान। माननीय सदस्य जुबेर खानजी। माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन):×××

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार):×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिए आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कनक्लूड कर रहा हूं, मेरी बात समाप्त कर रहा हूं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ...(व्यवधान) कह दिया अब। माननीय सदस्य।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): एक मिनट में एक पाइंट और निवेदन कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। बैठिए आप।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मैं कनक्लूड कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: बैठिए आप। हो गया। हो गया कनक्लूड।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अंतिम बिन्दु यह है कि जो डोडा पोस्त दिया जाता है उसका तोल हम करवाएं तो आप एक किलो के नाम से देते हैं उसमें 100 ग्राम की काले रंग की एक थैली निकलती है और ऊपर से कचरा और आता है। दो चीज ऐसी हैं राजस्थान के अंदर जहां विक्रय मूल्य, अधिकतम प्राइस हरेक पर लिखा हुआ होता है कि मेक्जिमम रेट क्या होगी। ये दो चीजें ऐसी हैं जिन पर अधिकतम कीमत का

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

कोई हवाला नहीं दिया हुआ है। इसलिए मैं चाहूंगा मंत्री महोदय, आप अपने जवाब के अंदर यह बताएं कि कांग्रेस सरकार के वक्त 200 रुपये प्रति किलो डोडा पोस्त बिक रहा था और अब 700 रुपये प्रति किलो हो गया। तो मेरा हाथ जोड़कर पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि उन उपभोक्ताओं के लिए और उन किसानों के लिए आप रेट बढाएं तो हमें बड़ी खुशी होगी और अफीम की खेती करने वाले किसानों को रेट मिलेगी। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, डोडा पोस्ट वालों को मंत्री महोदय 200 रुपये प्रति किलो देने की घोषणा करें मुझे आप पर पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार):×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: आप फिर कर रहे हैं, आपका कुछ अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार):×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप समय खराब कर रहे हैं, आपका कुछ अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, बैठिए आप। माननीय सदस्य, बैठिए आप।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, यह डोडा पोस्त का मामला है, मंत्रीजी, आप पता कर लें, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि 2003 में किस भाव से वहां पर इन सेवनधारियों को डोडा उपलब्ध होते थे, सरकार उनको किस भाव से डोडा उपलब्ध कराती थी ठेकेदार के माध्यम से और अब किस भाव से दिये जा रहे हैं। इसलिए क्या कारण रहा जिसके कारण से 200 रुपये के 700 रुपये हो गये और उसमें मिलावट अलग, तौल भी कम, यह सब क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि यह मोनोपोली आइटम है। बाजार में डोडा पोस्त की दुकान नहीं है। आप कहीं से भी 50 ग्राम चाहो तो आपको मिल नहीं सकता, यह तो ठेकेदार से ही मिलेगा जो डोडे का आदी है, उसको इस ठेकेदार से डोडा लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन):×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा इनको कहो। ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप दो मिनट तो बोलने दो, क्या तकलीफ है। ये कह रहे हैं इनका पैसा बढ़ा यह भी हमारे प्रयासों से 50 रुपये काश्तकारों के बढ़े हैं, ये भी हमारे प्रयासों से बढ़े हैं।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, कहने दीजिए। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपके राज में किसान से दो रुपये किलो में खरीदते थे यह भी आपको याद रहना चाहिए। आज तो कम से कम 50 रुपया तो हुआ है। आपके समय में पूरे का पूरा 35-40 साल गुजार दिये, दो रुपये में किसान का डोडा लेते थे, उसको भी एक दृष्टि डालकर देख लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): साथ में यह भी देख लें कि 2003 से पहले किस भाव से बिकता था?

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप जवाब दे देना। सभी मंत्री खड़े हो गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जो सेवनधारी था उसको 800 रुपये किलो देना पड़ता था।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप इस तरह से सभी मंत्री बीच में करते हैं तो यह करोगे तो फिर हम भी बोलेंगे। हर चीज को हम भी मुख्य मंत्रीजी से स्पष्टीकरण ले लेंगे एक-एक शब्द पर लेंगे।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): थोड़ी सी तो आप व्यवस्था करें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। उनको कहने दीजिए। सुनो तो सही बात पहले।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरी बात कहने तो दो उसके बाद जवाब देने दो, इनका आप अवसर दे देना, कहां दिक्कत है, प्राब्लम कहां है, आपको इतनी क्या जल्दी हो रही है, मतलब मैं दो शब्द भी नहीं बोला, उससे पहले माननीय गृह मंत्री, आप दो रुपये कह रहे हैं,

(श्री हेमाराम चौधरी)

दो रुपये की बात गलत है। पहले हमारे समय में 9 रुपये देते थे उन काश्तकारों को और 9 रुपये के बाद में आपने 15 रुपये किये।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य...(व्यवधान) मंत्री जवाब दे देंगे।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपका कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बीच में बोल रहे हैं बार-बार, कोई अंकित नहीं हो रहा है आपका, समय बर्बाद कर रहे हैं सदन का...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, यह दो रुपये की बात बहुत पुरानी बात है, 9 रुपये थे। यहां विधान सभा के अंदर जवाब दिया है कि आपके समय में पहले भी यह प्रश्न विधान सभा में कई बार उठ चुका है उसमें सरकार की तरफ से जवाब दे दिया गया कि आपके समय में 9 रुपये थे और हमने 9 रुपये से 15 रुपये किये। पिछली बार 15 रुपये किये, 50 का तो आज जवाब आया उसमें आई है तो 9 रुपये के हमने 15 रुपये किये तो आपने 6 रुपये बढ़ाये, उन काश्तकारों के...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: फालतू बीच में नहीं, कोई अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): 9 के 15 रुपये किये, 6 रुपये बढ़ाये। 6 रुपये आप और हमारे ऊपर डाल देते, हमारे ऊपर जो पोस्त डोडा में 6 रुपये सेवन करते हैं उनके 6 रुपये बढ़ा देते, 6 के 12 बढ़ा देते, 60 रुपये बढ़ा देते, 10 गुना बढ़ा देते। लेकिन 6 रुपये बढ़ा कर आपने वहां पर किस भाव से डोडों की सप्लाई की है, डोडों की सप्लाई का आपने इतना जो पैसा बढ़ाया, इसका कारण क्या है? उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार ठेकेदारों से मिली हुई है और ठेकेदारों को फायदा देकर के वहां के लोगों के साथ यह लूट हो रही है क्योंकि यह मोनोपोली आइटम है यह, मैं कहता हूं और कहीं तो मिलती नहीं है। और कहीं मिलती तो काश्तकार डोडा पीने वाले और कहीं से ले लें। तो इतना जो आपने बढ़ाया, आप कह रहे हैं, आपने 50 रुपये किये तो 50 रुपये का वज़न हमारे पर डाल दो, 50 का सौ डाल दो लेकिन आखिर आप कितना डालोगे? उपाध्यक्ष महोदय, यह अकाल राहत मंत्रीजी बैठे हैं, लक्ष्मी नारायण

(श्री हेमाराम चौधरी)

दवे, सोजत से आने वाले, यह लूणी से माननीय जोगारामजी बैठे हैं, सांचोर से जीवारामजी भी यहां बिराजे हैं, पिंडवाड़ा से जगसीरामजी भी यहां है, यह शेरगढ़ के बाबूसिंह भी हैं, मेरे ख्याल से नहीं है। यह लक्ष्मीनारायणजी के साथ हम इनके नेतृत्व में मुख्य मंत्री से तीन बार मिले। एक बार नहीं, तीन बार मीटिंग हुई। वित्त सचिव को बुलाया तीन बार और पूरी चर्चा हुई इस पर कि किस तरह से कैसे क्या किया जा सकता है। हमने इनसे निवेदन किया, यह आप जिस प्रकार से सस्ते मूल्य की दुकानें हैं जिनके माध्यम से खाद्यान्न शक्कर, केरोसिन का वितरण करते हैं, उनके माध्यम से उन डोडों का वितरण करवा दो, वह उनको दे देंगे, जो भी कीमत है, वह ले लेंगे। आप यह ठेकेदार के माध्यम से ठेकेदार को फायदा पहुंचाना है, यह क्यों है, इस सिस्टम को आप तोड़ो न। हमने बहुत अनुरोध किया, उन्होंने कुछ हमें आश्वासन भी दिया, यह बैठे हैं यहां पर लक्ष्मीनारायणजी दवे साहब अगर गलत बात हो तो। लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला, ढाक के तीन पात। तो हमने सोचा शायद कुछ होगा, इस वर्ष चुनाव का वर्ष है, हम उम्मीद लगाए हुए थे, पिछले साल तो नहीं होगा लेकिन इस बार चुनाव का वर्ष है इसलिए शायद यह लूट बंद हो जाएगी। लेकिन अभी तक यह लूट बंद नहीं हुई है और आज अंतिम है मौका, इसलिए आज अगर मेहरबानी हो जाए तो उनके ऊपर तो कर दो। नहीं तो भले ही 6 साढ़े 6 सौ, 700 रुपये ले लो, 800 ले लो, जो ले लो, जो आपकी मर्जी, मैं नहीं कहता आपको उनको सप्लाई करो। आप डोडा बंद कर दो, सप्लाई तो आप कर रहे हो न, यह नशे को कौन बढ़ावा दे रहा है, बढ़ावा सरकार दे रही है। सप्लाई सरकार कर रही है, टेंडर कर रही है, ठेके कर रही है, लोगों को दे रही है। बाजार में थोड़े ही मिलती है यह चीज? आप पिला रहे हैं। उन्हें पिला भी रही है फिर उन्हें लूट भी रही है, पिला भी रही है, लूट भी रही है, ज्यादा से ज्यादा पीओ और ज्यादा से ज्यादा पैसा सरकार के खजाने में जमा करवाओ। क्या सरकार का खजाना इसी से भरना है क्या, सरकार को इसी से चलाना है क्या?

आप उन गरीब से गरीब आदमी, उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिमी राजस्थान में टी बी की बहुत ज्यादा बीमारी है। आपको मालूम है रेगिस्तान में आंधियां बहुत चलती उड़ती हैं, आंधियों से क्या है कि धूल उनके अंदर सांस में चली जाती है, कफ जमा होता है और यह पोस्त डोडा वाली जो टी बी की ज्यादातर बीमारी है, वह लोग जो हैं, वह इसका सेवन करते हैं। डाक्टर

(श्री हेमाराम चौधरी)

सर्टिफिकेट देता है, तभी तो उनको परमिट मिलता है कि इसको डोडों की जरूरत है नहीं तो मिलती ही नहीं है। तो डाक्टर जब लिखता है कि इसको डोडों की जरूरत है, आप डोडे दे रहे हो और इतने महंगे भाव में यह लूट क्यों? मेरे यह कहने का मतलब है या तो आप इसको बंद कर दीजिए, वह मरना है तो मरेंगे जिंदा रहना है तो रहेंगे, जैसा भी है, जो भी, नशा के लिए प्रेरित आप कर रहे हो, आपूर्ति आप कर रहे हो और इतनी महंगी। मेणिया की भी बात कह रहे हैं, एक काला मेणिया आता है जो नहर के अन्दर डिग्गी में बिछाने के काम आता है। नहरों के अंदर बिछाने वाला मेणिया, बहुत हरी मोटा मेणिया है वह उसकी थैलियां बना-बना करके वहां डोडा सप्लाई कर रहे हैं। उसमें भी पाव किलो की, आधा किलो के थैलिया बनाई और उसके भाव हैं 60 रुपये किलो मेणिया का और यह रहे 700 रुपये। और अब उसको एक किलो डोडा चाहिए तो आधे-आधे किलो की दो पकड़ा देते हैं कि अभी किलो वाली तो एक नहीं, आधा-आधा किलो वाली दो ले जाओ क्योंकि मेणिया ज्यादा तुलेगा। यह हकीकत है, मैं तो वहां जाता हूं, लोगों के बीच में। लोग मुझे बताते हैं, मैं सुनता हूं। इसलिए आपको बताना चाहता हूं, वह कहते हैं और वह ज्यादा करे कि किलो वाला दो, आधे आधे किलो वालो दो क्यों हैं, एक किलो वाला दो तो चला जा, अब जावे कहां, कुए में गिरे क्या? और कहीं तो मिलती नहीं है उसके जाने के लिए कहीं रास्ता है नहीं, उसको मजबूरन पीना पड़ रहा है। डाक्टर लिख रहा है कि वह उसका आदी है फिर भी इतने महंगे से कह रहा हो, बढ़िया है गृह मंत्री जी ने कहा आप दो रुपये, आप 9 रुपये, आप जांच करवा लो। खैर, हमारे समय में जो भी बढ़ाई वह रहेगा, इसमें तो क्योंकि सच्चाई, झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, इसमें मुझे पड़ना नहीं है। पर आपने जितना पैसा बढ़ाया है उन काश्तकारों के, मैं तो कहता हूं कि 50 से सौ कर दीजिए, हमारे ऊपर डाल दीजिए। सौ हम देने को तैयार हैं, उस साइड के जो भी पोस्त डोडा के सेवन करते हैं, उन सेवनधारियों पर डाल दीजिए। लेकिन आप इतने क्यों 50 रुपये की चीज आप सात सौ रुपये में बेचो, क्या आप यह उचित मानते हो, आप इसको? मैं तो इसको कतई उचित नहीं मानता हूं। इसलिए चाहता हूं आप इस पर तुरंत विचार करके आज निर्णय लेना चाहिए। अब आज नहीं लें, यह बात करते हैं, अफीम की इतनी-इतनी ज्यादा लाखों रुपये की उसकी अन्तरराष्ट्रीय वेल्यु है और यहां कम है, केन्द्र में, केन्द्र मंत्री तो आप भी बिराजे थे, आपने कुछ नहीं किया।

(श्री हेमाराम चौधरी)

हम नहीं करेंगे, नहीं करें, वह एक अलग बात है। लेकिन यह यहां पर इस तरह से डोडों की जो लूट हो रही है इसमें तो केन्द्र कहीं भी बीच में नहीं, यह तो आपकी राजस्थान सरकार का ही मामला है। क्यों ठेकेदार को देते हो आप? यह लोग बीच-बीच में चितौड़ वाले इधर खड़े होते हैं, क्यों होते हैं, ठेकेदार उधर का ही तो है, ठेकेदार से यह मिले हुए हैं। इनको तो कहा है और मामला उठा दो, आप खड़े हो गये। इसमें पैरवी कर रहे हैं उस ठेकेदार की, पैरवी करने के लिए खड़े हो गये, उनकी कोई पैरवी नहीं कर रहा हूं...(व्यवधान)

श्री हरीसिंह रावत (भीम): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री हरीसिंह रावत (भीम):×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, बिराजो...(व्यवधान) माननीय सदस्य, श्री खुशवीर सिंहजी ने, सी डी देवल साहब ने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है और इस पर विपक्ष के नेता माननीय हेमारामजी ने जो बात कही है, वह स्थिति मैं आपके सामने स्पष्ट करता हूं। राज्य में कुल मिला कर 29319 डोडा पोस्त परमिट लाइसेंस जारी हैं जो नशे के लिए इनका प्रयोग करते हैं, जहां तक सरकार के द्वारा बढ़ाने का सवाल है, 2003 के बाद में कोई भी नया लाइसेंस या परमिट इनके उपभोक्ता के लिए कोई जारी नहीं किया गया है। यह पहले वाली जो परमिट हैं वही है। और यह भी सही है कि अधिकांश जो है उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के अंदर, इस पश्चिमी राजस्थान के सारे अधिकांश लोग इसमें वहीं रहते हैं, अब सवाल यह है कि दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक तो उनका अधिकतम मूल्य और एक किसान का मूल्य। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात स्पष्ट है कि पिछली बार जब माननीय हेमारामजी बजट पर बोल रहे थे उस समय भी उन्होंने यह प्रश्न उठाया था, उन्होंने कहा था 800, 700 रुपये के हिसाब से उनको क्रय करना पड़ता है और किसानों को आप बहुत कम देते हो। तो आप लोग मिले, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी था, इसके बाद राज्य सरकार ने तय किया कि पहले जो 800, 700 रुपये में आपकी बिकती थी क्योंकि नियंत्रण का मूल्य नहीं था तो राज्य सरकार ने यह तय कर दिया कि 15 रुपये से बढ़ा कर 50 रुपये तो किसान का तय कर दिया और 621 रुपये सब टैक्सेज जोड़ कर उसका

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अधिकतम मूल्य तय कर दिया। यह दो काम राज्य सरकार ने तय कर दिये, जो पहले नहीं थे। और जो मूल्य भी है इस प्रकार से एक किसान से क्रय मूल्य 50 मूल्य और प्लस आबकारी शुल्क व परमिट फीस है 39 रुपये प्लस लाइसेंस फीस है, 350 रुपये प्लस वेट 12.5 परसेंट 75 रुपये और योग है 621 रुपये। इस प्रकार राज्य सरकार ने दो बात तय कर दीं। यह बात सही है कि नशे की जो भी आदत है, वह खराब है। जहां तक आपने कहा था कि टी बी वाली बात है, अब टी बी के पेशेंट्स के लिए वह बात लागू नहीं है कि डोडा के बाद में इस प्रकार की जो दवा उपलब्ध हो गई है कि अगर वह एक आदमी है वह भी देते हैं तो ठीक है। और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आप लोगों के मिलने के बाद ही, आप लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए ही और आप लोगों के हित में ही यह फैसला किया कि किसान को 50 रुपये मिले और 621 रुपये इसके अधिकतम मूल्य हो, आज माननीय मुख्य मंत्रीजी इसका जवाब भी देने वाली हैं और आज एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस भी है तो इसमें जो सारी बात है वह आएगी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि 29 हजार के लगभग जो मैंने व्यसनी बताये हैं इसके अलावा और अधिक लोगों को हमने लाइसेंस जारी नहीं किये। इसलिए सरकार की ओर से कोई इसका प्रचार-प्रसार करना और इससे ही सरकार कमाई करेगी और इससे ही सरकार खायेगी, ऐसी बात नहीं है। जहां तक ठेकेदार का सवाल है, मैं उन मामलों में नहीं फंसना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के भी लोग हैं जो ठेकेदारी करते हैं और चुनाव भी लड़ते हैं। बड़े-बड़े लोग हैं, मैं उसमें नहीं पड़ना चाहता, मैं न किसी ठेकेदार की बात करता और न बिना ठेकेदार की बात करता। आप लोगों के आग्रह पर ही माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह तय कर दिया। अब जो छोटी-छोटी बातें आपने और बताई हैं उन पर भी मैं विभाग का ध्यानाकर्षित करूंगा कि वो जो थैली बताई है, उसके वज़न की बात है या और कोई बात जो आपने बताई है वो ये दोनों बातें मैं कहूंगा बाकी अब कम से कम इतना तो तय हो गया कि 621 रुपये से ज्यादा पर कोई भी नहीं बेच पायेगा और 50 रुपये किसान को मिलते रहेंगे। बाकी बातें माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय मंत्री महोदय, आप यह समझते हैं कि 50 रुपये के 621 रुपये लेना वाजिब है? उस गरीब किसान से...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैंने बता दिया न पूरा।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): हमारा आपसे अनुरोध है कि मैक्सिमम 400 रुपये रेट रख दी जाए। यह हमारा अनुरोध है। कांग्रेस के वक्त मात्र 200 रुपये प्रति किलो था। (व्यवधान) मेरा हाथ जोड़कर के उन गरीब लोगों की तरफ से निवेदन है कि कांग्रेस के वक्त 200 रुपये था, आप 400 ले लें, डबल कर लें लेकिन 621 रुपये, आप भी समझते हैं, उन गरीब लोगों की हालत आप जाकर के देखें...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ...300 रुपये आबकारी शुल्क ले रहे हैं इसको आप घटा दें, मामला सिर्फ इतना सा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सुनो तो सही। मैं यह कह रहा हूं कि यह घटने की ओर है। आपने पिछली बार कहा था कि 700-800 रुपये में बिक रहा है। अब वह घटकर 621 रुपये तो आया है, अब उसको और घटाने की बात है.... आप पहले सुन तो लो, आप बीच में नहीं। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि सरकार न तो डोडा-पोस्त के व्यसनियों की संख्या बढ़ाना चाहती है, न सरकार और किसी नशे के बढ़ाना चाहती है। अगर बढ़ाना चाहती तो जिस प्रकार की आबकारी नीति में परिवर्तन किया और जो शराब माफिया थे और राजस्थान में शराब माफिया समाप्त हो गये। यह इस सरकार ने ही तो किया है। इसलिए इसमें ठेकेदार या जो कुछ भी काम होगा उसमें जो कम करने की कोशिश होगी उस ओर सरकार सोचेगी लेकिन वर्तमान में पहली बार विक्रय का अधिकतम मूल्य निर्धारित किया और किसान को 50 प्रतिशत दिया वह आपकी भावना के अनुसार हुआ है। और कोई बात होगी तो आज शाम को माननीय मुख्य मंत्रीजी जवाब देने वाली हैं, आपके 500 की बात आई है, माननीय मुख्य मंत्री जवाब देंगी उसमें सारी बात पर।

श्री उपाध्यक्षः श्री जुबेर खान।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि आप कह रहे हो कि अभी आपने 50 रुपये किया। उस समय तो 15 ही था, 50 तो अब हुए हैं फिर भी 700-800 रुपये आप कह रहे हो, हमने कहा कि ले रहे हैं 700-800 रुपये, तो वो भी लूट नहीं थी क्या? यह बात सही है कि जब यह मामला आया, तीन बार मीटिंग हुई तो उसके बाद फिर थोड़ा मामला रुका, 600-700 के बीच में, साढ़े छह सौ के आसपास, 600 से कम तो कभी होने का सवाल ही नहीं, 650 के आसपास हुए। यह बात सही

(श्री हेमाराम चौधरी)

है, जोगारामजी बैठे हैं लोगों ने यह जरूर कहा कि पहले हजार-हजार भी लिये, कई मौकों पर हजार-हजार भी लिये क्योंकि यह उनकी बिलकुल मनमर्जी पर था....

श्री उपाध्यक्ष: फिर मुख्य मंत्रीजी ने कम किया।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): फिर थोड़ा सा लोगों ने कहा कि थोड़ा मामला आपने उठाया तो कम से कम अब मिल तो जाता है जैसे तैसे। पहले मनमर्जी से ठेकेदार हमको लताड़ करके निकाल देता था और जैसे चाहे वैसे हजार-हजार रुपये तक भी कई बार ले लेता था। वह बात तो अब नहीं है। तो यह बात हमने उठाई, आपने थोड़ी सी जितनी सुनी, आपने बता दिया कि हमने इतनी सुनवाई की, अब 50 रुपये के इतने रुपये आप लो तो थोड़ी सुनवाई कर दो तो ठीक रहे नहीं तो नहीं करें तो मर्जी आपकी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आपकी भावना मुख्य मंत्रीजी को बता देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जुबेर खान। (व्यवधान) दूसरा ले लिया, अब आपकी आ गई बात।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं... (व्यवधान) सारे विद्वान विधायक तो पीछे छोड़ दिये और मंत्री बना दिये दूसरे। इतने विद्वान हैं कि हर मामले में टांग लगाना।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी विषय पर मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। माननीय मंत्रीजी ने जवाब दिया है, सरकार ने व्यवस्था की ठीक बात है, अच्छी बात है, मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन अभी जो माननीय सदस्य की मूल भावना थी वह यह थी कि 350 रुपये प्रति किलो जो राज्य सरकार लाइसेंस फीस ले रही है अगर उसमें कुछ कटौती हो तो उस काश्तकार को या सेवन करने वाले लोगों को स्वत: ही लाभ होगा। उसके भाव कम हो जाएंगे। यही हमारा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: उस पर विचार होगा सब पर।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): सब का निवेदन यही है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ऐसे विषय की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो सत्यता है। जो मनुष्य पैदा हुआ है उसको एक दिन श्मशान घाट या कब्रिस्तान में जाना ही है। यह सच्चाई है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें एतराज है। इसमें प्रवचन जो जल संसाधन मंत्रीजी दे सकते हैं और कोई इस पूरे सदन में दे नहीं सकता। उपाध्यक्ष महोदय, उनका प्रवचन हो जाए तो कई माननीय सदस्य लाभान्वित होना चाहते हैं।

श्री अमराराम (धोद): आप क्यों जबरदस्ती पंच हो रहे हो, उनसे दिलाइये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): दूषित पानी पीकर के श्मशान या कब्रिस्तान नहीं जाना चाहते। आप दूषित पानी पिलाकर के भेजना चाहते हो क्या? (व्यवधान)

श्मशान घाट और कब्रिस्तानों का राजस्व रिकार्ड में दर्ज न होने से उनके विकास में आ रही बाधा

श्री जुबेर खान (रामगढ़): संसदीय कार्य मंत्रीजी, एक दिन मैंने मंत्री जी के साथ चाय पी ली थी तो मुझे भी थोड़ा असर आ गया, इसलिए मैं कह रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अनेकों जगह श्मशान घाट और कब्रिस्तान ऐसी जगह बने हुए हैं, काफी वर्षों से बने हुए हैं, कहीं 20 साल से, कहीं 30 साल से, कहीं 40 साल से बने हुए हैं जहां मौके पर तो श्मशान घाट है या कब्रिस्तान है लेकिन राजस्व रिकार्ड में वो दर्ज नहीं है। उसको लेकर के समस्या यह आ रही है कि अगर हम वहां चारदीवारी कराना चाहें, एमएलए लैड से, एमपी लैड से या अन्य किसी योजना के अन्तर्गत या टीनशेड की व्यवस्था करवाना चाहें तो वह नहीं हो पाती है। सामुदायिक भवन बनाना चाहें या गर्मियों, बरसात में कोई छाया की व्यवस्था हो जाए तो वो नहीं हो पाती। उसी तरह से कब्रिस्तान की भी यही स्थिति है। खासतौर से हमारे अलवर जिले में तो जब से यह नेशनल कैपिटल रीजन में सम्मिलित किया है तब से भारी समस्या आती है। हर सरकार, चाहे यह सरकार हो, चाहे पुरानी सरकार हो, प्रशासन गांवों की ओर के नाम से शिविर लगाये, शिविर में ग्राम सभा ने, ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव लिये कि मौके पर चूंकि श्मशाम है, कब्रिस्तान है तो इसका रिकार्ड में दर्ज हो जाए। लेकिन आज तक दर्ज नहीं हो पा रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा क्योंकि वैसे चुनावों में तो बहुत ज्यादा धार्मिक बात करते हैं और जब राज में आ जाते हैं तो भगवान राम को भी भूल जाते हैं, पाण्डुपोल को भी भूल जाते हैं, भर्तृहरि को भी भूल जाते हैं,

(श्री जुबेर खान)

श्मशान घाट और कब्रिस्तान को भी भूल जाते हैं। यह इस सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के मेनिफेस्टो में भी था कि हम जितने भी श्मशान घाट और कब्रिस्तान हैं उनका राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करायेंगे। यह इनके मेनिफेस्टो में भी था। मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि जहां-जहां भी, आप समय सीमा तय कर लें, आप सर्वे करा लें कि जहां-जहां भी श्मशान घाट और कब्रिस्तान मौके पर बने हुए हैं उनको किसी भी तरह से चाहे कोई नियमों में संशोधन करना पड़े, यह सिवाय चक में बने हुए हैं, गोचर में बने हुए हैं, कस्टोडियन की भूमि में बने हुए हैं, जोहड़ या तालाब में बने हुए हैं, गैर मुमकिन पहाड़ जो दर्ज हैं वहां भी बने हुए हैं तो कोई न कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि जहां लम्बे समय से श्मशान घाट और कब्रिस्तान निर्मित है, वहां उपयोग में आ रहे हैं उनको राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हो जाए जिससे कि वहां चारदीवारी, टीनशेड, पेयजल की व्यवस्था, ट्यूबवैल वगैरह हो जाए और धर्मशाला या टीनशेड या सामुदायिक भवन बन जाए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा और उम्मीद करना चाहूंगा कि संवेदनशील बनने वाली सरकार के मंत्री कोई न कोई इस सम्बन्ध में बात सरकार की ओर से कहेंगे। कहेंगे ही नहीं। राजस्व मंत्रीजी को सांप सूंघ जाता है1

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कब्रिस्तान और श्मशान की बात उठाई है और यह बात सही भी है कि पूरे राजस्थान के अन्दर जैसे इन्होंने कहा है और यह तो शाश्वत सत्य है कि 'आया है सो जायेगा, राजा रंक फकीर', और जाना कहां है...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गीता में एक श्लोक है...

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): यह बात सही है कि राजस्थान के अन्दर सभी जगह यह समस्या है। कहीं तो श्मशान वगैरह नाड़ियों में, कहीं तालाब की पोर पर, कहीं नदी और नालों के अन्दर बने हुए हैं। अब जहां तक उनका सम्बन्ध है, उन पर तो चाहे राजस्थान हाई कोर्ट का अब्दुल रहमान एण्ड पार्टी गई तो उसमें किसी भी प्रकार के पक्के स्ट्रक्चर की कार्यवाही नहीं कर सकते और न उनका इन्द्राज कर सकते। लेकिन जो अलग से है वो समय-

(श्री रामनारायण डूडी)

समय पर जो भी राजस्व अभियान वगैरह, प्रशासन आपके द्वारा और राजस्व अभियान चल रहे हैं उनके अन्दर परिपत्र के द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि गांवों के अन्दर जो भी प्रस्ताव आता है उस प्रस्ताव में आप रिकार्ड के अन्दर इन्द्राज कीजिये और उनका सीमांकन कर दीजिये। दूसरा, जहां भी आबादी बढ़ती गई और भी जरूरत है, उस हिसाब से वह आरक्षित कर दे। प्रस्ताव पंचायत देती है और उस पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर यह कार्यवाही की जाती है, रिजर्व की जाती है और अंकन भी किया जाता है उसका श्मशान का।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): पंचायत के प्रस्ताव के बावजूद भी बहुत-सी जगह नहीं हो पा रहा है, उसके लिए निवेदन है।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): नहीं है तो दिखा लेंगे, यह तो सतत प्रक्रिया है उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: आप कोई सूची देंगे तो उस पर हम कार्यवाही करेंगे कि यह-यह जगह रुका हुआ है। मोहम्मद माहिर आजाद।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के कनिष्ट अभियन्ता (विद्युत) को पदोन्नति न दिये जाने बाबत

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की सफलता और विफलता उसके अधिकारी और कर्मचारियों की कर्तव्यनिष्ठा पर निर्भर करती है और सरकार समय-समय पर उसको देखते हुए उनके प्रमोशन, उनके सर्विस रुल्स और नियम, उनके माध्यम से क्या सुविधाएं मिले, उस पर ध्यान रखती है लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा देखने में आ रहा है कि पिक एण्ड चूज का फार्मूला अपना रखा है। कोई कायदे और कानून के जरिये नहीं किया जा रहा है यानी राजा माने सो रानी और बाकी सब पटरानी यानी ईस्ट इंडिया कम्पनी का कानून लागू कर दिया। देश के कानून-कायदा, संविधान संशोधन, सब बेकार चाहे शिक्षा विभाग हो। आप एक तरफ पैराटीचर्स को स्थाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ मदरसा पैराटीचर्स को स्थाई करने में भेदभाव कर रहे हैं। गांवों में उर्दू शिक्षाकर्मी काम कर रहे थे 12 साल से, उनको आप स्थाई नहीं कर रहे हैं, उनको हटा रहे हैं। ऐसी स्थिति में पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के बहुत विद्वान और संसदीय कार्य और सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी हैं। आपके यहां जे.ईएन. काम करते हैं सिविल भी और जे.ईएन. काम करते हैं इलेक्ट्रिकल भी।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी ने जिस रोज पी.डब्ल्यू.डी. की डिमांड थी, उस रोज आपने 621 जे.ईएन. को ए.ईएन. में प्रमोशन करने की घोषणा कर दी। यह आप पहले भी कह चुके थे और आपका कमिटमेंट था, मैं उसके लिए तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं उसकी मैरिट और डी-मैरिट पर नहीं जाना चाहता लेकिन जिस तरह से जे.ईएन. सिविल को, जो डिप्लोमाहोल्डर और डिग्रीधारक थे, जिनके सेवाकाल को 9 वर्ष से 25 वर्ष हो चुका था, आपने उन सब की पदोन्नति कर दी लेकिन आपके विभाग में जो जे.ईएन. विद्युत डिप्लोमाहोल्डर और डिग्रीधारक थे, जिनका सेवाकाल भी 12 वर्ष से 22 वर्ष का पूरा हो चुका है, उनके बारे में आपने कोई निर्णय नहीं लिया। आप दोहरे मापदण्ड अपना रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से और माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी से यह निवेदन है कि आपके जो जे.ईएन. इलेक्ट्रिकल हैं, उनको भी जे.ईएन. सिविल की तरह प्रमोशन देकर ए.ईएन. बनाने का इरादा रखते हैं? यदि हां रखते हैं तो आप उनको कब तक कर देंगे या आप भी और विभागों की तरह दोहरे मापदण्ड अपनाकर, दोहरी कार्यवाही करेंगे? मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि राजस्थान भर के जो जे.ईएन. इलेक्ट्रिकल हैं, उनमें इसको लेकर बड़ा असंतोष है। उनको उम्मीद तो यह थी कि जिस दिन पी.डब्ल्यू.डी. की अनुदान की मांग थी, उस रोज आप सिविल जे.ईएन. की तरह ही इन इलेक्ट्रिकल जे.ईएन. के बारे में कुछ न कुछ घोषणा करेंगे लेकिन नहीं की। तब मजबूरी में वे सारे लोगों से मिले, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे भी मिले, हमसे भी मिले, औरों से मिले और हम विधान सभा में इन नियमों के तहत आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि उस असंतोष को दूर कीजिये और जो जे.ईएन. इलेक्ट्रिकल हैं, उनके साथ में दोहरा भेदभाव नहीं अपनाकर जे.ईएन. सिविल की तरह ही आप उनको भी प्रमोशन देने का, पदोन्नति देने का काम करेंगे, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से पी.डब्ल्यू.डी. में विद्युत विंग में कार्यरत जे.ईएन. की पदोन्नति की बात कही।

उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि सैद्धांतिक रूप से जे.ईएन. सिविल जिनके सेवाकाल को 25-25 वर्ष पूरा वह कर रहे थे, पदोन्नति नहीं मिल रही थी,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उनको पदोन्नत करने के लिए राज्य सरकार ने पैकेज की घोषणा की थी। यह बात जिस दिन पी.डब्ल्यू.डी. की डिमांड थी, उसके उत्तर में, रिप्लाई में उस समय मैंने निवेदन किया था। अब हमारे जे.ईएन. डिप्लोमाधारी और डिग्रीधारी विद्युत विंग के अन्दर 50 हैं और निश्चित रूप से इनकी सेवाएं भी 12 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक हो चुकी हैं। ये भी इसी पद पर हैं। नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा, उस पर सिद्धान्त रूप से सहमति हमारे विभाग की है और पूर्व में भी हमने यह पूरी कार्यवाही इसकी प्रारम्भ की थी, वित्त विभाग को यह प्रस्ताव बनाकर हमने भेजा है और जिस तरह सिविल इंजीनियर्स के मामले में पदोन्नति की बात, हमने प्रक्रिया प्रारम्भ की है, चूंकि इस मामले में विद्युत विंग के अन्दर अभी वित्त विभाग से हमें स्वीकृति नहीं मिली है। प्रयास करेंगे, वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजकर कि उनकी भी पदोन्नति के लिए कोई निश्चित मार्ग अपनाकर निश्चित समयावधि में हो, इसके लिए वित्त विभाग से प्रस्ताव के ऊपर ज्यों ही हमें मंजूरी मिल जायेगी तो इस बात को हम आगे चलायेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं, कब तक कर लेंगे कार्यवाही? आप तो सक्षम हैं वित्त विभाग से बात करने में और सारी चीजों में, और जैसा आपने उनके लिए ली, आप इनके लिए भी ले लीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वित्त विभाग के पास विचाराधीन है।

श्री उपाध्यक्ष: कर लेंगे, कर लेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह पूरा विद्युत विंग का पुनर्गठन होगा और इस पुनर्गठन के बाद हमें वित्त विभाग से अनुमति लेनी पड़ेगी, हमें डीओपी से अनुमति लेनी पड़ेगी और इसके साथ ही हमें Rajasthan Service of Engineers Rules में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। यह सारी औपचारिकता हम शीघ्र पूरी करने के बाद ही मैं तभी कुछ कह पाऊंगा कि सारी औपचारिकता पूरी हो जाये, समय तो मैं नहीं बता पाऊंगा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): महीना, दो महीना, तीन महीना, इस कार्यकाल में कर लेंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): निश्चित तौर पर।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

श्री उपाध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय। माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र नागर, खानपुर उपखण्ड में राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत।

खानपुर उपखण्ड में राजकीय महाविद्यालय खोलने विषयक

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खानपुर उपखण्ड स्तर का कार्यालय है और वहां पर दो बालिका सैकण्डरी स्कूल और सीनियर सैकण्डरी स्कूल हैं। 11 सीनियर सैकण्डरी स्कूल पूरे उपखण्ड में हैं। साथ ही आठ सैकण्डरी स्कूल इस उपखण्ड में खुले हुए हैं। लगभग सभी सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में छात्र और छात्राओं की संख्या मिलाकर 1,000 बालक और बालिका शिक्षारत हैं। साथ ही यह उपखण्ड 50 किलोमीटर की परिधि में बसा हुआ है, लगभग 260 गांव इस उपखण्ड में हैं और राज्य सरकार भी चाहती है कि यहां छात्र और छात्रा पढ़े और उसी को देखते हुए राज्य सरकार ने इस बजट सत्र में घोषणा की है कि हर पंचायत हैडक्वार्टर पर सैकण्डरी स्कूल खोल दिये जायेंगे। साथ ही नजदीक में झालावाड़ कालेज पड़ता है, वह लगभग 35 किलोमीटर और 50 किलोमीटर की दूरी पर है और छात्र और छात्राएं वहां पर किराये का कमरा लेकर पढ़ाई नहीं कर सकते। सभी के पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे पढ़े पर उनकी पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए वह वहां पर किराये का कमरा दिलाकर उनको नहीं पढ़ा सकते इसलिए मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूं कि प्राइवेट सैक्टर में कालेज है पर उस प्राइवेट सैक्टर के कालेज का स्तर किस तरह का रहता है और किस प्रकार से कितनी फीस वह लेते हैं?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि राजकीय क्षेत्र में मेरे खानपुर उपखण्ड में एक महाविद्यालय खोला जाये। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामप्रताप कासनिया। सूरतगढ़ नगरपालिका में वर्षों से लम्बित रावसिक्खों को आबंटित भूमि की कीमत कम करने के सम्बन्ध में।

सूरतगढ़ नगरपालिका में रावसिक्खों को आबंटित भूमि की कीमत कम किया जाना

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सूरतगढ़ नगरपालिका क्षेत्र की परिधि के अन्दर जो आरजी के काश्तकार हैं

(श्री रामप्रताप कासनिया)

और बीसी आबंटी हैं, उनको सन् 1992 के अन्दर एक लाख रुपये प्रति मुरब्बा सिंचित भूमि पुख्ता आबंटित हुई थी। यानी खातेदारी अधिकार मिले थे और बारानी भूमि थी वह 12,500 रुपये प्रति मुरब्बा के हिसाब से आबंटित होती थी। उपाध्यक्ष महोदय, उस श्रेणी के काश्तकारों को उस समय जब आबंटित हुई थी तो उन्होंने प्रार्थना पत्र लगाया कि हमारी भूमि भी पुख्ता आबंटन होनी चाहिए। परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, उस समय एलाटमेंट अधिकारियों ने आबंटन कुछ जो तेज-तर्राट जो बुद्धि वाले थे, मैं और यहां कोई आरोप नहीं लगाऊंगा, पर जो जानकार लोग थे उन्होंने भूमि एक लाख रूपये प्रति मुरब्बा के हिसाब से सिंचित भूमि आबंटित करवा ली। और यही बात, जो आपने इंगित की रायसिखों की, रायसिख प्रकरण में भी एक लाख पच्चीस हजार रुपये बीघा के अंदर भूमि आबंटन हुआ और उसी श्रेणी के काश्तकार जो शेष बच गये उनको अब पाँच लाख रुपये प्रति मुरब्बा के हिसाब से भूमि आबंटन हो रही है। यह कोई न्यायसंगत बात नहीं है। राज्य सरकार ने टाइमबाउंड प्रोग्राम दिया था कि छह महीने के अंदर इस रायसिख प्रकरण का निस्तारण करके और आबंटन करके सरकार को सूचित करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार का पत्र है, आदेश है, छह महीने का टाइम है और अब पांच लाख रुपये उनसे कांग्रेस के टाइम वसूले गये और उपाध्यक्ष महोदय, दस किलोमीटर की परिधि सूरतगढ़ नगरपालिका की जो मैं चर्चा कर रहा हूं, वहां आज की तारीख में प्राइवेट अगर भूमि खरीदना चाहें तो जिस भूमि को आप सिंचित कह रहे हैं उसका भाव चालीस और पंचास हजार रुपये प्रति बीघा है। इतना कम भाव क्यों है, उपाध्यक्ष महोदय, आपका तो देखा हुआ है सूरतगढ़। जैसलमेर और बाड़मेर के समान इसकी हैसियत को मानते हुए सीलिंग सीमा 280 बीघा की सूरतगढ़ में है। इस बात से, उपाध्यक्ष महोदय, आप तो परिचित हैं कि 280 बीघा सीलिंग सीमा बारानी भूमि की उस क्षेत्र में मानी जाती है बाड़मेर और जैसलमेर में, यानि मेरे कहने का यह भावार्थ है कि मेरे सूरतगढ़ का जो एरिया है वह जैसलमेर और बाड़मेर के बराबर मतलब उसकी स्थिति है। तो मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाना चाहता हूं कि यह जो दस किलोमीटर की परिधि में सोलह लाख रुपये लगाने का जो प्रोवीजन है, काश्तकार सात जन्म में ही नहीं भर सकता, छूट और है, मुझे यह भी जानकारी है, 31 तक, पर उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री रामप्रताप कासनिया)

मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि एकमुश्त चार लाख रुपये काश्तकार आज की तारीख में किसी भी स्थिति में वह एकमुश्त नहीं जमा करवा पायेगा। एकमुश्त वह जमा नहीं करवा पायेगा तो उसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, क्या होगा, सोलह लाख रुपये प्रति मुरब्बा लेंगे। जैसे माननीय मंत्री महोदय, आपने बारानी भूमि के अंदर डीएलसी रेट की दस प्रतिशत एससीएसटी, सामान्य और ओबीसी को बीस प्रतिशत से आपने जनता को राहत दी है उसी तरह से इन सिंचित काश्तकारों को अगर आप राहत देंगे तो आपकी राशि आयेगी, जमीन पुख्ता आबंटन होगी, नहीं तो मैं यह आपको ध्यान में लाना चाहता हूं कि मैं बिलकुल उनसे, सब काश्तकारों से बात करके आया हूं, मैंने मौका देखा है, भूमि देखी है, पानी लगने से भूमि कोई लाइट लूम नहीं हो जाती।

उपाध्यक्ष महोदय, सैकण्ड चरण में कई जगह आपने देखा है, टीबा क्षेत्र की भूमि है उसमें पानी हाई लेवल पर है तो लग रहा है, सिंचित दर्ज हो गई, पानी से, लेवल से, लो लेवल पर है इसलिए वह कमाण्ड घोषित हो गई पर उसकी कीमत बहुत ही कम है। आज की तारीख में, उपाध्यक्ष महोदय, पचास हजार रुपये जो भूमि का रेट है, शायद नाचना और यहां भी नहीं है, कम है, ज्यादा है कई जगह। तो मैं यह इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सरकार का कि वाकई में मैं जिस भूमि की चर्चा कर रहा हूं, जो आपने रेट लगा रखी है इतने में प्राइवेट के अंदर भूमि खरीदी जा सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से भी परिचित हूं कि मंत्रीजी शायद मेरी परची की ओर कोई विशेष उनका ध्यान आकर्षित भी नहीं है, पहले यह परची नगरपालिका मंत्री गोयल साहब के पास घूमती रही, फिर रेवेन्यू मंत्रीजी से मैंने कहा कि आपसे संबंधित है, मैं यह चाहूंगा कि यह मामला बड़ा गम्भीर है, इसको आप थोड़ा संजीदगी से कि आप लोगों ने पिचानवे प्रतिशत काम कर दिया, मांगा उसी से जाता है जो दातार हो, जो कुछ देता है। आपके सामने मांग, इसलिए सरकार के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि यह बहुत बड़ी बात है। काश्तकारों की संख्या चाहे कम है, दो सौ, चार सौ है पर आपने जब बारानी भूमि के अंदर डीएलसी का दस और बीस कर दिया तो सिंचित में करने में क्या दिक्कत है? डीएलसी रेट की दस प्रतिशत और बीस प्रतिशत करके इन लोगों को राहत दो। जो रायसिखों के बारे में मैंने निवेदन किया कि सरकार के आदेश हैं सैक्रेटेरिएट के, छह महीने में आबंटन करके सरकार को सूचित करें,

(श्री रामप्रताप कासनिया)

एक लाख पच्चीस हजार रूपये के अंदर मुरब्बा आबंटन करके छह महीने में सरकार को सूचित करना था और एक टाइमबाउंड प्रोग्राम दिया था कि इतने समय में काश्तकार एप्लीकेशन देंगे, इतने समय में आबंटन होगा। काश्तकारों ने एप्लीकेशन दे दी, कोई गुनाह नहीं है। यही हाल नगरपालिका वाले काश्तकारों का है, सब ने एप्लीकेशन दे दी, आबंटन नहीं किया तो इसकी जिम्मेदारी तो अधिकारियों की है, सरकार की है। उनको सज़ा क्यों मिले, उपाध्यक्ष महोदय, एक श्रेणी के काश्तकार हैं, एक से तो आप पांच लाख रुपये लो, एक से सवा लाख।

श्री उपाध्यक्ष: आ गई बात, आपकी बात आ गई।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): यह न्यायसंगत नहीं है। और दस किलोमीटर की परिधि में पहले भी एक लाख रुपये प्रति मुरब्बा में आबंटन हुआ है 92 में और इसमें शायद एक परंतुक अभी तो उत्तर में नहीं आयेगा पर यह लगायेंगे कि जनसंख्या बढ़ गई सूरतगढ़ की। जनसंख्या बढ़ाने से काश्तकार के खेत में कोई खुशहाली आती है क्या उपाध्यक्ष महोदय। जयपुर में तो आती है, बम्बई में भी आती है, कोटा में भी आती है पर हमारे सूरतगढ़ के इर्द-गिर्द ऐसा वातावरण नहीं है कि वहां जनसंख्या बढ़ने से कोई भूमि की बहुत ज्यादा कीमत बढ़ गई। यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि विषय बड़ा गम्भीर है। आप इसको माने, सरकार माने या नहीं माने, यह सरकार की मर्जी है पर मैं वह आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि भेदभाव हो रहा है एक श्रेणी के काश्तकारों में। एक को एक लाख में, दूसरे को आप पांच में दे रहे हैं। पहले आपने एक लाख में की, वही भूमि सोलह लाख में हो रही है अब और यह कारनामे हैं कांग्रेस के टाइम के। मैं यह भी कह दूं कि यह राशि कब बढ़ी, यह कब राशि बढ़ी, तारीख बता दूं मैं आप चाहें तो, यह राशि कांग्रेस के समय बढ़ाई गई थी, एक लाख से इन्होंने जो राशि बढ़ाई है, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे रोना आता है इस बात पर कि सोलह लाख रुपये दस किलोमीटर की परिधि के अंदर काश्तकारों से वसूल करें, कोई न्यायसंगत बात नहीं है। आप जाकर के देख लें, सोलह में नहीं, मैं बारह लाख, दस लाख में ही आपको मुरब्बा दिलवा दूंगा। कोई राजस्थान का व्यक्ति अगर खरीदने के लिए तैयार है तो मैं यह चैलेंज के साथ कहता हूं कि जो आरक्षित दर है...

श्री उपाध्यक्ष: आ गई बात आपकी। माननीय सदस्य।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उसमें मैं सारी भूमि वहां की दिलवा दूं।

श्री उपाध्यक्ष: आ गई आपकी बात, आ गई पूरी।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): जय हिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सांग सिंह भाटी।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज आपका ध्यान...

श्री उपाध्यक्ष: जिला जैसलमेर में...

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, आज परम्परा बंद हो गई क्या जवाब की?

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): छोड़ो न।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): नहीं, छोड़ें क्या, थोड़ा-सा मैं पूछना चाहता हूं, अगर नहीं है तो नहीं, मैं कोई बाध्य थोड़े ही कर रहा हूं। (व्यवधान) आप, वह कागले वाली बात है, कागलो मरग्यो। दिन छिपे तक खेजड़ा पर बैठे-बैठे कह रहा है कि ऊंट मरसी । ऊंट धापेड़ो पैर हिला रह्यो हो और थाने तो ठा ही कोनी इ बात को, सरकार कोनी आवली। (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जो पार्टी, जो दल जो राजस्थान पर, आपने तो कुछ किया नहीं...(व्यवधान) मैं इसे थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं..

श्री उपाध्यक्ष: यह कहना चाहते हैं। बैठिये।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): कि जो भी पीलीबंगा से आने वाले माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है, मैंने उनकी सारी जो मतलब शहर के, नगरपालिका की पेराफेरी वाले मामला, रायसिख वाला, कुछ अभी फाइलें मतलब वित विभाग में गयी हुई हैं, क्योंकि यह कम वगैरह का जो मामला है, उसको मतलब उनकी राय होने के बाद ही जो भी निर्णय होगा और वह काश्तकारों के फेवर में निर्णय होगा, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सांगसिंह।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज आपके माध्यम से....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य फिर टेलीफोन से बात कर रहे हैं। (व्यवधान) नहीं, आप मंगवा लो चाहे। आप मंगवा लो, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): आप इनकी बातों में, यह तो सरकार के, मैंने कहा ना...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अच्छा, आप नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य से पूछ लो चाहे।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): यह एक मिनट में तो सरकार को उड़ा रहे हैं, एक मिनट में कुछ ही कर रहे हैं, शेखचिल्ली।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह जो सूचना हमको दे रहे हैं उसी को कलेक्ट कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): तो आपकी सरकार है, पटका दो कहीं पर। आपकी सरकार है धमका तो दीजिए।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ...(व्यवधान) अभी तो आपकी सरकार है अब मान लिया है आपने, इतनी देर से कह रहा हूं आएगी नहीं... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अभी चार महीने हैं, चार महीने तो बहुत हैं मेरे को लटकाने के लिए।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हम सरकार को मानते हैं, यह सरकार पांच साल के लिए आपकी तरह नहीं है कि आधे नहीं मानते...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ठीक है, वह कागले की तरह आपकी हालत नहीं हो जाए यह ध्यान रखना। एक काग था ऊंट चारा चरकर पेड़ के नीचे आराम से सोया हुआ था, पैर हिला रहा था तो कागले ने देखा यह मरेगा...

श्री उपाध्यक्ष: अब किस्से रहने दीजिए।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): शाम तक भोजन होगा तो शाम को वो खा पीकर मस्त हो गया, पच गया भोजन तो खड़ा हो गया, काग भूखा उड़ कर गया रोता हुआ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): बता रहे हैं टेलीफोन का इंतजार करते रहे 2003 में वह टेलीफोन आया नहीं, बीच में बैठना पड़ा...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): वह सही है आपकी नेता महोदय ने मुझे कहा कि आपके लिए प्लेन भेज रही हूं, हेलिकाप्टर भेजी रही हूं, मंत्रिमण्डल भेज रही हूं, मैंने कहा कि अब आपकी तरफ तो आना ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री सांग सिंहजी।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अब अगर...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बार-बार यह डिस्टर्ब करते हैं, आप में कोई हिम्मत वाला ऐसा आदमी है क्या? (व्यवधान) राजस्थान सरकार में...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आप बैठिए।

डा. **बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी पीलीबंगा से आने वाले माननीय सदस्य आपकी सरकार को सोए हुए ऊंट की तरह बता रहे हैं।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ऊंट नहीं बताया है, मैंने आपको नहीं बताया है, मैंने एक उदाहरण दिया है।

डा. **बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): सरकार को बताया है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): इन्होंने कहा कि सरकार जाएगी तो मैंने काग की संज्ञा आपको दी है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य बैठिए।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):...(व्यवधान) और मैंने जो प्रश्न किया है आप में हो कोई हिम्मत वाला यह कह दो...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) ऐसा है हमें ऊँट बताया है तो आपको काग बता दिया।

डा. **बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): ...(व्यवधान) काग चेष्टा वक्त ध्यानम्, स्वान् निद्रा तथेय विद्या, अल्पाहारी गृह त्यागी, विद्यार्थियेम पंच लक्ष्णम।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य रहने दीजिए। माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) आपकी चेष्टा जो है काग चेष्टा ही है...(व्यवधान)

डा. **बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): कौवे की तरह चेष्टा होगी तो राज नहीं आएगा...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपको काग बनना पसंद है तो हमें ऊंट बनने में कोई एतराज नहीं है।

गायों के लिए सेवण घास बचाने हेतु ओरण का अलाटमेंट

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): पंडित से पंडित मिल जाए तो लारला की जरूरत ही कौन करे, विद्वान से विद्वान मिल गये तो वहां मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आज सेवण घास के प्रति पक्ष और विपक्ष में दोनों से निवेदन करना चाह रहा हूं। सेवण घास राजस्थान की एक बहुत बड़ी धरोहर है और सेवण घास वह है जो प्रोटीन जो गौ-धन को बचाए और गौ-धन को बचाने के लिए सेवण घास की रक्षा करनी बहुत जरूरी है। सेवण घास अगर कोई जगह है तो सेवण घास का अथक भण्डार है जैसलमेर ज़िले में, दिन-प्रतिदिन में राजस्थान में अगर एक साल जमाना आ गया तो दूसरा साल अकाल, दो साल जमाना आ गया तो तीसरे साल अकाल आदि अवश्य पड़ते हैं और उस अकाल के समय में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार चाहे केन्द्र सरकार, दोनों सरकारों द्वारा करोड़ों, अरबों रुपए घास के नाम से पशु धन को बचाने के लिए खर्च किए जाते हैं। मेरा आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से निवेदन है कि जैसलमेर ज़िले में एक ऐसा भू-भाग है जो देवस्थानों की जमीन है। किसी कारणवश ओरण नहीं छूटी गई, चौतरफा उसके देवस्थान है और कम से कम 30-40 किलोमीटर दूरी में चौतरफ उसके गांव है, जैसे सपरेल गांव, मौकला गांव, फलैडी, आबूर, खुसडी और सानू, यह चार पांच गांव है, सभी गांवों के बीचों बीच 40 किलोमीटर का एरिया जिसके बीच में कोई गांव नहीं बसा हुआ है, आज से दस साल पहले किसी की काश्त नहीं होती थी, कारण इसका क्या था? रीजन क्या था? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विभिन्न देवस्थानों की जमीन जो ओरण के नाम से लोग उसमें पशु धन चराते और ओरण मौक़े पर छोड़ी हुई है। लेकिन आज से पांच छह साल पहले कई काश्त करने लगे और कुछ लोगों ने बीच में काश्त की, सरकार ने तवान भी लगाए। पिछले वर्ष पशु धन को चराने के लिए सारे के सारे पशु चरते हैं वहां पर, जिनकी काश्त थी गायों को ट्रैक्टरों के आगे दे दिया, गायों को बुरी तरह से ट्रैक्टर से कुचल कुचल कर मारे और गाय जैसे ट्रैक्टर के आगे दौड़ती-दौड़ती गाय गिर गई तो उसके ऊपर से ट्रैक्टर निकाला, बच्चा सका बाहर आकर के गिरा। ऐसी हालत में जैसलमेर में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 15 दिन तक आंदोलन और धरने चलते रहे। जैसलमेर जिला बंद रहा। उस भू-भाग का पूरा ओरण घोषित करने के लिए हमारी राजस्थान सरकार के पास में जिला कलक्टर द्वारा 6700 कुछ

(श्री सांगसिंह भाटी)

बीघा भूमि जो ओरण के नाम से घोषित की जाए, वह प्रस्ताव जिला कलक्टर का यहां आया हुआ है राजस्थान सरकार के पास में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं आपके माध्यम से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा गम्भीर मुद्दा है। इस मुद्दे के लिए ओरण के हमारे जगतजी के स्थान, अलाजी का स्थान और नाग रक्षा मंदिर, पाबूजी का मंदिर इस भू-भाग में चौतरफ हमारे छोटे-छोटे मंदिर बने हुए हैं, बीच में भी हमारे देवस्थान के मंदिर बने हुए हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि गायों का दूध तो हरेक पीते हैं, गायों का दूध तो सभी पीते हैं और सेवण घास को बचाए तो गाय बचेगी। इसलिए पक्ष और विपक्ष से मेरा निवेदन है कि इस ओरण को इस देवस्थान के नाम से ओरण घोषित किया जाए, हमेशा के लिए कोई भी जगह वह जमीन किसी को अलाटमेंट न हो। इसलिए माननीय मंत्री महोदय आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है और पूरे हाउस से विनती है कि इस गम्भीर मुद्दे को देखते हुए ओरण छुडवाई जाए। और ओरण छूट गई तो हमारा सेवण घास बचेगा और हमारा सेवण घास बचेगा तो हमारा गौ-धन बचेगा और गौ-धन बचेगा तो आने वाली पीढ़ियों के लिए वह शुद्ध घी और वह शुद्ध दूध जैसलमेर ज़िले से पूरे राजस्थान में आता है। इसलिए मुझे समय दिया मैं मांग कर रहा हूं मंत्रीजी से इस पर आप अपना वक्तव्य देवें और विश्वास दिलायें हमें इसमें कोई भूमि अलोटमेंट नहीं होगी, ओरण के नाम पर 6700 कुछ बीघा जमीन ओरण घोषित करने का आप आश्वासन दें। समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़):...(व्यवधान) सेवण घास खाकर के उसमें सोने जैसा पीला घी निकलता है इसलिए इनकी बात का हम समर्थन करते हैं।...(व्यवधान) क्योंकि हमारे पूरे इलाक़े में...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य बैठिए आप।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): घी भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय बढ़ेवा और खल से ज्यादा खर्च आता है, सेवण से घी बहुत ज्यादा आता है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): सेवण घास से घी बहुत अच्छा आता है, शुद्ध घी। इसलिए ओरण घोषित होनी चाहिए। इस बात का हम भी समर्थन करते हैं।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और जैसलमेर चूंकि सेवण घास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जो आंदोलन गायों के लिए चला, गायों की रक्षा के लिए चला...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आ गई बात आपकी।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): उसके बाद जिला कलक्टर ने जो डाक्युमेंट भेजे हैं उसके आधार पर राजस्व मंत्रीजी को आज ही जवाब देना चाहिए और उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): गो रक्षा के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, सदन सर्वसम्मति से इस मुद्दे पर गहन चिंतन करके वह गायों की रक्षा के लिए और ओरण का अलोटमेंट गो रक्षा के लिए किया जाए, यह हम सब की मांग है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): उपाध्यक्ष महोदय, यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य जो कह रहे हैं...(व्यवधान) राजस्थान से ओरण और यह ओरण नहीं रहेगा तो गाय नहीं रहेगी, गाय नहीं रहेगी तो नस्ल नहीं रहेगी, घी, दूध, दही सब बंद हो जाएगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान) इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ करो अगर गौ माता नहीं रहेगी तो वोट किसके नाम से मांगेंगे?

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): इस सदन में माननीय मंत्री महोदय से यह घोषणा करवाई जाए कि राजस्थान को सभी ओरण की सुरक्षा हो, सभी राजस्थान के जितने ओरण हैं उनका सीमांकन हो और उनमें किसी तरह का अतिक्रमण न हो, सभी राजस्थान के ओरणों पर अतिक्रमण हो रहा है उसका सीमांकन हो...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य बैठिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): जहां-जहां सरकार ने कालोनियां काटी हैं उतनी की उतनी जमीन चरागाह और गोधन के लिए वापिस आबंटित की जाए। जहां-जहां गोचर और चरागाह भूमियों पर सरकार ने कालोनियां काटी

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

हैं या उसका दूसरा उपयोग किया है, उसकी जगह वापस गोचर और चरागाह भूमि अलग से इनका आबंटित करनी चाहिए।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): उपाध्यक्ष महोदय, सेवण घास गायों के टोनिक है, सेवण घास अकाल में भी नहीं मिलती है, पानी गिरने से सेवण घास वापिस तैयार हो जाती है। इसलिए सेवण घास की महती आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय अगर गो माता की सेवा के लिए माननीय सदस्य ने कोई मामला उठाया है तो मंत्रीजी को कहना चाहिए आगे...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य अच्छी बात है। माननीय सदस्य...(व्यवधान) मंत्रीजी को आवश्यकता होगी जब जवाब दे देंगे। माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): आप सभी उठ रहे हैं बात आप...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): पूरा सदन जब एक स्वर से कह रहा है कि जैसलमेर में ...

श्री अध्यक्ष: जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): ...(व्यवधान) जो बात बतायी है।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, ये 1976 में कांग्रेसियों ने कबाड़ा किया है। यह गोधन को बर्बाद कर दिया 1976 में इन्होंने ही तो किया है यह सारा गोचर को और सब बर्बाद कर दिया इन्होंने और आज मगरमच्छी आंसू बहा रहे हो...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ...(व्यवधान) नाइंसाफी कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ...(व्यवधान) इसको रोको...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिये आप।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): कांग्रेस सरकार ने किया है यह 1976 में ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कांग्रेस ने तो गायों को बचाया है, गोचर को बचाया है आप गोचर भूमियों पर...(व्यवधान) कर रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सारी गोचर भूमियों पर कांग्रेसियों ने कांग्रेस की सरकार ने सारी गोचर नष्ट करवा दी है। 1976 में आपने ही करवाया है सारा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आ गयी बात माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, अगर गौमाता की सेवा के लिए ...

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): आप तो विराज जाएं गौमाता की सेवा हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह प्रश्न जैसलमेर में छपरेल गांव के पास भूमि के बारे में है। माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो सांगसिह भाटीजी ने छपरेल तहसील जैसलमेर के अन्दर 6721.10 बीघा भूमि की बात की है और इन्होंने कहा है अपनी पर्ची के माध्यम से कि इस भूमि को औरण घोषित कर दिया जाए...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सुनिये पहले बात सुनें।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): 10700 कुछ बीघा जमीन है यह।

श्री उपाध्यक्ष: आप बात सुनिये। आज ही आपकी पर्ची निकली है अचानक।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): मेरे पास जो रिकार्ड के अनुसार आंकड़े हैं मैं उतनी ही बात कर रहा हूं ज्यादा तो मैं बता नहीं सकता छपरेल गांव का जो आपने पूछा है और उसके अन्दर उपाध्यक्ष महोदय, आप तो जानते हैं कि और है छापर है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्रीजी कम से कम वक्ता और आसन के बीच में से तो मत निकलो या तो झुक कर निकलो या पीछे से निकलो जो आदत है आपकी।

श्री उपाध्यक्ष: औरण, छापर, औरण जहां पर देवी देवताओं के नाम पर ये गोगाजी का औरण है, यह महादेवजी का औरण है, यह रामदेवजी का

(श्री उपाध्यक्ष)

औरण है, यह फलाने का औरण है इस प्रकार से औरणों को परिभाषित किया गया है और छापर भी जहां रहने के हिसाब से हीरण वगैरह चरते हैं उनको छापर के नाम से जो पहले फूलमत के अन्दर जिसमें उनको रखा है। यह सारा गायों के चरने में पशुओं को चरने में काम आता है। उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रस्ताव आया था और उस प्रस्ताव के अन्दर था कि इसको औरण चरागाह है, चरागाह से औरण में कर दिया जाए। अब दोनों का एक ही समतुल्य है चारागाह औरण चरने के काम आता है और औरण चरागाह के रूप में है तो यों इनका प्रस्ताव आया था नीचे लेवल पर उस प्रस्ताव को एग्जामिन किया जा रहा है और एग्जामिन के बाद उन्होंने पाया कि यह औरण और चरागाह एक ही चीज है और 2002 का एक आदेश भी है विभाग का उसके अन्दर यह है कि ऐसे प्रस्ताव कलक्टर न भेजें। उपाध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट बात इसलिए करना चाहूंगा जैसलमेर की...(व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): एक सैकण्ड।

श्री उपाध्यक्ष: पहले बात तो सुनिये।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): उपाध्यक्ष महोदय, औरण में और गोचर में फर्क है। गोचर तो जितने पशु होंगे उसमें गोचर भूमि में छोड़े जाएंगे और औरण की कोई सीमा नहीं है। औरण जितनी देवस्थान की भूमि है सारी की सारी छोड़ी जाती है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): उसका रीजन क्या है माननीय मंत्री महोदय, पड़ोसी जिले सारे अकाल जब पड़ता है तो गोधन को बचाने के लिए ...

श्री उपाध्यक्ष: सुन ली आपकी बात।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): सारे के सारे जिलों के पशु वहां जाकर चरते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, गोचर डिक्लेयर करने में कोई सीमा अड़चन पैदा नहीं कर सकती। गोचर तो बहुत-सी जगह पर पशु कम हैं तो भी बहुत ज्यादा घोषित की हुई है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, औरण होने के बाद अलाटमेंट नहीं हो सकती सबसे बड़ा फायदा यह है। औरण के अलॉटमेंट में हाइकोर्ट की रोक है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय ने कह दिया है कि इसको एग्जामिन करवा कर और जो कुछ भी सम्भव हो ...

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): एग्जामिन करवा लेंगे और जो आपने भेजा था उसको औरण वक्त सेटलमेंट जो औरण किया है किस्म औरण और उसके बाद में क्या देवी-देवताओं के नाम पर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है अभी वर्तमान के नियम और क़ायदों के अनुसार तो यह सारी हम देख कर और उस जमीन को जैसलमेर के पशुधन को देखते हुए और आज हमारे पास सिवाय जैसलमेर के अलावा आरक्षित भूमि चरागाह के लिए कहीं भी बहुत कम उपलब्ध है तो वहां रिजर्व भी कर रखी है और इस जमीन को भी देख कर उसको रिजर्व करने का प्रस्ताव आएगा ओर सारे जिले की पशुधन संख्या को देखते हुए उसमें निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष: श्री के.डी. बाबर शेखावाटी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज लने बाबत्।

सूचना

राजस्थान विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ की मांग विषयक

श्री अमराराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय के तमाम कर्मचारी राजस्थान विधान सभा के सामने इस समस्या को लेकर के आये हैं कि इस साल चालीस करोड़ का अनुदान जो राज्य सरकार देती है अभी मार्च खतम होने जा रहा है और आज तक भी अनुदान रिलीज नहीं हुआ है उनके कर्मचारियों के जितने रिक्त पद हैं उनको सरकार प्रेशराइज्ड कर रही है कि उन पदों को समाप्त किया जाए। वहां करोड़ों की जमीन भूमाफिया द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय की जो हमारा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है जिसमें शिक्षा मंत्रीजी भी पढ़े हैं छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं बहुत से मंत्री भी उसमें पढ़े हैं लेकिन वहां की जमीन एक भूमाफिया द्वारा कब्जा करके बेचने की कोशिश की जा रही है इसलिए इन मांगों को लेकर विधान सभा के सामने आये हैं और उनके नेताओं से शिक्षा मंत्रीजी मिलने के लिए ही तैयार नहीं हैं इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उनसे मिलें और यह भूमि का है...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो शिष्टमंडल आया है उसने अभी तक मेरे से काई अप्रोच ही नहीं की ।

श्री अमराराम (धोद): वो दो घंटे से विधान सभा के गेट पर हैं अप्रोच तो कहां से करें।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): सुनिये बात तो सुनिये आपको यह सपना आ गया कि मैं मिलना ही नहीं चाहता मैं तैयार हूं । आप ले आइये उनको पांच लोग...

श्री अमराराम (धोद): मैं जाकर आया हूं उनको वापस लौटा दिया।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): पांच लोगों को ले आइये आप मैं मिलने के लिए तैयार हूं।

श्री अमराराम (धोद): वापस लौटा दिया कि शिक्षा मंत्रीजी को वक्त नहीं है।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): नहीं बिलकुल गलत कह रहे हैं आप कोई मेरे से चर्चा ही नहीं हुई।

श्री अमराराम (धोद): नहीं मैं थोड़े कह रहा हूं आपका जो डेलीगेशन मिलाने के लिए जो अधिकारी लगाया है ...

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): मेरे से किसी ने बात ही नहीं की सुनिये मैंने तो उनसे बात...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): इसलिए मेरा निवेदन है कि आप डेलीगेशन को बुलायें और ऐसे राजस्थान विश्वविद्यालय को जो सरकार की नाक के नीचे है उसकी जमीन पर इस तरह से लोग भूमाफिया बेचते हैं और साल खतम होने तक उनका भुगतान रिलीज नहीं हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, ये तो मैं समझता हूं कि बड़े शर्म की बात है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) वो मिलना चाहते हैं तो ये मना नहीं कर रहे हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि मैंने तो आज प्रिंसिपल सेकेट्री, हायर एजुकेशन को इसीलिए बुला रखा है कि वो आये तो उनसे बात कर लें। ये बिलकुल गलत कह रहे हैं मेरे से किसी ने अप्रोच नहीं की और वो जिस समय भी आना चाहे पांच लोग आ जाएं मैं उनसे मिलकर उनसे बात कर लूंगा।

श्री अमराराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, प्रोटोकोल ऑफिसर ने बुलाया और आधा घंटे के बाद वापस रिटर्न कर दिया। अब आपसे तो अप्रोच कैसे करें, कौन-सा तरीका है? वो बता दो वैसा करें।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): प्रिंसिपल सेकेट्री, हायर एजुकेशन को मैंने बुला रखा है आप जबरदस्ती में ही...

श्री अमराराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, उनके डेलीगेशन से बात करें।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): विश्वविद्यालय से संबंधित तीन डेलीगेशन तो मेरे से मिल चुके हैं टेम्प्रेरी टीचर्स का और बाकी आप कह रहे हैं कि मैंने मिलने के लिए मना कर दिया । कम से कम सदन का इस प्रकार से दुरुपयोग मत करिये आप।

श्री अमराराम (धोद): आपके प्रोटोकोल आफिसर ने आधा घंटे के बाद वापस भेज दिया।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): बिलकुल गलत कह रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (धोद): आपके प्रोटोकोल आफिसर ने जो डेलीगेशन है उसको बुलाया और आधा घंटा बैठा करके यह कहा कि वापस जाओ मंत्री को टाइम नहीं है। यह कह रहा हूं मैं तो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, समय तय करके बुला लेंगे ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अब वापस प्रोटोकोल ऑफिसर से हम सम्पर्क कर लेते हैं उनको कहलवा देते हैं कि मंत्रीजी मिलने को तैयार हैं। बात खतम हुई।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): मैंने तो हायर एजुकेशन के प्रिंसिपल सेकेट्री साहब को बुला रखा है इसलिए कि वो आ जाएं उनसे बात कर लें और आप जबरदस्ती ही ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): प्रोटोकोल आफिसर से बात करके अभी करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: समय तय करके बुला लेंगे कोई अभी एकदम से थोड़ा ही होगा। श्री के.डी. बाबर।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

शेखावाटी क्षेत्र में मेडिकल कालेज खोलने बाबत

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरे को बोलने का समय दिया इसके लिए धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं शेखावाटी क्षेत्र से उसमें चूरू जिला, सीकर जिला, झुंझुनू जिला ये तीनों जिले देवों की तपोभूमि है वीरों की भी भूमि है जब भी देश के लिए कोई

(श्री केसरदेव बाबर)

बात होती है तो शहीद होने वालों की संख्या इस शेखावाटी क्षेत्र के लोगों की ज्यादा रहती है। उपाध्यक्ष महोदय, शेखावाटी क्षेत्र में शिक्षा का बूम है चाहे सीकर जिला हो, चाहे झुंझुनूं जिला हो शिक्षा के स्तर में यह अग्रणी है। सीकर जिला हैडक्वार्टर पर पीजी कालेज है श्री कल्याण महाविद्यालय इसमें लगभग पन्द्रह हजार छात्र अध्ययनरत हैं इस शेखावाटी के पूरे बेल्ट में उपाध्यक्ष महोदय, करीब डेढ़ से दो लाख के बीच में विद्यार्थी पढ़ते हैं और डाक्टर बनने की तमन्ना भी वहां के गरीब किसान का बच्चा रखता है उसको दूरदराज डॉक्टर बनने के लिए आना पड़ता है और यहां पर आजीविका सिर्फ कृषि पर आधारित है। उपाध्यक्ष महोदय, अस्पतालों की संख्या भी यहां अच्छी है चाहे सीकर हो, चाहे चूरू हो, चाहे झुंझुनूं हो। मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह मांग है कि इस क्षेत्र में एक सरकारी मेडिकल का कालेज हो, जिससे यहां के जो गरीब विद्यार्थी हैं, गरीब किसान के बच्चे हैं उनको पढ़ने का मौका मिल सके। जो दलित हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे जिनका डाक्टर बनने का सपना है वह साकार हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में इस मांग को लेकर कई बार धरने प्रदर्शन भी हुए हैं और तकनीकी शिक्षा मंत्री पहले भी हमारे क्षेत्र के थे और आज भी हमारे क्षेत्र के हैं। पहले आदरणीय घनश्यामजी तिवाड़ी थे अब कालीचरणजी सर्राफ हैं और संसदीय कार्य मंत्री भी इस क्षेत्र के हैं और रोज इस क्षेत्र से गुजरते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर सीकर में श्री कल्याण आरोग्य सदन बजाज ग्राम सांवली में एक बड़ा अस्पताल संचालित है। इस अस्पताल को सेठ साहूकार चला रहे हैं । करीब 400 बैड का यह अस्पताल है और इसकी स्थापना 1964 में इस देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्रीजी ने की थी । 41 वर्ष पुराना यह अस्पताल है । इसके स्थापक उस समय श्री बद्री नारायण सोढानी थे जो गरीबों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, यह संस्था अभी भी कार्यरत है और इस संस्था के जो वर्तमान मंत्री हैं वह श्री सांवरमल जी मोर्य है । वह 1982 से इस संस्था को देख रहे हैं और वह जगह-जगह से चंदा इकट्ठा करके इस संस्थान को चलाने का कार्य कर रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संस्था है 125 एकड़ में फैली हुई है और इसकी करीब 100 करोड़ की संपत्ति है और इसका 125 लाख सालाना खर्चा आता है । इसमें सभी सुविधाएं हैं बाग़ है, बग़ीचा है, पानी का तालाब है, गौशाला है । उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अस्पताल है इसमें नि:शुल्क गरीबों की सेवा की जाती है और प्रत्येक माह में यहां ओपरेशन होते हैं। सीकर

(श्री केसरदेव बाबर)

के सरकारी डाक्टर वहां जाते हैं और गरीबों का नि:शुल्क इलाज करते हैं। दवाई का इंतजाम वह करते हैं और डाक्टर सरकारी भेजते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अस्पताल है दानदाताओं के चंदे से चलता है । शेखावाटी में भामाशाहों की कोई कमी नहीं है। सरकार यदि चाहे तो उक्त अस्पताल भी मेडिकल कालेज का रूप ले सकता है । भामाशाह और सरकार मिल कर मेडिकल कालेज हो सकता है । यह जो अस्पताल है श्री कल्याण आरोग्य सदन इसको पूर्व में सभी सरकारों ने समय-समय पर एड दिया । मैं प्रदेश की तेजस्वी और यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने भी मुख्य मंत्री की शपथ लेते ही 15 लाख का एड इस अस्पताल को दिया । इसके लिये इनको बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत साधुवाद । मैं इनसे यह भी आशा करता हूं कि इस संस्था को और भी एड दें ताकि सरकार का भी इसमें हिस्सा हो । उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर जो भी मरीज आते हैं उसको खाना, दूध रहने की अच्छी सुविधा होती है और गरीब लोग यहां आते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पुन: मांग करता हूं कि इस शेखावाटी क्षेत्र में मेडिकल कालेज हो और यह जो बजाज ग्राम सदन में जो अस्पताल है उसको एड मिले । आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिये धन्यवाद ।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है । श्रीमती वसुंधरा राजे, मुख्य मंत्री भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगी ।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखती हूं ।

राजस्थान वित आयोग के प्रतिवेदन एवं कार्यवाही का ज्ञापन वर्ष 2005-2010

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती वसुन्धरा राजे, मुख्य मंत्री राजस्थान वित आयोग के प्रतिवेदन 2005-2010 तथा प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का ज्ञापन सदन की मेज पर रखेंगी ।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्त आयोग के प्रतिवेदन वर्ष 2005-2010 तथा प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का ज्ञापन सदन की मेज पर रखती हूं।

याचिका का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन । श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास सदस्य विधान सभा एक याचिका का उपस्थापन करेंगी ।

जोधपुर के मथुरादास माथुर चिकित्सालय में पुरानी सीटी स्केन मशीन की जगह नई सीटी स्केन मशीन लगाने बाबत

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जोधपुर के मथुरादास माथुर चिकित्सालय में पुरानी सीटी स्केन मशीन की जगह नई सीटी स्केन मशीन लगाने बाबत याचिका का उपस्थापन करती हूं ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राकेश मेघवाल सदस्य विधान सभा एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

परबतसर मुख्यालय पर अनुसूचित जाति छात्र-छात्राओं के लिये समाज कल्याण छात्रावास खुलवाने बाबत

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र परबतसर मुख्यालय पर अनुसूचित जाति छात्र-छात्राओं के लिये समाज कल्याण छात्रावास खुलवाने बाबत याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भागीरथ चौधरी सदस्य विधान सभा तीन याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे ।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार तीन याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं ।

समिति का प्रतिवेदन

जनलेखा समिति वर्ष 2007-2008 के 12 प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष: डा. सी. पी. जोशी, सभापति जनलेखा समिति के 12 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जनलेखा समिति वर्ष 2007-08 के 12 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं ।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2008

श्री उपाध्यक्ष: राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2008, श्रीमती वसुंधरा राजे प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाये ।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती वसुंधरा राजे प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि राजस्थान वित्त आयोग विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाये ।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान वित्त आयोग विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाये ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): First dispose the Appropriation Bill and then come to Finance Bill.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इसमें जो राजस्थान वित्त विधेयक, 2008 है....

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): Let us dispose the Appropriation Bill and then come to the Finance Bill. You have to follow the democratic set up.

श्री उपाध्यक्ष: दोनों को एक साथ ही बुला लेते है ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट दिया है उनका राइट है You cann't refuse them. First dispose the Appropriation Bill. That is the system. Why you all to violate this? One should follow the traditions.

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है । श्री प्रद्युम्न सिंह ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रिएशन बिल के संबंध में मैं अपनी बात कहना चाहूंगा । माननीय मुख्य मंत्री जब बजट का उत्तर दे रही थीं तब उन्होंने यहां पर कुछ बातें कही थीं कि हमारी वित्तीय

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

स्थिति अच्छी है, हमारा वित्तीय प्रबन्धन अच्छा है । इसके साथ-साथ उन्होंने पुरानी कांग्रेस सरकार के बारे में भी कुछ टिप्पणियां यहां की थीं। तब उन्होंने कहा था कि कर्ज लेकर परिसम्पत्तियों का निर्माण नहीं किया गया और कर्ज के आधार पर पुरानी सरकार घी का सेवन कर रही थी, घी खा रही थी, घी पी रही थी । उपाध्यक्ष महोदय, जब हम इस बारे में चर्चा करते हैं कि किन परिस्थितियों में कांग्रेस ने बीजेपी का राज 1998 नवम्बर तक रहा और दिसम्बर में कांग्रेस ने सत्ता संभाली थी । हमको उसके पहले के सालों में भी जाना पड़ेगा तब राज्य की क्या वित्तीय स्थिति थी ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): इतना पीछे क्यों जा रहे हो?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): जब आप पुरानी बात कहेंगे तो पुरानी बातों को तो कहना ही पड़ेगा तिवाड़ीजी। सुनने की हिम्मत रखो, कहां दिक्कत आ रही है। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के ऊपर वित्तीय दवाब, फिस्कल स्ट्रेस बीजेपी के राज के अंदर ही बढ़ना शुरू हो गया था, मैं बहुत संक्षिप्त में उन बातों को कहना चाहूंगा। आपने कटाक्ष किया था हमारे ऊपर, तो बेहतर होगा कि पुरानी बातों को मैं आपको ध्यान दिला दूं। इन परिस्थितियों के अंदर हमने राज सम्भाला था क्योंकि व्हाइट पेपर, जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो कांग्रेस की सरकार ने एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया था, जिसके अंदर राज्य की वित्तीय स्थिति व अन्य कुछ इम्पोरटेंट चीजों का समावेश करके उसको पब्लिश किया गया था। हमने कई बार कहा था कि आप भी व्हाइट पेपर पब्लिश कर दें मगर आपने नहीं किया, खैर आपकी मर्जी करें और नहीं करें। जो टेंथ फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था, अगर रेवेन्यू एक्सपंडीचर का 17 प्रतिशत से ऊपर चला जाता है तो फिस्क्ल स्ट्रेस के अंदर स्ट्रेस आ जाती है। अगर आप गौर करेंगे 1996-97 के अंदर राजस्व व्यय था 8425.67 करोड़ रुपये और ब्याज का भुगतान था 1553 करोड़ रुपये। उस साल प्रतिशत था वह 18.43 था। उसी साल स्ट्रेस के अंदर चले गये और उसके बाद यह बढ़कर 1997-98 के अंदर 20 प्रतिशत हो गया। 1998-99 में जो बजट एस्टीमेट थे उसके मुताबिक यह 19.24 के ऊपर चला गया था। उस परिस्थिति के अंदर कांग्रेस सरकार ने राज्य की बागडोर अपने हाथ में ली थी और उसके बाद भी हमारे सामने जो दिक्कतें आई थी, फिफ्थ पे कमीशन की

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

रिपोर्ट आई थी, फिफ्थ पे कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार 1200 करोड़ रुपये महीने का राज्य के ऊपर अतिरिक्त खर्चा आया था, 1200 करोड़ का। इसके अलावा आपने जाते-जाते, आपकी सरकार ने चुंगी अवलिश की और चुंगी अवालिश करने के पेटे जो नगरपालिकाओं को अनुदान दिया गया था वह भी करीब 300 करोड़ रुपये के करीब था । इसके अलावा आपने लाटरी समाप्त की थी That is not a very significant amount. 49,60 करोड़ रुपये था। इस प्रकार से यह अतिरिक्त भार आया था। उसके बाद अकाल की विभीषिका। हमको उस वक्त, आज जो पैसा मिल रहा है सीआरएफ के तहत उससे कम पैसा राज्य सरकार को मिलता था। हमने नवयुवकों को रोजगार देने की दृष्टि से 60 वर्ष की आयु को 58 साल किया था। (व्यवधान) हां सही बात है, उसमें क्या है। जो हकीकत है उसको एडमिट तो करना पड़ेगा। आपने बढ़ाकर, पुरानी सरकार ने 58 से 60 किया था जो पेंशन बेनीफिट्स रिटायर्ड के बाद लोगों को बेनिफिट्स दिये जाते थे उसके अंदर पोस्टपोन करने की दृष्टि से उसको दो साल बढ़ाया था लेकिन हमारी इच्छा थी हम कुछ सीमा तक ही उसमें कामयाब हुए। वह फीगर भी मेरे पास है। आप बार-बार कहते है कि आपने नौकरी नहीं दी वह फीगर्स भी में अभी आपके सामने पेश करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष, जिससे सारी स्थिति साफ हो जाए। आज तो आपको सेंटरचेयर के रूप में सीआरएफ के रूप में 1300 करोड़ रुपये मिलता है, हर साल इजाफा हो रहा है उसमें आपका 25 कन्ट्रीब्यूशन है, 8-9 के अंदर आपको...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपके समय में नहीं हो रहा था ?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): इतना पैसा नहीं मिलता था Please don't disturb. अगर आप डिस्ट्रिब करेंगे तो मुनासिब नहीं है। मैं आपसे, आप सुनते तो जाइये बाबा। आप जवाब देना। आपके पास पूरा शासन तंत्र है, मेरे को तो जितना याद है उसके आधार पर जवाब दे रहा हूं। आप मर्जी आये जो कहें, मुझे कहां दिक्कत आ रही है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (वन एवं पर्यावरण, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार): हम तो राजाखेड़ा और झालावाड़ में फर्क नहीं समझते।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अब आप नहीं समझते, लेकिन मैं समझ रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक बात आपको और अवगत करना

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

चाहता हूं करों में जो हमारा हिस्सा था, जब हमने राज सम्भाला सेंट्रल गवर्नमेंट से टैक्स डिवोल्यूशन हुआ उसमें उसका आकलन दो प्रकार से होता है, एक तो होता है जो फाइनल ईएफसी, इलेवन्थ फाइनेंस कमीशन ने जो अपने एस्टीमेट्स बनाये थे उसके अंदर उनके एस्टीमेट्स नहीं थे फाइनल नहीं था कि राज को, राजस्थान को इतना पैसा मिलेगा। भारत सरकार अपने बजट एस्टीमेट्स, बजट पेश करती है उसके अंदर वह आकलन करते हैं इस बात का कि उनको इतनी धनराशि, अलग-अलग राज्यों को कितनी धनराशि दी जाएगी। मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूं। 2001 ईएफसी का एस्टीमेट्स था 2958 करोड़ 70 लाख रुपये। एस्टीमेट्स आफ गवर्नमेंट आफ इंडिया 2925 करोड़ रूपये। शोर्ट फ्रोम ईएफसी 122, शोर्ट फ्रोम गवर्नमेंट आफ इंडिया के एस्टीमेट्स से 89 करोड़ रुपये हमको कम मिला उपाध्यक्ष महोदय। 2001-02 ईएफसी के एस्टीमेट्स से 567 करोड़ रुपये कम मिला और गवर्नमेंट आफ इंडिया के एस्टीमेट्स से 498 करोड़ रुपये हमको कम मिला इसी प्रकार 2002-3 के अंदर एस्टीमेट्स ईएफसी के थे वह 4022 करोड़ का था मिला हमको 3063 शोर्ट फालफ्रोम ईएफसी, एस्टीमेट्स 969 करोड़ रुपये और भारत सरकार के एस्टीमेट से 278.99 करोड़ रुपये हमको कम मिला।

इस प्रकार से अगर आप देखे जो इलेवन्थ फाइनेंस कमीशन के जो एस्टीमेट्स थे उसके मुकाबले में 1648 करोड़ रुपये हमको कम मिले हैं और जो भारत सरकार के एस्टीमेट्स थे बजट के अंदर उससे हमको 840 करोड़ रुपये कम मिला। मैं यह आपको बताना चाहता हूं कि कम्पल्जन्स थे कई ऐसे सरकमस्टेंसेज थे जिसके अंदर हमको काफी परेशानी का सामना करना पडा था, उन सब के बावजूद भी अकाल की विभीषिका, अकाल की विभीषिका के कारण खर्चा आ रहा था। आज स्थिति क्या है, आज की स्थिति का उससे कम्पेयर करें। आपको सीआरएफ का इतना पैसा मिला, 1300 करोड़ रुपये तो आपको अब तक मिलेगा 2008-09 के अंदर। पहले मिल चुका है। आपने कितना पैसा उसमें से खर्च किया ? वह पैसा एक तरह से राज्य सरकार क वीन्स एंड मिन्स के काम आ रहा है उसमें 25 प्रतिशत आपका कन्ट्रीब्यूशन है। करीब 300-400 करोड़ रुपये आपका कन्ट्रीब्यूशन मिलाकर यह अमाउण्ट हो जाता है करीब 1700 करोड़ रुपये का, वह आज आपके एक तरह से, क्योंकि देश के अंदर रोजगार गांरटी कार्यक्रम शुरू हो गया और खासतौर से जो हमारी ट्राइबल बैल्ट थी अन्य जिलों के जहां की अकाल की स्थिति अच्छी,

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

समृद्ध होने के बावजूद अकाल की स्थिति बन जाती है तो लैण्ड होल्डिंग्स लोगों की कम है, पथरीली जमीन है, लोगों का उत्पादन वहां कम है। लेकिन अब आज उनको रोजगार मिल रहा है तो आज की तारीख के अंदर, अकाल राहत कार्य आपने कब शुरू किये ? अकाल राहत कार्य आप शुरू करते हैं फरवरी मार्च के अंदर, हमने अगस्त के अंदर। हमको मजबूर होकर अगस्त के महीने में अकाल राहत कार्य शुरू करने पड़े। काफी बड़ा फर्क है उनके बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा। हमारे सामने यह कठिनाई थी जिसके कारण से राज्य सरकार के सामने दिक्कत थी। स्ट्रेस की बात कही। जो हमारे बंधे हुए खर्चे थे क्योंकि ब्याज का भार बढ़ रहा था हमारे ऊपर, पुरानी सरकार के कार्यकलापों के कारण जो ब्याज का भार बढ़ा था इस कारण से हम कठिनाई के अंदर आये थे। एक बात आपको और अवगत कराना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, उस वक्त राजस्थान की हालत खराब नहीं थी, माली हालत राजस्थान की ही खराब नहीं थी। अन्य राज्यों की भी माली हालत खराब थी जिसके कारण आपको अगर याद हो यहां तो आप मना करेंगे लेकिन कई राज्यों के अंदर महीने की पहली तारीख को तनखा नहीं मिलती थी। कहीं 15 दिन, कहीं एक महीने, कहीं दो महीने और कहना नहीं चाहिए पंजाब तो बहुत कठिनाई के अंदर था उन्होंने अपनी परिसम्पत्तियों को गिरवी रखकर पैसा उगाया और तब जाकर कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ायी।

हमने समय के ऊपर तनख्वाह दी, डी.ए. का भुगतान किया। हां, उस बात का मुझे आज दिन तक खेद है, दुःख है कि हमने उनके डी.ए. को पोस्टपोन किया और लीव-इन्केशमेंट को भी पोस्टपोन करने की, हमने चेष्टा की हम नहीं दे पाये। हमने चेष्टा की, हम नहीं दे पाये। आपने लीव-इन्केशमेंट अब किया। आपने बोनस की जरुर घोषणा कर दी, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और मुझे उस वक्त हमारी कठिन परिस्थितियों, अकाल, रेवेन्यु डेफिसिट की वजह से हमारे सामने दिक्कतें थीं। इसलिये अपने कर्मचारियों को नहीं दे पाये। हमारे मन में उस वक्त भी, न आज भी कर्मचारियों के प्रति कोई द्वेष था, न है, न रहेगा भविष्य में। यह बात मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, बी.जे.पी. सरकार, प्रजेण्ट बी.जे.पी. सरकार, माननीय मुख्य मंत्री-जी बारबार कहती हैं कि हमारा वित्तीय प्रबन्धन, अच्छी बात है, आपका वित्तीय प्रबन्धन अच्छा है, आपको बधाई। लेकिन उन हालात

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

के ऊपर भी, उन चीजों के ऊपर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा जिसके कारण राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति के अन्दर सुधार आया है। मैं आपके सामने, एक रिजर्व बैंक की रिपोर्ट यह है State Finance. A study of budget of 2007-08 रिजर्व बैंक का पब्लिकेशन है, आथंटिक चीज है। ऐसा तो नहीं है कि किसी मैग्जीन में निकला हो, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, 2-3 पैराज आपके सामने पढ़ूंगा। उसके बाद ही यह सारी स्थिति आपके सामने साफ हो सकेगी। "The major fiscal indicators of the State Governments have witnessed..." स्टेट गवर्नमेंट्स, कोई एक गवर्नमेंट के बारे में नहीं कहा है "The major fiscal indicators of the State Governments have witnessed a significant improvement in recent years. Continuing the fiscal correction and consolidation process, the State Governments, in their budget of 2007-08, have budgeted a consolidated surplus in the revenue accounts."

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अच्छा किया है यह तो।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हां, तो अच्छी बात है ना। तो मैं यह कह रहा हूं कि सारे राज्यों की स्थिति अच्छी है, आपने ऐसे कौन से तीर चला दिये। मैं उसके बारे में डिटेल्स आपके सामने पेश करुंगा अभी, उपाध्यक्ष महोदय। यह तो रिजर्व बैंक ने फील किया है, रिजर्व बैंक ने लिखा है यह। उसके बाद एक पैरा आपको और पढ़ाता हूं। "The Government of India has taken initiatives to provide support to State Governments in their development role by announcing measures in the area of education as social security, agri-cultural, insurance etc." इस पृष्ठभूमि के अन्दर जो राजस्थान के अन्दर कहा जाता है कि हमारी वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी हो गई, हमारा मेनेजमेंट बहुत अच्छा है। निश्चित रूप से हर सरकार चेष्टा करती है कि मेनेजमेंट अच्छा हो। जो आपने की, हमने भी कोशिश की इन एडवर्स कंडीशंस के अन्दर हमारी भी चेष्टा थी। लेकिन आपके सामने देश के अन्दर जो आर्थिक बूम आया, उपाध्यक्ष महोदय, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि 20 स्टेट गवर्नमेंट्स ने रेवेन्यु सरप्लस बजट पेश किया है। कोई राजस्थान ने ही सरपलस बजट पेश नहीं किया है। इसके अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, "The mass improvement in consolidated fiscal position does not reveal the wide variations that exist across the states. During the 2007-08, 20 states have presented their revenue surplus budgets." यह रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आपको बता रहा हूं। कोई ऐसा नहीं है कि खाली राजस्थान ने ही अपनी स्थिति का सुधार किया है। अन्य राज्यों की, एक और इंडिकेटर आपको बता रहा हूं, नवम्बर, 2007 को राज्यों का 63

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

हजार करोड़ रुपया शोर्ट-टर्म सिक्योरीटिज के अन्दर जमा था राज्यों का, जो राज्य सरकारें खर्च नहीं कर पा रही थीं। मोंटेकसिंह अहलूवालिया का मैंने स्टेटमेंट पढ़ा था कि राज्य सरकार पैसे से, पूरा पैसा, केश लिक्विडिटी इनके हाथ में है और खर्च नहीं कर पा रही हैं और उसके ऊपर आप 3-4-5 प्रतिशत का ब्याज राज्य सरकारें अर्न कर रही हैं। उन्होंने इस बात पर चिन्ता जताई थी। तो कहने का मतलब यह है कि ओवर आल पिक्चर्स, मैं आपके सामने दूसरा भी एक आंकड़ा दूंगा कि हमको 2003 से 2004 तक, राज्य सरकार के डिवोल्यूशन, आपको अभी डिवोल्यूशन की बात बताई। अब मैं आपको बताऊंगा कि भारत सरकार से डिवोल्यूशन के रूप में स्टेट्स को कितना-कितना पैसा मिला है। There is a two times and three times increases. मैं आपके सामने देता हूं, एक प्रश्न के जवाब में ही यहां पर इस सदन के अन्दर, श्री संयम लोढ़ा ने एक प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न के जवाब के अन्दर है, माननीय वित्त मंत्री महोदया ने जो लिखित में उत्तर दिया है उसके अलावा मेरे पास भारत सरकार के भी आंकड़े हैं। वह मेरे पास कंसोलिडेट आंकड़े हैं कि राजस्थान के सन्दर्भ में 2003-04 में 3602 करोड़ रुपया मिला था जो 2007-08 में 4572 करोड़ रुपया हो गया। बढ़ रहा है। हर साल कम से कम कितना इन्क्रीज हो रहा है, 20 प्रतिशत, 25 प्रतिशत इन्क्रीज हो रहा है। हमारे वक्त में कमी आ रही थी। तो उल्टा हो रहा है आज की तारीख में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कमी आपके भी नहीं आई।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अब आप जवाब दे देंगे ना। (व्यवधान) आप क्यों बीच-बीच में कमेण्ट्री कर रहे हैं? आपका विभाग नहीं है। Why you are making comments? नहीं, आप एक्स्ट्रा लायल्टी किसलिये दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं। (व्यवधान) वह बहुत सक्षम वित्त मंत्री हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैंने तो इसलिये टोका कि आपके समय में भी कभी केन्द्र का शेयर कम हुआ हो तो बता दो। कभी भी, एक बार भी नहीं हुआ। हमेशा बढ़ता रहा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): Alright, I will give you. शेयर के बारे में मैंने अभी आपके सामने फिगर्स पढ़कर सुनाये। आप चेलेंज करो, उनको, जो मैंने फिगर्स दिये हैं। आप मुझे यहां कह दीजिएगा कि आपने गलतबयानी की

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

है। मैं माफी मांग लूंगा। लेकिन आपकी जो बढ़ोतरी हुई है प्रतिशतवाइज, प्रतिशत पाइण्टवाइज, क्योंकि भारत सरकार की खुद की आमदनी में इजाफा नहीं था। देश के अन्दर एक आर्थिक मंदी का दौर हो हरा था। भारत सरकार की खुद की आमदनी जो एन.डी.ए. की सरकार थी, उसकी आमदनी में 4-5-6 प्रतिशत का इजाफा हो रहा था तो स्टेट को डिवोल्यूशन होता कहां से। उनके खुद का मेनेजमेंट अच्छा नहीं था। या समझ लीजिये देश के अन्दर आर्थिक बूम नहीं था तो डिवोल्यूशन कहां से होता। आप क्या बात कर रहे हैं। It is very insignificant. इनसिग्निफिकेंट, मैं आपसे कह रहा हूं। आपने बढ़ाकर दिखाया, वह सही है लेकिन जो दिखाया है, वह दिया नहीं है। आपने बढ़ाकर बताया कि इतना अमाउण्ट देंगे लेकिन आपने दिया कहां वह अमाउण्ट। मेरे कहने का अभिप्राय: यह है, उपाध्यक्ष महोदय। अब आप देखेंगे इसी तरह ग्राण्ट्स के रूप में, जो ग्राण्ट्स दी गई है, इस प्रश्न के उत्तर में बताया है, यह ग्राण्ट्स के रूप में आपका इजाफा हुआ है, करीब कहीं पर जाकर 2003-04 में 2500 करोड़ रुपया मिला आपको, 2006-07 में 3700 करोड़ रुपया, और जाकर आपने, अक्टूबर नवम्बर तक आपको 3000 करोड़ रुपये मिल चुके हैं, क्योंकि सेण्ट्रल बजट भी मेरे पास है। स्टेट्स को जो ट्रांसफर हुआ है, वह भी मेरे पास है। उसके अन्दर सिग्नीफिकेंट इन्क्रीज है चारों तरफ से। ऐसा नहीं है कि आप कहो कि आपको ही मिला है। सारे स्टेट्स को मिला है। आप इस बात को, अगर कहें यहां बैठकर के, तो यह आपका उत्तर है। फिर जो कंसोलिडेट फिगर्स मेरे पास हैं, उसका शेयर मिलना राजस्थान को लाजिमी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट को ग्राण्ट्स के रूप में ट्रांसफर हुआ है पैसा, या टैक्स के रूप में ट्रांसफर हुआ है तो उसके फिगर्स भी मेरे पास हैं। ओवर-आल बहुत इन्क्रीज है।

आपके सामने एक और फिगर मैं पेश करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय। एन.डी.ए. गवर्नमेंट का जो लास्ट यीअर था, 2003-04 के अन्दर, उस वक्त राज्यों को टोटल कितना दिया था और 2008-09 के बजट के अन्दर, इस पांच साल में कितना जबरदस्त इजाफा हुआ है। अगर आप इस पर गौर करेंगे, मैं आपको स्टेटवाइज पढ़कर सुनाता हूं। आन्ध्र-प्रदेश को मिलता था, 2003-04 के अन्दर 4912 करोड़ रुपया मिला और 2008-09 में बजट एस्टीमेट्स के मुताबिक 13168 करोड़ Can you imagine? It's almost going to be two and half times. ढाई गुना ज्यादा वृद्धि हुई है। I am not to the small states. अरुणाचल

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

प्रदेश है, क्योंकि 28वें नम्बर पर है। आसाम, 2095 करोड़ और 2008-09 में 5791 करोड़। बिहार 7392, ऐसा नहीं है, cutting across the party lines यह नहीं था कि आज वहां पर बी.जे.पी. की सरकार है या कांग्रेस विरोधी सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, कहीं भेद नहीं किया गया। cutting across the party and political lines बल्कि, यूनिफार्म-वे के अन्दर जिसका जो हक था वह दिया गया।

बिहार के अन्दर 2095 करोड़ था उस वक्त और आज बढ़कर 5791 करोड़, हरियाणा 602, 1924, छत्तीसगढ़ 1521, 4751 करोड़ रुपया। राजस्थान का था 3491 और 2008-09 में है आपका 10041 करोड़ रुपया। 3491, यह भी ध्यान में, ढाई गुणी, तीन गुणी वृद्धि हो रही है। आप निकलवा कर आप जवाब दें, माननीय मुख्य मंत्री महोदया, जो वित मंत्री भी हैं, पूरा फाइनेंस डिपार्टमैंट उनके डिस्पोजल के ऊपर है। आप जवाब दे दें। इसी से मैं कंसोलिडेट, मैं अब आपको कंसोलिडेट फिगर्स देता हूं कि मैं इस सदन का समय ज्यादा जाया नहीं करना चाहता हूं। एन.डी.ए. गवर्नमैंट के 2003-04 के अन्दर स्टेट्स को डिवोल्यूशन के रूप के अन्दर 63757 करोड़ रुपया मिला, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और 2008-09 के जो बजट एस्टीमेट्स हैं, उसके मुताबिक 1 लाख 78 हजार करोड़ रुपया, एक लाख 25 हजार करोड़ रुपया का राज्यों को जो यह ट्रांसफर हुआ। डिवोल्यूशन होगा उसमें एक लाख 25 हजार करोड़ रुपये का इजाफा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। इस पृष्ठभूमि के अन्दर, इस पृष्ठभूमि के अन्दर आपको राज्य की माली हालत का जो श्रेय है वह आप कैसे लें, कहां से लें, यह अब आपकी बात है। बाकी मैंने पिछले साल भी कहा था, माननीय मुख्य मंत्रीजी, एक भारत सरकार को धन्यवाद तो कह दें यहां पर लेकिन आपने कहा नहीं, वह भी नहीं कहूंगी मैं, फिर मेरा आपसे निवेदन है कि धन्यवाद भी तो कह दें। आपने यदि जैसा अच्छा काम करें तो निश्चित रूप से मेरा यह कर्तव्य बनता है, कर्तव्य-विमूढ़ नहीं होना चाहिए आदमी को। यह आपका बहुत धन्यवाद। आपका बहुत आभार, आपने मेरी बड़ी मदद करी है। कहां कह रहे हैं हम? कहने में दिक्कत आती है। लेकिन वह भी कहने में मुख्य मंत्रीजी कोताही बरत गयीं। भारत सरकार को इन्होंने धन्यवाद भी नहीं दिया, एक शब्द का।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी यह बार-बार कहती हैं कि हम बीमारू नहीं हैं। आपके राज्य में बीमारू थे। मेरी बीमारी तो

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

आपने ठीक करवा दी, उसके लिए तो आपका धन्यवाद। I am grateful. आप कहते हैं कि कोई राज्य बीमारू वहां, अब हम बीमारू नहीं हैं। आपके राज में बीमारू थे। उससे पहले ही आपके राज्य में फिस्कल स्ट्रेस में राज्य आ गया था तभी बीमारू की श्रेणी में आ चुका था आपका राज तो। आपकी पार्टी का राज था। बहुत आदर करता हूं माननीय भैरोंसिंहजी का। उनकी सरकार थी। भाभड़ा साहब वित्त मंत्री थे। कुछ समय तक भैरोंसिंहजी साहब ने भी वित्त का महकमा सम्भाला था। कैसे कह सकते हैं हमारे आदरणीय नेता हैं, सम्माननीय नेता हैं, लेकिन उनके सामने भी विकट-विकट परिस्थितियां रही होंगी। मैं मानकर चलता हूं कि उनके सामने भी विकट परिस्थितियां रही होंगी तभी उनके, कौन वित्त मंत्री नहीं चाहता कि राज्य की माली हालत सुधरे? हरेक की चेष्टा रहती है कि राज्य की माली हालत सुधरे। राज्य के कर राजस्व बढ़ें। राज्य के अन्दर विकास के कार्य हों। हर वित्त मंत्री की इच्छा रहती है और मैं तो भुगत-भोगी हूं। मेरी पार्टी के लोग ही आज मुझे गाली देते हैं कि इसने डूबो दिया हमको तो।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): बात तो सही कहते हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): हकीकत यही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मेरी पार्टी के लोग ही मुझसे भला-बुरा कहते हैं। क्यों? क्योंकि वित्त को अब यहां पर तो माननीय मुख्य मंत्रीजी समझें या दो-चार-दस लोग और समझें...(व्यवधान)

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): हमारी पार्टी में तो वित्त मंत्रीजी को सब धन्यवाद दे रहे हैं, मान्यवर, कि चार साल में अच्छा काम किया। डवलपमेंट के नाम से चुनाव लड़ेंगे। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): करेंगे नवम्बर के बाद। सब करेंगे नवम्बर में, खुल्लम-खुला करेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ऐसा है, पहले भी मैंने आपको एक दफा कहा था कि राज्य की जनता क्या चाहती है, किसी को नहीं पता है। राज्य की जनता क्या चाहती है आप बड़ी गलतफहमी में हैं, युनूस साहब, मेरा बहुत लम्बा अनुभव है। विकास जितना होता है उतनी ही विकास की भूख बढ़ती चली जाती है कि और लाओ, और लाओ। जिन चीजों के ऊपर...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं करना चाहिए? मतलब, आपका यह कहना है कि विकास करना ही नहीं चाहिए?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नहीं-नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूं। किसी गांव में आप स्कूल खोल दीजिए आठवीं का, दसवीं की मांग होगी। दसवीं का खोल दीजिए तो 12वीं की मांग होगी। तहसील के ऊपर...(व्यवधान) बैठो, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। कब, कहो के लिए चमचागीरी कर रहे हो? आप कहो तो नहीं बोले? राजेन्द्र सिंहजी, आप अपने लोगों को नहीं रोकेंगे तो I will not speak in this session. यह क्या मतलब है?

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं। बीच में नहीं। बीच में टोका-टोकी नहीं, माननीय सदस्यगण।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): विकास की, बहुत जगह विकास हुआ है। हर अगर मंत्रियों के इलाके में विकास हुआ है। हर मंत्री अपने इलाके में विकास करता है लेकिन कई मंत्री पराजय का मुंह देखते हैं उसके बाद भी तो मेरे कहने का अभिप्राय: यह है कि जनता क्या चाहती है, मैंने पिछली दफे भी कही थी यह बात...(व्यवधान)

श्री नारायण सिंह (दातारामगढ़): यह जाएंगे अब के। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप देखिये, क्या होगा। आपके मुंह में घी-शक्कर। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और आपसे कहूं, इस राज्य की और स्थिति के बारे में, सर्टेन चीजों के बारे में, जहां स्टेट को कुछ सैक्टर के अन्दर खुद पूरा खर्चा बर्दाश्त करना पड़ता था। जिनको भारत सरकार से सपोर्ट नहीं मिलती थी, उन सैक्टर्स के अन्दर भारत सरकार से लिबरल ग्रांट मिल रही है स्टेट गवर्नमैंट को और सबसे बड़ा उदाहरण माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा का क्षेत्र है।

सर्व शिक्षा के अभियान के तहत मास्टरों की तनख्वाह का पैसा आपको मिल रहा है। आज चारों तरफ स्कूलों के अन्दर नये भवनों के निर्माण की बाढ़ आयी हुई है। देश के अन्दर पांच लाख कमरों के निर्माण की बात की गयी, सब को हिस्सा मिला। देश के अन्य राज्यों को भी मिला। राजस्थान को मिला। सब जिलों को मिला राजस्थान में। हमारे जिले को भी मिला तो कहां बुराई है इसके अन्दर? पेयजल के अन्दर, सड़कों के सैक्टर के अन्दर आज भारत सरकार की योजना के तहत, आपके वक्त में शुरू हुई थी, मैं मान रहा हूं लेकिन वह कंटिन्युअस प्रोसेस है। आज 500 की आबादी के गांव जुड़ रहे हैं। कभी कल्पना भी नहीं करते थे। पंचायत हैडक्वार्टर नहीं जुड़े हुए थे। आज 500 की आबादी के गांव जुड़ रहे हैं। 250 की आबादी के गांव जुड़ रहे हैं।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

डेजर्ट एरिया के अन्दर और पहाड़ी क्षेत्र के अन्दर 250 की आबादी के गांव जुड़ रहे हैं तो स्टेट गवर्नमैंट पर उतना भार तो कम हो गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज तो कहीं दस घर का, दस घर की कोई ढाणी है, वहां भी लोग सड़क की कल्पना करते हैं कि वहां आ गयी है तो हमारे यहां भी सड़क आएगी और एक दिन वह सपना निश्चित रूप से पूरा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है तो ऐसे सैक्टर्स थे कि जहां आपको मैंने रिजर्व-बैंक की रिपोर्ट पढ़कर सुनायी। A liberal assistance from the Government of India in certain sectors. यह इसके अन्दर मैंने आपको रिजर्व बैंक की रिपोर्ट अभी पढ़कर सुनायी थी। मैं उसको दुबारा पढ़कर, डवलपमैंट वर्क के बारे में जो रिजर्व-बैंक ने कहा कि भारत सरकार की तरफ से, मैं उसके बारे में, मैं आपका समय जाया नहीं करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): गेहूं का कहीं भी उल्लेख नहीं आया। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): उस समय कितना दिया और अब कितना आ रहा है, यह थोड़ा सा...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नकद पैसा बढ़ गया उसके बदले में, क्या बात कर रहे हो, तगारामजी

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर एक सबसे बड़ा, जिस बात की हमने, पुराने पे-कमीशन में भी मांग की। इस कर्जे को रि-स्ट्रक्चरिंग करा जाए। हर मुख्य मंत्री नेशनल डवलपमैंट काउंसिल की मीटिंग के अन्दर मांग करता था यह। हर मुख्य मंत्री करता था क्योंकि उस वक्त ब्याज की रेट जो थी भारत सरकार के ब्याज की रेट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो हम लेते थे, क्योंकि राज्यों पर पाबंदी थी कि अपनी मर्जी से, हर राज्य की कर्ज की सीमा फिक्स होती थी कि कोई राज्य अपनी मनमर्जी से कहीं से भी कर्जा नहीं ले सकता है। हम लोग मांग कर रहे थे कि आपका यह 14 परसेंट, साढ़े 14 परसेंट का ब्याज है, इसकी रेट तो कम कर दो या रि-स्ट्रक्चरिंग कर दो कि ब्याज के पेटे, ब्याज के पेटे और देनदारियों के पेटे इतना कर्ज, आज काफी बड़ा सिग्निफिकेंट अमाउंट राज्यों का डेट सर्विसिंग के अन्दर जा रहा था। मांग की। फॉर्च्यूनेटली इस सरकार के आने के बाद, यू.पी.ए. सरकार के आने के बाद

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

जिसके कि हमारे मुखिया आदरणीय सम्माननीय मनमोहन सिंहजी हैं, उनकी सरकार के आने के बाद क्योंकि वे अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने राज्य की कठिनाइयों को समझा और राज्य की कठिनाइयों को मानते हुए डेट स्वेप की योजना लागू की। आपने अपने इसके अन्दर भी माना है कि राज्यों को फायदा हुआ जो साढ़े 14 परसेंट, 15 परसेंट के कर्जे थे, आज इण्ट्रेस्ट की रेट साढ़े सात परसेंट, आठ परसेंट रह गयी। कितना बड़ा फर्क है? और 20 साल के लिए रि-स्ट्रक्चरिंग कर दिया। पांच-छह से सारे कर्जों को एक साथ लेकर 20 आसान किश्तों में, 20 ईयर एडवांस कर दिया। जिससे राज्यों के ऊपर भार नहीं आया कर्जा चुकाने का। जिसे हिन्दी में कहते हैं, किश्तें बांध दीं। किश्तें देने में लोगों को आसानी होती है। इस प्रकार राज्यों को भी किश्तों के माध्यम से कर्जा चुकाने की सुविधा 20 साल का उन्होंने इसका कंसोलिडेट करके रि-स्ट्रक्चरिंग कर दिया और 20 साल तक राज्यों को कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा और ब्याज की रेट कम हो गयी है।

आपने स्वयं माना है, आपने जो यहां फिगर्स दिये हैं कि एक साल में आपको 2009-10 तक, आपको करीब यह इसके अन्दर फिगर्स हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं इसके अन्दर स्वीकार किया है, आपके द्वारा यह मध्यकाली एक, राज्य वित्तीय नीति विवरण, राज्य वित्तीय नीति, उक्त विवरण प्रगटीकृत विवरण। जो आपने यहां पेश किया है, आपने स्वयं ने माना है। यह एक पैराग्राफ की चार लाइनें पढ़कर सुना देता हूं। इसमें आपने स्वयं ने स्वीकार किया है कि वर्ष 2005-06 से 2009-10 की अवधि में ऋण भुगतान में 755.11 करोड़ रुपये और ब्याज भुगतान में 831.35 करोड़ रुपये की बचत अनुमानित है। इस साल भी 400 करोड़ रुपये आपके जमा हैं। अब वह 1500 करोड़ रुपया बचा है तो निश्चित रूप से आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी होनी थी। यह तो सारे राज्यों को दिया गया है। हर राज्य फिस्कल स्ट्रेस के अंदर था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बुरा हाल था। वेज एण्ड मीन्स एडवांस लिया हुआ था। आप कहते हैं किस राज्य पर आज ओवरड्राफ्ट है? मैं रिजर्व बैंक की रिपोर्ट पढ़कर सुनाऊं। पिछल साल भी मैंने यह बात कही थी। एकाध-दो राज्यों के ऊपर ओवरड्राफ्ट की स्थिति कुछ दिन के लिए बनी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अधिकांश राज्य तो वेज एण्ड मीन्स का उपयोग नहीं कर रहे हैं। एक तरफ तो आपकी सिक्योरिटीज के अंदर पैसा जमा है रिजर्व बैंक के अंदर, तो वेज एण्ड मीन्स और ओवरड्राफ्ट में घाटे की

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

स्थिति है ही नहीं अधिकांश राज्यों की। और हमारी हालत यह है कि वेज एण्ड मीन्स एडवांस के ऊपर ही चलाते थे काम, कहीं ओवरड्राफ्ट के अंदर जाते थे तो आपकी उस समय की स्थिति कि उस समय क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है? भारत सरकार के लिबरल एटीट्यूड की वजह से, राज्यों के प्रति जो लिबरल एटीट्यूड है गवर्नमेंट आफ इंडिया का, उसकी वजह से आज राज्यों की आर्थिक स्थिति के अंदर सुधार आया है। मेरा एक मात्र कहना यही है, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आंकड़ों के आधार पर, इनके रिकार्ड के आधार पर यह चीज कुछ हद तक कही है, बाकी तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं कोई वित्तीय एक्सपर्ट नहीं हूं। कुछ याद है, कुछ पढ़ता हूं, इससे आपको निवेदन कर रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपको टैक्स डिवोल्यूशन बता दिया, ग्रांट्स बता दी, क्वेश्चन में ही बताया है और पूरा कंसोलिडेट बता दिया कि ढाई गुना, तिगुनी वृद्धि हुई है तब जाकर टैक्स डिवोल्यूशन के अंदर और ग्रांट्स के अंदर भी काफी वृद्धि हुई है, लेकिन आपको एक चीज जानकर ताज्जुब होगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार से आपकी टैक्स रेवेन्यू थी, 2006-07 में 17.99 का इजाफा था, फिर 17.49 का इजाफा था, लेकिन 2007-08 में घटकर 10.2 रह गया Where is the management? How did it happen? कैसे हुआ यह, कहां कमी आई? आपने करीब-करीब 1800 करोड़ रुपये से लेकर 2000 करोड़ रुपये विभिन्न बकायादारों में बाकी हैं। आपने क्या उसकी वसूली के लिए कार्यवाही की? आज दिन तक वसूली की कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है। कुछ तो कमी आती उसके अंदर। कहीं तो उस इजाफे में कमी आती, लेकिन जस का सतसत पड़ा हुआ है। किन्हीं मामलों के अंदर तो उसके अंदर वृद्धि हो गयी है, बढ़ा है, तो आपने उसकी रिकवरी के लिए क्या किया? यह एक सोचने और चिन्ता का विषय है। श्रीमान्, आपका नोन प्लान एक्सपेंडिचर 2004 के अंदर 14,743 करोड़ रुपया था, 2003-04 में यह बढ़कर हो गया 21,153 करोड़ रुपये, 7,000 करोड़ रुपये का इजाफा नोन प्लान एक्सपेंडिचर के अंदर, जोकि अन-प्रोडेक्टिव एक तरह से है। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, अपरिहार्य खर्चे हैं, लेकिन जिस तेजी से इजाफा हुआ है उसके अंदर, यह एक चिन्ता की बात है और सोचने का विषय है राज्य सरकार के लिए और हर सरकार के लिए कि किस तरह से जब अच्छा वित्तीय प्रबन्धन है तो नोन प्लान एक्सपेंडिचर अन प्रोडेक्टिव एक्सपेंडिचर तो कम करना ही पड़ेगा, यह मेरा आपसे निवेदन है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

फिर आपके ऊपर कर्जे का भार 77 हजार करोड़ रुपये का हो गया। 77 हजार करोड़ रुपये से 31 मार्च को 77 हजार करोड़ रुपये आपके ऊपर कर्जे का बोझ हो गया। (व्यवधान) हम कह रहे हैं न, करीब-करीब 53 हजार करोड़ छोड़कर गये थे। करीबन-करीबन मैं राउंड में फीगर बता रहा हूं और आपकी सरकार के आखिरी साल में जाकर 83 हजार करोड़ रुपये होगा। (व्यवधान) अब आप एनुअल प्लान की बात कर रहे हो। अभी आपका एनुअल प्लान भी बता दूंगा। एनुअल प्लान में आपने क्या किया? वह भी बता दूं आपको। एनुअल प्लान में...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मुझे बीच में नहीं कहना चाहिये, मैं टोक नहीं रहा । एनुअल प्लान से ज्यादा कर्जा लिया अपने समय के अंदर। पहले एनुअल प्लान बनाया, फिर उसको काटा और आपने एसेट्स क्रियेट नहीं किये। यह कर्जा लिया है उससे एसेट्स क्रियेट हुए हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप यह कहें .. (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): असेट तो आप हुए हैं, बाकी तो कोई नहीं हुआ। कोई नहीं हुआ है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मेरे को तो मानते हो?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं प्लान के बारे में भी आ रहा हूं। आप क्यों चिन्ता कर रहे हैं प्लान के बारे में? कहां परेशानी हो रही है आपको राजेन्द्रजी? मेरे पास वह भी है आपका। आप चिन्ता मत करो प्लान के बारे में। यह जाकर 2008-09 के आखिरी के अंदर 83 हजार करोड़ रुपये का, हम तो जब समझते जब 53 हजार करोड़ रुपये का था, आप उस कर्जे में कमी लातीं। दो-चार हजार करोड़ की कमी लातीं तो हम ताली बजाते, आपका स्वागत करते कि आपका फिस्कल मैनेजमेंट हैं। लेकिन आपने तब तो हमारे बड़े-बड़े बोर्ड लगाये थे-राजस्थान को कंगाल बना दिया। भारत सरकार के सामने कटोरा लेकर खड़े रहते हैं। भूल गये उन बातों को, मुझे याद है। मैं नहीं भूला हूं। आप कितना जाते जा रहे हो? हमने जितना लिया पांच साल में, उससे एक-दो हजार करोड़ रुपये आप ज्यादा ही लोगे। यह मेरा निश्चित मत है, मेरी फोरकास्ट है, आप देख लीजियेगा। यह होगा, जरूर होगा। आपने क्या मैनेजमेंट किया? आप किस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं? 77 हजार करोड़ रुपया तो अब हो गया और जाकर आप परिसम्पत्तियां, सम्माननीय भैरोंसिंहजी

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

साहब भी यही कहते थे कि हमने घी नहीं पीया, पर परिसम्पत्तियां बनाई हैं और 6 हजार से 24 हजार करोड़ रुपये उस वक्त की कीमत के ऊपर, उस वक्त रुपये की कीमत क्या थी और कोस्टेट प्राइज के ऊपर क्या स्थिति थी? आप किसको बता रहे हो, यह तो एक बहाना है परिसम्पत्तियों का, क्योंकि... (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): 8000 था, 24 हजार पर हम पहुंचे। हमने असेट क्रियेट किये और आपने 53 हजार छोड़ा, कितनी असेट क्रियेट की, बताओ?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अब निकलवा लो न। (व्यवधान) आप भूल गये। हमने तो आपकी कुर्सी सम्हाली थी।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आन्ध्र प्रदेश में (व्यवधान) महावीरजी, एक मिनट।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जो परिसम्पत्तियां निर्माण कीं, आज उनकी कीमत 10 गुना बढ़ गयी।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, आन्ध्र प्रदेश में आपकी सरकार है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अभी मैं सब फीगर दे रहा हूं, आप क्यों चिन्ता कर रहे हो?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): इन्होंने परिसम्पत्तियां बनाईं भैरोंसिंह जी के राज में इसलिए 33 रह गये और अब जो परिसम्पत्तियां बन रही हैं उसका हिसाब-किताब आप लगा लेना।

एक माननीय सदस्य: 130 हो जायेंगे। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सारी फाइनेंस आसपैक्ट से बात कर रहा हूं। बाकी हमारे पीसीसी के अध्यक्ष, हमारे सम्माननीय सी. पी. जोशी साहब कुछ और बतायेंगे। मैंने आपसे निवेदन किया। खैर, उत्तर दें तब बताएं कहां परिसम्पत्तियां बनाईं? ऐसा तो नहीं है कि हमने कोई परिसम्पत्ति बनाई ही नहीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कुछ नहीं बनीं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): छोड़िये महावीरजी इन बातों को, आप क्या बात कर रहे हो? हो सकता है आपने कुछ ज्यादा बना ली हो, लेकिन मैं

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

आपसे कह रहा हूं कि 83 हजार करोड़ रुपये का कर्जा 31 मार्च, 2009 के अन्त में होगा और यह मैंने नहीं कहा है, यह रिजर्व बैंक ने भी एक बात कही है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। रिजर्व बैंक क्या कह रहा है, वह आप सुनिये "At the same time, the fiscal position of some states continues to remain weak, in particular there are concerns regarding the sustainability of high level of debt of a number of states." आप भी उसमें हैं। देश की पत्रिका में मैंने एक लेख पढ़ा था जिसके अंदर जो सबसे ज्यादा जिन राज्यों पर, 10 राज्यों में कर्जा है, उनमें राजस्थान छठे स्थान के ऊपर है। मैं आपसे कह रहा हूं और रिजर्व बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट के अंदर इस बात पर चिन्ता जताई है और उस चिन्ता को आपको देखना होगा। भविष्य के अंदर इसके ऊपर ब्याज का भार कितना पड़ेगा जाकर, ब्याज का भार कितना होगा, आपके लिये यह सोचने की बात है।

अभी आपके पे-कमीशन की रिपोर्ट आ रही है। जब फिफ्थ पे-कमीशन की रिपोर्ट आई तो 1200 करोड़ का भार पडा, जो अख़बार में पढ़ रहे हैं, जो अखबारों में निकल रहा है, उससे तो ऐसा लगता है कि काफी सिगनेफिकेंट इन्क्रीज होने जा रहा है एमोल्यूमेंट्स में, गवर्नमेंट आफ इण्डिया के एम्प्लाइज का और सारे राज्य करीब-करीब उसी का अनुसरण करते हैं, हालांकि मानने के लिए बाध्य नहीं हैं राज्य, लेकिन एक परम्परा चली आई है कि पे-कमीशन की रिपोर्ट को सारे राज्य एज इट इज उसको मानते हैं। क्योंकि जो वर्क कल्चर है, वर्किंग कंडीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लाइज हों, चाहे राज्य सरकारों को एम्प्लाइज हों, करीब-करीब दोनों की एक है तो आपके ऊपर कितना भार आयेगा, लेकिन उसके लिए आपने बजट प्रोविजन अभी दिखाये नहीं हैं। हां, बजट प्रोविजन आपने अभी दिखाया नहीं है उसका, बजट प्रोविजन आपने सिर्फ पे-कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर क्या इन्क्रीज होगा, क्योंकि अभी कोई इवैल्युएट कर नहीं सकता, एस्टीमेट कर नहीं सकता। हो सकता है आप सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के रूप में या एडीशनल ग्रांट्स के रूप में सदन के समक्ष आएं लेकिन आपको प्रावधान करना चाहिए था। आपने टोकन प्रावधान 20 परसेंट का किया है अपने बजट के अन्दर, 20 परसेंट से कवर नहीं होगा, घनश्यामजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): वो कल चिदम्बरमजी ने भी कहा है कि 20 परसेंट का असर पड़ने की सम्भावना है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अब वो देखिये अभी रिपोर्ट उनके पास... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अब उनसे ज्यादा विद्वता, आपकी जानकारी हो तो आप जानो।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): देखिये, 20 परसेंट में आपके कर्मचारियों के पेन्शन का इजाफा, उसके अन्दर जो आपके साल में दो डी.ए. इन्क्रीज होते हैं वो भी उसके अन्दर इन्क्लूड होंगे। आप जो उसके लिए करिये। आपके दो डी.ए. इन्क्रीज हर साल होते हैं, जाकर के करीब-करीब छ, सात परसेंट इन्क्रीज होता है और एक इन्क्रीज का मतलब है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रफली 30, 32 करोड़ रुपये, एक परसेंट इन्क्रीज का मतलब हर साल राज्य के ऊपर डी.ए. का भार ही करीब-करीब जाकर के 200 करोड़ रुपये का हर राज्य के अन्दर भार आ जाता है। आपने फिर 9, 18, 27, ग्रेड इन्क्रीमेंट्स वो सब कहां इसमें काउंट होंगे? ऐसा मत करो, तिवाड़ीजी। आप यों कह रहे हो, उसमें तो कुछ अमाउंट को इसमें ही निकल जायेगा। खैर, आप कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, करना तो पड़ेगा ही आपको, राज़ी-खुशी नहीं करेंगे आपको वैसे करना पड़ेगा इसलिए करना तो है ही आपको लेकिन प्रोविजन कर देते तो बैटर आपका हो जाता। आप, मुख्य मंत्रीजी रेवेन्यु सरप्लस बजट पेश करने के चक्कर में माननीय मुख्य मंत्रीजी उसका प्रोविजन करने से चूक गयीं या रह गयीं।

अब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज बहुत छोटी-सी आपको बताना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आयी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण के अन्दर एक बात कही कि आपने जब बिजली बोर्ड खतम किया था तब आपने उन पर कोई 1600 कितने करोड़ का था, आपने उनको अण्डरटेकिंग दी थी, आपने राइट ऑफ नहीं किया था वो मैंने राइट आफ कर दिया। वो मैंने राइट ऑफ कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है, कहां दिक्कत आ रही है, आपकी माली हालत अच्छी है, आपने राइट आफ कर दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर मैंने देखा, बजट एट ए ग्लांस, आपने ऋणों की वसूली 1777.94 करोड़ आपके बी.ई. जो थी आपकी 110.6 की थी और आपने आर.ई. के अन्दर इसको 1777 करोड़ कर दिया इसको। प्लीज एक्सप्लेन। आपने इसको कैपिटल रिसीट्स में दिखा दिया, आपके नहीं तो कर्जे का भार बढ़ जाता, रेवेन्यु डेफिसिट बढ़ता। मैं तो इतना समझता नहीं हूं, आप अपने अधिकारियों से पूछ कर कृपया इसको एक्सप्लेन करें, कहां दिक्कत है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने दिखाया।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अब बताओ न, माननीय सदस्य, बताओ न कहां दिक्कत आ रही है आपको? आप इसको एक्सप्लेन कर देना। मेरी समझ में नहीं आया तभी तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। मैं यह थोड़ी कह रहा हूं कि मैंने जो कह दिया वो फाइनल है You can explain it. What is your problem?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वो आप प्लान की बात कर रहे थे। प्लान के अन्दर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 15248 करोड़ रुपये का प्लान एप्रूव करा कर माननीय मुख्य मंत्रीजी लायीं हैं वहां से, खुशी की बात है, प्लान बढ़ेगा तो डवलपमेंट होगा, कांस्ट्रेण्ट प्राइज और करंट प्राइजेज पर कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है इसके अन्दर, 5 परसेंट इन्फ्लेशन का, आप 6 परसेंट इन्फ्लेशन समझ लीजिए। मैं उस विगत में नहीं जाना चाहता क्योंकि हर स्टेट का यही ट्रेंड है लेकिन आप जो कह रही थीं, मेरे पास फिगर हैं, श्रीमान्, मेरे पास पिछले साल तक के फिगर्स हैं, 2007-08 तक के फिगर्स हैं, हर स्टेट का प्लान सिग्निफिकेंट इन्क्रीज हुआ है, हर स्टेट के प्लान के अन्दर ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): नहीं हुआ तब पिछली बार दिया था।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपको कहां दिक्कत आ रही है? तो आप भी तो बार-बार कह रहे हैं न कि बीमारू से निकल आये, वितीय प्रबन्धन अच्छा हो गया। आप क्यों बार-बार दोहराते हैं उसको?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हर स्टेट, हर स्टेट क्या कर रहे हो, राजस्थान की, डूंगर बळती दिखै, पगां बळती कोनी दिख री, पैरों में जो आग लगी उसको देखो, डूंगर की, पहाड़ पर लगी उसको देख रहे हो। आंध्र का वो हो गया और उसका वो हो गया। राजस्थान में, महाराज, आपने पाँच साल जो किया न वो बताओ और उसकी तुलना करो तब पता लगेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): वो बता रहे हैं न, वो बता दिया न आपको। वो भारत सरकार की मेहरबानी से हो रहा है, आपका क्या है उसके अन्दर, भारत सरकार का योगदान है...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावार (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): कोई जवाब नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपने तो आकर राजस्व 17 परसेंट से 10 परसेंट के ऊपर ले आये।

श्री मदन दिलावार (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आप घबराये हुए हैं, जवाब नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): राजस्थान को जो है न आपने डुबोया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): भारत सरकार से लाने की कैपेसिटी आप में क्यों नहीं थी? हमारे में तो है वो ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हां, यह बात क्योंकि वहां एन.डी.ए. की सरकार, हमारी निष्पक्ष सरकार थी आपकी पक्षपातपूर्ण सरकार है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आपकी निष्पक्ष है तो भी हम लेकर आये हैं, आप भी ले आते। लाने वाले पर निर्भर करता है। (व्यवधान) उस समय आपको लाने के लक्खण नहीं थे, सब जगह कह दिया हमारा खजाना खाली है, हमारा खजाना खाली है। एक बार तो आप बन गये और एक बार चन्दनमलजी, दोनों ने मिल कर सारा तो किसानों का गला काट दिया और सारा कर्मचारियों का गला काट दिया और अब सफाई पेश कर रहे हो। अब सफाई दे रहे हो यहां पर।

श्री उपाध्यक्ष: कन्क्लूड कर रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): कड़वा सच बुरा होता है, तिवाड़ीजी, आप तो उसमें से कुछ और बुराइयां निकालने की चेष्टा करते रहिये, हम अपनी बात कहते रहेंगे, ऐसे ही कारवां चलता रहेगा, क्यों घबरा रहे हैं आप।

एक माननीय सदस्य: बजट लीक हुआ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अगर आप नहीं कहें और आप नहीं सुनना चाहते तो मैं बैठ जाऊं? If you don't want to hear me and unfortunately the Minister interrupts. सबसे ज्यादा इण्ट्रप्शन आज हमारे तिवाड़ीजी, अब नयी-नयी कुछ नजदीकियां बढ़ी हैं तो दिखा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी दोनों की अण्डरस्टेंडिंग है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): कुछ तकलीफ है क्या? आपको इससे कुछ तकलीफ है क्या, हमारी बहुत पुरानी नजदीकियां हैं, आपको पता नहीं है। आप तो हमारे मित्र हो।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं तो चाहता हूं शांति रहे। मैं तो चाहता हूं शांति रहे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बार-बार कह रहा था आपसे, प्लान के अन्दर, हर स्टेट का प्लान बढ़ा है। 25 परसेंट, 30 परसेंट, 36 परसेंट, 40 परसेंट, 52 परसेंट तक बढ़ा है। मैं उस विगत में नहीं, मेरे पास यह फिगर्स हैं, अभी मैंने मंगाये हैं प्लानिंग कमीशन से, जो मेरे पास लेटेस्ट हैं 2007-08 के, पहले तो मैंने पिछले सालों के पढ़े थे, 2008-09 के फाइनलाइज नहीं हो पाये थे इसलिए आ नहीं पाया था लेकिन यह मैंने आपको बताया है। उसमें क्या है, क्या फार्मूला है उसको अन्दर, कितना लोन है, कितनी ग्रांट है। भारत सरकार ने ओवर ऑल प्लान साइज बढ़ाया है लेकिन एक बात का मुझे एतराज है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि बजटरी सपोर्ट तो उसके अन्दर, आपने जो प्लान के अन्दर बजटरी सपोर्ट दी है वो दस हजार करोड़ रुपये की है। दस हजार करोड़ की बजटरी सपोर्ट दी है आपने। आपने स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के अन्दर जो खर्चा होगा, आर.एस.एम.एम. में जो खर्चा होगा इण्टरनल एक्रूअल से, आपने सिक्योरिटीज दे रखी हैं कम्पनीज को, तीनों कम्पनियों में, अगर उन तीनों कम्पनियों की हालत देखी जाए तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीनों का कम्पनियों का मिला कर कह रहा हूं, कुमुलेटिव लोस, आपने गारंटी से तो लोन उठा रहे हैं, उनके सारे डवलपमेंट का काम लोन के आधार पर चल रहा है हालांकि पहले भी यह हुआ है लेकिन अगर आप देखेंगे, यह चिंता की बात है कि अल्टिमेटली री-पेमेंट आपको करना पड़ेगा क्योंकि वो प्रोफिट में आने वाले नहीं हैं क्योंकि लाइन लोसेज दुनियाभर के हो रहे हैं, वहां पर छीजत को आप रोकने के अन्दर असमर्थ रहे हैं, किन्हीं कारणों से रहे छीजत को रोकने के अन्दर, थोड़ी-बहुत कहीं रोकी होगी उसके बाद भी छीजत बहुत ज्यादा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और लाइन लोसेज की वजह से भविष्य में नहीं लगता है कि यह कम्पनीज कभी प्रोफिट में आयेंगी। वहां हो क्या रहा है? आपने एक कर्जा ले लिया, उसके चुकाने का वक्त आयेगा तो दूसरा कर्जा ले लिया, आपका एक्चुअल्स है ही नहीं वहां पर, जब आप लोसेज के अन्दर हैं, एक्चुअल्स हैं नहीं वहां आपके पास और आपने जो गारंटी दी हुई है, आपने वैसे एफ.आर.बी. के अन्दर आपने बजटरी सपोर्ट एफ.आर.बी. में ट्रांसमिशन के लिए कुल 400 करोड़ की दी है आपने। कुल 400 करोड़ की आपने सपोर्ट दी है। बजटरी सपोर्ट उनको 400 करोड़ का दिया है तो आप उसको प्लान में आप कर सकते हैं क्योंकि आप कहेंगे कि, साहब, आपके राज में भी ऐसा होता था

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

लेकिन हम एक दफे गये थे तो वहां प्लानिंग कमीशन वालों ने कहा था कि This will not allow in future. This is the last time. उस वक्त हो गया था, वो ही परम्परा आज चली आ रही है तो आज बिजली कम्पनियों का, जो वहां पर उनके अपने कार्य हैं, उस अमाउंट को, क्योंकि आपने खुद कहा है प्लान के अन्दर कि बिजली कम्पनियों के अन्दर 6211.55 करोड़ रुपया, आपने डिटेल्स दिये हुए हैं, मैं उस मामले के अन्दर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहीं जाना चाहूंगा लेकिन उसमें लिखा है Rs. 400 crores as transition support to the Financial Restructuring Project (FRP) आपका चार सौ करोड़ ही है फिर आपने आर एस एम एम इज ए लिमिटेड कम्पनी, वो आपको डिविडेंड देती है...(व्यवधान) अब आप सुनो, अब यूं मत करो, जवाब दे देना, आप कमेंट्री क्या कर रहे हो Why you are making commentary? You can reply. You can give reply.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वर्ल्ड बैंक के साथ जो एफ आर पी हुई उसके अन्दर रेट कितने बढ़ाने तय किये थे आपने? यह भी ध्यान...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हमने कौनसी ज्यादा बढ़ाई?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप दो रुपये बीस पैसे लेते इस साल किसान से...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हमने तो आपने क्या लिया क्या नहीं लिया, आपके पास उत्तर है ना, उत्तर दो ना कहां दिक्कत आ रही है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नब्बे पैसे ले रहे हैं आपके पेट में दर्द हो रहा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप उत्तर देने के लिए बीच में इंटरप्ट करके चाहते हो कि मुझे डी रेल करना चाहते हो, मैं वैसे ही बैठ जाता हूं... (व्यवधान) आप जवान आदमी हो मेरी उम्र हो गयी है राजेन्द्रजी तो अब आप यूं मुझे तंग करोगे, वैसे मेरे साथी भी बैठे हैं, मैं मानने वाला तो हूं नहीं, अपनी बात तो कह कर ही बैठूंगा।

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने उसको डाल दिया। आर.एस.एम.एम. का 118 करोड़ रुपया जो इंटरनल उनके अपने एप्रूवल्स हैं, रंग लगा ना फिटकरी रंग चोखा ही चोखा आए, इसमें 118 करोड़ रुपया प्लान में जोड़ दिया। यह तो बहुत होशियारी की बात है। आपने यह कैसे किया?

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले दो-तीन बात और कहना चाहूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): इजाजत दें तो एक प्रश्न पूछ लूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं बोल लूं तो आप पूछ लेना। उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्योंकि फाइनैंस बिल पेश नहीं हुआ है क्योंकि बजट भाषण, मैं कहूं कि फाइनैंस से रिलेटेड मैटर है, लेकिन एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। आपने बजट भाषण के अन्दर सारे के सारे पैण्डिंग एग्रीकल्चर कनेक्शंस को बिजली देने की बात कही है। इस पर क्वेश्चन मार्क, इस साल के थे वह ही अब तक मार्च तक पूरे नहीं हो पाये हैं, आपकी स्थिति कहां है?

श्री उपाध्यक्ष: 2003 तक ही कहा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): वो ही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी किसान हैं, मेरी भी थोड़ी बहुत जमीन है, लोगों से मिलता जुलता रहता हूं, लोगों की बात सुनता रहता हूं। कठिनाई आएगी इसके अन्दर, बहुत ही एम्बीशियस प्रोग्राम लिया है । कैसे होगा, क्योंकि मुझे शक है आपने लोक लुभावना एक अनाउन्समैंट कर दिया, यहां पर पापुलिश कर दिया क्योंकि आपकी जो गति है, आज जिस गति से कम्पनियां चल रही हैं, कछुए की गति से अब तक नहीं दे पाये हैं तो भविष्य के अन्दर क्या होगा, मैं आपको इस बारे के अन्दर कहना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपसे और कहूंगा, मैं वेस्टफुल एक्सपैंडिचर के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा I have the courage to say all these things. मैं बहुत विरोध करता हूं इस चीज का, आपने पैंसठ करोड़ रुपया लगाकर शूटिंग रेंज बना दिया, क्या मतलब है? आज आप हाकी के ऊपर खर्चा करतीं, फुटबॉल के ऊपर खर्चा करतीं, आप अन्य चीजों के ऊपर खर्चा करतीं तो बेहतर रहता लेकिन आपने पैंसठ करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च कर दिया। बाकी मैं हवाई जहाज की बात तो कहना नहीं चाहता हूं कि आपने ऐसे नाकारा पॉयलट भर्ती कर रखे थे जिन्होंने आपकी जान को जोखिम में डाल दिया था और जहाज बर्बाद करके पटक दिया उन्होंने, ऐसे लोगों को निकाल बाहर करना चाहिए, इनक्वायरी में क्या आपने निकाल दिया उन लोगों को नौकरी से बाहर जिन्होंने आपकी जान जोखिम में डाल दी और स्टेट के प्लेन का सत्यानाश

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कर दिया उन्होंने Who is responsible? आज भी वह नौकरी में शायद बैठे हुए हैं मुझे ऐसा लगता है। निकाल दीजिए उनको जिनको तमीज नहीं है जहाज चलाने की, कोई बैठे, गवर्नर साहब बैठें, कोई भी बैठें या आपके अन्य मंत्री आपकी परमिशन से उड़ सकते हैं उसके अन्दर। यह कहां का तरीका है?

उपाध्यक्ष महोदय, एक वैट के बारे में कह देता हूं, वैसे उसका नहीं है। बड़ी मुश्किल से सारे देश के अन्दर वैट की रेट्स के ऊपर सहमति बनी थी एम्पावर्ड कमेटी आफ दी फाइनैंस मिनिस्टर्स की कम से कम बीसों मीटिंग हुई होंगी, जिसके अन्दर वैट के ऊपर आम सहमति बामुश्किल बनी थी। उन्होंने स्टेट्स को पाँच छह विषयों के अन्दर रिलीफ दी थी, इस बात की छूट दी थी उनको कि आप अपनी नीड बेस्ड के ऊपर वह पहले कंज्यूम कर चुके हैं, हम पहले ही कंज्यूम कर चुके हैं । हमने देश के अन्दर जो वैट की रेट है उसका वायलेशन नहीं कहना चाहिए, जो छूट मिली थी वह हम पहले ही इस्तेमाल कर चुके हैं । आपने मार्बल पर किया, मार्बल सबसे ज्यादा उत्पादन होता है हिन्दुस्तान के अन्दर राजस्थान में, इसमें कोई दोराय नहीं है। कोटा स्टोन माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्वाचन क्षेत्र का है, कोई पालीटिकल कम्पलशन हो सकता है उनके सामने, होता भी है, मैं भी होता तो मेरी भी मजबूरी रहती।

सैंड स्टोन को आपने क्यों छोड़ दिया जो धौलपुर करौली में पैदा होता है, अन्य जगह पैदा होता है । सैंड स्टोन जो गरीब आदमी का पत्थर है, जो पट्टी डालता है अपने घर के ऊपर, जो अपनी फ्लोरिंग के अन्दर मार्बल लगा नहीं सकता, चौकों से अपनी फ्लोरिंग करता है, आपने उसको कैसे छोड़ दिया? आपको उसको भी इसके अन्दर डालना चाहिए था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात अपने साथियों ने मुझ से कहा कि एम.एल.ए. लैड के फण्ड के बारे में एक बात कहना चाहूंगा, प्लीज कंसीडर इट, क्योंकि इनकी पार्टी में मैंने पढ़ा था अख़बार में डिमांड आयी थी इसको एक करोड़ रुपया कर दिया जाय। मुनासिब समझें तो इस पर गौर कर लें वरना मांगें तो देने वाली नहीं हैं । धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्षः श्री राव राजेन्द्र सिंहजी।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, Principally to speak on an Appropriation Bill, it is most un-appropriate to talk about a system which compels a generation gap of a junior to answer certain things which probably what a senior as just deliberated upon. Statistics by itself...

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

(व्यवधान) एक मिनट मेरा कोटेशन अंग्रेजी का है। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा Before I start my deliberation I would like to derive my inspirations from the first speech of the first Prime Minister of this country Hon'ble Jawahar Lal Nehru in his speeches quoted on page 344 on the 21st of January, 1948 before the Aligarh Muslim University. He says that; "I am proud of all inheritance and ancestors who gave an intellectual and cultural pre-eminence to India." And we heard these words we should keep in mind 1947 was the year India became an Independence. This speech just comes over an year after having given Independence and one should read the intellectual meaning behind the words; "I am proud of all inheritance and ancestors." He is talking about that inheritance and ancestors who remained under the British Regime but his character and his caliber as an individual identity made him still proud to inherit all that eminence. He asked those students; do you feel it shame? Do you fee that you are also a sharer in it and therefore proud of something that belongs to you as much as to me or do you feel alone to it and pass it by without independence or feelings that strange thrill that comes from the realization that we are the trustees and inheritors of the vast structure. यह बात हिन्दुस्तान के प्रथम प्रधान मंत्री ने सौ वर्ष से भी ज्यादा पराधीन देश की स्वतंत्रता के बाद में उस मार्मिक क्षण में कही थी कि भौगोलिक दृष्टि से तो यह हिन्दुस्तान हो सकता है कि पराधीन रहा हो लेकिन बौद्धिक दृष्टि से न यह उस वक्त पराधीन था और न जब उन्होंने यह कथन किया था उस वक्त पराधीन था। एक परम्परा सी हमारे बीच में आ गयी है कि किसी न किसी बात और किसी न किसी वक्तव्य को जब हम यह कहते हैं तो इस सदन में हम एक रेखा खींच देते हैं।

(समय 14.39 बजे)

(श्री बीरूसिंह राठौड़, सभापति, पदासीन)

हमारा सारा का सारा प्रयत्न इस बात पर कायम रहता है कि पिछले व्यक्तियों ने क्या किया था, पिछले तंत्र ने क्या किया था उसमें कितना दोष था और हम कितना अच्छा कर रहे हैं। इस भाषण से अगर हम इंसपिरेशन लें तो प्रजातंत्र में कहीं इस बात की व्यवस्था ही नहीं दी है कि कोई अपने प्रजा के तंत्र के काल में अपने हाथों से कुछ ऐसा काम करे कि जिसके लिए उसको लज्जित होना पड़े क्योंकि प्रजातंत्र में इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है, चाहे सरकार इधर की रही हो या सरकार उधर की रही हो। हर सरकार ने अपने-अपने विवेक से जनता का भला करने के लिए न्यायोचित कर्तव्यपरायणता से अपने अपने प्रयत्न किये हैं। व्यवस्था तो इस बात की है

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

कि हम किस चीज को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? राजस्थान एक विशाल प्रांत है। जितनी विधि संस्कृति और सामाजिक इन्द्र धनुषीय रंग में विविधताएं हैं उतनी ही यहां की विषमताएं विविधताओं में उत्पन्न होती हैं और इस सम्पूर्ण प्रदेश को विकास के मार्ग पर ले जाना शासन और समाज दोनों के लिये एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इन विषम परिस्थिति के अन्दर हिन्दुस्तान के पटल पर अगर राजस्थान को अग्रणी प्रदेश के नाम से प्रतिस्पादित करने के लिये अगर इस प्रदेश के निवर्तमान लीडर ने, यहां के नेतृत्व ने अगर इस हौंसले और साहस के साथ कदम उठाये हैं तो आज वह वंदनीय है, अभिनंदनीय है।

इसलिये हम यह बात कहते हैं कि जिस महापुरुष के नाम से राजनीतिक संरक्षण हमारे विपक्ष को प्राप्त था उस देव स्वरूपी यशस्वी पुरुष को हम भी बापू के नाम से मानते हैं और आज आर्थिक स्वावलम्बता के इस परिप्रेक्ष्य में जब हम यह बात सोचते हैं और यह अंकित की जाती है कि सरकार और प्रदेश के ऊपर कितना कर्जा है? किसने पैसा लेने में कितनी त्रुटि करी? किसने यहां की प्रशासनिक व्यवस्था में कितना खर्च किया? और कितना उनके समय में कम उपलब्ध था और कितना आज हमारे समय में ज्यादा उपलब्ध है? अगर एक मार्मिक बात उसके मुख से कथन करी हुई और हम स्मरण करें तो बात अपने आप स्पष्ट हो जाती है उस मनस्वी जीव ने एक बात कही थी कि जहां उत्साह है, समुचित जानकारी है, अपने ऊपर भरोसा है वहां वित्तीय सहायता हमेशा उपलब्ध रहती है। जिस गांधीजी के नाम पर पचास साल तक एक छत्र राज पूरे राष्ट्र पर हुआ आज अगर वहां कोई व्यक्ति खड़ा रहकर यह कहे कि हमारे समय उपलब्ध आर्थिक व्यवस्था कम थी तो शायद उस मर्म से पैदा हुआ वह वाक्य वह भूल गये हैं कि जिसकी दुहाई दे देकर चार दशक तक सम्पूर्ण राष्ट्र पर उन्होंने राज किया है और शायद इस साहस के चरित्र की कल्पना हमारे नेतृत्व ने करी कि उन्होंने यह कहा कि जहां साहस है, जहां कुछ पाने की तमन्ना है वहां अर्थ की, अर्थ संचन की कमी कभी बाध्य रूप में नहीं हो सकती है। वह और हौसला बढ़ाती है और आज का कीर्तिमान उसी हौंसले और उत्साह के मर्म पर है और पुनः हम इस बात का अभिनन्दन करते हैं, वंदन करते हैं कि इस राष्ट्र पुरुष के वास्तविक चरित्र का अगर कोई वास्तविक उत्तरदायित्व निभाया है तो चारित्रिक रूप में वर्तमान सरकार ने निभाया है।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

मैं आदरणीय, एक बात निवेदन करना चाहूंगा। संसदीय प्रजातन्त्र के अन्दर एक सबसे बड़ा कर्तव्य जनतन्त्र के प्रतिनिधि को है। अगर हम मंत्रिमंडल को यह बात कहते हैं कि उनकी जोइंट रेसपांसिबिलिटी है तो यह सदन को इस बात को भी ध्यान रखना चाहिये कि इस सदन की अपनी जनता के प्रति एक कलेक्टिव रेसपांसिबिलिटी है। जब यहां बैठकर हम लोग सिर्फ एक महीने में, साल के एक महीने में पूरा का पूरा आर्थिक चिन्तन कर शोध की भावनाओं से अपने वक्तव्य यहां प्रस्तुत करके इस बात का अखंड स्वरूप में प्रतिपादन करना चाहें कि हमने अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वाह किया है तो अपने आप में मिथ्या है। प्रजातन्त्र ने और पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी ने एक सबसे बड़ा हथियार अगर चुने हुए जन-प्रतिनिधि को दिया है तो उन्होंने यह दिया है कि आखिर इस प्रजा का, इस प्रजा से प्राप्त हुए वे धन का वाकई में अगर कोई संरक्षण कर सकता है और संरक्षण प्राप्त है तो वह विधान सभा के इस भवन को है, इस विधायिका को है और इस विधायिका को अपने कर्तव्य की अनुपालना निष्ठापूर्वक करनी पड़ेगी। यहां खड़े रहकर यह कहना कि हममें ज्यादा चतुरता है। हम ज्यादा भले हैं। वह कम भले थे। अपने आपको मिथ्या भाषणों से प्रेरित करना है। प्रजा के सामने जाते वक्त हमें इस बात की आत्मग्लानि कभी नहीं होनी चाहिये कि जिस कर्तव्य की पालना के लिये हमें प्रजा ने यहां या जनता ने यहां चुनकर भेजा उसकी पूर्ति के लिये हमने अपने उत्तरदायित्व के स्वरूप में कितना निर्वाह किया।

आदरणीय, 365 दिन के अन्दर इस सदन की कार्यवाही 45 दिन तक सिमट कर रह जाती है। 45 दिन कार्यवाही के अन्दर विधायिका को वह सारे कार्य करने पड़ते हैं जिसकी अपेक्षा जन-प्रतिनिधि के स्वरूप में चुनकर आने के पहले जनता अपने कर्तव्य को और अपने अधिकार को संरक्षित करके आपके निहित करती है। आपको अपना कर्तव्य पूरा करने के लिये संविधान में एक कम्प्यूटर आडिटर जनरल को भी बनाया है। आज सब पर उंगली उठती है लेकिन भगवत कृपा से एक वह एजेंसी ऐसी है जो निष्ठापूर्वक बगैर किसी भेदभाव के इस जनता का पैसा सही लगा है या नहीं लगा? इस जनता के पैसे का सही उपयोग हुआ है या नहीं हुआ? और जिस सरकार ने कितना अच्छा काम किया है और कितना कम कर पायी है, उस सारे के सारे का निरीक्षण कर सी ए जी की रिपोर्ट उसको हमारे सामने प्रस्तुत करती है।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

आदरणीय कुछ दिन पहले हमारे बुजुर्ग और सीनियर लोगों के प्रयास से एक सेमीनार यहीं इस राजस्थान विधान सभा के भवन में हुई। मैं इससे पहले एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सी ए जी का जो वास्तविक कर्तव्य है और जो हमें इस बात के लिये प्रेरित करती है कि The reports are an important instrument to ensure accountability of the Executive to the Legislature in the matters concerning financial management को पढ़ लें और उसके बाद एक कनक्लूडिंग पैरा इसका पढ़ लें "According to the Rule 327 Section 1, General Financial Accounts Rules, the detention period for various accounting records varies between one and three years after audit. Failure of departmental officers to comply with the observation in inspection reports within the prescribed retention period of records, the possibility of their settlement in future is bleak due to non-availability of records." आज जिस बात पर हम बहस कर रहे हैं। पिछले 20 दिन से जिस-जिस विषय के बारे में रात को दस-दस बजे तक हमने बैठकर बहस करी। आज जिस वित व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिये हम अधिकृत कर रहे हैं सरकार को, आखिर इस सरकार का अफसर इस रिपोर्ट को ताक में रखकर बैठ जाता है। जिस पैसे को जिस वजह से जिस चीज के लिये जिस काम के लिये अधिकृत किया जाता है और उसका लेखा जोखा सही समय पर इस सदन में नहीं आए तो यह सदन अपने कर्तव्य से पीछे हटता है। यह पैरा इस सेमीनार की रिपोर्ट में है और कम से कम 1999 से लगाकर 2007 के प्रत्येक सी.ए.जी. के अन्दर एक पैरा आता है कि अगर इसी तरीके से इंस्पेक्शन रिपोर्टस को अनदेखा किया गया और सी.ए.जी. के डाइरेक्शंस को अनदेखा किया गया तो इस अकाउंटस की वास्तविकता से परे हम हो जायेंगे और चाहते हुए भी इसको हम एक निश्चित मुकाम तक पहुंचाने में निष्फल होंगे।

मैं आदरणीय, आपसे एक बात निवेदन करना चाहता हूं। बहुत सी बातें है। बहुत से कारणों से इस सरकार के ऊपर भी उंगली उठती है लेकिन एप्रोप्रियेशन अकाउंटस के अन्दर कुछ ऐसे पन्ने हैं कि बात कुछ और भी कहते हैं। मैं आपका ध्यान Grant 33. Outlays for welfare of Scheduled Casts and Scheduled Tribes. इसमें 1447 lacks were surrendered due to non-receipts of the aid from the Government of India. बात आती है कि आखिर पैसा, प्लान्स बनते हैं लेकिन केन्द्र सरकार का जो योगदान होना चाहिये वह नहीं होता तो सरेंडर होते हैं। यह संवेदनशीलता केन्द्र सरकार की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वैलफेयर के लोगों के प्रति है।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

इसके अलावा आप अगर देखें Additional funds of Rs. 3444, again surrendered due to non-availability of the receipts from the Government of India, Schemes under provision Article 275(1) of the Constitution for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, 2508 surrendered on 31st March due to less receipts of funds from the Government of India, Grant No. 30, soil and water conservation. आखिर राजस्थान एक फैडरल स्टेट है। अगर सेन्टर की कोई ग्रांट आती है और उस ग्रांट को देखकर के कोई प्लान बनायेंगे और अगर वह ग्रांट नहीं आयेगी तो इस सरकार के पास कोई और चारा ही नहीं है कि उस चीज को सरेंडर करें। कुछ बाते हैं जो निश्चित होनी चाहिए, कुछ चीजें हैं जो कि इस हाउस को कलेक्टिवली बैठकर, यह पूरे के पूरे पन्ने हैं, कम से कम 25 से 50 ऐसी ग्रांटस हैं जो इसलिए सरेंडर करनी पड़ी कि जो हमको सेन्टर से ग्रांट मिलनी चाहिए थी। जो सेन्टर से पैसे मिलने चाहिए थे वह नहीं आये और यह नहीं है कि सेन्टर में सरकार किसकी है, यह कोई परिपाटी है, यह परिपाटी केन्द्र सरकार की है। हो सकता है कि पिछली सरकारों ने भी ऐसा किया हो, लेकिन इस सदन की यह कलेक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी है कि केन्द्र में चाहे कोई सरकार रही हो, केन्द्र में चाहे जो सरकार हो, कलेक्टिवली यहां से इस बात का रेस्पोंस जाना चाहिए कि अगर हमें किसी भी एक विषय पर, किसी भी एक मद पर अगर ग्रांट देने की बात कह रहे हैं तो राजस्थान अपनी ग्रांट और अपना हक लेने का पूरा अधिकार रखता है। केन्द्र की सरकार को कहीं यह अधिकार नहीं है कि हमारे विकास को बाधित करें।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि सरकार के सामने कर्ज एक बहुत बड़ी चीज है। इसके बारे में अपने-अपने तरीके से लोग बाग़ आपके और सदन के समक्ष रखते हैं और यह बात भी कहते हैं कि आज की तारीख में सरकार की जो रफ्तार है, विकास की जो रफ्तार है, उसमें केन्द्र का बहुत बड़ा सहयोग भी है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि जो बात यहां मैकेनिकल और टैक्निकल स्टेटिक्स में जिसको हम कहते हैं कि जागण में अगर कहा जाये आम आदमी नहीं समझ पायेगा। मैं तो सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि जब हम बच्चे थे और उस वक्त राष्ट्र के और संसार में जब धनाढ्य लोगों का नाम आता था तो बिरलाज, सोमानीज, बजाज का, इनका नाम होता था। मुझे तो आज तक यह मालूम नहीं चला कि जिनके सहयोग से, जिनके निवेश से इस संपूर्ण राष्ट्र को एक नाम मिला और आखिर इन संस आफ दी सोइल, इस धरा के पूत को इस राजस्थान के अंदर कोई

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

निवेश करने की व्यवस्था क्यों नहीं मिली। सरकार हमारी नहीं थी उस वक्त। उन पहले के तीन दशकों में एकछत्र एक पार्टी की सरकार थी। आखिर, यहां का व्यक्ति महाराष्ट्र में जाकर के उद्योग लगा रहा था, यहां का व्यक्ति कलकत्ता में जाकर के उद्योग लगा रहा था क्योंकि कोई व्यवस्था हम नहीं दे पा रहे थे। उसकी व्यवस्था के साथ में नहीं चल पा रहे थे। हममें सोच की कमी थी, हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। आप आज देख लीजिये, आज आयाम बनाये गये, आज नाम दिये गये, आज अंबानीज आ गये, टाटाज आ गये, आज अजीम प्रेमजी आ गये। वह हमारे यहां के, इस राजस्थान की पैदाइश नहीं हैं, लेकिन इस सरकार ने अपने बूते से, अपने विश्वास से, अपनी व्यवस्था से उन लोगों को भी यहां निवेश करने के लिए सुनिश्चित किया है। आखिर यह काबिले तारीफ है या नहीं है। हम अपने बच्चों का यहां निवेश नहीं करा पाये। इस धरती पर इस प्रदेश में पैदा हुए बच्चों का निवेश नहीं करा पाये। लेकिन आज इस सरकार ने उन लोगों का जो कहीं और के रहने वाले हैं। किसी और प्रदेश के रहने वाले हैं, जो कहीं और निवेश कर सकते थे। आज विश्वास और भरोसे के नाम पर, हमारी नीति और हमारी व्यवस्था के नाम पर यहां निवेश करने को तैयार हैं। आखिर यह कीर्तिमान स्थापित किया है या नहीं किया है। इसमें अगर हम यह कहते हैं कि हमने यह किया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं करते हैं।

सभापति महोदय, आप खुद प्रोफेसर हैं और यह भी मेरा सौभाग्य है कि आप इकॉनामिक्स के हैं। आज कार्पोरेट सेक्टर की डेफिनेशन में उनकी रेस्पोंसिबिलिटी भी डाली गयी है। आज कोई जब बात करता है तो कैपिटल इक्विटी की बात नहीं करता है। आज जब कार्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी की बात सेमीनार में होती है तो रेपुटेशन कैपिटल की बात होती है। हम आज राजस्थान के परिप्रेक्ष में अगर आज फाइनेंसियल रूल्स के माध्यम से एप्रोप्रिएशन बिल पर बात कर रहे हैं तो आंकड़े पैसे में नहीं आने चाहिए। जब कार्पोरेट सेक्टर जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, उन्होंने भी कैपिटल आउट ले और कैपिटल इक्विटी की जगह रेपुटेशन कैपिटल कर दिया है तो साख तो आपको अपनी बनानी पड़ेगी। जब साख आप बनायेंगे तब रेपुटेशन कैपिटल सरकार की अच्छी होगी तो निवेश अपने आप स्वाभाविक होगा। यह कैपिटल रेस्पोंसिबिलिटी का वह चैप्टर है जो सेमीनार के अंदर, थीसिस के रूप में इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद में उन्होंने एक बात और कही कि कार्पोरेट

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

सेक्टर भी सोशल इको रेस्पोंसिबिलिटी के प्रति जागृत है। सोशल इको रेस्पोंसिबिलिटी के प्रति भी अगर सरकार भी जागृत रहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है और आखिर में उन्होंने कहा है कि जो प्रवृत्ति मैक्सिमाइजेशन आफ प्रोफिट की हुआ करती थी वह आज की तारीख में आप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोफिट्स हैं। पहले मैक्सिमाइजेशन में वह कार्पोरेट इंडस्ट्री अपने शेयर होल्डर्स की बात करती थी। अपने निवेश की बात करती थी। आज वह अपने शेयर होल्डर्स की बात नहीं करती, वह उपभोक्ता की बात करती है। उस उपभोक्ता के साथ में उन सारी व्यवस्था की बात करती है जो उस पर केन्द्रित हैं। आज प्रजातंत्र में अगर यह सरकार अपनी पार्टी की बात करे, अपने दल की बात करे, जब कि कार्पोरेट भी अपनी इक्विटी, शेयर होल्डर्स की व्यवस्था के अलावा उन सारे लोगों की बात कर रहे हैं जो ओपन सिस्टम ऑफ अर्थ इको सिस्टम के नागरिक हैं। आखिर जब हम अपनी बात करते हैं तो हमें आज यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हो सकता है कि यहां तक पहुंचने में हमें किसी न किसी दल की व्यवस्था को माध्यम बनाना पडा हो, लेकिन यहां आने के बाद में हमारे पास में प्रोबेबिलिटी सिर्फ रेपुटेशन कैपिटल की है और इस रेपुटेशन कैपिटल पर ही इस प्रदेश को भी उत्तरोतर अग्रसर कर सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक-एक पैसा राजस्थान की जनता की धरोहर है। और जब पैसा बिखरता है, विवेकहीन तथ्यों के माध्यम से नुकसान जब होता है तो सबसे ज्यादा हृदयाघात आम नागरिक का होता है। मैं आज ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा आपको कि जब कैपिटल रेस्पोंसिबिलिटी की बात आती है तो एक बात यह भी ध्यान में रखनी चाहिए कि राजस्थान गवर्नमेंट की भी कुछ अपनी स्वयं की कंपनियां हैं। मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा सीएजी के रिपोर्ट पर, सीएजी ने एक बहुत तथ्यात्मक टिप्पणी की है और वह बिजली कंपनी के बारे में है जहां आठ करोड़ का मुनाफा सिर्फ एक सर्टिफिकेट अगर हम दे देते और उस सर्टिफिकेट को देने से अगर सीडीएम के सीईआर का सर्टिफिकेट हमको मिल जाता और कार्बन क्रेडिटस हमारे पास आ जाते तो आठ करोड़ का निवेश फोरेन करेंसी में बिजली कंपनी को मिल जाता। पौने पांच करोड़ रुपये राजस्थान स्टेट मिनरल ने प्राप्त किये उसी माध्यम से, लेकिन इस कंपनी को यह इसलिए नहीं मिल सका कि इस कंपनी के लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी। आठ करोड़ रुपये सिर्फ इस वजह से मिल सकते थे अगर यह हम सर्टिफिकेट ले लेते।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात है, क्योंकि आप बिराजें हैं इसलिए मैं इसको कोट भी कर देता हूं, यह इसमें लिखा हुआ है "Arrear of the Company in getting timely of 25 MW wind power plant under clean development mechanism let to deprival of credits of Rs. 8.97 crores for sale of 1,40,809 certified..." यह तो वह है कि जो पैसा आपको मिल सकता है, इसमें तो कुछ करने की ही जरूरत नहीं थी। एक सर्टिफिकेट प्राप्त करना था 2005 में लेकिन पूरे सिस्टम की जानकारी, इसमें कोई दोष बिजली कंपनी का भी नहीं है। यह एक नया कंसेप्ट है तो इस कंसेप्ट की जानकारी संपूर्ण कंपनियों को नहीं है, संपूर्ण अधिकारियों को नहीं है। आरएसएमएम को यह जानकारी थी उन्होंने पौने पाँच करोड़ रुपये का मुनाफा लिया। लेकिन यह जानकारी यहां नहीं थी इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को कि आप पूरे राजस्थान में जो उद्योग सीडीएम मैकेनिज्म स्थापित करना चाहते हैं, आप एक कंसोलिडेटेड फंड राजस्थान सरकार के स्तर पर लगा लीजिये। यह जानकारी हरेक को नहीं है और यह स्कूटनी आपको करनी चाहिए क्योंकि इस विषय की सीमित जानकारी है। इस विषय की संपूर्ण जानकारी के लिए हमें कम से कम एक कंसोलिडेटेड अपने एंड पर बनाना पड़ेगा और इस सारे निवेश से जो कुछ भी फायदा होता है वह राजस्थान सरकार को होना चाहिए। ऐसी कंपनियां जो इस सीडीएम में रजिस्टर्ड होती हैं, इस मैकेनिज्म को जो काम में लेती हैं। चाहे आप उनको और कोई फैसेलिटी दे दें लेकिन कार्बन क्रेडिटस का पूरा का पूरा कंसोलिडेटेड अमाउंट गवर्नमेंट आफ राजस्थान को और पीपुल ऑफ राजस्थान को मिलना चाहिए। आपके पास में तो मैकेनिज्म है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फोरेस्ट इसकी नोडल एजेंसी है इन्होंने कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ में बैठकर के एडीबी के साथ में इसकी अपनी एक व्यवस्था कर रखी है, उस व्यवस्था का हमें उपयोग करना चाहिए।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं इसलिए यह बात कहना चाहता हूं कि एक-एक पैसा अगर राजस्थान सरकार को मिल सकता है तो आज हमारी कवायद होनी चाहिए कि राजस्थान की सरकार का और राजस्थान के नागरिकों का एक-एक पैसा वापस राजस्थान में आए क्योंकि आखिर इस प्रदेश में विकास करने और विकसित प्रदेश में जाने की पूरी लालसा है।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सी डी एम प्रोजेक्ट्स के माध्यम से एनेलाइज करें तो हम पाएंगे कि हिन्दुस्तान के

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

अंदर 60 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स में या तो वह एनर्जी से रिलेटेड हैं जिनमें रिन्यूवेबल एनर्जी है, चाहे बायोमास से सम्बन्धित हो, विण्ड एनर्जी हो या सीमेंट प्लांटस से सम्बन्धित, कार्बन डाइआक्साइड, सल्फ्यूरिक आक्साइड, यह सारे ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज क्रिएट करते हैं जो भी इण्डस्ट्री इन ग्रीन हाउस गैसेज को पोल्यूट करती है, नई टेक्नालाजी प्रतिस्थापित होती है और इस विषय में राजस्थान सरकार संरक्षण प्रदान कर देती है तो सीधी क्रेडिट राजस्थान सरकार को मिलेगी। यह मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारे का सारा मैकेनिज्म, इसकी एक रिसर्च रिपोर्ट है जो कि काफी तथ्यात्मक है, मैं सिर्फ इसके कुछ अंश आपको पढ़ देता हूं जिससे यह बात कम से कम वहां तक पहुंच जाए जिन लोगों को इस सम्बन्ध में निर्णय लेना है। इसका प्रारूप इस तरह से है।

आदरणीय सभापति महोदय, "Under the Quoto Protocol, the companies in developing countries earn Certified Emission Reductions or carbon credits for each tonne of carbon dioxide emissions they avoid. These carbon credits can be sold to companies or governments in developed countries which are under mandatory obligations to reduce carbon gas emissions. They can then offset their own targets against CERs they purchase from companies in the developing countries. CER is a growing area which is generating huge interest in the country. According to industry estimates, the industry has already invested close to 60,000 crores into projects that will generate more than 4 crore carbon credits by the end of 2012." इसके अंदर जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वह मार्क्ड आइडेंटीफाई है, जिनमें कार्बन डाइआक्साइड, मीथेन, नाइट्रेट आक्साइड, हाइड्रोक्लोरो कार्बन्स हैं जिनको हम एच.एफ. सीज कहते हैं एण्ड फ्लोरो कार्बन जिसको अपन पी एफ सीज कहते हैं. "Recognising that relying on domestic measures alone will meet the emission targets could be difficult, the Quoto Protocol offers considerable facilities through agencies, joint implementation, emission tradings and clean development mechanism." और राजस्थान के लिए सी डी एम सबसे ज्यादा पर्याप्त मैकेनिज्म है. इसके अलावा "Asian Development Bank supports climate change initiative across its developing member countries ...." जिसमें एशिया में इण्डिया भी है और इण्डिया तो गवर्निंग बोर्ड का मैम्बर भी है इसलिए हमारे लिए तो बहुत आसान है, गवर्निंग बोर्ड के मैम्बर एनवायर्नमेंट मिनिस्ट्री है, एशिया के अंदर सबसे प्रोमीनेंट्स है। राजस्थान के पास वह सारी व्यवस्था है, हमारी भौगोलिक परिस्थितियों में अवेलेबल है, सोलर एनर्जी की व्यवस्था हो सकती है, विण्ड पावर एनर्जी की हो

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

सकती है, बायोमास की हो सकती है, सबसे ज्यादा हमारे पास में यहां लाइम स्टोन है, सारे के सारे सीमेंट प्लांट हमारे यहां लगते हैं, यह सारे मैकेनिज्म आपके यहां लग रहे हैं तो इनमें सारे वह सर्टिफिकेट्स हमको मिल सकते हैं। लेकिन यह इण्डिजुअल कम्पनियां अपने-अपने नाम पर लेकर जाएंगी अपने अपने मुनाफे के लिए लेकर जाएंगी तो राजस्थान सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारों को राजस्थान की जनता के लिए कंसोलिडेट अपने स्तर पर करे, यह पूरे के पूरे इसमें प्रोफिट मिलते हैं, कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं, राजस्थान की जनता के लिए हों, उनके लिए समर्पित हों।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर India is a federation. अगर राजस्थान में कोई बात होती है तो केन्द्र में बैठी हुई सरकार को भी चिंता करनी चाहिए। लेकिन अगर केन्द्र सरकार में भी कोई बात होती है तो इस सदन में भी बैठकर इस बात की चिंता और चिंतन करना चाहिए। मैं आपकी इजाजत से 14 मार्च को सी.ए.जी. के रिपोर्ट के वह अंश पढ़ रहा हूं जो कि उन्होंने राष्ट्र के सर्वोच्च सदन संसद में पेश की है। ''New Delhi March 15. India's audit watchdog has flayed series of big ticket defence deals including the purchase of business jets....'' कल तक बात हो रही थी, कुछ दिन पहले बहुत तत्परता से यह बात कही गई थी कि राजस्थान सरकार ने कोई प्लेन खरीदा है, कोई हवाई जहाज खरीदा है, कोई हेलीकाप्टर खरीदा है, मैं आपको पूरा पढ़ देता हूं. ''..including the purchase of business jets and the troop carrier saying that the flaunting of norms during their negotiations had led to huge cost overruns. In his report for 2006-07 tabled in Parliament on Friday, the Comptroller & Auditor General has singled out for adverse mention the purchase of the third Boeing Business Jet by the Indian Air Force and the troop carrier INS Jalashva by the Indian Navy. The CAG said that the purchase of the third BBJs at the cost of 3.12 billion for ferrying VIPs was avoidable as despite spending 9.97 billion dollar, the 3 aircrafts will not be used for international travel necessitating the use of Air India aircrafts which will bear adverse consequences.'' जब आपको एयर इण्डिया के क्राफ्ट में ट्रेवल करना है तो आप बिजनस क्राफ्टस क्यों ले रहे हो, बिजनस जेट्स क्यों ले रहे हो? इसके बाद में – ''In case of Jalashva, the CAG deprecated the purchase of ageing 36 years old foreign ship from a foreign government after refurbishing at a cost of 50.63 million without physical assessment of the ship.'' और तीसरा ''The poor condition of the ship entailed significant changes in the scope of the refurbishing work with the cost of the ongoing at the rate of 15 million to

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

36.94 million that the Navy did not bring all cost for consideration of the competent authority while seeking approval of the report. Overall the CAG has found irregularities of staggering 8 billion in defence expenditure. Of the Indian Air Force, IFS has been fraudulent for irregular expenditure for 4.76 billion, Coast Guard 2.21 billion, Indian Navy 340 million and Indian Army 550 million and the Defence Ministry at 350 million." And you were talking of couple of crores here. एक एयर क्राफ्ट की कीमत दो-पांच-दस-पन्द्रह करोड़ की बात कर रहे थे, यहां तीन सौ करोड़ की बात हो रही है। और इन्हीं के कॉइलेशन पार्टनर ने इसी बात पर, कम्युनिस्ट पार्टी ने एक प्रश्न उठाया। यह प्रश्न उठाकर उन्होंने, मैं इसका साइटेशन दूंगा कि सी.ए.जी. की रिपोर्ट टेबल करने के बाद में "The Communist Party of India has raised a question pointing out that 6 Indian soldiers .." जिस शिप की बात हम कर रहे हैं .. "...6 Indian soldiers died aboard this ship due to gas leak." इसको पर्चेज करने के बाद में 6 हमारे सैनिक इसमें मर चुके हैं। "... and the Party said that CAG has also asked whether the authorities were not aware that ships of the same class .." जिस क्लास के शिप हमने यू एस से खरीदे हैं, "... has suffered similar problems in the past and 3 US sailors had also lost their lives." इन्हीं शिप में उनके तीन सेलर्स की भी डेथ हो चुकी है, उन्होंने यह बात सही कही थी कि इसमें कोई इन्हेरेंट प्रोब्लम है, फिर भी हमने लिए। "The country would like to know, why the government is going on for such defence deals with the US? Is it due to the pressure of the Bush Administration to buy US arms and defence equipments, Polit Bureau asked in a statement. It said that CAG report had raised several disturbing issues like why the ship of 1971 US Navy itself had concluded in 2003 that it is suitable for modernization that we should decommission in 2006." तो यू एस नेवी खुद 2006 में इसको डी कमीशन करना चाह रही थी, इसको हमने क्यों लिया? "CAG has also questioned why 50 million deal was finalized after only a visual inspection." इन्होंने टैक्नीकल इन्सपेक्शन भी नहीं किया, सिर्फ विजुअल इन्सपेक्शन करके यानि कोई गाड़ी खरीदने जाएं और घूम कर उस गाड़ी के चारों तरफ देख लिया कि हां, दिखने में अच्छी है और यह खरीद लाए। खरीद भी लाए, पैसे भी बर्बाद हो गए और 6 जवानों को, 6 सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पडा। यहां हेलीकाप्टर डील की बात होती है, एविएशन की बात होती है, वहां करोड़ों रुपये, लाखों रुपए, हिन्दुस्तान के नागरिकों के पैसों को हमने बहा दिया। यह मैं नहीं कह रहा हूं आदरणीय सभापति महोदय, सेंटर की सी.ए.जी. की रिपोर्ट बोलती है,

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

आखिर इस सदन को अधिकार है, राजस्थान की सरकार के बजट के एप्रोप्रिएशन पर हम बात कर रहे हैं लेकिन इस सदन को इतना तो अधिकार है कि अगर केन्द्र में भी कोई सरकार बैठी है तो वह भी सरकार है, चाहे किसी भी पार्टी की हो यह राष्ट्र सर्वोपरि है। इसीलिए तो हम कहते हैं बाबू ने भी यह बात कही थी कि जहां राष्ट्र की बात आये वहां प्रदेश, प्रांत और दल सब पीछे रह जाते हैं आखिर इस हिन्दुस्तान के नागरिक के भविष्य की बात है। जिस सरकार में बैठे हुए केन्द्र के नुमाइंदे अगर इस बात को अनदेखा करना चाहें तो राजस्थान के सदन को एकमुश्त होकर इसकी भर्त्सना करनी चाहिए और एक संकल्प पारित करना चाहिए कि ऐसे घिनौने अपराध को चाहे वो बोफोर्स के समय में हुए हों, चाहे अब हुए हों, चाहे कोई भी करे, चाहे कोई भी पार्टी करे कोई प्रदेश की सरकार इसको बैठकर आंख मूंदकर नहीं देखे।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): आप अच्छा बोलते-बोलते भटक गये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ): हुकुम, मैं बहुत आदर सहित निवेदन करना चाह रहा हूं कि जिस तरीके की सीएजी रिपोर्ट हमारे यहां की है यह सीएजी की रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया की है और यह रिपोर्ट कोई चार साल पुरानी नहीं है, 20 साल पुरानी नहीं है, बोफोर्स के सौदे का तो मैंने उदाहरण दिया बाकी और किसी का नाम ले लें, वह एकदम याद आ जाती है। इसलिए मैंने तो निवेदन कर दिया अन्यथा मुझे याद दिलाने का कोई कारण नहीं था। लेकिन उसके बाद भी हमने कोई सबक नहीं लिया और इस तरह की चीज होती रही और यहां के लोगों पर, यहां के सैनिकों की जान पर जिस तरीके की बात आयी है और यह रिपोर्ट मेरी बनायी हुई नहीं है, पार्लियामेंट में इस बात का डिस्कसन हुआ है और इस रिपोर्ट पर यूपीए सरकार के एक घटक दल का यह विवेचन है जो मैंने पहले पढ़ा वो तो सीएजी के पैराज पढ़े हैं।

Am I running out of time? If I am running out of time तो एक-दो चीजें हैं ...

श्री सभापति: बोलिए।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ): मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। राजस्थान को जनता को यह भी अधिकार है कि राजस्थान की सरकार बगैर टैक्स बढ़ाये हुए आय के स्रोत बढ़ाए तो हमारा यह भी कर्तव्य होता है कि राजस्थान की सरकार, यानी राजस्थान की जनता के आय के स्रोत कैसे बढ़ें जिससे प्रत्येक परिवार एक अच्छे भविष्य के प्रति सुनिश्चित हो सके।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा हमारे कन्वर्जन एक्ट के अंदर हमने पेट्रोल पम्प और होटल को कंसेशन दे रखे हैं। ये कंसेशन के अमेण्डमेंट उस समय आये हुए हैं जिस समय पेट्रोल पम्प और होटल हर जगह नहीं थे। पेट्रोल पम्प या तो शहरों तक सीमित थे या बड़े-बड़े हाइवेज तक सीमित थे। धीरे-धीरे आज हर गांव में, प्रांत के हर हिस्से के अंदर हमने पेट्रोल पम्प लगा दिये हैं। आज भी उनसे कन्वर्जन नहीं लिया जाता है इस एक्ट में या इस प्रोविजन की वजह से। बड़ी-बड़ी आयल कंपनियां, जो अपने पेट्रोल पम्प लगा रही हैं वे भी इस कंसेशन का फायदा उठा रही हैं। तो राजस्थान सरकार से मेरा निवेदन है कि चाहे आप अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए या अनएम्प्लायड ग्रेजुएट्स के लिए या विमेन के लिए आप रिजर्वेशन कर दें कि वे इस कंसेशन को लेंगे। लेकिन अगर ऑयल कंपनी खुद का पेट्रोल पम्प लगाती हैं या कोई कारपोरेट सेक्टर अपना पेट्रोल पम्प लगाता है या कोई कारपोरेट सेक्टर अपना होटल लगाता है तो उसको पूरा कन्वर्जन देना पड़ेगा क्योंकि उस कन्वर्जन का पैसा पुन: जनता पर आएगा और जनता के विकास के लिए हम उसका निवेश कर पाएंगे। एक ऐसी चीज है जितनी कंपनी ऑपरेटेड एण्ड कंपनी मैनटेन जो कोको साइट्स हैं ये सारे के सारे बगैर डवलपमेंट और कन्वर्जन चार्जेज दिये हुए हैं।

मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा संपूर्ण राष्ट्र के अंदर और प्रदेश में भी आटोमोबाइल इंडस्ट्रीज 15 परसेंट से डवलप कर रही हैं, लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रेवेन्यू तो इंक्रीज हो रही है। लेकिन 15 परसेंट को लीटर में अगर हम कन्वर्ट कर दें तो जैसे 15 परसेंट का हर साल ऑटोमोबाइल इण्डस्ट्री में इजाफा हो रहा है उस तरीके का लीटर के कंजम्प्शन में पेट्रोल और डीजल के कंजम्प्शन में इजाफा नहीं हो रहा है। रेवेन्यू तो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि प्राइस बढ़ती रहती है, परसेंटेज के हिसाब से आप लोग टैक्स लेते हैं और उसके हिसाब से आपकी रेवेन्यू इंक्रीज हो जाती है, लेकिन अगर उनको लीटर में आप देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि धीरे धीरे हमारा ग्राफ नीचे आया है। अब अगर मार्जिनल इंक्रीज भी है तो बिलकुल मार्जिनल है क्योंकि हमारे पास में हमारे जो पास के पड़ोसी प्रदेश हैं उनके और हमारे बीच में पेट्रोलियम प्रोडक्ट की रेट्स में वेरिएशन है। मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था पीडब्ल्यूडी स्वयं की सेंशस रिपोर्ट है कि पूरे राजस्थान में एक दिन में 80 हजार वाहन किसी न किसी तरीके से इस एंड

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

से उस एंड जाते हैं। अगर एक वाहन 150 लीटर भी डीजल ले तो कम से कम 500 करोड़ का रेवेन्यू हमारे यहां से किसी और प्रदेश में जा रहा है। 500 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। हम यह निवेदन करना चाहते हैं इस डिसपैरेटी को किसी भी तरीके से कंपीटेटिव किया जाए जिससे यहां से गुजरने वाला वाहन हमारे यहां से हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट ले, इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट से कामर्शियल टेक्सेज का जो रेवेन्यू होता है वह आखिर इस प्रदेश की जनता को समर्पित होता है।

एक और निवेदन करना चाहूंगा इस कार्बन क्रेडिट्स के बारे में बात कर रहा था इसमें एक बहुत इंपोर्टेंट चीज है कि कार्बन सिंक्स भी होते हैं और कार्बन सिंक उनको कहा जाता है जो फोरेस्ट एरिया नये होते हैं 5 से 7 साल या 10 साल के होते हैं उनमें क्योंकि वे कार्बन-डाईआक्साइड को अब्जार्ब करके यदि ऑक्सीजन देते हैं उनको भी कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं। आपका पर्टीकुलर क्षेत्र, इस पूरे प्रदेश का 9 परसेंट फोरेस्ट के लिए रिजर्व है। अगर 9 परसेंट फोरेस्ट के लिए रिजर्व है तो आज जैसे मध्य प्रदेश और बाकी दूसरे स्टेट्स हैं कार्बन क्रेडिट्स के सिंक्स के लिए गवर्नमेंट आफ इण्डिया को लिख रहे हैं। अगर आप इस तरीके के कार्बन सिंक्स डिपार्टमेंट आफ फोरेस्ट के माध्यम से ट्राइबल एरिया में सुनिश्चित कर दें और यह भी सुनिश्चित कर दें कि उनकी क्रेडिट का कुछ परसेंटेज चाहे 10 परसेंट हो, चाहे 15 परसेंट हो पुन: उनके ट्राइबल एरिया के अंदर या उस रीजन के अंदर निवेश करेगा तो यह भी आपको क्रेडिट दिला सकते हैं. Indonesia alone, a country thriving only on forest carbon sinks, has a revenue of 220 crores of Dollars. 220 करोड़ डालर की रेवेन्यू सिर्फ इससे आती है। अरबों रुपया, करोड़ों रुपया फोरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से इस राजस्थान की सरकार के द्वारा निवेश किया जाता है। इनको अगर हम चिन्हित कर दें और इन कार्बन सिंक्स को हम किसी भी तरीके से प्रतिपादित कर दें, सुनिश्चित कर दें तो 5 साल के भीतर-भीतर ये सारे के सारे फोरेस्ट एरियाज हमारे लिए लाभ के सोर्स हो जाएं, राजस्थान की जनता के लाभ के सोर्स हो जाएं, किसी व्यक्तिगत लाभ के सोर्स नहीं हों। आज की तारीख में इस बात पर चिन्तन करने की गहन आवश्यकता है क्योंकि एप्रोप्रिएशन के अंदर जब पैसा खर्च करने की जरूरत आप राजस्थान सरकार और एक्जीक्यूटिव को दे रहे हैं तो इस सदन का यह भी कर्तव्य है कि सरकार और एजेंसी को यह बात भी कहें कि किस तरीके से आप और अपनी आमदनी

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

में इजाफा कर सकते हो बगैर आम नागरिक पर किसी तरीके का टैक्स का बर्डन किये हुए।

मैं निवेदन करना चाहूंगा अनएम्प्लायमेंट के बारे में बहुत बातें होती हैं। जिस तरह का पाठ्यक्रम हमारी स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है उस पाठ्यक्रम के माध्यम से हमारे कई ग्रेजुएट्स निकलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स निकलते हैं, डाक्टर्स निकलते हैं, इंजीनियर्स निकलते हैं, एक बहुत बड़ा वोल्यूम है, लेकिन उसके बाद भी एम्प्लायबिलिटी के बारे में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। जब बिजनेस प्रोसेसिंग हाउसेज यहां लगते हैं जब कोई आकर अपना बिजनेस प्रोसेसिंग हाउसेज यहां लगाती है और उसको 200 कंडीडेट के रिक्रूटमेंट की बात आती है तो आज भी महाराष्ट्र से, साउथ इण्डिया से, दिल्ली से लोग आगर वहां सर्विसेज दे रहे हैं इसलिए कि हमारे पास में सोफ्ट जाब की व्यवस्था नहीं है।

मैं उदाहरण के लिए एक और विषय आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। संस्कृत में व्यावसायिक विषय जैसे आयुर्वेद, ज्योतिष, कर्मकाण्ड, पौरोहित्य आदि के लिए प्रशिक्षत छात्र नहीं हैं। हाल ही में नीदरलैण्ड के गुएना, त्रिनिडाड एवं टोबेको, पैराबरे, लडाविया, फिनलैण्ड, स्विट्जरलैण्ड और बोस्निया, डेनमार्क और आयरलैण्ड ने 2200 पारंगत वैदिक पण्डितों की आवश्यकता के लिए एडवर्टाइजमेंट किया था। आपको ताज्जुब होगा कि इस एडवर्टाइजमेंट की योग्यता के अनुसार सिर्फ 400 व्यक्ति ही ऐसे मिले कि इस एम्प्लायबिलिटी का फायदा उठा सकें। 2200 आदमी चाहिए थे सिर्फ 400 मिले। संस्कृत विषय भी एक ऐसा विषय है जिसमें वैदिक शास्त्र है उनको हम व्यावसायिक उपयोगिता के अंदर ले सकते हैं। यह भी फिलोसोफी है जिसकी वजह से हमारे राष्ट्र को, हमारे प्रदेश को एक विश्व गुरु की उपाधि किसी जमाने में मिली हुई थी। मैं निवेदन करना चाहूंगा ऐसे शोध के विषय जिससे उस विषय की हमारे शास्त्रीय भाषा यह है उसकी जानकारी भी हो और साथ-साथ जीवन शैली के अंदर एक उच्च वर्ग की आय हम प्राप्त कर सकें उसका भी स्मरण हो। आज विदेश में भी आपको इस शास्त्र को जानने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि वह जितने आदमी उनको चाहिए, उतने आदमी हम प्रदेश से नहीं दे पा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस विभाग के जो भी मंत्री हैं, वह भी कम से कम इसको ध्यानपूर्वक देखें। एक बात और करना चाहूंगा, सभापति महोदय, जितने मंत्री यहां बिराजे हैं, एक

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

बात वह भी सुनिश्चित करें, कि सीएजीज की जितनी रिपोर्ट आती हैं और जितने इन्होंने आकलन दिये हैं अपने-अपने विभाग की रिपोर्ट आप पढ़ें और पढ़ने के बाद में जो-जो आदमी या जो जो डिपार्टमेंट के अफसर इसके लिए आप लोगों को सुरक्षित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए दुबारा इस तरीके के सीएमजीज पैराज नहीं बनें, सुनिश्चित करने के लिए आपको रेस्पोंसिबिलिटी भी चिन्हित करना पड़ेगा। अगर मंत्री महोदय इस किताब को पढ़ लेंगे न तो किसी ब्यूरोक्रेटिक अफसर की हिम्मत नहीं होगी कि सदन के यहां से व्यवस्थित पैसों का कहीं और उपयोग कर ले या सदन के यहां से दिये हुए पैसों को कहीं और लगा ले या सदन को जवाब देने में देर कर दे, या सीएजी बार-बार कहती रहे और इंसपेक्शन रिपोर्ट का जवाब न ले। अगर इस जवाबदेही से यह सदन विमुख हो गया तो प्रजातंत्र का वह अध्याय चालू हो जाएगा, जो यह सुनिश्चित करेगा कि it is the last decade of democracy. If we are not intelligent enough to realise that, if we are not sensitive and sincere towards our duty, if this House as a whole could not collectively take this into consideration, we will mark the beginning of the end of democracy. The democracy is the only system whereby people have put in their faith in our hands. Let the House, rising above political and party considerations, take it up seriously that this House is here to dwell, to develop and to see in foresight the development of an ordinary man who is your mandate, who is your electorate, we should all strive collectively to see that our responsibility is first towards the nation, towards the State and the Constitution which provides us with this legacy. The legacy of democracy has to live. What better an opportunity to make it an appropriate system of conviction and convention that we all agree to it, in all. Thank you very much. सभापति महोदय, धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, शांतिलालजी चपलोत।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय सभापतिजी, आपने मुझे विनियोग विधेयक पर बोलने के लिए अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका ह्रदय से बहुत आभारी हूं। माननीय सभापतिजी, हमारा देश बहुत पुरातन देश है, जब संस्कृतियों ने जन्म नहीं लिया था तब हमारे यहां सर्व संस्कृति सु-सुंस्कृत थे। जिस अंग्रेज ने हम पर राज किया वे लोग नोमेडियन की तरह रहते थे, वृक्षों पर रहते थे, खाने पहनने की जिनको तहजीब नहीं थी, उस समय हम वेद लिख रहे थे, उपनिषद् लिख रहे थे, रामायण लिख रहे थे, ऋचाएं लिखी जा रही थी, माननीय सभापतिजी, यह देश चेन्तन्य है, निरंतर है, आगे बढ़ने वाला है। हमारे देश में यह कहा है कि अस्तो मा सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम् गमय।

(श्री शांतिलाल चपलोत)

इस तरीके का एक उच्च सिद्धांत लेकर यह देश चला, भूतकाल का मैं ज्यादा वर्णन नहीं करना चाहता, पर जैसा कि माननीय विधायक महोदय राव साहब ने फरमाया कि हमारे यहां किस प्रकार की कमी होती जा रही है। एक समय था जब ऋग्वेद लिखा गया और आज यह नहीं जानते हम कि कब यह लिखा गया, उस समय लोग कितने विद्वान रहे होंगे और उसके पश्चात् आज हमारी स्थिति कहां आ गई। एक समय यह था जब हमारे यहां हमारे शास्त्रों में अर्थात् बाल्मीकी रामायण में भी आया है कि भगवान राम पुष्पक विमान में बैठ कर लंका से अयोध्या आये थे और यानी किस प्रकार के शस्त्रों की व्यवस्था थी, भगवान ने तीर चलाए और गर्दन काट कर वापस अपने तरकस में आ गये। इस प्रकार की सुसम्पन्न हमारी संस्कृति थी, भगवान कृष्ण के समय में भी ऐसा ही एक वर्णन आता है, उनके यहां हमारा सुदर्शन चक्र उनके हाथ में है, और वह गर्दन काट कर आ रहा है, वापस तरकस में आ रहा है या उनके पास आ रहा है, अर्जुन ने बाण छोड़ा और भूमि से पानी निकाल दिया, कितने समुन्नत आज के 5 हजार साल पहले रहे होंगे। 2500 साल पहले हमारे यहां चार्वाक भी हुआ, चाणक्य भी हुआ और एक महापदमनंद हुए, उस महामदमनंद के बारे में कहा जाता है उसके पास पदमों रुपये था। जो आज के हिन्दुस्तान की एक अरब 3 करोड़ जनता को बांटा जाए तो 22 लाख रुपया पांति आता है, प्रति व्यक्ति 22 लाख रुपये। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड़, दस करोड़, अरब, दस अरब, खरब, दस खरब, नील, दस नील, पदम, दस पदम यानी पदमों रुपये एक आदमी के पास यानी कितने हम साधन सम्पन्न रहे होंगे किन्तु कालान्तर में, 2500 साल बाद जब धीरे-धीरे हम पर आक्रमण होने लगा हमने अपनी अस्मिता छोड़ दी, हमने, मैं और मेरा परिवार उसके बारे में सोचना प्रारंभ कर दिया, हमारी संस्कृति का विलोपीकरण प्रारम्भ हो गया, हमने स्वार्थवश सोचना प्रारम्भ कर दिया तो, हमारी दुर्गति प्रारम्भ हुई और हम पर आक्रमण हुए और आज हम किस हालत में पहुंच गये। हिन्दुस्तान जब आजाद हुआ तो अंग्रेज 3 हजार करोड़ रुपये खजाने में छोड़ कर गया था। पहली योजना बनी 30 करोड़ रुपये माथे हुआ। और स्वर्गीय राजीव गांधी के जाते-जाते इस देश पर भारी भरकम कर्जा लाद दिया गया। और उसके पश्चात् हमारे प्रधानमंत्री नरसिंह रावजी बने उस समय इस देश पर इतना अधिक कर्जा था प्रति व्यक्ति 12 से 13 हजार रुपये प्रति

(श्री शांतिलाल चपलोत)

व्यक्ति उस समय कर्जा था, 10 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा। हमारे यहां चार्वाक हुआ उसने कहा

यावत् जीवेत् सुखम् जीवेत्, ऋणम् कृत्वा घृतम् पीबेत्,

भष्मी भुतस्य, देहस्य पुनरागमन कुतः।

जब तक जीओ, सुख से जीओ और कर्जा करके घी पीओ, यह मनुष्य जन्म बार-बार आने वाला नहीं है, यह भष्मी भूत होने वाला है, यह नष्ट होने वाला है, खाओ, पीओ, मौज करो। इस प्रकार की एक संस्कृति देश में भी पनपी और हम इस देश के कर्जदार हो गये। आज मुझे बहुत कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि किस प्रकार हमारी दुर्गति हुई, हम ज्ञान में, विज्ञान में इन 60 सालों में कितनी प्रगति कर पाये। यह ठीक है कि पिछले दसेक वर्षों में हमने कुछ प्रगति की है उसके अलावा हमारी जो सरकारें थीं उन्होंने किस प्रकार की प्रगति की है, यह एक बड़ी चिंता का विषय है, मैं माननीय सभापति महोदय, आपको निवेदन करना चाहता हूं, हमारे इस प्रांत में जब माननीय शेखावत साहब राज में थे 1990 में और 1990 से 1998 तक जब वह राज में रहे, उस समय तक कर्जा 23 हजार करोड़ का था, 1998 में जब वह राज में थे तब 23 हजार करोड़ का कर्जा था और माननीय गहलोत साहब पधारे पांच साल में 30 हजार करोड़ का कर्जा लिया, 53 हजार करोड़ का इस राजस्थान पर कर्जा हो गया। और मैं अभी निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर इस कर्जे का किया क्या ? क्या हमने कोई परिसम्पतियां निर्मित कीं, अभी 75 हजार करोड़ होगा, 76 हजार भी हो सकता है वह तो हिसाब है, हो जाएगा पर परिसम्पतियां क्या निर्माण की हमने? क्या किया, हमने उस 30 हजार करोड़ का हमने यही कहा, आज हम भूखे हैं, आज हम नंगे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है और मैं कहना तो नहीं चाहता, किसी को दोष भी नहीं देना चाहता, पर हमने विश्व के सामने और सारे हिन्दुस्तान के सामने एक ऐसा चित्र इस राजस्थानी का पेश कर दिया कि राजस्थानी भूखा है, नंगा है, बेरोजगार है और बिलकुल कंगाल है, कोई भी कर्जा देने को तैयार नहीं, हां, हम क्या करें हम तो कर्जदार हैं, हमने यह कहा।

एक भीख मांगने वाला व्यक्ति क्या कह सकता है? क्या वह किसी को डिक्टेट कर सकता है? क्या सोवरिम का फंक्शन निभा सकता है? सोवरिम का फंक्शन है, "If a determinate human superior, not in the obedience of like superior, receives habitual obedience from the bulk of given society, that human

(श्री शांतिलाल चपलोत)

superior is sovereign and independent." इंडिपेंडेंट होता है। एक निर्णय लेने की क्षमता होती है और वह किसी के अधीन नहीं होता। क्या राज का काम सोवरिम का जो फंक्शन करना है वह किया? यही कहा कि आज हमारे पास पैसा नहीं है और ऐसा कहने से इस राजस्थान में किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं आया। आज हमें प्रसन्नता है कि अभी इस सरकार ने एक लाख 62 हजार करोड़ रुपये के 300 एमओयू साइन किये हैं। एक लाख 62 हजार करोड़ रुपया अपने आप में अहमियत रखता है। माननीय सभापति महोदय, आपने एक बड़ा शो किया था, मुझे भी आमंत्रित किया गया था सिसोदिया रानी के गार्डन में। क्या हुआ उसमें? क्या कोई मित्तल साहब आये? कोई नहीं आया। बुलाया था, लक्ष्मी मित्तलजी भी आये थे पर किसी ने भी इन्वेस्टमेंट करने का साहस नहीं किया कि भूखे हैं, दरिद्री हैं, कुपोषण के शिकार हैं, कर्जदार हैं, इनके पास पैसे ही नहीं हैं, ये कंगाल हैं। कौन ऐसे लोगों का साथ देगा? यदि हमने भिखमंगापन नहीं छोड़ा तो कौन हमारा साथ देगा? कोई माई नटै, कोई माई पटे, सगरा नटै, जांवा कठै, सगरा पटे, राखां कठै। ऐसी हमारी स्थिति बन गई कि हम चारों तरफ मांगने वाले बन गये। कौन उसमें से आयेगा, कौन इन्वेस्टमेंट लेकर के आयेगा? कोई नहीं आने वाला। इसलिए उस समय किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं आया। आज हमें प्रसन्नता है, हमारे इस शासन में एक लाख 62 हजार करोड़ रुपये के एमओयू साइन हुए हैं। कौन, किसको कहे, क्या कहे। सोवरिम फंक्शन है जिस सरकार का उस सरकार का सोवरिम फंक्शन निभाने में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार विफल रही है यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापतिजी, 60 साल से 58 साल उम्र की और कहा कि हे युवकों, आप हमारे पास आओ, आप हमें वोट दो, भैरोंसिंहजी ने 58 साल से 60 साल उम्र कर दी, आपको युवकों को बर्बाद करके रख दिया। आओ, हम आपको गले लगायेंगे, हम आपको नौकरी देंगे। कितने लोगों को नौकरी दी? 5, 25 को दी? हमने केवल शिक्षा विभाग में, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं घनश्यामजी को कि 70 हजार अध्यापकों को नौकरी दी है। 40-50 हजार आंगनबाड़ी में, कुल मिलाकर के ढाई लाख से अधिक कर्मचारियों को सेवा दी है। आपके कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया और हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ रहा है। हमने यह कहा, भगवान राम के आदर्श को आदर्श माना, भगवान राम ने अयोध्या से कूच करके लंका पर आक्रमण किया, लंका को ध्वस्त किया, लंका

(श्री शांतिलाल चपलोत)

को जीता तो लक्ष्मण के मन में आया कि हे राम हम यहां क्यों न रह जाएं। यह धन-धान्य से परिपूर्ण लंका है, हमने अपने बाहुबल से जीती है, किसी का कोई एहसान नहीं है इसलिए हम इसमें रहेंगे और यहां पर राज करेंगे। भगवान राम ने क्या कहा? अपिये स्वर्णमयी लंका न में, लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। है लक्ष्मण, यद्यपि यह सोने की लंका है, मेरी इसमें कोई रूचि नहीं है। जननी जन्मभूमि अयोध्या हमारा घर है, हम वहीं जाएंगे। जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। यह कहा। यह आज है। हमारे जितने प्रवासी राजस्थानी हिन्दुस्तान के बाहर और हिन्दुस्तान में जहां गये हुए हैं, राजस्थान के बाहर हैं वो प्रवासी राजस्थानी कह रहे हैं, नहीं, हम राजस्थान को उच्च बनायेंगे। इसलिए एक लाख 62 हजार करोड़ के एमओयू साइन किये। अपने देश को बढ़ाने के लिए, अपने प्रांत को बढ़ाने के लिए ये आगे आ रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, स्कूलों का जाल बिछाया। एक-दो नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे और किसी क्षेत्र में हो, कितना काम किया उसका कोई हिसाब नहीं है। 45 हजार से ज्यादा स्कूल खोल दिये। कांग्रेस के समय में 292 या 293 के आस-पास कालेज थे और अभी हमारे समय में हमारी नीतियों की वजह से लोग आकर्षित हुए और हमारे पास अब 997 कालेज हो गये हैं। टैक्नोलॉजी के मामले में, टैक्नोलाजी एजुकेशन के लिए कितना हमने इस देश को और प्रांत को आगे बढ़ाने का काम प्रारम्भ किया है कि 87 आईटीआई और औद्योगिक संस्थान हमने बनाने का प्रयत्न किया है1 माननीय सभापतिजी, कांग्रेस की कुल योजना 2003-04 में 4258 करोड़ की थी और वह भी खर्च नहीं हुए। हमने जब दिसम्बर, 2003 में शासन संभाला उसके बाद तीन महीनों में बढ़ाकर के हमने इसका आकार करके काम किया 6044 करोड़ का। जो कांग्रेस पांच साल में नहीं कर पाई वह हमने करके दिखाया। 2004-05 में 6590 करोड़ की योजना बनाई। 2006-07 में 8969 करोड़ की योजना बनाई। 2007-08 में रिवाइज्ड एस्टिमेट के अनुसार 13680 करोड़ की योजना बनाई और मुझे अभी बहुत प्रसन्नता है कि सभी के प्रयत्नों से 2008-09 में 15248 करोड़ रुपये की योजना बनाई है जो इनकी योजना से ढाई गुना है। जो 2003 में बजट था 4 हजार करोड़ का उससे चार गुना। इससे ज्यादा और काम क्या किया जा सकता है? ये हमको कह रहे हैं कि आपके यहां से यह हो गया, फिस्कल डेफिसिट ये हो गये, फलां यह कमी हो गई, काम करोगे तो

(श्री शांतिलाल चपलोत)

पैसा भी आपको लेना पड़ेगा। पैसा तो उधार उसी को दिया जाएगा जिसकी मोतबिरी हो। आपने मोतबिरी बताई नहीं और आपने तो सब जगह यह कह दिया कि हम भूखे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। डोंट कम टू मी, मेरे पास मत आओ, एक को सर्विस नहीं दूंगा, कोई स्कूल नहीं खोलूंगा, एक कमरा नहीं बनाऊंगा, एक किसी को नौकरी नहीं देने वाला। तो कौन आपके पास आने वाला है, कोई इन्वेस्टमेंट यहां इस प्रकार से नहीं आ पाया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किस क्षेत्र में हमने प्रगति नहीं की पांच साल में। कांग्रेस के शासन में पाँच साल में 1905 करोड़ रुपये की सड़कें बनाई यानि 250 करोड़ रुपये पर ईयर का और हमने इन साढ़े चार सालों में, जब पांच साल पूरे होंगे तो 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक की रोड बनाई है, पांच गुना से ज्यादा। किस मामले में हमसे कम्पीटिशन करना चाहते हैं? इस शासन का मुकाबला कांग्रेस शासन नहीं कर सकता। हमने मेगा हाइवे 1053 किलोमीटर 1600 करोड़ रुपये की लागत के बनाये। आपने बनाये? हमने मेगा हाइवे इसलिए बनाये कि आवागमन की सुविधा होगी, आने जाने का ठीक रहेगा तो हमारा टायर का खर्चा बचेगा, डीजल और पैट्रोल का खर्चा बचेगा और समय की बचत होगी इसलिए हमने मेगा हाइवे बनाये। राजस्थान को सड़कों में भी प्रथम श्रेणी का घोषित किया गया और एजुकेशन में भी। मैं इसके लिए एजुकेशन मिनिस्टर साहब को और हमारे सड़क मंत्रीजी, यहां नहीं हैं, उनको भी बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। शिप्रा पथ थाने में......

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वर्तमान को या पूर्व के मंत्रीजी को?

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): दोनों को ही।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप तो एक बात बताइये कि हम हिन्दुस्तान में वेलफेयर स्टेट की बात कर रहे हैं, और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आपकी प्रोडक्शन कोस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कोस्ट बढ़ गई है तो उसी बजट से आप आगे का डवलपमेंट कैसे करेंगे? आपका पूरा बजट ही गड़बड़ हो जायेगा। (व्यवधान) प्रोडक्शन कोस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कोस्ट दोनों बढ़ रही हैं तो पैसा आपके पास सीमित है, उस पैसों में आप कैसे करेंगे विकास के काम?

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): बढ़ रही है, इसलिए तो ज्यादा बजट बढ़ाया जा रहा है इसीलिए every year price escalation is to the tune of 15%,

(श्री शांतिलाल चपलोत)

15 प्रतिशत प्राइस एस्केलेशन होता है और उसमें काम करना मुश्किल होता है। इसलिए तो हम बजट का आकार बड़ा कर रहे हैं और उसकी सारी व्यवस्था भी कर रहे हैं। इनके बजट से चार गुना बजट, 2003-2004 में जो इनके पास बजट था, उसका चार गुना बजट हमने इस साल में दिया है और इसीलिए कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, 4984 मेगावाट बिजली हमारे पास उपलब्ध थी 2003-2004 में, हमने 6,395 मेगावाट बिजली बना दी है अर्थात् 2,019 मेगावाट बिजली का इन चार-साढ़े चार सालों में जनरेशन किया है। कितना काम हुआ है। पहले आपके पास कुल जितनी थी, 50 सालों में जितनी बिजली थी, 4,984 मेगावाट, उसकी आधी बिजली चार सालों में जनरेट करके बताई है। फीडर रिनोवेशन का काम किया है। बिजली छीजत कम हुई है। आज की तारीख में हिन्दुस्तान में सबसे कम छीजत यदि कहीं है तो वह राजस्थान में है, यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। छीजत में कमी हुई है और उसकी वजह से, फीडर सुधार होने की वजह से सारे राष्ट्र ने, सारे राष्ट्र के मंत्रियों ने हमको बधाई दी है कि आपने बिजली में बहुत अच्छा काम किया है, सुधार का काम किया है, इसके लिए भी हमको बधाई मिली है। हमारा गिराल का प्रोजेक्ट, बरसिंगसर का, धौलपुर का कारखाना था बिजली बनाने का, शायद सन् 1985-86 में उसका शिलान्यास किया गया, वह हमारे समय में प्रारम्भ हुआ। 24-25 साल तक वह पत्थर धूल चाटता रहा, ऐसा काम हमने करके दिखाया है। आज यह किसी प्रकार की बात कहने की स्थिति में नहीं है माननीय सभापति महोदय।

जल संसाधन में 163 पड़ी हुई लम्बित योजनाएं हमने पूरी की हैं और 149 माइनर पर काम किया है। माही, बीसलपुर और रतनपुरा, इन सब में भी काम ज्यादा से ज्यादा कराया है। राजस्थान कैनाल में बहुत बड़ा भारी खर्च हमने किया है और आज हमें प्रसन्नता है कि इस मार्च के महीने में नर्बदा का पानी राजस्थान में आ जाएगा। जालौर, बाड़मेर, सिरोही जिले तृप्त हो जायेंगे। यह आज हमारे शासन की ही उपलब्धि है, हमारे मुख्य मंत्रीजी की भी उपलब्धि है। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं और गुजरात के मुख्य मंत्रीजी को भी बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने इस प्रकार का काम करके दिखाया है।

भीखा भाई, हमारे बहुत ही आदरणीय थे। क्या हुआ भीखा भाई का? भीखा भाई को आज देवलोक हुए छह साल होने जा रहे हैं। भीखा भाई के नाम

(श्री शांतिलाल चपलोत)

पर आपने एक शिलान्यास कर दिया भीखा भाई नहर। कहां गई वह? आपने प्रारम्भ की, कांग्रेस ने प्रारम्भ की, पूर्ववर्ती सरकार ने प्रारम्भ की? नहीं हुई, हमने प्रारम्भ करके बताया है और एक-दो किलोमीटर नहीं, 125 किलोमीटर से ज्यादा सागवाड़ा में भीखा भाई नहर का निर्माण किया जा रहा है। कितना बड़ा काम हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? जनता के लिए हो रहा है। जनता को पानी मिले, खेत को पानी मिले, हर हाथ को काम मिले, यह हमने सोचा है। **"सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद दु:खभाग्भवेत्"** सभी लोग सुखी हों, सभी लोग अच्छे हों, निरोगी बनें।

माही में भी हमने सुधार का काम किया है। माही की क्षमता 147 टी.एम.सी. की है, उसमें से हम उसका 128 टी.एम.सी. का उपयोग कर रहे हैं, बाकी पानी का उपयोग नहीं हो रहा है। उसके लिए भी हम नहरों का जाल बिछा रहे हैं। जगह-जगह पर, घाटोल से लेकर आसपास के क्षेत्रों में माही नदी पर नहरों का जाल बिछा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, पेयजल आज बहुत ही संकट की स्थिति में है। राजस्थान में पेयजल के लिए कितनी मारामारी चलती थी। आज मुझे प्रसन्नता है कि इन सालों में हमने एक लाख से ज्यादा हैण्डपम्प खोदे, 7,000 से ज्यादा नलकूप खोदे, 11,700 करोड़ रुपये से अधिक इसमें लगाये हैं, 64 परियोजनाएं पूरी की गईं और 400-500 करोड़ रुपये जो साल में पहले खर्च हुआ करता था, उसके मुकाबले इसके तीन गुना राशि खर्च की है। पहले 400 करोड़ रुपये से ज्यादा पीने के पानी पर खर्च नहीं हुए, हमने 11,700 करोड़ यानी तीन गुना पीने के पानी के लिए व्यय किये हैं। पीने का पानी देना सरकार की प्राथमिक आवश्यकता है। उस आवश्यकता की पूर्ति हमारी सरकार कर रही है, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं उस आंकड़े में नहीं जाना चाहता कि 2004-2005 में पीने के पानी पर 609 करोड़ रुपये, 2005-2006 में 790 करोड़ रुपये, 2006-2007 में 1,242 करोड़ रुपये और 2007-2008 में 2,238 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं। माननीय सभापति महोदय, किस प्रकार का खर्च हम पानी के लिए कर रहे हैं? 2.50 लाख व्यक्तियों को हमने रोजगार से जोड़ा है।

माननीय सभापति महोदय, सन् 2000-2001 में 33,56,000 बालिकाएं स्कूल में आती थीं। हमारे सद्प्रयत्नों से, सरकार के प्रयत्नों से शिक्षा

(श्री शांतिलाल चपलोत)

अभियान चलाकर, शिक्षा सम्बल चलाकर आज बच्चियां 56 लाख हो गई हैं स्कूलों में। छह साल में बिलकुल डेढ़ गुना से ज्यादा बच्चियां हमारे यहां हुई हैं। इस प्रकार का प्रयत्न हमने किया है। 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 में हमारे पास कालेज की संख्या 205 थी, जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया, आज 996 हो गये। 57,000 पर हमारे यहां एक कालेज। राजस्थान को बीमारू राज्य आज कोई कहने वाला नहीं मिलेगा। 57,000 की आबादी पर एक कालेज जब कि 77,000 की आबादी पर एक कालेज का राष्ट्रीय औसत था। पहले हमारे यहां चार लाख लोगों पर एक कालेज था या साढ़े चार लाख लोगों पर एक कालेज था और अब हमारे यहां 57,000 पर एक कालेज हो गया। हमारे यहां 9,348 के आसपास पंचायतें हैं। उन सब में हम सैकण्डरी एजुकेशन करेंगे Education should be provided to everybody और सारी पंचायतों में एजुकेशन हो, पंचायत हैडक्वार्टर तक पहुंचे, बच्चियां उसमें आ सकें, बच्चियां उसमें पढ़-लिखकर होशियार हो सकें इसलिए हमने सारी पंचायत हैडक्वार्टर या हर पंचायत पर एक जगह सैकण्डरी स्कूल करने का निर्णय किया है। 3,108 पंचायत ऐसी बाकी हैं, उसमें भी 3,108 स्कूल अभी खोल देंगे। जिन बच्चियों ने डिस्टिंक्शन ली है, आदिवासी बच्चियां हैं, पढ़ने में होशियार हैं, जिनके कोई साधन नहीं है, उनको साइकिलें दीं। साइकिलें ही नहीं दीं, उसके बाद स्कूटियां दीं पिचहत्तर प्रतिशत वाली बच्चियों को हमने स्कूटियां तक दी हैं। इस प्रकार का काम हमने करके दिखाया। एससी, एसटी के बच्चे जो हायर एजुकेशन में नहीं पढ़ पाते हैं उन सब के लिए सरकार ने खर्च उठाने का संकल्प किया है।

किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओगे, मेडिकल कालेज में जायेंगे, डेंटल कालेज में जायेंगे, इंजीनियरिंग कालेज में जायेंगे, उसका खर्चा एक लाख से ज्यादा होगा तो सरकार वहन करेगी। इस प्रकार का संकल्प कोई दूरगामी सोच वाला ही, एक पालिटिशियन पांच साल की सोचता है पर एक स्टेट्समेन सौ वर्ष की सोचकर चलता है कि सौ साल के बाद मेरे देश का भविष्य क्या होगा, मेरे गांव का भविष्य क्या होगा, मेरे प्रांत का भविष्य क्या होगा। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने स्टेट्समेन बनकर के इस प्रकार का संकल्प दोहराया है कि हम और हमारे बच्चे किसी प्रकार से पिछड़े नहीं रह जाएं, रेस में पीछे नहीं रह जाएं, इसलिए उनको पढ़ाने के लिए एक लाख रुपये, डेढ़ लाख रुपये, जितना भी लगेगा, बच्चों को पढ़ाई का खर्चा सरकार उठायेगी टेक्नीकल एजुकेशन के

(श्री शांतिलाल चपलोत)

लिए, इस प्रकार का काम बहुत ज्यादा हुआ है। मैंने जैसा पहले ही कहा कि तीन सौ एमओयू तो पहले साइन हुए ही हैं।

मैं अब एक-दो बात निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, आपके जरिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मानसी वाकल का पानी उदयपुर में आयेगा, देवास फर्स्ट और सैकण्ड योजना का काम चल रहा है, द्रुत गति से चल रहा है। मेरा आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी से और मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध है, देवास थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज का भी परीक्षण करायें, उसका सर्वे करायें और वह सर्वे कराने के पश्चात् उस पर सोचें कि किस प्रकार से उसका पानी राजसमंद में भी लाया जा सकता है। फोर्थ स्टेज के कंटूर्स हमारे पास में पड़े हुए हैं जो चीफ इंजीनियर ने उपलब्ध कराये, उसके जरिये पानी राजसमंद में पहुंचाया जा सकता है। मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि केन्द्र की सरकार जहां तक मुझे पता चला है, सहमत हो गई है आईआईटी के लिए, तो मेरा एक निवेदन है आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से भी, एक आईआईटी और खुलने वाली है राजस्थान में, तो आप उदयपुर में दें। मैं मेरी तरफ से सारी जमीन के नक्शे मुख्य मंत्रीजी तक को पहुंचा चुका हूं, उसमें किस प्रकार की व्यवस्था होगी, कितनी जमीन उसके लिए चाहिए, यह सब दे चुका हूं। उदयपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है माननीय सभापति महोदय, जहां पर जमीन बताई गई है, हमने बताई है और वहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ-साथ हिन्दुस्तान के बाहर के लोग भी उसमें पढ़ाने आते हैं, उनके स्टैण्डर्ड की बहुत अच्छी होटल्स की आवश्यकता है, दुनिया की दस बड़ी होटलों में से दो होटल, दस में से दो उदयपुर में स्थापित हैं। इसलिए भी कोई भी व्यक्ति बाहर से पढ़ाने के लिए, लेक्चर देने के लिए आ सकता है तो आने में कोई तकलीफ नहीं होगी। उदयपुर में सारा बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वह तैयार है। इसके साथ-साथ फोर लेन, दो-दो फोर लेन हैं। केवल लखनऊ के आसपास दो जगह दो हाईवे मिलते हैं वरना उदयपुर में ही दो हाइवे हैं, हाइवे नम्बर 8 और हाईवे नम्बर 76, यह मिलते हैं माननीय सभापति महोदय। मैं इसीलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आईआईटी उदयपुर को आप देने की कृपा करें।

इसके साथ-साथ एक अनुरोध और है। अभी वेट लग रहा है मावे पर। मावे पर वेट लग रहा है और मावे में वेट कोई देता नहीं है। काश्तकार पैदा

(श्री शांतिलाल चपलोत)

करता है मावा। माननीय कृषि मंत्रीजी, मैं आपका भी ध्यान चाहता हूं, मावा काश्तकार बनाकर लाता है गांव का, लाकर के शहर में बेचता है। कोई बिल तो देता नहीं है वह। वह अपने घर पर बनाकर लाता है, उस मावे पर मुश्किल से कोई साल भर में भी पांच, सात, दस लाख रुपया टैक्स वेट के रूप में नहीं आता है। वह फ्री जाता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस मावे पर वेट टैक्स जो लगाया है उसको समाप्त किया जावे, कराया जावे। उसके लिए हमारे कई लोगों ने मुख्य मंत्रीजी को ज्ञापन भी दिया है। माननीय गुप्ता साहब, जो वेट ग्रिवेंस रिड्रेसल कमेटी, राजस्थान, जयपुर के हैं उन्होंने शायद उसमें चेयरमैनशिप करते हुए मुख्य मंत्रीजी को भी रिक्वेस्ट की है। ''Request to exempt mava/khoa from VAT. We have received various representations from all over the Rajasthan to exempt mava/khoa from VAT. Mava is a perishable item which requires that it should be disposed off or used the same day. It is mainly prepared by agriculturists, living in villages who make about 15 to 25 kg mava at their houses and is sold at the nearby towns as there is no consumption of it in villages. It is mainly sold through commission agents who charge their commission. If tax under VAT is levied, then tax would be recovered from the agriculturists. It is stated that normally all the halwais make mava for their own consumption themselves and it is not purchased from outside. The revenue from mava is negligible and is very low. However, it affects more than 2 lakh persons throughout Rajasthan.''

यह मेरा आपसे निवेदन है।

एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय शिक्षा मंत्रीजी शायद यहां नहीं बिराज रहे हैं। (व्यवधान) आ गये, आ गये। पहले देखा, आप दिखे नहीं थे। मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में अध्यापकों का स्थायीकरण करने जा रहे हैं तो 154 और 127 अध्यापक अलग-अलग नहीं रख करके सब का स्थायीकरण करने की कृपा करें। एक दूसरा मेरा अनुरोध है, माननीय सभापतिजी, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से, कि उदयपुर का लॉ कालेज इस प्रांत का सबसे पुराना लॉ कालेज है, साठ साल से ज्यादा हो गये। मैं रिपीटेडली इस साल भी यह बात रख रहा हूं, गत वर्ष भी इस बात को रखी और उसके बिफोर भी रखी है। डीन नहीं, डाइरेक्टर नहीं, वहां के प्रिंसीपल पहले मिस्टर नटराजन थे, सारे हिन्दुस्तान में माने हुए थे और आज की तारीख में वहां पर पढ़ाने वालों का कोई अता-पता नहीं है। बार कौंसिल आफ इण्डिया उसकी रिकग्नेशन खतम कर सकती है, उस कालेज का जो सबसे ओल्डेस्ट कालेज है, बेस्ट आफ द कालेजेज है, वह। इसलिए मेरा

(श्री शांतिलाल चपलोत)

आपसे अनुरोध है कि इस बारे में सोचें और वहां कोई स्थायी पोस्ट आप देवें, रीडर की, प्रिंसीपल की और जो डीन, डाइरेक्टर जो भी हैं। एक दूसरी मेरी मांग और है। उदयपुर की जनता हमेशा हर वर्ष और प्रतिमाह सात तारीख को हड़ताल रखती है माननीय सभापति महोदय और बार एसोसिएशन में भी हड़ताल रहती है। हमारी यह मांग है कि उदयपुर में हाई कोर्ट की बैंच हो...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): जिसका जोधपुर पूरा विरोध करता है। पिछले सवा साल से जोधपुर में एकीकृत हाई कोर्ट के लिए, उसका पूरा विरोध है।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): आप करते रहना, आप तो विरोध करते रहना। You have no right to speak in between. Please sit down. आप बोलते रहना बाद में। मैं इसलिए कह रहा हूं लैटर्स पेटेंट के तहत सबसे पहले हाई कोर्ट उदयपुर में था। राजस्थान में भी कहीं भी हाई कोर्ट नहीं था, वह सबसे पहले उदयपुर में था। लैटर्स पेटेंट के तहत 1946 में या 40 के आसपास वहां हाई कोर्ट कायम हुई और 1946 में बराबर चलती रही। 1948 में स्टेट का जब मर्ज हुआ, 47 में आजाद होने के बाद, तो मर्ज होने के पश्चात् हाई कोर्ट की बैंच यहां पर भी हुई और एक वहां जोधपुर में रखी। जोधपुर वालों ने फिर बाद में उदयपुर की, जयपुर की बैंच को खतम किया और केवल एक जगह जोधपुर में रखी। उसके बाद सन् 1951 में वापिस बात चली कि जयपुर में बैंच होनी चाहिए। मेरा, सभापतिजी, आपके माध्यम से अनुरोध है कि सन् 1976 में जब इमरजेंसी का टाइम था, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधीजी यहां आई और जयपुर में यहां हाई कोर्ट की बैंच करके गई। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप राजस्थान हाई कोर्ट की बैंच उदयपुर को भी देने की कृपा करें जिससे

(समय 15.59 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

हमारा ट्राइबल एरिया है वह सुखी हो जायेगा। आज भी मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, वकील साहब तो वकील साहब के हिसाब से बोल रहे हैं...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): चपलोत साहब आप लॉ मिनिस्टर रहे हैं, तब ध्यान नहीं आपको?

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): आया है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): फिर क्या किया आपने?

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): बहुत कोशिश की है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जब लॉ मिनिस्टर थे तब कर नहीं पाये और आज भाषण दे रहा हो। आज यहां...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): राजस्थान का फोरमेशन हुआ, राजस्थान के...(व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): वह तो 1990 की बात है, मेरे तो नोटेड में नहीं थी...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप लोग कृपा करके विराज जाइए।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): मेरा आपसे अनुरोध है कि...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): हाई कोर्ट जोधपुर एक बार राजस्थान के...(व्यवधान)

श्री सभापति: बीच-बीच में आप लोग व्यवधान नहीं डालें।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): ...(व्यवधान) उस समय भी मैं ही चैयरमेन था, हाई कोर्ट बनाओ संघर्ष समिति में...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): अजमेर में...(व्यवधान) आपके उदयपुर में माइनिंग ऑफिस रहेगा, यह राजस्थान के फोरमेशन के साथ हुआ है।

श्री सभापति: संसदीय सचिव महोदय विराजें आप।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव):...(व्यवधान) व पुरज़ोर इसका विरोध करते हैं।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): आप आराम से करना, आप तो पैदा ही विरोध के लिए हुए हो...(व्यवधान) किए जाओ आप विरोध।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): ...(व्यवधान) चाहे कुछ भी हो जाए राजस्थान के हाई कोर्ट जोधपुर है, जोधपुर ही रहेगा।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): सभापति महोदय, यह हाई कोर्ट...(व्यवधान) नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट जोधपुर में रहना चाहिए।

श्री सभापति: आप कृपा करके विराज जाइए।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): यह इनकी मांग है यह क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं...(व्यवधान) यह क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रही है।

श्री सभापति: आप लोग कृपा करके विराज जाएं...(व्यवधान) कृपा करके विराजें आप उनको. Take your seats please. आप कृपा करके विराज जाइए, एक मिनट. I will not allow all this. Hon'ble Member would go unheard if you do like this. Should I ask him to sit down if you do not want to hear him? आप लोग क्यों उनको व्यवधान डाल रहे हैं?

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है, कुशलगढ़ से उदयपुर, उदयपुर से जोधपुर में जाने में 600 किलोमीटर से ऊपर पड़ जाता है। एक आदिवासी की जो जेल में है, मैं ऐसे कई उदाहरण जानता हूं, वकालत भी है 107 में कई लोग 3-3 साल तक जेल में रह गए, पता ही नहीं उनको, 107 में जी हां, जमानत देने वाला उस समय नहीं मिला, पड़े रहे तो पड़े रहे. Nobody was taking any interest in them. इस प्रकार के लोग आज की तारीख में वहां बहुत ही गरीब हैं। आज भी मेरा दावा है कि कोटड़ा और झाड़ोल और उसके आसपास के क्षेत्र में पई उंदरी जो उदयपुर के आसपास के क्षेत्र हैं दस रूपए प्रति हैड में उनकी आज आमद नहीं है, उन आदिवासियों की और आज की तारीख में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनके लिए भी सस्ता और सुलभ न्याय होना चाहिए। जो न्याय डीले करता है, justice delayed is justice denied. इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि राजस्थान की हाई कोर्ट बैंच उदयपुर में हो, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और जो अभी हमारा नया जिला बना है प्रतापगढ़....

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): नो, किसी भी सूरत में नहीं।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): यह सब हम उनके साथ हैं। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पर यदि सम्भव नहीं हो तो सर्किट बैंच तो की जा सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): सभापति महोदय, हम चपलोत साहब की बात का पूरा समर्थन करते हैं, पूरा आदिवासी बेल्ट उदयपुर टीएसपी के सारे माननीय सदस्य हम चपलोत साहब का समर्थन करते हैं।

श्री सभापति: Have you concluded?

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): Yes, Sir.

श्री सभापति: डा. सी. पी. जोशी।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय सभापति महोदय, पाइंट ऑफ आर्डर। सभापति महोदय मैं आपकी अनुमति से यह व्यवस्था की बात है। माननीय सभापति महोदय, अपने प्रदेश के अंदर इतना व्यापक भ्रष्टाचार फैल चुका है...(व्यवधान)

श्री सभापति: एक मिनट शांति बनाए रखें, कृपया शांति बनाए रखें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): सभापति महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न बोल रहा हूं, आपसे अनुमति भी ली है और सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): व्यवस्था का प्रश्न तब खड़ा होता है सदन में जब नियमों और प्रक्रियाओं के तहत कोई चीज छूट रही हो, यह व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): सभापति महोदय, मैं इस प्रदेश की जनता को इस सदन को भ्रष्टाचार के बारे में अवगत कराना चाहता हूं कि जो हाऊसिंग बोर्ड में...(व्यवधान) सभापति महोदय मैं बोलूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, अगर इनके पास कोई प्रमाण है तो नोटिस देकर के आये, नियमों में आये, स्थगन लाए। सभापति महोदय यह व्यवस्था प्रश्न का दुरुपयोग हो रहा है...(व्यवधान)

(सदन में भारी हंगामा)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): +++ के नाम से...(व्यवधान) भ्रष्टाचार हो रहा है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):...(व्यवधान) किस बात की व्यवस्था का प्रश्न है यह?

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मैं आपके माध्यम से इस पवित्र सदन को अवगत कराना चाहता हूं सभापति महोदय आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है। सभापति महोदय, आज हाऊसिंग बोर्ड के अंदर...(व्यवधान)

श्री सभापति: I will give you just one minute to express yourself. What do you want to …

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): सभापति महोदय, इतना लम्बा चौड़ा मामला है, एक मिनट में मैं नहीं बोल पाऊंगा।

श्री सभापति: Make a pointed reference, if you want.

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ठीक है सभापति महोदय, मेरे चार बिन्दु हैं...(व्यवधान)

(सदन में भारी हंगामा)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं विधान के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम 127...(व्यवधान) चर्चा उठाने के नियमों में तत्काल लोक महत्व के विषयों पर...(व्यवधान) प्रस्ताव भेज...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप लोग विराज जाइए।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, नियमों और प्रक्रिया के अंतर्गत जो तत्काल लोक महत्व के विषय हैं तो उसके लिए एक नियम बना हुआ है...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): सभापति महोदय की व्यवस्था को आप चेलेंज नहीं करते।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): सभापति महोदय, आपने व्यवस्था दी है और...(व्यवधान) मैंने पाइंट आफ आर्डर के जरिए...(व्यवधान) उठाया जा सकता है...(व्यवधान) भ्रष्टाचार हो रहा है और +++ के नाम से लिए जा रहे हैं...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):...(व्यवधान) भ्रष्टाचार का मामला है...(व्यवधान) आप सभापति महोदय की व्यवस्था को चेलेंज नहीं करते हो...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): सभापति महोदय, अगर मैं कहता हूं अगर +++ है तो खुली जांच करवाने की घोषणा करे आज इस हाउस के अंदर।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): किस बात की खुली जांच करवायें?...(व्यवधान)

(सदन में भारी हंगामा)

श्री सभापति: अब आप विराज जाइए. Please take your seats.

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ...(व्यवधान) सीबीआई से जांच करवाने की घोषणा करें...(व्यवधान) बेकार की बात कर रहे हैं...(व्यवधान)

(सदन में भारी हंगामा)

श्री सभापति: Kindly take your seats.

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): सभापति महोदय...

श्री सभापति: I will do that. Let me do my job. आप विराज जाइए. Your point is well made, now kindly take your seat. You have been heard. In case you have anything specific, just make it specific. Don't be rhetorical.

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): सभापति महोदय, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि +++ हैं तो आज हाउस के अंदर घोषणा करें...(व्यवधान) सीबीआई से जांच करवाए...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, यह क्या कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची):...(व्यवधान) कमेटी जांच कराइए...(व्यवधान)

श्री सभापति: I will not allow that. Kindly take your seats.

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ...(व्यवधान) कैसी बात कर रहे हैं?

(सदन में भारी हंगामा)

श्री सभापति: कृपा करके आप सभी अपना-अपना स्थान ग्रहण करें I will not allow that.

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ...(व्यवधान) अंदर 1967 के अंदर हो रहा है सभापति महोदय...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, यह नई परम्परा डाल रहे हैं।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): सभापति महोदय, इसकी जांच कराइए... (व्यवधान) यह भ्रष्टाचार का मामला है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ...(व्यवधान) मैं कहना चाहूंगा आपकी +++ उसकी जांच करवाये सीबीआई से...(व्यवधान) मेरे पास चार बिन्दु हैं...(व्यवधान) मैं खुल्ला आरोप लगा रहा हूं...(व्यवधान)

श्री सभापति: I think, ...

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ...(व्यवधान) जांच करवाएं।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मैं सरकार पर खुल्ला आरोप लगा रहा हूं...(व्यवधान)

श्री सभापति: Please sit down.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, मेरी एक प्रार्थना है अभी उप मुख्य सचेतक महोदय ने आपका ध्यान नियमों के नियम 127 की तरफ आकर्षित किया कि अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर थोड़े समय के लिए चर्चा करें। इनको चर्चा करनी थी किसी विषय पर तो यह नियमों में आते, प्रक्रियाओं में आते, सरकार को नोटिस देते, सरकार माकूल जवाब देती। और सभापति महोदय, व्यवस्था के सवाल के नाम पर अगर सदन में एकाध खड़े होकर किसी विषय पर चर्चा प्रारम्भ हो जाए और एक बार जो चर्चा प्रारम्भ होती है वह सदन की सम्पत्ति बनती है, फिर उस पर वाद-विवाद प्रारम्भ हो जाता है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि माननीय सदस्य ने जो कुछ भी कहा है इसको डिलीट कराइए, उन्हें प्रताड़ित करिए और उनको कुछ कहना है तो नियमों में आकर के अपनी बात कहें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): सभापति महोदय की अनुमति से कहा है मैंने...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): डिलीट करवाइए इसको... (व्यवधान)

श्री सभापति: आप लोग विराज जाइए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ...(व्यवधान) व्यवस्था का प्रश्न तब होता है जब यहां...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अब हो गया है आप बैठो।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): डिलीट कराइए इसको... (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): आप थोड़ा इसे समझाओ, ऐसे नहीं खड़े-खड़े आरोप लगा दे...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ...(व्यवधान) +++ के ऊपर आरोप लगाना यह गैर कानूनी है, गलत है...(व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): इस पर व्यवस्था दे दो। सभापति महोदय इस पर व्यवस्था दे दो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): इसको डिलीट करा दो, इनका कम्पलीट डिलीट करा दो।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): व्यवस्था का प्रश्न है तो अपने यहां कार्य प्रणाली के...(व्यवधान) आते हैं।

श्री सभापति: आप कृपा करके विराज जाइए।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ...(व्यवधान) सभापति महोदय ने अनुमति दी है, आप इसको चेलेंज नहीं कर सकते हैं? आप सभापतिजी की व्यवस्था को चेलेंज नहीं कर सकते। माननीय सदस्य आप सभापति महोदय की व्यवस्था को चेलेंज नहीं करते...(व्यवधान)

श्री सभापति: एक मिनट. Why is everybody trying to lead the Chair? Why is everybody trying to lead the Chair? Now when you have pointed out specific position, let the Chair decide as to what needs to be done. Let the Chair decide as to what needs to be done. Please take your seats.

I have asked Dr. C. P. Joshi to continue his deliberations. इसकी व्यवस्था के बारे में आपके डेलीब्रेशन के बाद हम व्यवस्था देंगे।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं एप्रोप्रियेशन बिल के माध्यम से माननीय सभापति महोदय, बजट जो हमने पेश किया है, बजट जो हम पास करने की स्टेज में हैं माननीय सभापति महोदय, इस पवित्र सदन में मैं समझता हूं कि जो संसदीय प्रणाली में जो कांस्टिट्यूशनल प्राविजन है उस कांस्टिटयूशनल प्राविजन में सभापति महोदय, सबसे आवश्यक यह है कि हम सदन के सदस्यों को सदन के माध्यम से जनता को इस बात के लिए आश्वस्त करें कि जो हम बजट पास कर रहे हैं उस बजट की पूरी चर्चा पूरी जानकारी सही दृष्टि से सदस्यों को मिले। और मुझे बहुत धन्यवाद देना है सीएजी को। सभापति महोदय, सीएजी ने जो एक बात कही है मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं. "The borrowings of a State are governed under Article 293(1) of the Constitution of India. In addition to the liabilities shown in Table-25, the State guaranteed loans availed of by Government companies/corporations. These companies/corporations borrowed funds from the market/financial institutions for implementation of various State plan programmes projected outside the State budget. Although the estimates of the plan programmes of the State Government project that funds for these programmes would be met out of the resources of the companies/corporations outside the State budget, however, in reality the borrowings of many of these concerns ultimately turn out to be the liabilities of the State Government termed as 'off-budget borrowings'. Though off-budget borrowings are not permissible under Article 293(3), the State continues to undertake such off-budget borrowings as per the data furnished by

(डा. सी.पी. जोशी)

the Finance Department (August 2007), Table-26 captures the trends in the of-budget borrowings by the State during 2001-07."

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार के समय में भी आफ बजट का यह कंसेप्ट प्रारम्भ किया गया कुछ हमारी अच्छी परम्पराएं हैं जिन्हें यह सरकार मानती है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं उन अच्छी परम्पराओं को संवैधानिक व्यवस्था को भंग करने के बाद भी यह सरकार कंटीन्यू कर रही है सभापति महोदय। इसलिए मैंने आपको बताया कि इसको देखिये 2003-04 तक 2001-02 में बोरोइंग्स थी 848.35 करोड़, 2002-03 में 614.90 करोड़, 2003-04 में 432.48 करोड़ और राज बदलने के बाद में यह बोरोइंग्स हुई 454.49 करोड़, 2005-06 में हुई 716.75 करोड़, 2006-07 में हुई 252.91 करोड़ रुपये सभापति महोदय, अभी के जो फीगर अवेलेवल हैं जो सीएजी में नहीं हैं और आज की डेट में 2007-08 की आर.ई. में ये फीगर हैं 2262.67 करोड़ and probably with this trend, in the year 2008-09 जो प्लान है, की एंबिशियस साइज बनायी है, यह आफ बजट बोरोइंग्स होगी 2691.20 अब सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि माननीय तिवाड़ी साहब भी यहां बैठे हुए हैं और आप सब ने शपथ ली है संविधान के बारे में ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपके समय की भी है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यही तो हमने गलती की वो काम आप करते जाओ न यह मैं इसके लिए धन्यवाद दे रहा हूं कि आप जैसे मंत्री के रहते हुए मुख्य मंत्रीजी को यही राय दें कि संवैधानिक व्यवस्थाओं को भंग करने के बाद भी हम यह ट्रेंड करते जाएं...(व्यवधान) आप सुनिये पहले। प्लीज भगवान के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने भी यही राय दी होगी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपको और वो राय दूंगा जो राय दे रहे हैं आगे वो राय दूंगा। आप देना जवाब, दे सकें तो। मुख्य मंत्री को बचाने के लिए फाइनेंस और दोनों साथ जवाब देंगे ऐसी मेनूपुलेशन नहीं चलेगा लम्बे समय तक. Hon'ble Chief Minister has to reply just after my speech. I am saying it very categorically. It is my right to raise it. And even if you decide it, I will not agree to it. It should be very clear. ..(interruptions) Let me complete it. Please be seated. I am in possession of the floor of the House. Let me complete myself and then you say whatever you want to say.

(डा. सी. पी. जोशी)

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं बड़ी विनम्रता से।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप नाराज क्यों हो रहे हैं?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं आपसे नाराज कौन होगा। आपसे नाराज भारतीय जनता पार्टी नहीं हो रही है तो मैं क्यों होऊंगा?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह बात आप मुस्करा कर भी कह सकते हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): न तो आपसे आरएसएस नाराज होती है न भारतीय जनता पार्टी होती है आपसे तो कोई नाराज होता ही नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इतना नाराज क्यों हो रहे हैं । नहीं, डा. जोशी, आज नाराज हैं।

डॉ. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): न कल्याणसिंहजी कालवी नाराज हुए, न भैरोंसिंहजी नाराज हुए, न वसुन्धराजी हुईं, आपसे कौन नाराज होगा। किसकी गलती हुई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वो तो चलो कैसे क्या हुआ होगा पर आप नाराज क्यों हो रहे हो? आप नाराज क्यों हो रहे हो?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): न घनश्यामजी होंगे आगे लाइन में लगे तो कोई चिन्ता नहीं, न ओम माथुर होंगे आप तो सर्वगुण सम्पन्न हो। आपसे कोई नाराज हो ही नहीं सकता। मेरी क्या बिसात जो आपसे नाराज होऊंगा। सभापति महोदय, मैं इसलिए ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह सदन संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत बना हुआ है। इस सदन में जो हम बजट पास करते हैं वो संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत पास करते हैं। यदि पिछली सरकार ने गलती की तो इस सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं की पालना नहीं करें। मुझे यह कहते हुए तकलीफ है सभापति महोदय, यह पालन नहीं करना बनिस्बत यह ट्रेण्ड 2004-05 से मैंने बताया 2004-05 में 452.49 करोड़ रुपये और 2008-09 में सभापति महोदय, यह फीगर आ गया है 2691.21 करोड़. What is the meaning of this? सिम्पल सभापति महोदय, हम जनता को गुमराह कर रहे हैं प्लान की साइज बढ़ा दी। प्लान की साइज बढ़ाने के बाद एआरएम कहां से लायेंगे, रिसोर्सेज कहां से मोबेलाइज करेंगे, हम विधान सभा को नहीं बताना चाहते हैं। हम जनता को

(डा. सी.पी. जोशी)

भी नहीं बताना चाहते हैं। यह जो प्लान साइज बन रही है उस प्लान साइज को करने के लिए हम कहां से लायेंगे। एक नया तरीका निकाल दिया आफ बजट बोरोइंग। यह आफ बजट बोरोइंग सभापति महोदय, कंस्टिटयूशन के खिलाफ है।

सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जब जवाब दें तब कहें कि कांग्रेस की इस गलती को मैं रिपीट कर रही हूं तो मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा। धन्यवाद दूंगा कि मुख्य मंत्रीजी कांस्टीटयूशनली कांग्रेस की गलती को रिपीट करने में सक्षम हैं। उनके मंत्री राय देते हैं ऐसी। ऐसे ही दरबारी बैठे हुए हैं कि जो इनको राय देते हैं कि कांस्टिटयूशन की इन चीजों की अवहेलना की जाए। मुझे कुछ नहीं कहना मैं यह कहना चाहता हूं । इसके साथ सभापति महोदय, ये जो मैंने फीगर दिये, appropriation by allocation priorities against the total savings. सेविंग्स कितनी है, 2006-07 में जो सेविंग्स हैं वो 4827.79 करोड़ रुपये सेविंग्स । सभापति महोदय, प्लान साइज बढ़ा दी बजट बोरोंइंग्स लेकर आवे और सेविंग्स 4827.79 करोड़ सेविंग्स। सभापति महोदय, ये सेविंग्स किस-किस हैड में हुई मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता पर मैं हैडवाइज लेकर आया हूं इस हैड में सेविंग कहां पर है ट्राइबल इलाके में छात्रावास में नहीं, एएनएम की पोस्ट के लिए नहीं, आपके स्कूल के अध्यापकों के लिए नहीं, कालेज के अध्यापकों के लिए नहीं, आपके जो इर्रिगेशन के प्रोजेक्ट्स हैं उसके अन्दर नहीं, आपके पीएचईडी की स्कीम्स हैं उसके अन्तर्गत नहीं, ये 4827 करोड़ रुपये माननीय सभापति महोदय, जो खर्च किये उसकी हैड देख लें। यह इसमें बताया है, ट्राइबल एरिया डवलपमेंट में आपने सेविंग की है 72.75 करोड़ रुपये की। सभापति महोदय, कम्युनिटी डवलपमेंट में आपने सेविंग की है 204.95 करोड़ रुपये की सभापति महोदय, कैपिटल, कैपिटल बहुत रेज की। केपिटल आउटले बहुत ज्यादा दिया है। कैपिटल आउटले का सभापति महोदय, ड्रिंकिंग वाटर में 199.59 करोड़ रुपये सेविंग है सभापति महोदय, अरबन प्लानिंग एवं रीजनल डवलपमेंट में 288.08 करोड़ रुपये, इर्रिगेशन में 249.24 करोड़ रुपये। सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि ये जो सेविंग है 31 मार्च को यह कंटीनूअस प्रोसेस है। आप 2004-05, 2005-06, 2006-07 और 2007-08 को भी देख लें इसका मतलब पूरा फाइनेंसियल मेनेजमेंट बहुत अच्छा है। फाइनेंसियल मेनेजमेंट अच्छा होने के कारण सीधा होना चाहिए कि आपका बजट आपका एस्टीमेट

(डा. सी.पी. जोशी)

आपका जो बजट एस्टीमेट और आपका एक्सपंडीचर और मानीटरिंग ठीक ढंग से हो रही है तो 31 मार्च को सेविंग नहीं होनी चाहिए और सेविंग सभापति महोदय, आपका फीगर देख लें एवरी ईयर यह सरकार बनने के बाद भी यह 31 मार्च को ये सेविंग का ट्रेण्ड है सेविंग सभापति महोदय, देखिये परसिस्टेंट सेविंग्स वो कौन-कौन सी हैड है सभापति महोदय, हमारे मंत्रीजी बहुत, उनको टाइम ही नहीं मिलता है उनको तो मुख्य मंत्रीजी को राय देनी पड़ती है. In the Public Works Department, right from 2002-03 to 2006-07, the savings in capital outlay is in 2002 it was 18.62, in 2003-04 it was 24.15 crore, in the year 2004-05 9.59 crore, in the year 2005-06 61.71 crore and in the year 2006-07 31.96 crores of rupees. यह कंटीनूअस सेविंग्स है सभापति महोदय, पीएचईडी डिपार्टमेंट में । एजुकेशन एवं आर्ट कल्चर में भी यही स्थिति है। 12.45, 16.99, 13.35, 10.27, 19.97 ड्रिंकिंग वाटर स्कीम में 36.24 crore, in the year 2003-04, it was 253.31 crore और सरकार बनने के बाद बहुत काम हुए ड्रिंकिंग वाटर में भी बहुत काम किये। हमारे जोशी साहब बैठे हुए हैं 452.81 करोड़ saving in the year 2004-05, in the year 2005-06 308.47 crore, in the year 2006-07 199.57 crore. And I am not referring to the years 2007-08 and 2008-09.

यह एक इंडीकेशन है सभापति महोदय, कि हमारी सरकार या यह सरकारी मंत्री बदल जाए, सरकार बदल जाए लेकिन ये जो ट्रेंड है सभापति महोदय, यह रिफलेक्ट करता है कि हम मानिटरिंग कितनी इफेक्टिव ढंग से कर रहे हैं. I don't want to give qualified remarks about the competence of the ministers but really one has to be serious about this कि इन डिपार्टमेंट्स के अन्तर्गत ये स्थितियां कैसे बनती जा रही हैं इसके सम्बन्ध में हमें आवश्यकता है। आरिजनल बजट एवं सप्लीमेंट्री बजट के बारे में सभापति महोदय, सीएजी क्या कह रहे हैं – "Supplementary provisions (Rs. 3,215.87 crore) made during the year constituted nine per cent of the original provision (Rs. 35,159.19 crore) as against two per cent in the previous year." इसके पिछले साल तक 2 प्रतिशत था और इस साल 2006-07 में 9 प्रतिशत हो गया । हमारा मैनेजमेंट बहुत इफेक्टिव है इसलिए ओरिजनल डिमांड और सप्लीमेंट्री डिमांड में हम एस्टीमेट ही नहीं कर पाते कि ओरिजनल डिमांड में हमको कितनी आवश्यकता है और सप्लीमेंट्री डिमांड में हम क्या कर रहे हैं ।

"Unnecessary/excessive supplementary provisions. Supplementary provisions of Rs. 311.92 core made in nine cases (each exceeding Rs. 1 crore) during the year proved unnecessary as the expenditure did not come up to the level of original provisions in view of saving of Rs. 442.47 core ... In 22 cases,

(डा. सी.पी. जोशी)

supplementary grants of Rs. 2,452.49 crore were obtained against additional requirement or Rs. 2,086.11 crore, resulting in savings in each case exceeding Rs. 1 crore, aggregating Rs. 366.38 crore." Persistent/substantial excesses. रोड का बता दिया, ड्रिंकिंग वाटर का बता दिया. "Injudicious re-appropriation of funds. ... In 13 cases, additional funds of Rs. 330.83 crore provided through re -appropriation proved unnecessary in view of final savings of Rs. 126.63 crore ... In two cases, withdrawal of Rs. 21.45 crore through re-appropriation proved excessive as the final expenditure exceeded the reduced Head by Rs. 12.30 crore ... In nine cases, additional funds of Rs. 111.88 crore provided through re-appropriation proved insufficient as the final expenditure exceeded the augmented Head by Rs. 53.66 crore .." Expenditure without provision. हमारी एफिसिएंसी कितनी है – "As envisaged in the State Budget Manual, expenditure should not be incurred on a scheme/service without provision of funds. It was, however, noticed that expenditure of Rs. 31.92 lakh in the Revenue Section under Grant No. 41 and Rs. 63.79 lakh in the Capital Section under Grant No. 46, was incurred without making provisions in the original estimates/ supplementary demand or through re-appropriation."

सभापति महोदय, विभाग कितना ढंग से काम कर रहा है! Anticipated savings not surrendered. एक्सिस भी है और एंटिसिपिटेड नोट सरेंडर । उसके लिये भी आप देखिए सभापति महोदय, सीएजी ने क्या लिखा है – "As per the State Budget Manual, all anticipated savings should be surrendered to the Government, immediately the moment they are foreseen, without waiting till the end of the year. No savings should be held in reserve for possible future excesses. There were 16 cases in which after partial surrenders, savings of Rs. 1 crore and above in each case aggregating Rs. 157.23 crore (18.5 per cent of savings) remained un-surrendered. Details are given in .." मतलब सरेंडर भी नहीं की है, उसके बारे में अधिकारियों को काम करने की आवश्यकता नहीं है. "Besides, in 19 cases of 15 grants and two appropriations, Rs. 4,488.58 crore (94.9 per cent) were surrendered (exceeding Rs. 20 crore in each case) on the last working day of March, 2007, out of total surrender of Rs. 4,730.36 crore, indicating inadequate financial control over expenditure." यह भी सीएजी का कमेंट है. Injudicious surrender of funds, उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक्सिस सरेंडर कर दी 33.52 करोड रुपये, in the case of Irrigation it was 5.49, and in the case of Roads and Bridges, it is 10.13 crores. रश आफ एक्सपेंडीचर में कमेंट दिया है – "State Budget Manual envisages that Government expenditure should be evenly distributed throughout the year. Rush of expenditure particularly in the closing month of a financial year shall be regarded as breach of financial regularity and should be avoided. Contrary to this, in respect of 15

(डा. सी. पी. जोशी)

Heads of Account, expenditure exceeding Rs. 417 crore ranging between 51.1 and 100 per cent of the total expenditure for the year was incurred in March 2007. This includes six cases where entire expenditure was incurred during ..." आपने डिमांड भी की, यह भी की, पूरा का पूरा अमाउंट आपने सरेंडर कर दिया. "During 2004-07, as against total provision of Rs. 7,306.26 crore, Rs. 6,379.95 crore has been spent, indicating excess estimation by Rs. 926.31 crore. While Rs. 864.85 crore were surrendered, savings of Rs. 61.46 crore lapsed." Delay in submission of final statement of excesses and savings, सभापति महोदय, यह भी मैं आपके साथ कोट करना चाहता हूं. "Non-utilisation of allotted funds under the schemes. The grants passed by the Legislature had to be applied in the manner and to the purpose for which these are intended according to law/rules and regulations. It was noticed that during the financial year 2004-07, in 23 schemes ... entire budget provisions of Rs. 243.46 crore had been surrendered/re-appropriated without incurring any expenditure." Irregular flow of expenditure.

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष नहीं, सभापति महोदय ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं तो इनको अध्यक्ष बनाना चाहता हूं आप सभापति रखें तो आपकी इच्छा है ।

"Plan provisions of some detailed heads continuously diverted to Non-Plan. Paragraph 192(xv) of the State Budget Manual prohibits re-appropriation of funds provided for Plan and Centrally Sponsored Schemes to Non-Plan without the approval of Finance Department. It was noticed that during the financial years 2004-07, Rs. 11.62 crore was irregularly diverted/re-appropriated from Plan to Non-Plan resultantly the developmental schemes/works suffered to that extent." यह मैं इसलिए कोट करना चाहता हूं कि आप मुझे बतायें फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिस वित्तीय प्रबन्धन का आपको गर्व है उस वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में सीएजी क्या कह रहा है । हम हमारी डिमांड, एक्सिस डिमांड, डिमांड की एक्सिस हो जाये, सरेंडर नहीं हो रहा है । परसिस्टेंटली, कंटीन्युअसली डिपार्टमेंट में सरेंडर हो रहा है यह इस बात का इंडिकेशन करता है कि जो फ्लो आफ फंड हमारे पास हो रहा है उस फ्लो आफ फंड ने हमें बेफल कर दिया । हम समझना ही नहीं चाहते कि हम कैसे करें।

मैं इसलिए भी रिकार्ड में लाना चाहता हूं एनडीए सरकार के वर्ष 1999-2000 से 2003-04 के दौरान राजस्थान को 19176.4 करोड रुपये मिले । यूपीए सरकार के द्वारा वर्ष 2004-05 से 2007-08, 2008-09 का कम नहीं कर रहा हूं, राजस्थान को 34266.00 करोड रुपये मिले । लगभग तीन गुणा

(डा. सी.पी. जोशी)

पैसा भारत सरकार ने दिया । इस साल का और बाकी है । वह पैसा भारत सरकार ने ज्यादा दिया, पैसा आपको ज्यादा मिला है । सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम का भी रिकार्ड में लाना आवश्यक है । सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम में 2004-05 की एक्च्युअल में 888.86 रुपये । In the year 2005-06, it is 1200.52 crore, in the year 2006-07 it is 1724.16 crore, in the year 2007-08 it is 2493.14 crore, and in the year 2008-09 they have proposed Rs. 2573 crore. सभापति महोदय, आप बताइए 700 करोड रुपये कांग्रेस की सरकार के समय सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम में मिल रहे थे, यह तो इनकी स्कीम थी । आज भारत सरकार की जो नीतियां है जिन नीतियों के कारण 8-9 परसेंट जीडीपी हो रही है, जिस तरह की टैक्स बायोन्सी हो रही है, जिस तरह की नीतियां बनी हैं आज सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम में राजस्थान को 2008-09 में 2573.53 करोड रुपये मिले। सभापति महोदय, मुझे बताइए कि क्या यह पैसा भारत सरकार से राजस्थान सरकार को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है । सभापति महोदय, इससे भी ज्यादा तकलीफ की बात है जिस पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। कृषि के सम्बन्ध में हम जो आउट ले कर रहे हैं, 2004-05 में आउट ले था 712.41 करोड रुपये, in the year 2005-06 it was 964.38 crore, in the year 2006-07 it was 985.25 crore and in the year 2007-08 it was 971.94 crore and in 2008-09 it is 1318.08 crore. इस सरकार ने पैसा कृषि के क्षेत्र में बराबर बढाया है। पर उसका फीगर कोरसपोंडिंग है । खाद्यान्न उत्पादन के संबंध में वह बड़ा आश्चर्यजनक है । 2004-05 से 2007-08 तक आपने पैसा बढा दिया पर आपका खाद्यान्न उत्पादन 2005 में 19.02 मिलियन टन था । 2005-06 में 10.82 मिलियन टन हो गया । In the year 2006-07 it is 14.91 million tonne, in the year 2007-08 it is 15.51. इसका मतलब बिजली का कनेक्शन हम दे रहे हैं, इर्रिगेशन प्रोटेंशल क्रियेट कर रहे हैं और उसके बाद यदि हमारा खाद्यान्न नहीं बढ रहा है तो इस सम्बन्ध में ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आपने जो खाद्यान्न का उत्पादन बताया है 19. कितने लाख मैट्रिक टन और दूसरे साल में आपने बताया 10 लाख मैट्रिक टन, इतना फर्क नहीं आ सकता ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह सब आंकडे आर्थिक समीक्षा से हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप देखो तो सही ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं अपने आपको करेक्ट कर लूंगा आप मंगा कर देख दो आपका सैक्रेटरी है । मैं जो आंकडे दे रहा हूं वह अपने मन से नहीं दे रहा हूं । यह आंकड़े ओथैंटिक है जो आपकी आर्थिक समीक्षा है उसके अंतर्गत दे रहा हूं । सभापति महोदय, इसमें मेरा खास कन्सर्न यह है... Let us forget about production, I am coming to the area. जो क्षेत्रफल है वह भी इंटरेस्टेड है । 2004-05 में 120.79 लाख हैक्टेयर, in the year 2005-06 it was 125.31 lakh hectare, in the year 2006-07 it was only 126.39 hectare and in the year 2007-08 it is 122 point something hectare. यह आप देखिये चारों सालों में, right from 2004-05 to 2007-08 इर्रिगेशन का एरिया ही नहीं बढ़ रहा. Let me understand it. आप कहां नहरें बना रहे हैं, आप कहां कुओं में इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, ना आपका खाद्यान्न बढ़ रहा हैं न आपका क्षेत्रफल बढ़ रहा है। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जब जवाब दें तो निश्चित तौर पर इस बात पर भी ध्यान आकर्षित करें कि यह स्थिति राजस्थान में कैसे बनी हुई है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरकि आपूर्ति मंत्री): माफ करें सीपी साहब, आपका ध्यान आकर्षित करता हूं आप समझदार आदमी हो, इसलिए, तालिका जो दी है आज वाली 2006-07 में 94.90 मैट्रिक टन थी और सम्भावित इसमें 2007-08 में फिर 99 थी, अंत में 134.25, खाद्यान्न में कहीं भी एक भी गिरावट नहीं आई।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं गलत को करेक्ट कर दूंगा, please don't worry. यह आपने राठौड़जी से लिया ना, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं मुझे, ठीक किया आपने, ठीक लिया, आइंदा गलती मत करना आप। नहीं आपने ठीक किया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह आर्थिक समीक्षा में है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं-नहीं ठीक किया। मेरे पास आपकी संख्या, मेरे पास भी...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह गलत है ?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपके पास रखो,, देना जवाब जिस समय...(व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी को देना, जवाब दे देगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): राजेन्द्रजी की समीक्षा नहीं है, यह इस किताब की है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हां वह किताब की, मुख्य मंत्री को दे देना, मैने जो आंकड़े दिये हैं उसको करेक्ट कर देंगे। सभापति महोदय, एक और इनडैक्स है वह जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एरियर – "The total receipts of the Government of Rajasthan during 2006-07 were 25,592.18 crore as against Rs. 20839.19 crore for the year 2005-06. The revenue raised by the government amounted to Rs. 15,038.85 crore comprising tax revenue of Rs. 11,608.25 crore, non-tax revenue or Rs. 3,430.61 crore." सभापति महोदय, इस फीगर को दुबारा रिपीट करना चाहता हूं। नोनटैक्स रेवेन्यू 3430.61 करोड़ रुपये थी। सभापति महोदय, मेरा पूरा आगे का भाषण का थ्रस्ट है वह इसी बात पर है कि how can we increase the non-tax revenue. When we talk about revenue, we say एजुकेशन में बढ़ा दो, हैल्थ में बढ़ा दो. No, I will propose it कि नोनटैक्स रेवेन्यू कैसे राजस्थान में नहीं बढ़ रही, कैसे नोनटैक्स रेवेन्यू का पिलफ्रेज हो रहा है. I will come to that figure. इसलिए मैंने इसको कोट किया।

सभापति महोदय, जो सबसे इन्ट्रेस्टिंग बात है, the arrear of revenue, आप सभापति महोदय देखिये नोनटैक्स रेवेन्यू का फीगर है 3443.61 करोड़ रुपये और सभापति महोदय, "Arrear of revenue aggregating Rs. 3,342.62 crore remained unrealized under some principal Heads of revenue at the end of 2006-07." आपका नोनटैक्स रेवेन्यू है 3430 करोड़ रुपये और आपका एरियर हुआ है वह 3342 करोड़ रुपये। आपका नोनटैक्स रेवेन्यू यदि 3342 करोड रुपये, जो आपका यह रियलाइज नहीं कर रहे अमाउण्ट, इसको भी आप कट करें तो नोनटैक्स रेवेन्यू आपका बढ़ सकता है, और यह काम आपने नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, और जो इन्ट्रेस्टिंग बात है देखिये. "During the years 2001-02 to 2005-06, the department/government accepted audit observations involving 652.41 crore, out of which Rs. 104.16 crore has been recovered." सभापति महोदय, 652 करोड़ रुपये हमने माने हैं कि इतने रियलाइज करने हैं उसके अगेन्स्ट में केवल रियलाइज किये 104.16 करोड़ रुपये। हमारे टैक्स का मैनेजमेंट वह, सभापति महोदय, मुझे बहुत तकलीफ है मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि सदन में माननीय मंत्रीजी ने यह कहा कि न हमने हेलीकाप्टर खरीदा, न हमने हैलीकाप्टर का आर्डर दिया है। मैं बहुत गम्भीरता से कहना चाहता हूं कि जनता के साथ में ऐसा मजाक करने की आवश्यकता माननीय मंत्रीजी को नहीं थी। और मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी जवाब दें जब यह सदन को बताए कि जो मैं आंकड़े उनको उठाकर दे रहा हूं वह यदि सही है तो पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर को सदन ही नहीं जनता के साथ

(डा. सी. पी. जोशी)

माफी मांगनी चाहिए कि यह खेल क्या करना चाहते हैं और सदन को किस तरह गुमराह करना चाहते हैं। सभापति महोदय, अकाउण्टस रिकार्ड, इसके पेज 33 में, Head Grant 005 ...(interruptions) गुस्सा है बहुत ज्यादा, बेइमान आदमी पर गुस्सा है, जो आदमी नालायकी करता है उन पर गुस्सा है, जो गुमराह करते हैं उन पर गुस्सा है, गुस्सा है उन लोगों सब लोगों पर है जो राजस्थान की जनता के साथ धोखा करते हैं।

(समय 16.33 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

राजस्थान की जनता के साथ अन्याय करते हैं। राजस्थान की जनता के साथ अपनी मनमानी करके राजस्थान की जनता के साथ खिलवाड़... (व्यवधान) सब के साथ गुस्सा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मेरी एक विनती है। हो सकता है नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य अपने आपको बहुत विद्वान समझते होंगे, हो सकता है बहुत अच्छे वक्ता होंगे पर इनको संसदीय परम्पराओं को और प्रणाली को भी देखना चाहिए । यह बोलते-बोलते फ्लो में क्या कुछ बोल जाते हैं शायद इनको याद नहीं रहता। यह नहीं समझे कि दूसरे आदमी जो सामने बैठे हैं। उनके कोई जबान नहीं है या वह उसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। कम से कम संसदीय भाषा का उपयोग तो करना चाहिए और मैंने जो सदन में कहा...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): राठौड़ साहब, कल आपने बिजली मंत्री को नहीं कहा जब उन्होंने यह कहा था कि चश्मा लगाने से आंख में पानी आ जाता है (व्यवधान) जब समझ में नहीं आई उनको यह कहने की ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जिस हैलीकाप्टर को खरीदने की चर्चा कर रहे हैं ...(व्यवधान) राजस्थान की सरकार ने उस हैलीकाप्टर को क्रय करने का आज की तारीख में कोई आदेश नहीं दिया है। एक पैसा उसमें राजस्थान की सरकार के हैड से उठा नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं गम्भीरता से बोलना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी मैंने जो प्रश्न उठाये उनका जवाब दें नम्बर एक। क्या यह सही नहीं कि 2006-07 की ए.ई. में

(डा. सी. पी. जोशी)

प्रशासनिक हैड 2005 के हैड के अंतर्गत 26.26 करोड़ रुपये कहां ट्रान्सफर किये गये। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे हैलीकाप्टर के व्यय में 3.37 करोड़ का प्रोवीजन है in the year 2006-07 उसके बाद उपाध्यक्ष महोदय 3.86 करोड़ का प्रोवीजन है, 2007-08 में अभी केवल मात्र नौ हजार रूपये का प्रोवीजन किया। उपाध्यक्ष महोदय किराये पर हेलीकाप्टर का, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत विद्वान है, हैलीकाप्टर के लिए 2006-07, 2007-08 में एक भी प्रोवीजन नहीं किया है और 7-8-9, 4.90 करोड़ रुपये का, वाहन किराये का प्रोवीजन किया। माननीय मंत्रीजी, मुख्य मंत्रीजी क्योंकि मंत्रीजी से पूछना तो, कोई मतलब नहीं है, माननीय मुख्य मंत्री सदन में जवाब दे जब बताए, कि यह लिख रखा है कि, अकाउण्टस कमेटी मैं पढ़ रहा हूं – Grant No. 005 – Administrative Services. Major head : Revenue – 2052 and 2070. Secretariat – General Services and Other Administrative Services. Voted original is 49,76,41,000, supplementary is Rs. 31,10,20,000. Total grant or appropriation is Rs. 80,86,61,000 and the actual expenditure is Rs. 79,94,09,000. The saving is 92,52,000. I am not using my own words. I am quoting what is written here. "In view of final saving of Rs. 92.52 lakh, supplementary grant of Rs. 31,10.20 lakh obtained in March 2007 for maintenance of air crafts and vehicles was excessive and Rs. 6.94 lakh remained unsurrendered." उपाध्यक्ष महोदय, बताएं मंत्रीजी यह मार्च 2007 में जो 31 करोड़ रुपये लिये हैं यह 31 करोड़ रुपये लेने के समय में आपका जो मेंटीनेंस का खर्चा है वह 3.37 करोड़ था, 3.86 करोड़ है, 8-9 के बजट में प्रोवीजन नौ हजार करोड, 909 हजार रुपये का है, तब मुझे बताएं कि 2007 में 31 करोड़ रुपये किस खुशी में लिये गये यहां पर मार्च महीने में? मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य मुझे जो कह रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय रिकार्ड में आना चाहिए, इस सरकार ने टैण्डर निकाला, टैण्डर निकाला 2007 के अंदर। उस टैण्डर में लिखा था कि अगस्ता को खरीदने के लिए एशियन का जो एजेंट है वह ही खरीद कर सकता है। जब यह बात लोगों को मालूम पड़ी, सरकार ने टैण्डर कैंसिल कर दिया, यह बात सही है। सरकार बताए कि जब टैण्डर कैंसिल करने के बाद चार कम्पनियों को आपने इनवाइट किस बात के लिए किया था, जब आपको खरीदना ही नहीं था. You have invited 4 companies. चार कम्पनियों ने आकर आपको प्रजेन्टेशन दिया। और प्रजेन्टेशन देने के बाद यह स्पेयर पार्टस आज दिन तक अगस्ता वेस्टलैण्ड से ही आते हैं उस अगस्ता वेस्टलैण्ड के हैड के अंदर जिसमें अभी पुराने हेलीकाप्टर है उसके स्पेयर पार्टस मंगा रहे हैं उस हैड में 26.26 करोड़

(डा. सी. पी. जोशी)

रुपये इन्होंने ट्रान्सफर किए और मंत्रीजी यहां कहना चाहते हैं हमने आर्डर नहीं किया तो 3 करोड़ के स्पेयर पार्टस थे तो 26 करोड़ किस खुशी में ट्रान्सफर किये। मैं चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय सदन के सामने बताएं कि यह सरकार ने 26 करोड..(व्यवधान) आप बोलने दीजिए प्लीज this is not question answer session. I will not allow it. This is not the way. I am not yielding.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बिना किसी आधार पर...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं ऐसे ही मंत्रीजी से नहीं सुनूंगा (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी को बचाने के लिए पहले भी...(व्यवधान) मैं फिर कह रहा हूं आपको एप्रोप्रिएशन में (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी जवाब दे, फाइनेंस बिल को मिक्स कर दिया। राजेन्द्र राठौड साहब बोलेंगे। मुख्य मंत्रीजी में इतने गट्स होने चाहिए कि हाउस में बैठे, सुने अपनी बात को, जवाब दे उनको कांफीडेंस है (व्यवधान) बार-बार राजेन्द्र राठौड़ खड़े हो रहे हैं, बाकी मंत्री नहीं हैं? Why do you take shelter of this?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं और ही बात कर रहा हूं...(व्यवधान) मैं यह बात नहीं कर रहा।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हर बात में यह बना रखा है (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह बात नहीं... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): प्रोटेक्ट करना चाहते हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं यह बात नहीं कह रहा हूं...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हर चीज में पहले खड़े हो जाएंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं एक निवेदन कर रहा हूं। आपके वैश्म में बात हुई थी बिजनिस एडवाइजरी की कमेटी में... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): बिजनिस एडवाइजर कमेटी we are not able to follow it. बिजनिस एडवाइजरी कमेटी कल के लिए लागू होगी, आज से लागू नहीं होगी। It should be very clear.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एक मिनिट...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आज मैं सदन में आया हूं जो बिजनिस है उस बिजनिस के अंदर बिजनिस एडवाइजरी कमेटी का कोई रूल लागू नहीं होगा, कल के लिए लागू होगा. It should be very clear. As a member, I have a right. I don't protect it. आप मुझसे मिल लें, मुझे बुलाओ मत, आप मेरे से मिलने आये थे मैने कहा था राठौड़ गलत बात है, मुख्य मंत्रीजी एप्रोप्रिशन पर, जवाब देना चाहिए, और फाइनेंस पर जवाब देना चाहिए. I told you. This is my right. I have come to attend the Assembly. And today there is no agenda of the Business Advisory Committee. 17 तारीख के बिजनिस के अंदर मुख्य मंत्रीजी...(व्यवधान) हर बार आपना झण्डा बना रखा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): प्रतिपक्ष के नेता थे।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप बंद करिये (व्यवधान) आप इस हाउस को चलाना नहीं चाहते, नहीं चलाना चाहते तो बंद करिये इस हाउस को। बंद कर दीजिए हाउस को, बंद करिये ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कांग्रेसी पार्टी बिखरी हुई है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, जो बिजनिस एडवाइजरी कमेटी में तय होता है वह यहां पर चर्चा नहीं होती और जो वहां पर तय होता है, कोई अधिकार नहीं है आपको बोलने का।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): महावीरजी, महावीरजी, एक मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी इतनी बिखरी हुई है और प्रतिपक्ष के नेता इतने असहाय, यह मुझे मालूम नहीं था। आपके वेश्म में जब बिजनिस एडवाइजरी कमेटी में प्रतिपक्ष के नेता थे, कांग्रेस पार्टी के सचेतक थे, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य थे...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपने कहा, उनको। आपने यह कहा कि सोल्यूशन निकलेगा। (व्यवधान) आपने कहा Have you told them? Don't mislead. यह अपनी पार्टी को मिसलीड कर रहे हैं, यह काफी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उनके सामने इस तरह की बात हुई। कांग्रेस पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता और...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कर रहे हैं। (व्यवधान) कहा कि मैंने मना किया है उनको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पूछो ना। (व्यवधान) पूछो ना। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो बड़े विनम्र शब्दों में वह... (व्यवधान)

व्यवस्था

कार्य सलाहकार समिति की रिपोर्ट सदन में आने से पूर्व उसकी पालना करना आवश्यक नहीं

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे, पाइंट आफ आर्डर है मेरा। (व्यवधान) नहीं आज के लिये बिजनिस एडवाइजरी कमेटी की कोई रिपोर्ट नहीं है। (व्यवधान) आज जो बिजनिस है उसमें (व्यवधान) उसमें कमेटी कल रुल होगी। आज से नहीं रुल होगी। (व्यवधान) आप क्या बात कर रहे हैं। (व्यवधान) You can not amend the rules. बिजनिस एडवाइजरी कमेटी की कमेटी की रिपोर्ट आयेगी, हाउस पास करेगा, लागू होगी। अभी तक कमेटी की कोई रिपोर्ट नहीं है। (व्यवधान) 17 तारीख को मैं आया हूं। हाउस के अन्दर एप्रोप्रिएशन के बिल पर बोलूंगा, मुख्य मंत्रीजी को जवाब देना है। 18 तारीख को आप बी.ए.सी. का रुल लागू कीजिये, क्या तकलीफ है। That is a system. You can not waive it.

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, बिजनिस एडवाइजरी कमेटी में क्या तक हुआ है वह तो कार्यक्रम आगे का तय हुआ है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): बिजनिस एडवाइजरी कमेटी में यह तय हुआ है कि 25, 26, 27 को सदन चलेगा और कौन-कौन से बिल आयेंगे। आज के बारे में बिजनिस एडवाइजरी कमेटी ने कोई निर्णय नहीं लिया है। आप गलत बात क्यों कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यही मैं कह रहा हूं, यही मैं कह रहा हूं। (व्यवधान) यही मैं कह रहा हूं। आप सुनो तो सही। बिजनिस एडवाइजरी कमेटी में आगे का... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हे भगवान, मतलब आप इतने कमजोर हो। मुझे मालूम नहीं था। क्या बात करते हो। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): बिजनिस एडवाइजरी कमेटी में सिर्फ यह बात तय हुई है कि जो बिल नये आ रहे हैं, वह कब किये जाएं। (व्यवधान) 25, 26 और 27 का दिन तय किया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ कहना है। (व्यवधान) एक मिनट, एक मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं श्रीमुख से फरमा दें कि आपके सम्मुख यह बात तय नहीं हुई थी कि इन दोनों बिलों का एक साथ जवाब मुख्य मंत्रीजी देंगी। तो मैं मेरे शब्द वापस लूंगा, मैं क्षमा भी मांगूंगा।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हां तो आप यह कहिये उनको। राजेन्द्रजी, कहिये, आप मेरी कुर्सी पर आये। (व्यवधान) मैंने आपको कहा, नहीं होगा। आप बोलो सदन के अन्दर, आपको मना किया है। (व्यवधान) आपने जाकर बोला क्या उनसे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह तो बात हुई है। यह तो बात हुई है। (व्यवधान) नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राठौड़ साहब मेरे पास आये। मैंने इनको मना किया। Have you informed them? Don't tell mischief. मैंने आपको मना किया? (व्यवधान) नहीं, मुख्य मंत्रीजी को आपने इन्फार्म किया, उनको। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपसे तो मैंने वैसे पूछ लिया। (व्यवधान) हो क्या चीज। प्रतिपक्ष के नेता हैं क्या ये? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं, नहीं पूछना चाहिए था। (व्यवधान) फिर नहीं पूछते। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, आप क्या हो। आप क्या प्रतिपक्ष के नेता हैं? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं कुछ नहीं हूं। मैं सदस्य हूं। मेरा राइट है। (व्यवधान) मेरा राइट है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): प्रतिपक्ष के नेता हैं इस सदन के अन्दर जो प्रतिपक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हां, वह मालूम है मुझे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): और प्रतिपक्ष के नेता, ये सीधे आदमी हैं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हां मालूम है, मुझे मालूम है। मालूम है मुझे। आप सीधे आदमी नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, राठौड़ साहब... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह बात को समझते नहीं हैं क्या। उपाध्यक्ष महोदय, इधर किसान बैठे हैं, तो उधर किसान बैठे हैं। यह किसान नेता की दुर्दशा देखकर इनकी आत्मा रो रही है। इतना कैसे बोलेंगे आप इनको। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): हां, आत्मा रो नहीं, बहुत रो रही है, जो हमारे किसान नेता की हालत खराब है।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, आज जो बिजनिस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी, यह तो आगे सत्र 20 तारीख से आगे बढ़ाना कि नहीं बढ़ाना और कितने दिन के लिये बढ़ाना, क्या उसमें बिजनिस लेना, उसके लिये बुलाई गई थी। आज के बारे में तो कोई बिजनिस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग ही नहीं थी। (व्यवधान) आज क्या है, आज तो पहले से तय है। आज जो भी कार्य सूची है, वह उपाध्यक्ष महोदय ने भेज दी, इससे पहले बात हुई, जब आपने खुद ने कंसीड किया यह फाइनेंशियल बिल और इस एप्रोप्रिएशन बिल को अलग-अलग बोलने का आपने खुद ने यह विधान सभा में किया। वह तो आपको ध्यान ही नहीं है। जो सदन में कहा, वह तो आप कोट ही नहीं कर रहे हो। और अब बिजनिस एडवाइजरी कमेटी की, वह तो आगे की बात थी। आज का तो कुछ करना था ही नहीं उसमें। अब यूं बैठे, अनआफिशियल, आपस में कोई चर्चा होती है, बात होती है, उसका बिजनिस एडवाइजरी कमेटी से कोई लेना-देना ही नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नहीं, नहीं, क्या प्रतिपक्ष के नेता यह कहना चाहते हैं..

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, यह कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग हुई और उसका प्रतिवेदन अभी सदन में आया नहीं, जब सदन में आयेगा माननीय आसन से उस पर सदन की सहमति लेंगे, तब उसको पास माना जाएगा। आज आप उसको कोट करके गलत काम कर रहे हैं। आज आप उसको कोट करके गलत काम कर रहे हो। जो मीटिंग आज हुई है उसका प्रतिवेदन यहां आया ही नहीं। जब भेजते हैं तब यह लिखते हैं कि सदन में पारित होने तक गोपनीय रखा जाये। (व्यवधान) और आप उसको यहां डिसकस कर रहे हो। (व्यवधान) You are disclosing the facts.

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक आपने निर्धारित कैसे की। (व्यवधान) आप कर ही नहीं सकते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नगर से आने वाले माननीय सदस्य, खुदा को हाजिर-नाजिर मानकर कह दो, खुदा को हाजिर-नाजिर मानकर कह दो कि वहां यह तय नहीं हुआ था क्या?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आज उपाध्यक्ष महोदय, बिजनिस एडवाइजरी कमेटी में आगे का बिजनिस भी तय हुआ है लेकिन जो भी आप... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, एक मिनट सुन लें, आप एक मिनट सुन लें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यहां आकर बदलते हो। (व्यवधान) आपकी टिकट कट जाएगी। (व्यवधान) कांग्रेस की टिकट, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: खुदा को हाजिर-नाजिर मानकर असत्य बोलना सीखा है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, आज के बिजनिस के बारे में क्या यह तय नहीं हुआ कि ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अजी, एक मिनट सुन लें ना आप।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप यहां बात ही नहीं कर सकते हैं, बिजनिस एडवाइजरी कमेटी की। जब तक प्रतिवेदन नहीं आयेगा। यह नियमों में है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, आज तक की यह परम्परा रही है कि कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग होती है और उसमें जो कुछ भी फैसला होता है उसको गुप्त रखा जाता है। आप यहां से... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आज का फैसला नहीं हुआ क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): एक मिनट, सुन लीजिये मेरी बात को। (व्यवधान) आपने अपनी बात कह दी, मुझे मेरी बात तो कहने दें, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीजी, एक मिनट, मैं निवेदन कर रहा हूं। आज तक की परम्परा यह रही है कि कार्य सलाहकार समिति की बैठक होती है और उसमें जो कुछ भी तय होता है, उसको जब यहां से, सचिवालय से भेजा जाता है तब बंद लिफाफे में भेजते हैं और यह लिखा होता है कि इसे सदन में पारित होने तक गोपनीय रखें। जब आज मीटिंग हुई, उसकी सूचना ही मुझ को नहीं आई और अब यहां उसको डिस्क्लोज करके गोपनीयता भंग करके गैर-कानूनी काम कर रहे हैं। आज उस पर आप सदन में कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं। यहां पर वही काम चलेगा जो पहले से तय है, नियत है। बाकी आपकी क्या प्रोसीडिंग बनी, उसको आप कार्य सलाहकार समिति के नाम से कोट करके पूरी कार्य सलाहकार समिति को डाक में डालना चाहते हैं। यह संसदीय कार्य मंत्रीजी, यह सही परम्परा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इसका निर्णय तो आप ही करेंगे लेकिन मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि यह हमारे वहां चर्चा हो रही थी तब यह चर्चा साफ हुई। मैंने पहले भी कहा था कि एप्रोप्रिएशन बिल है, एप्रोप्रिएशन बिल के बाद में फाइनेंस बिल आयेगा, उस पर जिनके संशोधन होंगे, वह भी बोलेंगे और फिर मुख्य मंत्रीजी दोनों का एक साथ जवाब दे देंगी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इसकी सहमति हुई थी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): इस बात पर, सुनिये, इस बात पर सहमति भी हुई है, उपाध्यक्ष महोदय। अपने माननीय हेमारामजी भी थे, प्रद्युम्नसिंहजी साहब इसलिये उठकर चले गये, उन्होंने बोलकर कहा था। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माहिर साहब भी थे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हां, सब थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप खुद थे। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हां, थोड़ा सुन लीजिये। तो सब ने जब कहा, यद्यपि, यह मानता हूं मैं कि बिजनिस

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

एडवाइजरी कमेटी की कमेटी की जब रिपोर्ट आयेगी तब आयेगी, पारित होगी। इस पर मेरा कोई संशय नहीं है। मेरी कोई सहमति नहीं है। लेकिन सदन के अन्दर कई बार रेगुलेट करने के लिये, यह तो हमने आपस में बात कर ली, आपस में बात न भी करें तो आसन भी, चेअर भी यह व्यवस्था कर दे कि ठीक है, इसमें आंशिक संशोधन करते हुए, मैं आंशिक संशोधन करते हुए, मैं संशोधन करता हूं कि दोनों का माननीय मुख्य मंत्रीजी या कोई मंत्री, एक साथ जवाब दे देंगे तो भी यह सदन में होता रहा है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपने इसमें संशोधन किया है क्या? आसन से सहमति ली है क्या। (व्यवधान) आसन ने कुछ कहा ही नहीं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सुनो तो सही, बात तो सुन लें पहले। (व्यवधान) Let me complete.

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप प्रोसीडिंग मंगवा लें, कार्य सलाहकार समिति की।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय सदस्य, आप कृपया बैठें। मुझे कम्पलीट करने दें। (व्यवधान) इसलिये मैं आग्रह कर रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इसका मतलब तो आप बी.ए.सी. में रहने के लायक नहीं हैं। (व्यवधान) इसका मतलब तो यह है कि ये बी.ए.सी. में रहने के लायक नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): एक मिनट, महावीरजी, सुनिये ना। जो चर्चा हुई है, वह आपके सामने हुई है। (व्यवधान) एक मिनट, सुनिये, महावीरजी, एक मिनट। इसलिये मैं चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आप इस बात का फैसला कर दें, मुझे माननीय जोशीजी जो कह रहे हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। आपने कहा, उससे भी कोई तकलीफ नहीं है। यह सारी बातें आपके सामने हुई हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि उपाध्यक्ष महोदय, इस पर जो भी निर्णय कर दें, वह निर्णय हमको मान्य है। यह सब बातें आपके सामने हुई हैं, पीछे से नहीं हुई हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हां, हां, यह बात भी हुई थी कि यह घनश्यामजी ने गड़बड़ कर दी, कंसीड करके। राजेन्द्रजी ने कहा, यह घनश्यामजी ने गड़बड़ कर दी। (व्यवधान) यह भी तो हुई थी ना बात।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, यह मजाक का विषय नहीं है। यह मतलब, कार्य सलाहकार समिति एक गम्भीरता से बैठती है। उसमें सब पार्टियों के नेता बैठते हैं और उसमें उसकी गम्भीरता यदि समाप्त हो जाए और उसमें बैठने वाले लोग, गम्भीरता समाप्त हो जाए, जो अपन कमिटमेंट वहां पर करके आते हैं और फिर इफ और बट लगाते हैं, यह मैं कहता हूं, आप, इसका मतलब यह है कि हम वहां पर बैठने लायक नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष: जोशी साहब से ही होगा। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इसको गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। यह कोई मजाक है?

श्री उपाध्यक्ष: बोलने दीजिये उनको, जोशी साहब से ही होगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन चलता है परम्पराओं से। (व्यवधान) एक मिनट, सदन चलता है आपके विश्वास से। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आपकी सदारत में कोई बैठक हो, उसमें कोई आपस में सहमति बने और उसमें, आकर सदन के अन्दर मना करें। मैं समझता हूं आगे विश्वास का रिश्ता टूटे नहीं, इसलिये आपको सही-सही बात कहनी चाहिए, आपके सामने क्या बात हुई।

श्री उपाध्यक्ष: उस हिसाब से ही चलायेंगे। पहले इनको खत्म करने दें। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पहले आप कराएं तो सही। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, I am on the Floor. I have been given the opportunities to speak. Let me speak.

श्री उपाध्यक्ष: पहले ये समाप्त कर लें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह तो समाप्त कर देंगे। पर आप कहें तो सही। वहां पर क्या बात हुई, वह तो बताओ। (व्यवधान)

राजस्थान वित्त विधेयक 2008 पर अग्रेतर विचार

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी आ गयीं, मुझे प्रसन्नता है। मैंने ध्यान आकर्षित किया था कि नान टैक्स रेवेन्यु जो है, वह है नान टैक्स रेवेन्यु राजस्थान की, 2006-07 के जो आंकड़े हैं, उसमें 3430.61 करोड़ रुपये नान टैक्स रेवेन्यु है। और एरियर रेवेन्यु है, 3342.62 करोड़ रुपये। यह मैंने फिगर दिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्योंकि माननीय मुख्य मंत्रीजी आ गये इसलिए मैंने इसको वापस रिपीट किया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि इस राजस्थान में जब भी नान टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की बात की जाती है तब हमारा दिमाग चलता है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि हम पानी पर पैसा बढ़ा दें, बिजली पर पैसा बढ़ा दें, शिक्षा पर पैसा बढ़ा दें। पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां गम्भीरता से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नान टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने के लिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार जो नीति अपना रही है, उस नीति से यह, माननीय मुख्य मंत्रीजी जवाब दें क्योंकि मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी सदन को कंविन्स करें कि क्या हम नॉन टैक्स रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जे.डी.ए. के, जयपुर का जो जे.डी.ए. है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जे.डी.ए. के अन्दर जो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आदमी अपनी जमीन कन्वर्ट कराता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसको 25 रुपये देने पड़ते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर वही आदमी जे.डी.ए. के बाहर जो आदमी होता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसको केवल मात्र 5 रुपये देने पड़ते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर वर्ग मीटर पर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि 2953 वर्ग मीटर का एक बीघा होता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2953 वर्ग मीटर में जो 247 गांव जे.डी.ए. के बाहर थे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें जो आपने लैण्ड कन्वर्जन किया, बड़े-बड़े बिल्डर्स के या व्यक्तियों के जो किया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें 5 रुपये के हिसाब से 12965 रुपये होता है एक बीघा का, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही राशि यदि जे.डी.ए. के अन्तर्गत, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई कन्वर्ट कराता है तो 25 रुपये लगते हैं, उसकी राशि बनती है 64825 रुपये। मैं कहूंगा, माननीय मुख्य मंत्रीजी मुझे करेक्ट कर दें, मैं अपने आपको करेक्ट करना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 12965 रुपये, एक 2953 स्क्वायर मीटर एक बीघा जमीन यह कन्वर्ट

(डा. सी. पी. जोशी)

के बाहर, कलक्टर से, जो आपने रेवेन्यू मंत्रीजी ने और कलक्टर ने ट्रांसफर की उसका रेट यह, जे.डी.ए. यदि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काम करता यह, मैं यह मानता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हालांकि अख़बार कहते हैं कि 50 हजार बीघा आपने कर दी। मैं 50 हजार बीघा नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि 15 हजार बीघा। 15 हजार बीघा की माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो जे.डी.ए. के बाहर जमीन थी, उस जमीन को माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लैण्ड यूज चेंज किया गया। यदि 15 हजार भी को माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम मानें तो 15 हजार बीघा का माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 12965 से गुणा करें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो यह रुपये होता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 19 करोड़ 44 लाख रुपये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 19 करोड़ 44 लाख रुपये होते हैं और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जे.डी.ए. की रेट के आधार पर हम करें माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 64825 को 15 हजार से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो यह 97 करोड़ 23 लाख 75 हजार रुपये होता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका मतलब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हुआ कि यह जमीन जो आज 247 गांवों को अब जो जे.डी.ए. को ट्रांसफर कर रहे हैं, पहले यह जे.डी.ए. में ट्रांसफर कर देते और फिर आप लैण्ड यूज चेंज कराते तो आपको आपके जे.डी.ए. में 97 करोड़ 23 लाख रुपये मिलते। तो हमने यह काम नहीं किया। हमने पहले उन 247 गांवों को 5 रुपये के आधार पर हमने कन्वर्ट किया। उसमें हमारी जो आमदनी हुई है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह यदि 15 हजार बीघा माने तो वह अमाउंट है 19 करोड़ 44 लाख रुपये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से नेट The word I am using ‘net’. नेट रेवेन्यू को 77 करोड़ 79 लाख रुपये का नेट जो जे.डी.ए. को पैसा मिलना चाहिए उससे डिप्राइव हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहीं तक तो ठीक था, समझ में आता, मुझे कोई तकलीफ नहीं पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो सबसे बड़ी बात है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह है पैराफेरी चार्जेज। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पैराफेरी चार्जेज 50 रुपये हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जे.डी.ए. के अन्दर कोई आदमी चाहे जमीन कन्वर्ट कराता है तो उसे 50 रुपये देने पड़ते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पैराफेरी चार्जेज के, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और यदि इस जे.डी.ए. के बाहर है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो उसे एक भी पैसा नहीं देना पड़ता है। मैं यह चाहता हूं, मैं यह चाहता हूं, माननीय

(डा. सी. पी. जोशी)

मुख्य मंत्रीजी, बहुत हम्बल सब्मिशन है मेरा। आप यह जो 15 हजार बीघा जमीन जो जे.डी.ए. के बाहर गांव की थी, उस गांव के यदि 50 रुपये डवलपमैंट पैराफेरी चार्जेज के आप लेते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो यह माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आकड़ा अरब में जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अरब में। यह अरब रुपया जो जे.डी.ए. के खाते में आना चाहिए था, यह अरब रुपया बिल्डर्स को वेव किया गया है। मैं चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आरोप नहीं क्योंकि सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला करती हैं, निर्णय करती है। निर्णय करती है, उस निर्णय को भी जनता के हित में करती है, मैं चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी बड़े हम्बल-वे में आपसे यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आप मेरे मन में, मेरे इस प्रश्न के माध्यम से इस सदन के द्वारा राजस्थान की जनता को कंविन्स करें कि यदि यह 15 हजार बीघा 247 गांव पहले यह जे.डी.ए. में आ जाते और 50 रुपये के पैराफेरी चार्ज यह लेते, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो हमारे यहां जे.डी.ए. में इतना पैसा इकट्ठा होता। यह काम हमने नहीं किया ओर बिल्डर्स को इतनी बड़ी राशि का हमने फायदा दिया, यह क्या राजस्थान के टैक्स के लिए नॉन टैक्स का रेवेन्यू नहीं हो सकता था? मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में राजस्थान की जनता को गम्भीरता से सोचने की जरूरत है। मैं अभी आपको...(व्यवधान) मैं आगे जवाब दे रहा हूं। मैं आगे बता रहा हूं न...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात कहना चाहूंगा कि पूरे जयपुर जिले को जयपुर में शामिल कर लें, जे.डी.ए. में? पूरे जयपुर जिले को जे.डी.ए. में शामिल कर लें क्या? हमारे गांव के जो किसान हैं उनका गला काट दें क्या? हमारे गांव में कोई काम कर दें, उसको तबाह कर दें क्या? (व्यवधान) कोई गला घोट दें क्या उनका? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं-नहीं, आप विराजो। मैं आपका गला नहीं काटता हूं। मैं आपको...(व्यवधान) मैं आपका गला नहीं काटता। आपको और आगे बढ़ाता हूं मैं। और आगे बढ़ाता हूं मैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आगे बढ़ाता हूं मैं। गला नहीं काटता, मैं गला नहीं काटता। मेरा गला काटने में विश्वास भी नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि मुझे पूरी बात कहने दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: जोशीजी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य-सूची पूरी होने तक बढ़ाया जाए, पूरा कार्य सम्पादन होने तक।

श्री उपाध्यक्ष: क्या सदन की सहमति है कि सदन की आज की कार्य-सूची, कार्य सम्पादन होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन की बैठक का समय सूची समाप्त होने तक, जवाब आने तक और कार्य-सूची समाप्त होने तक बढ़ाया जाता है।

विनियोग विधेयक पर अग्रेतर विचार

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक इसी तरह से क्योंकि मुझे पता है कि मैं बोलूंगा तो किसानों के समर्थक भी खड़े होंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सेज-सेज-सेज। सेज बन रही है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बननी चाहिए। सेज की जमीन, जमीन का इलाका, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें जो भी नियम बनाया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस आदमी को सेज के पास जमीन है, रेजिडेंशियल जमीन है, उसको तो एक रुपये में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो जमीन कामर्शियल है, उसको यह 4 रुपये में कर रहे हैं। जो इण्डस्ट्री की है वह 2 रुपये में कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि सदन को यह बतायें कि जब आपने सेज का निर्णय किया, उस सेज पर कितनी जमीन रेजिडेंशियल थी, उनमें कब किन लोगों ने रेजिडेंशियल में कन्वर्ट कराकर, कब कामर्शियल में करवायी? किन लोगों ने रेजिडेंशियल से यह इण्डस्ट्री में कन्वर्ट करवायी? वह लोग कौन हैं? वह 4 रुपये और 2 रुपये में बाकी तो मैं एक रुपये में जमीन कन्वर्ट कराकर यह जो 50 रुपये का जो खेल यहां पर सेज में हुआ, उस अमाउंट को नहीं कहता हूं, यह 15 हजार बीघा में अलग है। इसलिए मैंने कहा, 50 हजार बीघा में नहीं गया हूं मैं। मैं केवल मात्र 15 हजार बीघा को आधार माना है। मैं बिल्डर के नाम नहीं लेना चाहता। जिन बिल्डर के लिए 80 बीघा से ज्यादा आपने यह सब काम किया उनका नाम नहीं लेना चाहता मैं। मैं लेना भी नहीं चाहता। मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता यह जानना चाहती

(डा. सी. पी. जोशी)

है, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, जो सरकार कहती है कि हमने फिजिकल प्रोपर्टी बनायी है। हमने असेट बनायी है। असेट किन-किन लोगों की बनायी है? राजस्थान की जनता की भी असेट बनायी कि नहीं बनायी है? लेकिन इसमें असेट किन-किन लोगों की बनी है, वह राजस्थान की जनता की बतायें कि क्या यह नान टैक्स रेवेन्यू का एक सोर्स हो सकता था या नहीं हो सकता था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे और भी तकलीफ है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाउसिंग बोर्ड के माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम है। हाउसिंग बोर्ड के माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम है कि हाउसिंग बोर्ड की कॉमर्शियल जमीन को आपको ऑक्शन करना पड़ेगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, you can not dispose it on the DLC report. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वह कोट करना चाहता हूं, वह लैटर प्रिंसिपल सैक्रेटरी का, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि यह सब चीज रिकार्ड पर आये कि राजस्थान में हो क्या रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं, Comments sought from the Rajasthan Housing Board with reference to the Public Private Partnership. This is the Public Private Partnership. माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमैंट है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कांस्टीट्यूशन मुख्य मंत्री को नहीं पहचानता है। केवल मात्र काउंसिल आफ मिनिस्टर को पहचानता है। आप बतायें कि यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो बातें कर रहे हैं, आपने क्या अपने कैबिनेट के अन्दर इनको एप्रूव करवाया है? मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता को यह जानने का अधिकार है कि जब सुप्रीम कोर्ट यह कहती है कि हम काउंसिल आफ मिनिस्टर को रिकाग्नाइज करते हैं। चीफ मिनिस्टर को रिकाग्नाइज नहीं करते। मैं आपके इंटेंशन पर डाउट नहीं करता लेकिन मैं एज ए विधायक यह जानना चाहता हूं कि क्या यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को आपने कैबिनेट में एप्रूव करवाया? यदि कैबिनेट में एप्रूव नहीं करवाया है तो मुख्य मंत्रीजी के इस आदेश के आधार पर जो भी काम हो रहा है, वह बिलकुल गैर-कानूनी काम है, गैर संवैधानिक काम है। ऐसा काम के सम्बन्ध में मैं अपने मन से नहीं कह रहा I am quoting. I will not allow it. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर मैं, ...

(डा. सी. पी. जोशी)

(व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी बोलेंगे फिर? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी नहीं बोलेंगे। (व्यवधान) I am on the Floor.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांस्टीट्यूशनली, एडमिनिस्ट्रेटिवली मुख्य मंत्री हैड करते हैं सरकार को। जब मुख्य मंत्रीजी को निर्णय करें, हम निर्णय के लिए कैबिनेट में जाएं या नहीं जाएं, कैबिनेट ने पूरी उस पर विश्वास में लेकर...(व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी नहीं बोलेंगी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, I am on the Floor.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कई मुख्य मंत्री 1952 के बाद बने होंगे, उन्होंने सैकड़ों निर्णय किये होंगे। अब इस तरह की बात कह रहे हैं, अभी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। अभी इन्होंने कहा। बड़े जोर-शोर से कहा कि 31 करोड़ रुपये और राजस्थान सरकार ने 31 करोड़ रुपये उस अगस्ता कम्पनी को देकर स्पेयर पार्टस के रूप में आर्डर दे दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोट करना चाहता हूं ताकि रिकार्ड ठीक रहे...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप यह मुख्य मंत्रीजी जवाब देंगे या आप देंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं-नहीं...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप क्या बात कर रहे हो? (व्यवधान) I will not allow it. मैं बोल रहा हूं इसमें यह...(व्यवधान) This is not the way.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं कोट करना चाह रहा हूं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप जवाब देंगे या मुख्य मंत्रीजी देंगे? यहां पर ऐसे नहीं होगा। (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी हैं। काहे पर आप अलाउ कर रहे हैं इनको? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सारे के सारे खड़े हो। (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पांच हजार करोड़ का घपला हुआ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): लाखों राजस्थान की जनता...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप जवाब नहीं दे सकते हैं।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): पांच हजार करोड़ रुपये खा गये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): तो जवाब मुख्य मंत्रीजी देंगी। आप नहीं बोल सकते। नो-नो। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी जवाब दे सकता है, सत्ता पक्ष की तो...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नो-नो । (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सेज में पांच हजार करोड़ रुपया खाया गया है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हम भी सी.ए.जी. की रिपोर्ट लेकर आये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एडमिनिस्ट्रेटिव...(व्यवधान) चल रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह...(व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): हजारों करोड़ रुपये खा गये। एक अरब का चूना लगाया है इन्होंने। 50 हजार करोड़ खा गये।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये आप। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: समझ में आती है, क्या होता है एक हजार करोड़, कभी गिने हैं एक हजार करोड़...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रिप्लाई तो मुख्य मंत्री महोदय दे देंगी। यह बीच में करने की क्या जरूरत पड़ रही है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे चूंकि कोट किया है इसलिए मैं बोलने का उचित समझता हूं ।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): एक हजार करोड़ का चूना लगाया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मुझे कोट किया है इसलिए मैं ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: एक हजार करोड़ का चूना लगाया। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, बीच में खड़े होकर नहीं बोल सकते। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मौका तो दें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह बोल लें उसके बाद बोलिये आप। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): I will not concede. मैंने बोला बाद में। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप जोशीजी, एप्रोप्रियेशन पर बोलते-बोलते डिमाण्ड्स पर जो बहस हो चुकी है, उस पर आप जा रहे हो। यहां जेडीए पर डिसकस हो चुका (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मुझे खुशी है घनश्याम जी। मैं लेकर आया हूं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) : बताइये, बताइये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं बोलता हूं। पढ़िये, पेज नम्बर 64, मुझे मालूम था, पढ़िये आप। "The debate on an Appropriation Bill shall be restricted to the matter of public importance...." Is it not a public issue of public importance? Who are you to decide it? Who will decide it? "...or administrative policy implied in the grants covered by the Bill which have not already been raised while the relevant demands for grants under the consideration." I am raising only a non-tax revenue. It was never discussed. Let me know when the non-tax revenue was discussed. I have a right to speak about the administrative policy. I have a right to speak about the public importance matter. I know for when Mr. Rajendra Singh Rao was speaking, Mr. Shantilal Chaplot was speaking. You were not aware about these things? I was aware about this कि जब यह बात उठाई जायेगी, मैंने किसी पर आरोप नहीं लगाया है I am asking as an MLA कि राजस्थान की सरकार जनता को बताये, यह बात आरोप तो, चोर की दाढ़ी में तिनका है तो आप खड़े हो रहे हो। मैंने तो कुछ नहीं कहा किसी के लिये। आपके लिए भी नहीं कहा मैंने। उठाकर देख लें, मैंने

(डा. सी. पी. जोशी)

किसी के लिए नहीं बोला है। (व्यवधान) मैंने किसी के लिए नहीं बोला है। आप बता दें, मैंने किसी का नाम लिया है क्या, मुझे बता दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): नहीं-नहीं, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, मैंने आपका केवल ध्यान आकर्षित किया और आप उसका स्वयं जवाब दे रहे हैं कि जिन विभागों पर चर्चा नहीं हुई है..(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप पढ़िये, नहीं-नहीं, हिंदी पढ़ लीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अंग्रेजी में है यह तो।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हिन्दी पढ़ लीजिये। पब्लिक इम्पोर्टेन्स और एडमिनिस्ट्रेटिव पालिसी, हर चीज पर डिसकस ..(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हां-हां, मैं कह रहा हूं न, कर सकते हैं। (व्यवधान) सुनिये ना, अपने यहां पर अध्यक्षीय व्यवस्था बहुत बार हो चुकी है कि जिन विभागों के सम्बन्ध में सदन में चर्चा नहीं हो, उनका पासिंग अगर एप्रोप्रियेशन बिल पर कर सकें तो करते हैं। बाकी जैसे आपने एक बात कही, माफ कीजिये, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कैबिनेट की एनटिटी है, बात सही है, लेकिन बी.डी. जो बनाई, उस बी.डी. को बनाते समय तो आप उस समय थे। उस समय आपको यह बात ध्यान में क्यों नहीं आई कि कैबिनेट का अस्तित्व होता है और कैबिनेट के बाहर बी.डी. का अस्तित्व नहीं होता है। यह हमने तो बी.डी.बनाई नहीं। यह बी.डी. तो आपने ही तो बनाई और उसमें जो निर्णय हो रहे हैं, फिर एक-एक पत्र को उठाकर आप पढ़ेंगे एप्रोप्रियेशन पर तो मैं समझता हूं, यह उचित नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): धन्यवाद आपका, अच्छा डिफेंस किया। यह तो मुझे बोलने दें, यह नहीं होगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, अनुमति तो मुख्य मंत्रीजी को भी नहीं मिलेगी। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, फिर यह बात आ

(डा. सी. पी. जोशी)

जायेगी मुख्य मंत्रीजी को इंटरवीन करने की। (व्यवधान) फिर मुख्य मंत्रीजी को इंटरवीन करने की बात आ जायेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अभी 31 करोड़ की चर्चा हुई। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं तो उपाध्यक्ष महोदय, कह रहा हूं यह मेरा राइट है, मुख्य मंत्रीजी को इंटरवीन करने का भी कि पार्लियामेंटरी अफेसर्य मिनिस्टर मुझे सिखाना चाहते हैं तो मैं सीखने को तैयार हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं-नहीं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं आपकी भाषा को बिलकुल समझ गया, आप जो कर रहे हैं वही हम मुख्य मंत्रीजी के सामने करेंगे, बोलिये आप। (व्यवधान) बोलिये, जो आप सिखा रहे हैं, वह मैं मुख्य मंत्रीजी के सामने करूंगा और फिर बोलने नहीं दूंगा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): धमकी है क्या यह ? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हां जी। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): यह धमकी देते हो क्या? (व्यवधान) धमकी देते हो क्या?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हां बिलकुल। बोलिये आप। (व्यवधान) पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की दादागिरी है क्या? हम बोल रहे हैं और खड़े हो जाते हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): बोलने का अधिकार है, नियमों में बोलें।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): बोलने का हमारा अधिकार नहीं है क्या? (व्यवधान) बातें कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं तो डा. साहब, आपको करेक्ट कर रहा हूं। (व्यवधान) नाथूसिंहजी एक मिनट, मुझे कम्पलीट कर लेने दो। (व्यवधान) नहीं, डा. साहब मैं तो आपको सिर्फ करेक्ट कर रहा था।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं कोई आपकी मर्सी पर नहीं बोल रहा हूं, डिप्टी स्पीकर की परमिशन से बोल रहा हूं। (व्यवधान) आपकी मर्सी पर नहीं बोल रहा हूं।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): आपने कहा मुख्य मंत्रीजी को नहीं बोलने देंगे तो फिर यह सदन आपकी बपौती है क्या? (व्यवधान) यह सदन आपकी बपौती नहीं है? (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी को कैसे नहीं बोलने देंगे? (व्यवधान) आप कैसे नहीं बोलने देंगे ? यह सदन आपकी बपौती नहीं है। यह बपौती राजस्थान की है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये आप। ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपको अपना जवाब देना है, इनका वक्तव्य खतम हो जाये उसके बाद आप अपना जवाब दे देना। (व्यवधान) आपका बीच में खड़ा होना जरूरी थोड़े ही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): चलो ठीक है, ठीक है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह बात पहले भी कही है, आपको अधिकार है बोलिये ना, कौन मना कर रहा है?

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट मैं बोलूंगा। जब आपने कोट किया है (व्यवधान) हां-हां, रूल कोट किया है इसलिए बोलूंगा। (व्यवधान) आपकी इजाजत से नहीं डिप्टी स्पीकर की इजाजत से बोल रहा हूं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): रूल कोट किया है तो रूल अपने भाषण में बोल दें वह रूल। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): पेज 64 का है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मुख्य मंत्रीजी को अपनी परफोर्मेंस दिखा रहे हो। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): रूल 154 का सब रूल फोर एण्ड फाइव...(व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारे वित मंत्री बने हुए हैं। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सब रूल 4 एण्ड 5 The debate on an Appropriation Bill shall be restricted to matters of public importance or administrative policy implied in the grants

(डा. एन.एस. गुर्जर)

covered by the Bill which have not already been raised while the relevant demands for grants were under consideration. (5) The Speaker may, in order to avoid repetition of debate, require members desiring to take part in discussion on an Appropriation Bill to give advance intimation of the specific points they intend to raise, and he may withhold permission for raising such of the points as in his opinion appear to be repetitions of the matters discussed on a demand for grant or as may not be of sufficient public importance." उपाध्यक्ष महोदय, यह मामले जो अभी नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य उठा रहे हैं, यह इस हाउस में कम से कम तीन-तीन, चार-चार बार डिसकस हो चुके हैं, उठ चुके हैं। इस रूल के तहत आप इनको रोकिये, परमिट मत करिये। बार-बार सदन का समय खराब कर रहे हैं। इन चीजों पर इनका जवाब भी आ गया, यह रेज भी कर चुके, इसलिए बार-बार इनको नहीं उठा सकते हाउस के अंदर। यह स्पेसिफिक रूल आपको परमिट नहीं करता।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आदरणीय मुख्य मंत्रीजी जब जवाब देंगी पुरानी बातों को रिपीट नहीं करेंगी क्या? 15 मिनट में हो जायेंगी नई घोषणाएं तो (व्यवधान) कैसे नहीं कर रहे हैं? आज तक यह परम्परा कभी रही है क्या? (व्यवधान) यह कभी परम्परा नहीं रही कि इस तरह से रोककर नियमों का हवाला देकर और वक्ता को रोका जाये। (व्यवधान) कभी नहीं हुआ। राव राजेन्द्रजी कैसे बोल रहे थे? राव राजेन्द्र जी, क्या बोल रहे थे?

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): इस रूल के परव्यू में नहीं आ रहा जो नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैंने जब माननीय मुख्य मंत्रीजी हाउस में आई तो मैंने कोट किया है नोन टैक्स रेवेन्यू, यह कब डिस्कस हो गया, बताइये तो मैं बैठ जाऊंगा। I am not repeating anything.

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): आपने कह दी। जमीन के मामले उठा रहे हैं। हैलिकॉप्टर का मामला आपने उठाया। यह हाउस में कई बार डिस्कस हो चुका और उसका जवाब भी मिल चुका।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): इन्होंने दिया होगा। बहुत अच्छा, ठीक है, बैठो आप। मुख्य मंत्रीजी जवाब दे देंगी। माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने सेज के लिए कहा। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जब सेज इन्टेन थी कि सरकार सेज लागू कर रही है, कितने एरिये में सेज थी और फिर आपने कितनी कम की? (व्यवधान)

(डा. सी.पी. जोशी)

इसके बीच में कितने लोगों ने उस जमीन को रेजीडेंशियल से कामर्शियल में कन्वर्ट कराया, क्योंकि कामर्शियल में कन्वर्ट कराने के चार्ज इसमें अलग हैं और उसका भी केलकुलेट करवायें। मैं समझता हूं राजस्थान का एक नोन टैक्स का सोर्स है, उस सोर्स को हमने खोया। मैं चाहता हूं अभी इस सम्बन्ध में, क्योंकि अभी भी हम इस सम्बन्ध में चर्चा नहीं करेंगे तो फिर व्यवधान होगा कि बी.डी. आपने कराई। कांस्टीट्यूशनल प्रोविजन आपने किया। हमने जो खोटे काम 90 बी में किये, वह काम आप आगे बढ़ा रहे हो। उसमें मुझे कुछ नहीं कहना। पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैंने कोट किया है। सुप्रीम कोर्ट का मुझे कहा, आप नहीं मानना चाहो, आपके ऊपर है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव पालिसी है हाउसिंग बोर्ड की। यह रिपीट नहीं किया मैंने, एडमिनिस्ट्रेटिव पालिसी है कि जो भी वहां पर कामर्शियल लैण्ड है, उसको आक्शन करेंगे। यह पालिसी मैंने नहीं बनाई। यह तो हाउसिंग बोर्ड की पालिसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव पालिसी है, उस एडमिनिस्ट्रेटिव पालिसी का क्या हो रहा है, उसको मैं कोट करना चाहता हूं "Comments sought from Rajasthan Housing Board with reference to Public Private Partnership Model Jaipur Festival City.." which was never discussed to the best possible of my information in Cabinet. "...at VT Road Shipra Path Mansarovar, Jaipur. Joint venture proposal submitted by Prozone Liberty International, Mumbai. Sir, The proposal submitted by M/s Prozone Liberty international for the development of multiuse infrastructure project "Jaipur Festival City" proposed over the 4,32,831 Sqm. (Approx.) of Rajasthan Housing Board (RHB) land situated at VT Road, Mansarovar between New Sanganer Road and Shipra Path, as forwarded to the RHB has been examined. The proposal in the context of Jaipur City appears to be appreciable in context of Regional Planning and Development and intends to generate economic activities in the Region. The proposal envisages PPP model in terms of equity distribution with the RHB and also proposes to develop this land in Public Private Partnership considering the land value @ Rs. 8,530/- per Sq. yards. The total commercial land referred to above is 4,32,831 Sqm as per layout plan prepared by the Drawing Cell of RHB and the total saleable land under commercial/hotel/multiplex/shopping etc. is 2,57,901 Sqm. The land area under OCF, Art and Craft Centre and Cultural Centre is 13,782 Sqm (approved layout plan enclosed) If the commercial land is auctioned on minimum sale price @ Rs. 40,000/- per Sqm. The total recovery would be about Rs. 1031.60 crores. Allso, the recovery from OCF and other use land should be approx Rs. 4.10 crores @ Rs. 2960/- per Sqm. If the relevant land is developed for multiuse infrastructure complex considering the complete land as one plot, the total built up area would be approx 1.00 crore Sq. ft. and taking the construction

(डा. सी. पी. जोशी)

cost @ Rs. 750/- per Sq. ft. the total cost of the project shall be around Rs. 750.00 crores. If the cost of land is calculated on minimum sale price @ Rs. 25,000/- per Sqm. The total cost of the land would sum up to Rs. 1080.00 crores to be recovered through auction of land. The land in question is commercial as per the Master Plan and the scheme layout plan. Commercial property is disposed off through auction as per prevalent rules in the RHB. As far as the PPP in other States like Andhra Pradesh, Gujarat are concerned, bids are invited after due advertisement and thereafter partnership is decided upon. In this regard the above mentioned facts may be referred to. Attention is also invited to the Rules of Business constituted for Government of Rajsthan under Article 166 of the Constitution and its relevant rules 10(b); 23(1), 24(b); 31(1) (ii)(xii)(xxiii) wherein the matters involving over rupees one crore; involving decision pertaining to any novel policy matter may be referred to Hon'ble Chief Minister for decision. The second schedule also lays down policy matters involving sum of land value/sale of land of more than rupees ten lakhs to be referred to the Cabinet. Since the amount involved is of the magnitude of over rupees thousand crores and the land in question is commercial in nature any further decision by way of open land in question is commercial in nature any further decision by way of open auction/sealed bid may be done at the government level." I wish your intention may be good. I don't deny it.

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): पत्र किसका है?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप सब बोल दो, मैं बंद कर दूं, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): किस का लिखा है, किस को लिखा है?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह लैटर रख रहा हूं मैं This is the letter written by the Awashan Ayukt to the Principal Secretary UDH. I am ready to put this letter on the Table. I am not saying anything.

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का क्या हुआ? एप्रोप्रिएशन बिल पर जो नाथू सिंहजी ने व्यवस्था का सवाल उठाया है और उस पर अध्यक्षीय व्यवस्था...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): नहीं, इतना ही पूछा है कि किसने लिखा है, किस को लिखा है? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): Ghanshyam ji please I am sorry. Don't be extra loyal. I am sorry. You have happened to be a Parliamentarian. Don't be extra loyal. I am saying what is the truth. I am saying what is written by an IAS Officer. I am saying that what is the rules. Don't compel me to say any-

(डा. सी. पी. जोशी)

thing else. मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं Don't compel me to say anything. I am saying it in the interest of the State. I have not put anything to anybody. I am saying in the interest of the State. It should be recorded in black and white that what is happening in the State, how things are moving, how people are ignoring the rules and regulations. It should be on the record. That is why I am saying that it should be on the record. I don't want to say....

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): 149, अपने अध्यक्ष ने... (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर। मेरा पाइण्ट आफ आर्डर यह है कि जो एक अध्यक्षीय व्यवस्था...(व्यवधान) प्रथम खण्ड में, पेज नम्बर 149, इसमें है, विनियोग विधेयक पर उन विषयों पर चर्चा नहीं की जा सकती...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैंने यह पूछा किसने लिखा है?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह प्रिंसिपल सैक्रेटरी को लिखा है हाउसिंग कमिशनर, मैं यहां पुट कर रहा हूं I am putting this letter. इसमें कोई तकलीफ है? मैं लेकर थोड़ी जा रहा हूं। क्या I am putting this letter. यह लीजिए।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): साइन करो।

(माननीय सदस्य, डा. सी. पी. जोशी ने पत्र को सदन की मेज पर रखा)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): प्रथम खण्ड में पेज नम्बर 149, इसमें है, विनियोग विधेयक पर उन विषयों पर चर्चा नहीं की जा सकती जो अनुदानों पर बहस के समय उठाये जा चुके हैं। इसको पूरा पढ़ कर सुनाऊं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) और विनियोग संख्या-दो, विधेयक... (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): यह आपकी आदतें पिछली को मत बताओ, आपके आदतें रही हैं, तीन-तीन मंत्री सस्पैंड हुए हैं घोटालों के... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सिम्पल सी बात है, कोई प्रस्ताव आया है पी.पी.पी. मोडल पर और जब हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर ने लिख दिया...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, I am speaking. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूं, आप क्या परम्परा बता रहे हैं। मैं बोलूंगा भी नहीं क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो चीज पैदा ही नहीं हुई और हम बच्चे की शादी की बात करें, एक पत्र लिख दिया, अगर हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर ने यू.डी.एच. के सेक्रेटरी से मार्गदर्शन के लिये कोई पत्र लिख दिया...(व्यवधान) उसमें भी क्या से क्या हो गया।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): एक मिनट, घनश्यामजी। एक मिनट, राठौड़ साहब। मैं आगे और आपका ध्यान दिलाता हूं। मैं ऐसे काम नहीं करता हूं, आपका ध्यान दिलाता हूं। राजस्थान आवासन मण्डल की 204 की बैठक...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई अपनी व्यवस्था...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 8.2.2008, उसको भी रखूं, उसको भी रखूं?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पहले अध्यक्षीय व्यवस्था भी है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, जोशीजी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): जिसमें प्रोजोन को विथ्ड्रा करवा के उसको पिडीकोर को अलाउ किया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्षीय व्यवस्था भी है, अपने रूल्स आफ प्रोसीजर में भी है, अपने अध्यक्षीय व्यवस्था में भी है...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): जो चीजें मैं कह रहा हूं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं। फिर भी मैं कह रहा हूं हाउस के रिकार्ड में मेरी ड्यूटी बनती है कि सदन की गरिमा बनी रहे, मेरी ड्यूटी बनती है कि मुख्य मंत्रीजी की गरिमा बनी रहे, मेरी ड्यूटी बनती है कि भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी में

(डा. सी.पी. जोशी)

डिफरेंस कहती है, जनता में यह मैसेज जाए और आप फिर भी नहीं जानना चाहते हैं, मुझे बैठाओ बैठ जाऊंगा these are the facts which can not be ignored. आप चाहते हो फैक्ट को इग्नोर करें इग्नोर करें, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। वैसे ही आप इग्नोर कर रहे हैं, क्या तकलीफ है। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं...(व्यवधान) चलो, सब याद है, सज़ा देओ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय जोशीजी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): रोकना क्या, इतनी कमजोर सरकार है, रोका किसी ने आपको क्या? किस को बोल रहे हो, धर्मपालजी, जमीनें मेरी नहीं हैं, 90 बी मैंने नहीं करायी है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, जोशीजी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ...(व्यवधान) पार्टनरशिप थी, मेरी नहीं है, मुझे मत कम्पेल कराओ, मुझे कम्पेल कराओगे मैं सब बोलूंगा।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): ऐसा है, जोशीजी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अच्छा है, बोल दो जो रिकार्ड में आ जाए, ठीक रहे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): जिसको भी आना है आ जाए, बोल दे, मेरे कोई दबाव नहीं है, मैं उन लोगों में नहीं हूं। कहा न, धर्मपालजी... (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): कहने को तो, यहां पर अपन कहने को तो कुछ भी कह दें।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): जो मैं कहता हूं वह बहुत सीसियरली कहता हूं।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): यह जो बात है यह आपको भी पता है और हम को भी पता है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय जोशीजी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैंने पहले भी कहा है, मैंने किसी पर आरोप नहीं लगाया You are feeling guilty. मैंने कभी एक शब्द भी नहीं बोला,

(डा. सी.पी. जोशी)

मैंने कहा, क्या हो रहा है, मैं यह नहीं कह रहा हूं, आप अपने मन से कहें तो अलग बात है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय जोशीजी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): What is happening in the state, how we can raise non-tax revenue? That is my duty as an MLA to raise these issues. If you don't want to raise, don't do it. आप मना तो करोगे, मैं थोड़ी मना कर रहा हूं लेकिन यह चीज हो रही है, सदन के रिकार्ड में आनी चाहिए। यह सदन के रिकार्ड में, आप इग्नोर कर करके डिलीट कर दो, यह कर दो, यह नहीं है। आपकी इच्छा हो जो करना, चार, पांच छह महीने बाद सरकार को यह जनता जवाब दे देगी।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय जोशीजी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आईसीआईसीआई बैंक को भी जमीन अलाट की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि वो जमीन एक्वायर थी कि नहीं थी? वहां कालोनी बसी हुई थी कि नहीं थी? आईसीआईसीआई बैंक के सम्बन्ध में भी आप जांच कर लें कि क्या हमने डी.एल.सी. रेट से उसको जमीन एक्वायर की या आक्शन करके की? मैं समझता हूं कि नोन टैक्स रेवेन्यु के सम्बन्ध में इसमें भी जांच करने की आवश्यकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक पाइंट है, फिर राजेन्द्रजी राठौड़ नाराज होंगे लेकिन मैं कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वो क्रिकेट वाले पाइंट पर बाद में आऊंगा क्योंकि मैंने कह दिया इसलिए पहले मैं दूसरा आ जाता हूं कि मैनेजमेंट कितना अच्छा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रचार कर दिया गया कि कांग्रेस सरकार कर्मचारियों के खिलाफ थी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने जो मैनेजमेंट किया है उस मैनेजमेंट को जनता के सामने यहां लाने की आवश्यकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे, इस सरकार ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि हम आपका डी.ए. देंगे, पिछली सरकार ने डी.ए. बंद कर दिया, आपने कहा सरेण्डर लीव देंगे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि स्ट्राइक पीरियड का पैसा देंगे। यह आश्वासन, कमिटमेंट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जब मुख्य मंत्री नहीं थीं, पार्टी की अध्यक्ष थीं, चुनाव कैम्पेन

(डा. सी. पी. जोशी)

में आये जब इन्होंने दिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो ग्यारह परसेंट डी.ए. अशोक गहलोत की सरकार ने ...

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): Let me make something very clear to you. यह बार-बार आप लोग कहते रहते हो कि मुख्य मंत्रीजी ने जो आश्वासन दिया चुनाव के पहले there was no Ashwashan from me to anybody. Please be very clear about it. So please don't raise it in the House in that context. क्या है कि आप लोग इधर से तोड़-मरोड़ करके जो हाउस में लाते हो it is a very serious matter. जो हाउस में आप लोग लाते हो और मैं यह भी कह दूं आपको कि यह आप चिट्ठियां इधर-उधर करते हैं Whenever anything is to come before the CM, BD or any Minister, there will be discussions and there will be answers from various Secretaries and Under Sectaries but I am afraid to tell you that no decision has been made on the pro-zone case. So there is no point. इतना हल्ला करना और उसको बताना बढ़ा-चढ़ाकर के कि मालूम नहीं क्या हो रहा है राजस्थान के अन्दर। हम लोगों को मालूम है कि पिछले पाँच साल में क्या हुआ था। और इसलिए it is a better idea not to try and create a mountain out of the molehill where it does not exist.

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): I am very thankful, मुख्य मंत्रीजी, मुझे बहुत आपका आभार व्यक्त है, दो बातें कहीं हैं आपने, नम्बर एक ...

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): यह जो भी कागज आप कोट कर रहे हैं, प्लीज आप मेहरबानी करके टेबल पर रखिये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): रख दिया मैंने।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): ना, ना, ना, आप पढ़ते जा रहे हैं जो भी आपको दिखाई दे रहा है, जो आप निकाल रहे हैं, यह क्या है? (interruptions)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): I am not absent M'am. Be clear.

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) (Interruptions) I can speak as loudly as you can. Let me make it very clear to you. You will not be allowed to say what you feel like saying in the House. Whatever you say you must back up with your facts. Kindly understand. जोर से चिल्लाने से किसी को आप दबा नहीं सकते हो। जितनी आवाज वहां है उतनी आवाज यहां भी है। और अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज ऊंची है तो मेरी भी आवाज कोई कम नहीं है। मैं यह भी बता दूं आपको।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं आपका बहुत आभारी हूं, मुख्य मंत्रीजी, आपने दो बातें कहीं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): हम लोग कोई बहरे नहीं हैं, आराम से, आराम से कहो।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): I am very comfortable.

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : काई भी बहरे नहीं हैं, आप आराम से बोलें।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): I am very comfortable. मैं, मुख्य मंत्रीजी, आपका बहुत आभारी हूं कि आपने दो बातें कहीं। एक कि कर्मचारियों को कोई आश्वासन नहीं दिया। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने सदन में यह घोषणा की कि आपने कर्मचारियों से कोई ...

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): Let me make it very clear to you ki जहां तक मैंने आश्वासन दिया, उन आश्वासनों को आप, अनलाइक आप लोग, मैंने पूरा किया और इसीलिए आज राजस्थान के अन्दर लोगों का विश्वास हमारी सरकार पर है क्योंकि जो हम कहते हैं वो हम करते हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं, मुख्य मंत्रीजी, आपका बहुत आभारी हूं, आप जो कहते हैं वो करते हैं। इसी के लिए मैं आपका आभार व्यक्त कर रहा हूं कि आप जो कहते हैं वो करते हैं। इसमें कोई इश्यु नहीं है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): आगे बढ़ो, वहां क्यों अटक रहे हो, आगे बढ़ो। मैं कह दिया, वो मामला आ गया, हाउस में आ गया, आप आगे बढ़ो क्योंकि सवा पांच बज रहे हैं अब।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं, आप चाहते हैं तो नहीं बोलूंगा मैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है If you don't want I will not speak.

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, नहीं, जोशीजी...(व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): नहीं, नहीं, मंत्री महोदय, मैं आपको सिर्फ यह कहना चाहती हूं, अगर हमने आवाज उठायी तो आप... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपको किसने रोका रिप्लाई करने के लिए...(व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): मैंने कभी नहीं...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): Why you are intervening? You have a right to reply. Why you are intervening? Why you are so shaky about all these things? You have a right to reply to it. That you can use it.

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): बिकॉज..., आप फिर वो ही चल रहे हो आप।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): That right you are having. When I am speaking you are raising. If you don't want then I don't want to speak.

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): इन्टरवीनिंग इसलिए कि गलत बातें अगर हाउस के अन्दर आती हैं तो उसका करेक्शन करना हमारा दायित्व है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैडम मैं फिर रिपीट कर देता हूं आप करेक्ट कर दीजिए, प्रोजोन का प्रस्ताव हाऊसिंग बोर्ड के अन्दर गया। आप रिपीट कर दें नहीं गया, हाऊसिंग बोर्ड कमिश्नर ने लैटर लिखा, आप मना कर दें नहीं लिखा। यह आप यह देखिये, हाऊसिंग बोर्ड के नियमों में जो लैण्ड है वह कामर्शियल लैण्ड आक्शन के बिना नहीं बिक सकती। आप कहो बिक सकती है, आप कह दो बी डी में हमने फैसला किया है, कर सकते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो सिम्पल आपसे निवेदन करना चाहता हूं आपके इंटेशन कितने ही अच्छे हों मुख्य मंत्रीजी, पर हो क्या रहा है वह तो समझना पड़ेगा। यह तो समझना पड़ेगा कि यदि उस कामर्शियल लैण्ड को हम ऑक्शन करते हैं तो इतना पैसा मिलता है नोन टैक्स रेवेन्यू में, आप इसको एजीटेट क्यों कर रहे हैं I am not saying.

उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं कहना चाहता हूं क्रिकेट के लिए भी, फिर आपको गुस्सा आ जाएगा, पहले बोल देता हूं मैं, पहले बोलना ठीक रहेगा। उपाध्यक्ष महोदय, क्रिकेट ग्राउण्ड को आपने दिया क्रिकेट बोर्ड को, मैं धन्यवाद देता हूं। आपने एनविसेज नहीं किया कि आई पी एल होगा, आई पी एल होने के बाद इसका पैसा आएगा। अच्छा होता आप एम ओ यू में यह क्लॉज रखते कि हम कैसे-कैसे हमारी स्टेट के एक्सचेकर के संसाधन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वह जो आई पी एल के आपके गेम होंगे उस गेम के अन्तर्गत जो पैसा आएगा वह तो स्टेट को नहीं आएगा either it will be cricket board or it will be BCCI. तो हमने इतना बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा किया है तो उसमें से कुछ पैसा राजस्थान की नोन टैक्स रेवेन्यू का भी आ सकता था...(व्यवधान) न तो हम बेचारे हैं मुख्य मंत्रीजी और ना हम किसी की मर्सी पर हैं। हम

(डा. सी. पी. जोशी)

आपका सम्मान करते हैं पर आप So don't use this language. We give you full respect to you but we do not expect this thing. न हम बेचारे हैं न कोई किसी की मर्सी पर हैं। We have self respect and when we, say we say, with full confidence with figures. No Chief Minister, no Govt. have a right कि जहां पूरे स्टेट का पैसा लगा हो उसको कार्पोरेशन को दे दें वह उससे पैसा अर्न करे और हम इसको इनडिफ्रेंट होकर बैठ जाएं, यह अधिकार किसी को नहीं है।

मैं चाहता हूं इसमें यदि हम सोचते तो नोन टैक्स रेवेन्यू हमारा जनरेट हो सकता था। आज यही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, आपने वहां पर प्राइवेट सबलैट करने का कमाई करने का अधिकार भी दिया That money is also going to the Cricket Club not to the State. I wish ki मैं नहीं चाहता कि आप इतना ज्यादा सेंटीमेंटल मुझे कहना नहीं, लेकिन मेरा यह जरूर है कि इसमें भी नोन टैक्स रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता था।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं कर्मचारियों के सम्बन्ध में कहता हूं, मुख्य मंत्रीजी ने कहा अच्छी बात है। लेकिन अशोक गहलोतजी की सरकार में भी कितना भी फाइनेंशिल स्ट्रेस था, एम्पलाइज को डी ए दिया गया। जब-जब भी केन्द्रीय सरकार ने डी ए दिया। आपने उपाध्यक्ष महोदय, हमने जब डी ए रोका नाराजगी बढ़ी। आपने जब केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को 1 अप्रैल, 2004 से डी ए मिला, आपने यहां जनवरी 2007 में डी ए दिया। उपाध्यक्ष महोदय, वह जो डी ए दिया उस डी ए के अन्दर आपने लगभग नौ सौ करोड़ रुपये ग्यारह परसेंट का डी ए उसका राइट बनता था, उसको डिप्राइव किया। आपने पचास पर्सेण्ट देकर नौ सौ करोड़ रुपये आपने सेव किये। उपाध्यक्ष महोदय, और समर्पित अवकाश आपने कहा था, उस समर्पित अवकाश में भी आपने नौ सौ करोड़ रुपये सेव किये हैं आपने कर्मचारी के वेलफेयर के नाम से। यह 1800 करोड़ रुपये रखकर आपने उनको दिया है, केवल मात्र उनको दिया है अपना डी ए पचास परसेंट। आपने सरेण्डर लीव दो ब्लाक का दिया ही नहीं उनको और स्ट्राइक के पीरियड का दिया ही नहीं उनको। तो कुल पैसा उपाध्यक्ष महोदय, आपने 1800 करोड़ रुपया बचाया और आपने उनको बोनस दिया है सौ करोड़ रुपया। पांच साल का पाँच सौ करोड़ रुपये और पांच साल के पन्द्रह दिन, पन्द्रह दिन का आपने दिया सौ करोड़ रुपया, टोटल अमाउंट आपने पेड किया छह सौ करोड़ रुपीज टू कर्मचारी। और उन कर्मचारियों से

(डा. सी. पी. जोशी)

आपने पैसा वसूल कर लिया 900, 900 प्लस आपने जो सर्विस टैक्स का उसको मिला लें दो हजार करोड़ रुपये कर्मचारियों के रोककर आपने छह सौ करोड़ रुपये देकर वाहवाही लूटी है।

आपकी सरकार कर्मचारी के पक्ष में नहीं है यह कर्मचारी को मालूम नहीं है। बहन भाई का रिश्ता है उससे तो यह बात ठीक चल रही है। लेकिन कर्मचारी को जिस दिन यह समझ में आ जाएगी की यह ग्यारह परसेंट का डी ए आपने 1 अप्रैल से नहीं देकर जनवरी 2007 में दिया है, आपने एक हजार करोड़ रुपया दिया है तब मालूम पड़ेगा कि स्थिति क्या बनी है।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी I appreciate. मैं सब के सामने सदन में कहना चाहता हूं आपकी बोल्डनैस, आपकी डिसीजननैस, आपकी खण्डहर किले बताने की, आपके मंत्रीमण्डल के लोगों को छोटे करने की, हमारे को बेचारा कहने की क्षमता को मैं पसंद करता हूं। मुख्य मंत्रीजी, यह होना चाहिए। मुख्य मंत्री का कान्फिडेंस नहीं होगा तो यह फौज भग जाएगी। तो फौज को बनाये रखने के लिए आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यह जो आप रिंग रोड का, अब रिंग रोड, डवलप कोरीडोर फिर आर आर कोरीडोर, माननीय मुख्य मंत्रीजी, मेरा आपको सब्मिशन है गुजरात के अन्दर भी यह काम हुआ है। गुजरात के अन्दर किसान ने साठ परसेंट जमीन दी, अहमदाबाद के अन्दर जो रिंग रोड निकाली, साठ परसेंट जमीन दी है। आप किसान का भला करना चाहते हैं, आप उसको रिव्यू करिये। आप यह जो इंसिस्ट कर रहे हैं कि हम इतनी चौड़ी सड़क बनायेंगे, मैं समझता हूं, मैं इसलिए कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी यह विन विन सिचुएशन है। सैल टू एग्रीमेंट से किसान के नाम पर ब्रोकर ने जमीन ले ली। वह ब्रोकर आप पच्चीस परसेंट जमीन जो ले रहे हैं उस पर बैठा हुआ है इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। क्योंकि वह जो लेने वाला और देने वाला खुश है, आप इसमें खुश हैं। लेकिन जो किसान आदमी जो डिसप्लेस हुआ है वह हरियाणा की तरह मिस्टर हुड्डा ने जो किया है तीस साल तक उनके लिए जीवन की व्यवस्था करने का काम करें, मैं आपका आभारी रहूंगा। आप जितने डवलपमेंट के प्रोजेक्ट कह रहे हैं लेइये लेकिन डवलपमेंट के प्रोजेक्ट में वन टाइम लैण्ड के डिस्बर्समेंट में किसान को मत करिये, उसकी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए भी जैसा

(डा. सी.पी. जोशी)

हरियाणा सरकार ने किया है, मेहरबानी करके लम्बे समय तक यह काम करें तो लोग याद रखेंगे, किसान का आपने भला करने का काम किया है। मैं समझता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): एक करोड़ की जमीन के पन्द्रह लाख रुपये दिये हैं ....

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैंने दिये हैं?

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): एक करोड़ की जमीन के पन्द्रह लाख...(व्यवधान) तो क्या हो जाएगा।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप तो मुख्य मंत्रीजी से धर्मपालजी वह बात कहलवा दो...(व्यवधान) हरियाणा की लागू कर देंगे वह बात कहलवा दो ।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): हुड्डा ने क्या घर से दे दिये क्या?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप कह दो ना, आप 450 करोड़ रुपये जो दे रहे हो यह घर से दे रहे हो क्या, किसको जवाब दे रहे हो आप, जिन चीजों को नहीं समझते उसमें जवाब दे रहे हो। इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आपके पिछले चार साल के शासन में जिस तरह की आपकी नीतियां हैं उन नीतियों से आपका नोन टैक्स रेवेन्यू बढ़ सकता था, वह नोन टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ा, रेवेन्यू का पिलफ्रेज हुआ है।

सैण्ट्रल स्पान्सर्ड स्कीम में भारत सरकार से आपका डिवोल्यूशन Till the Congress Government was there. सैण्ट्रल का डिवोल्यूशन था 3500 करोड़ रुपये, आज आपके पास जो डिवोल्यूशन है ग्रांट और सब के एवरेज दस हजार करोड़ रुपये है। So don't compel me to say all these figures. I appreciate ki आपके पास मनी थी, आपका इंटेशन अच्छा है। पर मुख्य मंत्रीजी इंटेशन अच्छा होने के बाद भी नीचे जो व्यवस्था लगी है, उस व्यवस्था को आप नहीं सुधारोगे तो लोग मोटिव लगायेंगे और मोटिव्ज नहीं लगने चाहिए किसी मुख्य मंत्री पर भी, सरकार पर भी, यह सरकार की जरुरत बनती है कि उसकी क्रेडिटिबिलिटी बनी रहे। और मैं समझता हूं आप अपनी इस क्रेडिटिबिलिटी को

(डा. सी. पी. जोशी)

बनाकर जनता के बीच में जायेंगे तो यह सदन आपका आभारी रहेगा अन्यथा यह नोन टैक्स रेवेन्यू का जो पिलफ्रेज है वह इस बात का द्योतक है कि हमने गरीब आदमी का भला नहीं किया, हमने राजस्थान सरकार के टैक्स के पैसे से उन लोगों का भला किया है जो लोग अपने मिलने वाले हो सकते हैं लेकिन राजस्थान की जनता का भला नहीं हुआ है।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि नोन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने का अभी भी स्कोप है। उस नोन टैक्स के रेवेन्यू को बढ़ाने में भी आप उतना ही गुस्सा, उमंग और जोश, कमिटमैंट रखिये जितना आप राजस्थान के डवलपमैंट के सम्बन्ध में और चीजों के सम्बन्ध में यह निश्चित तौर पर आपको करना चाहिए। हम तो माननीय मुख्य मंत्रीजी, गरीब घर के पैदा हुए हैं, हम तो बेचारे हैं। आप तो बड़े घर से पैदा हुई हैं, बड़े घर की बेटी हैं, बड़े घर में बहू बनी हैं। आपसे लोग आशा करते हैं कि आप इस तरह के काम को रोकेंगे और जनता में विश्वास दिलायेंगे कि आपके विभाग में जो मंत्री बने हुए हैं उनके किस-किस जमीन में क्या-क्या पार्टनरशिप थी, क्या क्या धंधा किया। मैं नाम नहीं बताना चाहता, आप खुद जांच कर लें। आपको संतुष्टि हो जाए कि आपके आसपास के लोगों ने धंधा नहीं किया है तो मैं समझता हूं संविधान की शपथ का इतना बड़ा खुला उल्लंघन राजस्थान में हुआ है जो कहीं पर भी नहीं हुआ है। मंत्री को जानकारी है वह लीक करें, अपने मिलने वालों की जमीन खरीदें, यह धंधें करें, मैं समझता हूं यह राजस्थान का दुर्भाग्य है, यह काला अध्याय है। और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आप और हम सब की ड्यूटी बनती है, यदि मुख्य मंत्रीजी अच्छा काम करें, सरकार अच्छा काम करें तो हम एप्रीशियेट करें और मैं उन लोगों में हूं, मुख्य मंत्री की बोल्डनैस को एप्रीशियेट करता हूं। लेकिन मुख्य मंत्रीजी की बोल्डनैस के नाम पर उनके आसपास के लोग इस तरह के धंधे करें जिससे राजस्थान का नुकसान हो, इस बात की भर्त्सना करता हूं।

इसलिए मुख्य मंत्रीजी, फिर मैं कहना चाहता हूं, बेचारा हूं, गरीब घर में पैदा हुआ हूं लेकिन यह चैलेंज करता हूं कि राजस्थान की जनता आपको अगले चुनाव में बता देगी कि हमारी नीति क्या है और आपकी नीति क्या है, जनता के सामने आ जायेंगे।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आन ए पाइंट आफ क्लेरीफिकेशन। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नाथद्वारा से आने वाले सदस्य जब अपनी बात कह रहे थे...(व्यवधान) मैं क्लेरीफिकेशन दे रहा हूं, मैंने पाइंट आफ क्लेरीफिकेशन इजाजत मांगी है, अब इन्होंने कहते-कहते एक बात कह दी कि राजस्थान की सरकार ने अगस्ता हैलीकाप्टर खरीदने के नाम पर... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 31 करोड़ रुपये अगस्ता कम्पनी, स्पेयर पार्ट के नाम पर दे दिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सम्मुख एक बहुत आथेन्टिक डाकुमेंट रखना चाहता हूं। यह एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स हैं, पेज नम्बर 33, इसमें लिखा हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू डिमाण्ड 2052, 2070 इसमें लिखा है Supplementary grant of Rs. 31 crore 10 lakhs obtained in March, 2007 for maintenance of vehicles and aircrafts. मतलब पूरे राजस्थान में जितने सरकारी व्हीकल्स हैं और एयर क्राफ्ट हैं उनकी मेन्टीनेन्स के लिए जो पैसा दिया, 31 करोड़ रुपये वह यह कह कर यहां कह देना कि यह सारा पैसा अगस्ता हैलीकाप्टर ...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप 2008-09 का बता दें फिर धन्यवाद दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा उन्होंने लम्बी-चौड़ी बात की। मेंटीनेंस पर बहुत खर्चा हो गया, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, 2006-07, संचालन रख-रखाव पर टोटल खर्चा हुआ है 54 लाख रुपये, 2007-08 में टोटल खर्चा हुआ 11 लाख 51 हजार रुपये। यह तो हुआ है वायुयान पर, मतलब हवाई जहाज पर और हैलीकाप्टर पर जो खर्चा हुआ है 2005-06 में 144 लाख। 2006-07 में 291 लाख और 2007-08 में 259 लाख, मतलब यह पूरी राशि पूरे एक वर्ष के अन्दर इन हैलीकाप्टर और वायुयान की मेंटीनेंस और पैट्रोल और सारे खर्चे में है जिसमें वेतन का खर्चा अलग है। मतलब यह बात कह देना जिम्मेवारी से, इसलिये मैं कह रहा था कि इन्होंने कई बातें रखी

(श्री राजेन्द्र राठौड)

हैं, कई कागज भी रखे, कई चार्जेज भी लगाये हैं। जिस गम्भीरता से एक डाकूमेंट को उद्धृत करते हुए यह बात कही जो मैं भी डाकूमेंट के माध्यम से कह रहा हूं तो इनकी पूरी बात में कितनी गम्भीरता होगी यह इनकी कलई इस बात से खुलती है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री महावीर प्रसाद जैन, सरकारी मुख्य सचेतक, कार्य सलाहकार समिति के 23वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का 23वां प्रतिवेदन

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 23वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 17 मार्च, 2008 को मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वैश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 27 मार्च, 2008 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाय :-

शुक्रवार, दिनांक 21 मार्च, 2008	
शनिवार, दिनांक 22 मार्च, 2008	
रविवार, दिनांक 23 मार्च, 2008	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 24 मार्च, 2008	
	1. राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार एवं पारण।
मंगलवार, दिनांक 25 मार्च, 2008	2. राजस्थान अभिधृति विधेयक, 2008 पर विचार।
बुधवार, दिनांक 26 मार्च, 2008	राजस्थान अभिधृति विधेयक, 2008 पर अग्रेत्तर विचार एवं पारण।
	1. सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय विधेयक, 2008
	2. ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय विधेयक, 2008

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

	3. भगवन्त विश्वविद्यालय अजमेर, विधेयक, 2008
	4. जगन्नाथ विश्वविद्यालय, विधेयक, 2008 पर विचार एवं पारण
गुरूवार, दिनांक 27 मार्च, 2008	
	5. भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारूपित क्लिनिक स्थापन रजिस्ट्रीकरण और विनियमन विधेयक, 2007 के लिये शासकीय संकल्प का पारण।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 23वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 23वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रकट की गयी।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष के ऊपर जो अनियमितताएं हो रही हैं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये...(व्यवधान) माननीय सदस्य... (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): भ्रष्टाचार हो रहा है, उसका खुला आरोप मैंने सदन के अन्दर लगाया है...(व्यवधान) मैं चाहता हूं कि सदन की नेता आज सदन के अन्दर उपस्थित हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची):×××

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव):×××

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची):×××

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है...(व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक):×××

श्री हरीसिंह रावत (भीम):×××

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव):×××

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव):×××

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री):×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री):×××

श्री जीवाराम चौधरी (सांचौर):×××

श्री भवानी सिंह राजावत (संसदीय सचिव):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य...(व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठिये। आसन की बिना परमीशन के कैसे खड़े हो गये आप...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची):×××

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री):×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये आप...(व्यवधान) बैठिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, इस तरीके की...(व्यवधान) आप अपना...(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री):×××

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री):×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, किसी भी...(व्यवधान) खड़े हो जाते हैं...(व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है...(व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठिये आप। स्थान ग्रहण कीजिये आप।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री उपाध्यक्षः रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य फिर खड़े हो गये आप। बैठिये...(व्यवधान) आप पहले बैठिये। माननीय बैठिये आप। फिर आप...(व्यवधान) खारची से आने वाले माननीय सदस्य, माननीय देवल साहब, बैठिये आप। खारची से आने वाले माननीय सदस्य महोदय, आप अच्छे खासे अनुशासन में रह रहे हैं पर आपने बैठे-बैठे ही बिना मतलब की बात उछालनी शुरू कर दी यह अच्छी बात नहीं है मैं आपको बताऊं। आपको किसने परमीशन दी है? सी डी देवल साहब, आप भी बीच में बिना परमीशन लिये चेयर के बार-बार यह करते हैं। अच्छा नहीं है आपके लिये। आप पुराने सदस्य हैं। चार साल हो गये। आपको बोलने का मौका हमेशा दिया जाता है। यह कोई बात है क्या?

राजस्थान वित्त विधेयक, 2008 पर श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, श्री बाबूलाल नागर, श्री चन्द्रशेखर बैद, श्री हरिमोहन शर्मा, श्री प्रहलाद गुंजल वित्त विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

मेरा आपसे निवेदन है कोई बोलना चाहे तो आप इसमें पांच-पांच, सात-सात मिनट बोल सकते हैं दो-तीन आदमी। श्री वीरेन्द्र बेनीवाल...(व्यवधान) फिर आपका नाम आता है। बोल लेने दो। बोलने दो। श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

श्री चन्द्रशेखर बैद।

राजस्थान वित्त विधेयक, 2008 पर अग्रेतर विचार

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे फाइनेंस बिल पर आपने परमिशन दी उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं बिलकुल पाइंटेड और शोर्ट में बताना चाहूंगा। पिछले साल माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो अमेंडमेंट ऑफ राजस्थान फिस्कल रेस्पोंसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट,

(डा. चन्दशेखर बैद)

2007 के जरिये बताया था कि राजस्थान डवलपमेंट एंड पार्टी एलिविएशन फंड क्रिएट करेंगे और इस फंड के तहत फलां-फलां यह काम करवायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बार जब इस बात को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मैंने पुनः प्रस्तुत किया तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि 2006-07 के अंदर 100 करोड़ रुपये और 2007-08 में 200 करोड़ रुपये इस कोष के अंदर हमने हस्तांतरित कर दिये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा कि पिछली बार जब इस बिल के ऊपर बहस हो रही थी तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था, मैं एक लाइन कोट करना चाहूंगा, मैं इसमें बताना चाहती हूं कि इसको सेपरेटली नहीं पढ़ा जाये, राजस्थान डवलपमेंट पार्टी एलिविएशन फंड 3(ए) और 6(ए) Needs to be read in conjunction with 4 और फोर के अंदर यह लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से Funds shall not be used for meeting non-development and establishment expenditure as defined by the Comptroller of Auditor General of India. उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि पिछले साल जो 100 करोड़ रुपये पार्टी एलिविएशन फंड में रखे गये थे और नेकस्ट ईयर 2007-08 में जो 200 करोड़ रुपये पार्टी एलिविएशन फंड में रखे गये थे, आपने इस फंड का क्रिएशन कर दिया गरीबों के हित के लिए और इस पैसे का दुरूपयोग कैसे किया। उपयोग या दुरूपयोग जो भी आपने किया, कैसे किया। कहां है वह फंड, किस पर खर्च किये 300 करोड़ रुपये। क्या आपने गरीबों के लिए बनायी गयी दूसरी योजनाओं में इस पैसे को साइफन कर दिया या इस पैसे का इस्तेमाल ही नहीं किया। कहां गया वह फंड। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी इस चीज का खुलासा करें कि इन 300 करोड़ रुपये का जो पार्टी एलिविएशन फंड गरीबों को दिखाने के लिए आपने क्रिएट किया था, उस फंड का उपयोग कहां हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस बारे में जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान वित्त विधेयक, 2008 प्रस्तुत किया है, उसके अंदर पहले पैरेग्राफ में The annual assessment of the dealers in-appropriate cases and Commissioner is being authorised to extend the period of limitation for annual assessment upto six months. मैं यह जानना चाहूंगा कि यह 6 महीने के अंदर जो ड्युरेशन बढ़ायी है उसके क्या कारण हैं? क्यों बढ़ायी है? क्या आपके पास कोई मांग आयी थी? क्या आपके पास कोई रिप्रजेंटेशन आया था? क्या किसी

(डा. चन्दशेखर बैद)

ने आपको कोई मेमोरेंडम दिया? इसको बढ़ाने के पीछे क्या कारण हैं और इस तरह से इन 6 महीनों का अधिकार कमिश्नर को देने से करेप्सन बढ़ेगा, इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस तरह की मांग को रिजेक्ट किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, तीसरा, पैरा नम्बर 2 में माननीय ने यह प्रस्तुत किया है कि The present dealers who have opted for payment of tax under section 2 of section 3 and under section 5 of the Act have been excluded from the purview of audit except in these dealers the turn over exceeds Rs. 40 lakhs in a year. Why 40 lakhs? जब इन्फलेशन इतनी बढ़ गयी, पूरे हिन्दुस्तान की इकानामी की ग्रोथ हो रही है। राजस्थान की इकानामी की ग्रोथ हो रही है तो आपने 40 लाख टर्न ओवर की टैक्स, यदि इसको आप विभाजित करके देखें कि 12 महीने में 40 लाख कितना होता है और प्रतिदिन में 40 लाख के हिसाब से 10 हजार रुपये टर्न ओवर में आता है तो मेरा निवेदन यह है कि इस लिमिट को बढ़ाकर के कम से कम 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपये किया जाये। इसका दूसरा लौजिक यह है कि जब केन्द्र सरकार ने स्माल एंड मीडियम यूनिट्स का टर्न ओवर बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया ऐसी स्थिति में जो यह आडिट करने की लिमिट आपने निर्धारित की है, 40 लाख उसे बढ़ाकर कम से कम 1 या 2 करोड़ रुपये किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी कहती हैं कि हमने कोई टैक्स नहीं लगाया। कैसे नहीं लगाया, यह आपने पिछले दरवाजे से टैक्स नहीं लगाया तो और क्या किया है। यह आप देखिये, सैक्शन नम्बर टू, राजस्थान एंटरटेनमेंट एंड एडवर्टाइजमेंट टैक्स यह जो डायरेक्ट टू होम जो डिस ऐंटिना से घरों के ऊपर टेलीकास्ट किया जाता है, उसके ऊपर टैक्स का प्रावधान किया गया है जिससे कि आज रूरल और अरबन एरिये में जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, जो सेटेलाइट माध्यम से डिफरेंट चैनल्स टेलीविजन पर देखे जाते हैं, उन सर्विस प्रोवाइडर पर टैक्स लगाकर आपने डिस ऐंटिना को महंगा कर दिया और राजस्थान में जो दूरदराज में बैठी जनता है, जो सेटेलाइट से टेलीविजन देखना चाहेगी उन्हें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा और यह पीछे के चोर दरवाजे से लगाया गया टैक्स है, जो कि अनुचित है।

उपाध्यक्ष महोदय, सैक्शन नम्बर 3, राजस्थान मोटर व्हिकल टैक्सेशन एक्ट, इसके माध्यम से जो गाड़ियां पांच साल से अधिक पुरानी हो

(डा. चन्दशेखर बैद)

गयी हैं, उनके ऊपर ग्रीन टैक्स लगाने का प्रावधान रखा गया है, यह एक सराहनीय कदम है लेकिन इसमें यह स्पेसिफाई करना चाहिए था बजट के अंदर भी कि इसमें कितनी रेवेन्यु जनरेट होगी और इस रेवेन्यु का उपयोग किस तरीके से पोल्युशन को मिटाने के लिए किया जायेगा। इसमें कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्षः बैद जी, आप कनक्लूड कीजिये।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): मेरे को बोलने तो दो। बिल के ऊपर बोलने में एक-एक प्रोविजन है, या तो बिल ही छोटा बनाते या बिल में जितने पैराग्राफ लिखे हुए हैं, उनमें एक-एक पैराग्राफ के अंदर दो-दो बात तो बोलूंगा मैं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कंटीनजेंसी फंड एक्ट, 1956 इसके अंतर्गत जो आपने इसकी लिमिट बढ़ायी है और यह कहकर के बढ़ायी है The size of the Government budget has increased about 10 times since last revision in 1988. और इसको बढ़ाकर के 35 करोड़ रुपये जो किया गया है, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिए कुछ न कुछ रेसनेल होना चाहिए। बीस साल से आपने बढ़ाया है, टैक्स आप हर साल बढ़ायेंगे तो जिस-जिस जगह बढ़ाया जाये उसी के अनुपात में कंटीनजेंसी फंड का अमाउंट भी बढ़ाया जाना चाहिए Rajasthan Finance Act. Environmental. Last and final thing what I want to put is ki एनवायर एंड हैल्थ सेस जो लगाया गया है, अब तक हिन्दुस्तान में केन्द्र सरकार ने या राज्य सरकारों ने जो भी सेस लगाये हैं उसकी पूरी परिभाषा उन्होंने डिफाइन की है, उन्होंने यह बताया है कि ऐसा टैक्स लगाने से कितनी रेवेन्यु जनरेट होगी और उस रेवेन्यु का कहां सदुपयोग होगा। उदाहरण के तौर पर जो एजुकेशन सेस केन्द्र सरकार ने लगाया तो उन्होंने यह स्पेसिफाई किया था कि इस पैसे का इस्तेमाल प्राइमरी और अपर प्राइमरी एजुकेशन का प्रचार करने के लिए पूरे देश में किया जायेगा और जिसके अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। लेकिन इन एनवायरमेंट एंड हैल्थ सेस के अंदर यह स्पेसिफाई नहीं किया है कि मिनरल जहां से निकलता है, वहां पर हैल्थ सेस लगाने से पैसा इस्तेमाल कहां किया जायेगा। सरकार को चाहिए था कि वह इस चीज को स्पेसिफाई करे और इन चीजों को डिफाइन करे और बजट में इसको क्यों नहीं डाला है। इससे एक तो यह दावा बिलकुल

(डा. चन्दशेखर बैद)

असत्य साबित हो गया है कि बिना टैक्स का बजट है। यह टैक्स चोर दरवाजे से, आपने ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर लगाया है और इस तरह से टैक्स लगाकर राजस्थान की जनता पर अधिभार डाला है और इसको बिना स्पेसिफाई किये जाने से अब पता नहीं इस पैसे का किस तरीके से, कौनसी मद में इस्तेमाल होगा। किया यह जाना चाहिए था कि इसको क्लियरली डिफाइन और स्पेसिफाई किया जाना चाहिए था, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: हरिमोहन शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षेप से क्योंकि बड़ी सारगर्भित चर्चा विस्तार से हो गयी। लेकिन संक्षेप में अपनी बात इस वित्त विधेयक के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह निर्विवाद बात है कि राजस्थान की वर्तमान मुख्यमंत्री और जो भी मुख्य मंत्री बने हैं वह हमारे ट्रस्टी हैं। हमारा जो बजट प्रावधान है उनकी वह ट्रस्टी हैं और उनकी यह जिम्मेदारी बनती है, ट्रस्टी होने के नाते कि जो बजट प्रावधान उन्होंने 2007-08 में किया था उनके अनुरूप वह कार्य संपन्न कर पायें। लेकिन यह नहीं कर पाये। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने ट्रस्टी होने के नाते और एक महिला होने के नाते और मातृत्व भाव से पूरे राजस्थान के हर जिले के साथ समानता का व्यवहार किया है। और क्या माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिन लोगों ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने में कोई कसर रखी है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं बहुत संक्षेप में कि आपका जो एनुअल बजट 2007-08 है और उसमें आपने जो 31 जनवरी, 2008 तक के आंकड़े जो सरकारी स्तर पर दिए हैं वह सारे के सारे आंकड़े आप देख लो कि जो बजट प्रोविजन था उसके मुकाबले बहुत कम है और विकास की जो गति होनी चाहिए थी वह गति माननीय मुख्य मंत्रीजी नहीं दे पाई। एग्रीकल्चर एण्ड एलाइड सर्विसेज, जिसमें 29942 लाख रुपए जिसमें से केवल मात्र 31 जनवरी तक 15357 लाख रुपए ही यह सरकार खर्च कर पाई। रूरल डवलपमेंट में 92117 लाख था उनमें से केवल मात्र 55886 लाख रुपए खर्च कर पाई, इसी प्रकार इर्रिगेशन एण्ड फ्लड कण्ट्रोल में जो 100124 लाख में से केवल मात्र 56315 लाख रुपए वह खर्च कर पाए। पावर के हालात में भी 557080 लाख रुपए में से केवल 366482 लाख रुपए ही खर्च कर पाए। इसी

(श्री हरिमोहन शर्मा)

प्रकार इण्डस्ट्री में है, ट्रांसपोर्ट में है, साइन्टिफिक सर्विसेज में तो बहुत ही कम है 649 लाख के प्रावधान के अंतर्गत केवल मात्र 120 लाख रुपए ही खर्च कर पाए। सोशल एण्ड कम्यूनिटी सर्विसेज, उनमें भी यही हालत है और इकोनोमिक सर्विसेज में तो और भी खराब है।

इसी प्रकार केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में है, उनमें जितनी राशि का प्रावधान था, आउट ले था उनके मुकाबले आप चाहे एग्रीकल्चर एण्ड अलाइड सर्विसेज का देखो, बोर्ड आफ रेवेन्यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन, उसके लिए बजट प्रोविजन देखो, मिड-डे मील का देखो, टोटल इर्रिगेशन एण्ड फ्लड मैनेजमेंट का देखो, आप इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट में देखो और इसके साथ ही आप इकोनोमिक सर्विसेज में देखो, सैकण्डरी एजूकेशन में देखो, मेडिकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेंट को देखो, आयुर्वेद को देखो, रूरल वाटर को देखो, अरबन वाटर को देखो, टाउन प्लानिंग को देखो, जूडिशल हाउसिंग को देखो, यह सारी की सारी केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं थीं, उन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में भी यह 31 जनवरी, 2008 तक के जो लक्ष्य थे उनको प्राप्त करने में काफी पीछे रहे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से दो छोटी-छोटी बातें निवेदन करना चाहता हूं कि वह राजस्थान की मुखिया होने के नाते राजस्थान के इन बजट प्रावधानों की ट्रस्टी होने के नाते और राजस्थान की मुखिया होने के नाते हर जिला यह अपेक्षा उनसे करता है जिस प्रकार से एक महिला मातृत्व भाव के हिसाब से सब बच्चे बराबर होते हैं, सब संतानें बराबर होती हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी अगर मातृत्व भाव से सोचकर राजस्थान के हर जिले के साथ न्याय करतीं तो मैं आपको कोई बात नहीं कहता। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक दो जिलों, हो सकता है जहां से वह चुनाव जीतती हों, फिर भी आनुपातिक दृष्टि कोण से माता का यह कर्तव्य है, भले ही वह चुनाव लड़े, भले ही वह वहां से राजनीति करे लेकिन यह उसका कर्तव्य है कि दूसरे जिलों के साथ भी वह ऐसा व्यवहार न करे जिससे उस माता की संतानें यह महसूस करे और यह सोचे कि हमारी मां ने यह कैसा न्याय किया है, हर बच्चे के मन में विद्रोह पैदा करता है। हम राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह अपेक्षा नहीं करते थे लेकिन राजस्थान की वर्तमान माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक मातृत्व भाव, समानता का व्यवहार राजस्थान के पूरे जिलों में नहीं किया और कतिपय जिलों में से

(श्री हरिमोहन शर्मा)

केवल मात्र जो-जो उनके चहेते जिले थे उनमें बजट प्रावधानों का आवश्यकता से अधिक, जरूरत से अधिक और बिना कुछ आवश्यकता हुए वहां धन की उपलब्धि कराई, यह राजस्थान के हित में माननीय मुख्य मंत्रीजी का न्याय संगत फैसला नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम यह भी चाहते हैं कि राजस्थान की वर्तमान माननीय मुख्य मंत्रीजी जो हमारी ट्रस्टी है, उनको भले ही यह लोग माता के रूप में, दुर्गा के रूप में, अन्नपूर्णा के रूप में प्रदर्शित करें, राजस्थान की जनता इस बात को स्वीकार करने वाली नहीं है। लोग ट्रस्टी के रूप में और महिला होने के रूप में, एक माता के रूप में हम उनका अस्तित्व स्वीकार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकारी धन का दुरुपयोग अगर कहीं होगा, अगर किन्हीं व्यक्तियों ने किया होगा, अगर वह कहीं कर रहे होंगे तो माननीय मुख्य मंत्रीजी उनके खिलाफ डटकर कार्यवाही करेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मात्र दो उदाहरण झालावाड़ जिले के देना चाहता हूं। हिम्मतगढ़ के जो सरपंच हैं, सुनैल के जो सरपंच हैं, गोविन्दलाल धाकड़, वह दो साल पहले 14 लाख रुपए के फर्जी पट्टे जारी कर चुके हैं। 14 लाख रुपए लेकर भग चुके और उनकी जांच हो गई, जांच होने के बाद रिपोर्ट हो गई, वह सरपंच आज तक सस्पैण्ड नहीं है और वह लाखों रुपए जांच के बाद भी यह उनके पास है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से जहां 14-14 लाख, 25-25 लाख रुपए दूसरा जिला हो तो हमारी समझ में आता है लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी का निजी जिला हो, उनकी जानकारी में हो, दो साल तक 409 और 420 में एफ आई आर दर्ज होने के बाद पंचायतीराज मंत्रीजी उसे सस्पैण्ड नहीं करे, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करे। यह न्याय संगत नहीं है। (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह वित्त विधेयक का पार्ट है क्या? क्या वित्त विधेयक पर चर्चा हो रही है? यह वित्त विधेयक का पार्ट है? वित्त विधेयक पर बोले माननीय सदस्य। मतलब यह वित्त विधेयक पर बोलना है तो वित्त विधेयक पर बोलिए। माननीय सदस्य अनर्गल बातें कर रहे हैं। (व्यवधान) आप इनसे कहें कि यह वित्त विधेयक पर बोलें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप विराज जाइए। आप विराज जाइए। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछ लिया, चर्चा करा ली, मैंने जवाब दे दिया, बार-बार उसके बाद उसी प्रश्न को जो आपने पूछा है वह प्रश्न उसको रिपीट कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ तो इन पर लगाम लगाई जाए। ऐसा तो नहीं है कि इनको लाइसेंस मिल गया एक-एक बात को सौ-सौ बार रिपीट करने का, इन्होंने इस बारे में प्रश्न पूछ लिया, मैंने जवाब दे दिया, उस समय मामला आपने खतम कर दिया। आज वापस उसी बात को यह उठा रहे हैं, यह क्या मतलब है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये नियमों से बोले, इनके ऊपर रोक लगाई जाए, यह थोड़े है कि मर्जी आए सौ-सौ बार बोले, क्या सदन में और कोई मामले नहीं आएंगे क्या, इन्होंने एप्रोप्रिएशन बिल में बोल दिया, बजट में बोल दिया, पर्ची के माध्यम से भी बोल दिया, एक ही मामले को लेकर बैठे रहेंगे? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप इनको बैठाइए। इनको बैठाइए आप। आपने खाली जवाब दिया है कोई कार्यवाही नहीं की। आपने केवल जवाब दिया है, कोई कार्यवाही नहीं की। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको हिदायत दे दी जाए कि यहां पर रिपीट नहीं करें, आप रिपीट करेंगे तो मैं भी बोलूंगा। (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन को मजाक बनाकर रखा हुआ है। माननीय सदस्य, प्रतिपक्ष के वित्त विधेयक पर बोल रहे हैं। (व्यवधान) इनको रोका जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन नियमों और प्रक्रियाओं से चलता है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): एक सरपंच ही दिख रहा है आपको और तो कोई नहीं दिख रहा है आपको। बार-बार क्या बोल रहे हो, क्या जरूरी है एक ही बात को सौ-सौ बार रिपीट करने की? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। आप मिले हुए हो क्या, क्यों नहीं सस्पैण्ड करते हो। क्यों नहीं सस्पैण्ड करते हो आप?

श्री उपाध्यक्षः आप यह कई बार बोल चुके हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इसी प्रकार आप सुन लो पहले, माननीय मुख्य मंत्रीजी, ट्रस्टी हैं, अगर धन का दुरुपयोग होगा तो माननीय मुख्य मंत्रीजी को रोकना पड़ेगा, धन का दुरुपयोग होगा तो माननीय मुख्य मंत्रीजी को रोकना पड़ेगा।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य विषय से हटकर बोल रहे हैं, इनको रोकिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक ही बात को दो सौ बार रिपीट कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इसी प्रकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जो जांच हुई है उसमें 4.5.7 को भी लाखों रुपए सरपंच खाकर भाग गया, वह भारतीय जनता पार्टी का मण्डल अध्यक्ष है और प्रदेश स्तर पर...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप बार-बार रिपीट कर रहे हैं।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 154...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई बात नई नहीं कह रहे हैं और वह की वह बात कही है। राष्ट्रीय रोजगार योजना का भूत इनको सपने में भी आता है।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): Finance Bill. (1) In this rule Finance Bill means the Bill ordinarily introduced in each year to give effect to the financial proposals of the Govt. of Rajasthan for the next following financial year and includes a Bill to give effect to supplementary financial proposals for any period. कहां बोल रहे हैं, यह माननीय सदस्य ? माननीय सदस्य, फाइनेंस बिल पर बोले रहे हो और यह फाइनेंस बिल, यह 154 है, फाइनेंस बिल डिफाइन किया हुआ है।

श्री उपाध्यक्षः आप पंचायत विभाग की मांग पर कह चुके हैं, कई बार आपने यह बात कह दी इसलिए आप बैठें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं अब मेरी बात को समाप्त करता हूं, आप सुनो तो सही। माननीय मुख्य मंत्रीजी से मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी ट्रस्टी के रूप में जो भूमिका है उसको सही ढंग से निभाएं और जिसने सरकारी

(श्री हरिमोहन शर्मा)

धन का दुरुपयोग किया है उनको तत्काल सस्पैण्ड करके उनको जेल भेजने की कार्यवाही करें। धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मुख्य मंत्रीजी, प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): इसको रिजेक्ट तो करवाइए।

श्री उपाध्यक्ष: अण्डरस्टैंडिंग यह थी कि एक साथ बोल लेंगे, उसके बाद जवाब आ जाएगा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): या तो वापस लें या इसको रिजेक्ट कराएं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): संसदीय परम्पराओं का निर्वहन करना पड़ेगा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह नई परम्परा कहां से डाल रहे हो? विड्रा करें।

श्री उपाध्यक्ष: दोनों का जवाब एक साथ ही देंगे।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप विड्रा कराएं या इसको वोट से गिरवाइए, एक काम तो करें। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): विड्रा कराएं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मुख्य मंत्रीजी, जवाब दीजिए। माननीय मुख्य मंत्रीजी जवाब देंगे।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं। बीच में नहीं बार-बार। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे इस स्वतंत्र भारत की कांस्टीट्युशनल व्यवस्था के अंदर अभी-अभी बातें उठी हैं हाउस के अंदर। मैं भी मानती हूं कि जनता की आवाज, उनकी आशाएं, उनकी आकांक्षाएं, उनकी मुसीबतें, उनकी प्रोब्लम्स को रेज करने के लिए हम सब को यहां भेजा हुआ है और मैं यह भी मानती हूं कि यह बजट पास करने का काम, यह खजाना जो स्टेट का है उसकी एक बड़ी सैंक्टिटी है और हम लोगों को, सही कह रहे थे हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य कि हम लोगों को ट्रस्टी बनाया है। एक ट्रस्टी के रूप में हम इस पूरे प्रदेश की अमानत को

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सम्भाल रहे हैं। इसीलिए मैं समझती हूं कि जो राजस्थान के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन लोगों को एक किस्म से जनता ने एक राइट दिया है उनकी बातों के लिए हम लोग एक दफे विशेष तरीके से डिसकसन करेंगे, उनकी मुसीबतों को समझने की कोशिश करेंगे और राजकीय खर्चे को किस तरीके से अथोराइज्ड करेंगे यह भी उन लोगों ने अधिकार दिया हुआ है। इसलिए यह खाली बजट के ऊपर चर्चा करना या उसको पारित करना एक औपचारिकता ही नहीं है, मैं समझती हूं उससे ज्यादा एक बहुत बड़ा दायित्व, एक जिम्मेदारी हम लोगों को दी हुई है। इसलिए आज के दिन मैं सदन के अंदर सब का आभार प्रकट करना चाहती हूं जिन सब लोगों ने आज के डिसकसन के अंदर भाग लिया और अपने विचार, बहुत उपयोगी विचार हम लोगों के सामने रखे क्योंकि मैं समझती हूं हम लोगों को यह फीलिंग है जनता के बारे में तो हम सब को वो फीलिंग है और जितना स्ट्रोंगली हम उसके बारे में फील करते हैं मैं समझती हूं कि आप लोग भी फील करते हैं।

इसलिए चाहे पक्ष या विपक्ष की तरफ से जो भी सुझाव आते हैं वे हमारे लिए सर्वमान्य हैं और हमारी कोशिश यही रहेगी कि उनको समझें, समझने की हम भी कोशिश करें और उसको जहां तक हम क्रियान्वित कर सकते हैं वहां तक उसको क्रियान्वित करने की हम पूरी कोशिश करेंगे।

हम लोगों ने पिछले चार साल के अंदर जो-जो फाइनेंसियल डिसीजन लिये हैं मैं समझती हूं अच्छे डिसीजन लिये हैं। I am sure, उसके अंदर क्रिटिसिज्म के बहुत सारे रास्ते होंगे क्योंकि हमारे हाथ में जादू का डण्डा तो है नहीं कि हम उसको पूरी तरह से जो भी पुरानी मिस्टेक्स हुई हैं उन सब को एक डण्डे से हम गायब करवा दें। परन्तु हमने इसमें कोशिश भी की है और मैं समझती हूं अगर समृद्धि के पथ के ऊपर हम लोग चल पड़े हैं तो सबसे अधिक हमको कहीं कठिनाई हुई है तो वह प्राकृतिक आपदाओं से हुई है। सबसे पहले तो अकाल की मार पिछले पांच साल के अंदर अभी आप लोगों ने देखी थी उसके पहले भी राजस्थान कई बार उससे जूझा है और हम लोगों ने उसको बड़े करीब से देखा था। उसके बाद बाड़मेर के अंदर बाढ़ होना, उसके बाद 2006-07 के अंदर रबी के दौरान ओलावृष्टि होना और अभी 2007-08 की रबी के अंदर पाले की जो मार पड़ी है उससे भी हमारे किसान को और उसकी वजह से हमारे प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। परन्तु मुझे अफसोस है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जिस तरीके का रवैया केन्द्र सरकार का

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

होना चाहिए था वो हमारे साथ नहीं हुआ और आप यही समझें कि राजस्थान को या हम लोगों को अनाथ सा छोड़ दिया उन लोगों ने, जो मदद करनी चाहिए थी वह मदद हम लोगों को नहीं मिली।

बाड़मेर की बाढ़ के अंदर मैंने पहले भी कहा, अब फिर उसको रिपीट करना चाहूंगी कि हम लोगों ने 3 हजार करोड़ से ऊपर का जो नुकसान अपनी आंखों से देखा और आंका उसका पूरा पत्र बनाकर हम लोगों ने दिल्ली तक भेजा था। केन्द्र सरकार ने उसके ऊपर सिर्फ 100 करोड़ रुपये दिये और वह भी फ्रीज कर दिया। सीआरएफ के नोर्म्स रिवाइज करने में इतना समय उन्होंने लगा दिया कि ओलावृष्टि के आधे नुकसान की भरपाई स्टेट गवर्नमेंट को अपने सीमित रिसोर्सेज से करनी पड़ी जो पैसा उन लोगों को हमारे पास भेजना चाहिए था।

अभी-अभी पाले में जो नुकसान हुआ है उसके लिए मैंने गृह मंत्रीजी को चिट्ठी भी लिखी है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री परसराम मदेरणाजी ने जाकर वहां बात की यूपीए की अध्यक्षा से और कांग्रेस की अध्यक्षा से बात की और उनसे भी विनती की, पर अभी तक कोई उत्तर मिला नहीं है। मैं तो समझती हूं कि पाले के हुए नुकसान को सीआरएफ तो क्या कवर करेगा, यह केन्द्र सरकार का आज दिन तक निर्णय है कि वह हमको उस पर कुछ नहीं देंगे। मैं यह मानती हूं कि इससे हम सब लोगों को गहरा अफसोस होगा, हमको ही नहीं आप सब को, पूरे हाउस को। इसके बावजूद भी मुझे अपनी पूरे प्रदेश की जनता के ऊपर बहुत गर्व है कि इन सब के बावजूद सब लोगों ने आगे आकर, आगे बढ़कर मदद करने की वहां कोशिश की।

एक चीज यहां अण्डरलाइन करना चाहूंगी कि राजस्थान एक बहुत ही स्वाभिमानी प्रांत है और मुझे खुशी है कि बिना अपने स्वाभिमान को गिरवी रखे, बिना भीख मांगे हमने अपने किसान भाइयों को राजस्थान की गरीब जनता को जहां तक हम लोग मदद कर सकते थे वहां मदद करने की पूरी-पूरी कोशिश अपने सीमित रिसोर्सेज से हमने की। हमने अपने संसाधनों को बाढ़ के अंदर बाड़मेर में इस्तेमाल किया, हमने ओलावृष्टि के अंदर भी उसको इस्तेमाल किया और अब जब पाला हुआ है तो उसके अंदर भी हम लोगों ने अपना पैसा यानी स्टेट का पैसा लगाने की तैयारी में हैं। इससे मैं समझती हूं

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

कि सहानुभूमि हम सबने प्रकट की है। केवल सहानुभूमि ही नहीं हम लोग एक -दूसरे ने अपील, मदद करने की अपील सबसे की, परन्तु जब परसराम मदेरणा जैसे वयोवृद्ध नेता की बात वहां नहीं मानी गयी तो मैं समझती हूं कि इस संकीर्ण राजनैतिक जो समझ है और सोच है उसको थोड़ा सा अलग करने के लिए हम सब को उनसे प्रार्थना करने की जरूरत है क्योंकि मैं समझती हूं कि ऐसे टाइम में हमारा पूरा हाउस एक होकर उसके ऊपर आवाज उठाये तो हमारे गरीब किसानों को पूरी तरह से मदद मिले और उसका फायदा हम सब को यहां हो। इसलिए मेरा आपसे एक दफे फिर से आग्रह है कि इसके ऊपर आप भी हमारी मदद करेंगे ताकि हम इस चीज को और जो गलत निर्णय वहां हुए हैं उनको हम पलट सकें और सीआरएफ को सही तरीके से हम अपने प्रदेश में इस्तेमाल कर सकें।

पिछले छह दशकों के दौरान यह कोशिश हुई है कि एक फोक्स्ड अप्रोच हम लोग लाने की कोशिश करें और टार्गेटेड तबकों को सहायता पहुंचाने की हम लोग कोशिश करें। इसी के फलस्वरूप बहुत सारी गरीबी उन्मूलन योजनाएं हैं, बहुत सारे सरकारी विभागों के माध्यम से मैंने देखा है कि केन्द्र की सरकार भी चलाती हैं और राज्य की सरकार भी चलाती है इसलिए वह फोकस शिफ्ट हो जाता है, उसका फोकस हट जाता है और जिस तरीके से हम टार्गेटेड अप्रोच करके जिसको टच करना चाहते हैं वह पूरी तरह से कर नहीं सकते।

भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्रीजी ने एक दफे यह कहा था आपको याद होगा कि जो भी सामान होता है वह सिर्फ 15 प्रतिशत वहां जमीं तक पहुंचता है, उन्होंने यह आंका था। कई इकोनोमिस्ट ने भी यह माना है कि अगर बहुत सारे इन बीच में आने वाले विभागों के हम अलग करके टार्गेट करके फोकस करके उस चीज को अपने आडिएंस तक या जिनको हमको पहुंचाना है वहां तक हम पहुंचा दें तो उनका लाभ भी होगा और उनके लिए सार्थक भी होगा और एक्चुअली वास्तविकता में उन लोगों को मदद मिल जाएगी।

25 फरवरी, 2008 के अंदर मैंने भामाशाह वित्तीय सशक्तीकरण योजना दशकों पुरानी समस्याओं को हटाने के लिए आप लोगों के बीच में अनाउंस किया। यह एक ऐसी अनूठी पहल है कि पूरे देश के लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, मेरे पास बजट से पहले भी फोन हमारे पास आये कि आप लोगों

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

ने क्या किया है, इस फाइनेंसियल इंक्लूजन के बारे में हम लोगों को भी समझाएं। जगह-जगह से फोन आ रहे हैं क्योंकि जो चीज सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी वो फर्स्ट टाइम इन इण्डिया इस राजस्थान प्रदेश ने किया है। और मैं समझती हूं कि इस पहल को आप सब को वैसे भी मानना चाहिए। मैं बताना चाहूंगी, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि मैं सझती हूं कि बजट के अन्दर इस चीज की महत्ता शायद आप तक नहीं पहुंची और मैं शायद इसको एक्सप्लेन इस तरह से करना चाहूंगी कि आप समझ सकोगे कि इसमें कितना विचार करने के बाद हमने उस गरीब तबके की सोच करके उनके फाइनेंशियल इन्क्लूजन के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।

इस योजना के अन्दर सबसे पहले 50 लाख ऐसे परिवार हैं जो कि हमारे प्रदेश की वित्तीय जो मुख्य धारा है उससे अलग हैं उसके अन्दर उनको जोड़ने का एक बहुत बड़ा प्रयास हम लोगों ने किया है। और दूसरा हमने यह सोचा कि उनके लिए हम लोग बैंक खाते खोलें जिसके अन्दर 1500 रुपये एक मुश्त राशि एक प्रोत्साहन के लिए उसमें डालें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके अंदर आएं। और हमने यह भी सोचा कि यह जो अकाउंट होगा वह गृहिणी के नाम पर होगा यानी घर की गृहिणी के नाम पर यह अकाउंट होगा और वह अपने विवेक से इस पैसे को खर्च कर सके, एटलीस्ट वह बैंक अकाउंट खुलेगा, यह हमने सोच कर के 1500 रुपये से शुरूआत की है। और मैं कह रही हूं, खाली शुरूआत है यह क्योंकि खाते खुलने के बाद सरकार जब भी चाहे किसी भी स्कीम के जो पैसे होते हैं उनको डाइरेक्टली उसके पास हम भेज सकते हैं। इतनी विशाल जो समस्या हम लोगों के सामने आती है वह बहुत ही नेरो डाउन हो जाएगी और डाइरेक्ट एफेक्ट उन लोगों को होगा। उदाहरणार्थ आपका जो अनाज पहुंचाने के बजाय सहायता का मूल्य अगर हम सीधे उस बेनिफिशयरी तक पहुंचा दें तो मैं समझती हूं कि उसको ज्यादा फायदा होगा और बैंक के खाते में डाइरेक्टली अपन उसको दे सकते हैं। यही नहीं, हम लोगों ने बहुत बड़ी ऐतिहासिक पहल उसके साथ-साथ की, अभी हमने स्वास्थ्य बीमा के साथ भी सब लोगों को, गरीब जनता को, बी.पी.एल. परिवारों को उसके साथ जोड़ दिया है । अब इसका मतलब यह हुआ कि बी.पी.एल. का कोई भी सदस्य, उस परिवार का कोई सदस्य अगर हास्पिटेलाइज होता है तो एक स्मार्ट कार्ड के माध्यम से बिना पैसे खर्च किए हुए वह अपना इलाज वहां करवा सकता है, यह बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पहले ही जाता है पैसे ढूंढने के

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

लिए किससे पैसे बोरो कर सकता है, पैसे लाकर और अपने परिवार को और डूब जाता है। यहां तो लोगों ने यह कहा है कि कोई भी बी.पी.एल. के अंदर या एपीएल के अंदर प्राब्लम हो जाती है किसी परिवार को तो क्योंकि इतना बड़ा लोन उसको अपने इलाज के लिए लेना पड़ता है, अपने परिवार के ऊपर बहुत बड़ा भार उसका भी पड़ जाता है इसको हटाने के लिए और उसको मदद करने के लिए हमने इस स्वास्थ्य बीमा को इसके साथ जोड़ने की कोशिश की है।

साधन को मैं यह याद दिलाना चाहूंगी कि बी.पी.एल. परिवार के लिए हमने आलरेडी यह पन्नाधाय बीमा योजना चालू कर दी गई है, आलरेडी चल चुकी है, एक साल के लिए, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोगों को मिला है, यह पन्नाधाय बीमा योजना के अन्दर एक्सीडेंट माने, एक्सीडेंटल डेथ और नेचुरल डेथ, यह खाली लाइफ इंश्योरेंस के लिए है और एजुकेशन का एक कम्पोनेंट इसके अंदर है कि दो बच्चे अगर इसमें होते हैं तो 1200 रुपये तक आप इनको एक स्कालरशिप के तौर पर पैसा भी दे सकते हो। यह आपकी पन्नाधाय जीवन बीमा योजना है, अब स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी उनको इसी के साथ मिलेगा और भामाशाह योजना के माध्यम से यह सीधे वित्तीय सहायता को भी हम देना चाहते हैं और वह सिर्फ एक ही कार्ड पर तो, ये तीनों चीज एक ही कार्ड पर होंगी तो उसको इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी तो वह एक कार्ड के ऊपर इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकेगा। इसीलिए मैं आप सब को यह याद दिलाना चाहूंगी कि जो-जो यह फाइनेंशियल इन्क्लूजन हैं, वह सिर्फ बी.पी.एल. परिवारों के लिए हम लोगों ने सीमित नहीं किया है। हमने यह भी तय किया कि कोई अल्प आय के वर्ग भी हैं तो उनको भी इसके साथ जोड़ा जाए और इसमें लघु और सीमांत कृषक तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे इनका भी हम लोगों ने, मैंने प्राविजन किया है और प्रदेश के प्रत्येक लघु और सीमांत कृषक को भले ही वह बैंक के डिफाल्टर हों, भले ही उसने लोन भी नहीं लिया हो, इस वित्तीय वर्ष के अन्दर कम से कम 1500 रुपये की सहायता उसके बैंक के अन्दर चली जाएगी, उसका बैंक का खाता खुल जाएगा और वह प्रोत्साहन स्वरूप उसको मिलेगा। अब ठीक इसके विपरीत यह 60 हजार करोड़ की बात जो अपन ने सुनी है और इतना हल्ला हुआ है और सब लोगों ने वह उसके बारे में बहुत सारी बातचीत की है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। केन्द्र सरकार ने छोटे किसानों के साथ मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है, एक मजाक किया है क्योंकि...(व्यवधान)

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

आप सुन लीजिए, कर्जा माफी नहीं, पर आप भी उसको देखिए, हम इस तरीके से नहीं कह रहे हैं और मैं समझती हूं कि अपने को इसको लाइटली लेना भी नहीं चाहिए। पोलिटिक्स तो अपन हाउस के बाहर करेंगे परन्तु हाउस के अंदर तो अपने को समझने की कोशिश है कि वाकई में क्या हुआ है और, उसको हम किस तरह फिर उसको बाहर जाकर आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, वह बात अलग है। परन्तु मैं यह कहना चाहती हूं कि बजट की घोषणा के 18 दिन बाद भी योजना का कोई भी सरकारी खुलासा नहीं हुआ है, हमें यह नहीं मालूम कि कैसी योजना होगी, हम रोज-रोज उसका पता करने की कोशिश कर रहे हैं इसके योजना के जो डिटेल्स हैं वह हमारे तक आप लोग पहुंचा दें ताकि हम आगे उसको देख कर के किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं, वह देखने की कोशिश करें परन्तु अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ है।

केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी ने संसद में आम बहस के अन्दर कुछ बात जरूर कही थी जो कि 15 तारीख के कुछ समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया था, मेरे पास टाइम न्यूज नेटवर्क की जो रिपोर्ट उपलब्ध है उसमें खाली दो चीज मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी, वह है In the disbursement plan which would be spread over the next three years. माने, पहले ये प्राविजन किस तरीके से होने वाला है, यह देखने की जरूरत है। Over the next three years 15 thousand crores have been provided in 2009-10, 12 thousand and two thousand in 2010-11, Eight thousand in 2011-12. यह जो वेवर का भुगतान वर्ष 2008-09 से चार वित्तीय वर्ष के अंदर हम लोग करने जाएंगे यानी 2011-12 तक किया जाएगा...(व्यवधान) यह आप सोच रहे हो, मैं तो इसलिए कहना चाहती हूं, यह तो खुशखबरी हम सब को पहुंचाना चाहते हैं परन्तु यह स्थिति नहीं है...(व्यवधान) इसलिए दूर से जो आपके ढोल हैं न, वह बहुत सुहाने होते हैं पर सच्चाई दूसरी बात है। इसको सुन लें आप। यह भी बताया गया, उसमें यह भी बताया the Government will need to tap... कहां से आ रहा है पैसा? (व्यवधान)

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (बैर): इससे ज्यादा खुलासा और क्या होगा ?

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): The Government will need to tap tax revenues....अब पहाड़ियाजी, आप बैठ जाओ न, ...(व्यवधान) बैठ जाओ आप सुन लें उसके बाद आर्ग्यू करो, आधे अधूरे से क्या आर्ग्यू करना ? The Government will need to tap tax revenues, non-tax revenues such as dividends,

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

interests, royalties and fees and these are very small revenues. Non-debt capital receipts such as recoveries of loans and advances. These are also very very small and the premium on the sale of assets. The sale of assets will take a long long time. जब तक इसमें से निकलेगा तक तक We all know it. यह माननीय सदस्य धोद से आने वाले इसके बारे में सुन लें थोड़ा and the initial listing of state run companies for the funding resources for the farm packages. इसका मतलब यह है कि जब यह जो पीएसयूज हैं, आप बेचोगे तो पीएसचयूज के बेचान के बाद जो पैसा आता है उसको इसके अंदर आप इस्तेमाल करेंगे। और मैं आपको यह कहना चाहती हूं कि हमने डिस-इंवेस्टमेंट कमीशन किया था, बहुत हल्ला हुआ और आज भी यह डिस-इंवेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझती हूं कि बहुत इक्के या दुक्के वह निकल पाये हैं क्योंकि जो शब्द इस्तेमाल किया था सीपीआईएम ने वह यह था कि they are selling off their families jewels. यह हमारे टाइम में कहा गया था तो वह तो वही बात हुई। तो मैं नहीं समझती कि फैमिली ज्वेल्स का सेल हो सकेगा। तो यह पैसा कहां से आएगा, यह अपने को देखने की जरूरत होगी। और बाकी सदस्यों, क्या मतलब इसमें से निकालें या नहीं निकालें, मैं तो सिर्फ इतना यही कहना चाहूंगी कि अभी तो पैसा ढूंढना और उसको आइडेंटिफाई करने की बात ही चल रही है, अभी तक तो अपन ने उसको आइडेंटिफाई ही नहीं किया है। (व्यवधान) नहीं, मैं इसको, अभी...(व्यवधान) मैं इसको खतम, नो...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): 30 जून तक सारे अकाउंट सैटल कर दिए जाएंगे । (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): इसलिए, माननीय सदस्य, यह पता नहीं लगाता। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हां, बैंकों को कह सकते हैं यह बात अलग है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): कि किसको मिलेगा, कब मिलेगा और मिलेगा कि नहीं मिलेगा...(व्यवधान) यह चीजें हम लोगों को क्लियर करने की जरूरत है। (व्यवधान) अब और सुन लें आप...(व्यवधान) अच्छा, यह मान भी लें कि हमारी कुछ ऋण माफी होगी, आप आर्ग्यू कर लेना बाद में। करना तो पड़ेगा आपको क्योंकि इसके बारे में बात उठेगी तो आपको आर्ग्यू करना पड़ेगा there is a plenty of time. मैं खाली इतना ही कह रही हूं कि अगर मानो कुछ ऋण माफी होगी भी तो राजस्थान प्रदेश को इसके अंदर क्या

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

लाभ होने की सम्भावना है उसका भी हम लोग अनुमान लगाने की कोशिश करें। अपने को भी मालूम होना चाहिए कि एक्चुअली हाउ-मच बेनिफिट राजस्थान स्टेट को मिलने वाला है। मोटे अनुमान से सभी बैंकों को मिलाकर राजस्थान के कुल 2,30,000 किसानों का 400 करोड़ रुपये प्रिंसिपल या मूल चिदम्बरमजी के ओवर-ड्यू की परिभाषा के अंदर आता है, Only 2 lakhs and 30 thousands, किसान 400 करोड़ रुपये प्रिंसिपल के हिसाब से चिदम्बरमजी की परिभाषा के अन्दर आ रहा है। राज्य के लगभग 32 लाख लोनी किसानों में से लाभ मिला तो कितने लोगों को? 2 लाख 30 हजार लोगों को मिला यानी अगर 14 लोनी हैं तो 14 लोनी किसानों में से केवल एक को लाभ मिलेगा, 13 को नहीं मिलेगा। यानी 93 परसेंट को आपको लाभ मिलने वाला नहीं है, यह बहुत क्लियर हो गया है क्योंकि हम लोगों ने खाली इस तरीके से चर्चा नहीं की है, बैंकों से भी बात करने के बाद यह बात आपके सामने रखी है।

श्री अमराराम (धोद): जितने आपके पाले में बिल माफ होंगे उतने ही कर्जे माफ हो जाएंगे।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): यह मैं मेरे हिसाब से बड़ी सरकार की बड़ी ऋण माफी की योजना है। जहां कितने सारे किसान हैं उन कितने सारे किसानों में से खाली दो लाख आदमियों को उसका फायदा मिलने वाला है तो मैं समझती हूं कि ऊंट के मुंह में जीरा समान है। अब यह गलत इंटरप्रिटेशन नहीं है। अनफार्च्युनेटली आपको इससे अगले 6 महीने में टकराना पड़ेगा तो मैं समझती हूं कि इसके बारे में समझ लो तो अच्छा है। अब इसके विपरीत हमारे द्वारा जो लघु और सीमांत किसान हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं वह थोड़ा सा हम आपको बतायें। सबसे पहले भले ही वो डिफाल्टर, भले ही वो लोनी भी नहीं है परन्तु हमने यह तय किया है कि 25 लाख किसानों को कम से कम 1500 रुपये की सहायता इसी वित्तीय वर्ष के अन्दर बैंक अकाउंट खोलकर हम देंगे। इसके अलावा अगर यह चीज ध्यान में रखने की है, यह बहुत बड़ी बात है और इसलिए बहुत सारे लोग इससे कवर होंगे वो यह है कि अगर ऋण लेकर के किसी किसान ने उसको समय पर चुकाया तो जो अगला ऋण है, 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष का जो ऋण होता है उसमें से दो प्रतिशत से घटाकर के हमने कहा कि क्योंकि आपने अच्छे समय पर, टाइम पर जमा किया है इसलिए सिर्फ डिफाल्टर को नहीं, आपको भी अब 5 प्रतिशत के ऊपर उसका कर्जा देंगे। जो दो प्रतिशत ब्याज का अन्तर है वो राज्य सरकार वहन

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

करेगी। यानि जो दो प्रतिशत अन्तर है वह हम वहन करेंगे, राज्य सरकार वहन करेगी। आप तो सब जानते हो कि जो लघु यानि स्माल एण्ड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनमें से 60 प्रतिशत लोग अपना कर्जा समय पर दे देते हैं। हमारे राजस्थान के लोग बड़े स्वाभिमानी लोग हैं और अनलैस बहुत ही ज्यादा मुश्किल में अटके हुए हैं, वो अपना लोन वापस करते हैं तो 60 प्रतिशत स्मॉल एण्ड मार्जिनल फार्मर्स अपना लोन वापस करते हैं इसलिए 15 लाख से अधिक किसान इसका भी लाभ उठा सकेंगे। हम तो बात कर रहे हैं आलमोस्ट 50 लाख फैमिलीज जो आगे चलकर के कवर होगी जिसके अन्दर 25 लाख तो इस साल ही हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे और उसके साथ-साथ यह जो ब्याज के अंदर आ जाते हैं तो आलमोस्ट 15 लाख उसके साथ और जोड़ देंगे तो करीबन 35-40 लाख किसानों का इसके द्वारा फायदा होगा। यानि हमने हैडलाइन नहीं ली सिक्स्टी थाउजेंड करोड़ माफ, परन्तु हमारी स्कीम से ज्यादा लोग टच होंगे बनिस्पत वो 60 थाउजेंड करोड़ जो हमारे मंत्री महोदय ने वहां दिल्ली के अन्दर एनाउंस किया है। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि इसके अन्दर कुछ हम लोगों को भी सुझाव भेजने की जरूरत है, हम लोगों को भी इसमें ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारे राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो थोड़ी सी अलग हैं। पश्चिमी राजस्थान का अगर देख लो तो आप देख लेंगे कि कितनी मुसीबत से वो किसान अपनी जिन्दगी निकालता है। प्रतिपक्ष के माननीय नेता यहां बैठे हुए हैं, बार-बार बाड़मेर की बात करते रहते हैं, मैं विश्वास करती हूं कि आपकी और आपकी पूरी पार्टी की मदद हम लोगों को मिलेगी तो मैं समझती हूं कि हम लोग इस अत्यंत गरीब किसान के लिए कुछ करें और क्षेत्र सीमा को बढ़ाने की मांग इस सदन में अपन उठाकर के आगे भी इसको पहुंचाने की कोशिश करें। मैं मानती हूं कि इस सीमा को 10 हैक्टेयर तक हमने नहीं बढ़ाया तो हमको तो फायदा होने वाला है नहीं। हम लोगों को अगर इसका फायदा उठाना है तो इसका भी हम लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): इसकी तो राहुल गांधी ने भी मांग रख दी साहब, आप से पहले ही। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): मेरा तो सुझाव इससे आगे है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अभी रिप्लाई पास तो हो, पहले कैसे मानेंगे। जैसे आज मुख्य मंत्रीजी मान रही हैं बातें वैसे केन्द्रीय मंत्री भी मानेंगे।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): मैं पूरे देश की बात नहीं कर रही, मैं राजस्थान की सीमाओं से बाहर निकलना ही नहीं चाहती हूं। मैं तो खाली इतना कहती हूं कि राजस्थान की जो विधान सभा है, जिसको उस गरीब किसान के लिए चिंता है, उनको सब को मिलकर यह कहना जरूर चाहिए कि इससे हमारे उस पश्चिमी राजस्थान के अन्दर कोई मदद मिलने वाली नहीं है, 10 हैक्टेयर तक हम उठायें। राहुल गांधी ने उठाई होगी, मालूम नहीं कौनसी भाषा में उठाई है परन्तु हम राजस्थान के अन्दर तो उठायें। इसमें हमारी क्या मुसीबत होगी और वहां अगर राहुल गांधी ने उठा दिया है तो मैं समझती हूं कि राजस्थान विधान सभा भी उसके अन्दर जुड़ जायेगा तो कितनी अच्छी बात होगी, उस पर किसी को चिंता करने की जरूरत ही नहीं होगी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): पहले पाले में आप तो लघु सीमांत से आगे बढ़ जाओ। आप तो दो हैक्टेयर पर पहले खुद करके दिखाओ तब कहोगे तो अच्छा होगा। खुद तो दो हैक्टेयर पर अटके हुए हैं। आप भी तो दो हेक्टेयर पर अटके हुए हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): तो फिर आप कह दो आप खिलाफ हो इस बात में। जो सी.एम. साहब ने बात रखी है, आप खिलाफ हो यह कह दो खड़े होकर मजबूती से।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मुख्य मंत्रीजी पहल करें और दो हैक्टेयर का राइडर हटाकर सब किसानों को करें। करो न यहां से घोषणा।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): मैं यही कहना चाहती हूं, आप सुन लें। एक संयुक्त रूप से संकल्प लेने में मुसीबत क्या है? आखिर में राहुल गांधी ने यह बात कही है तो मैं समझती हूं कि किसी को घबराने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। सब लोगों को मिलकर के साथ देकर के यह कहना चाहिए कि 10 हैक्टेयर तक अपने को इस चीज को बढ़ाना चाहिए और साथ में बिना यह देखे कि वो डिफाल्टर है या नहीं, प्रति कृषक को 10 हजार रुपये दिलवा दें आप और मैं समझती हूं कि उससे ही तो हमारे छोटे किसानों का लाभ होगा, केवल दिखावा नहीं होगा। फिर क्यों नहीं देते 10 हजार? अगर आप लोग दे दोगे तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं समझती हूं कि देने में क्या मुसीबत है। इतनी बड़ी सरकार, 9 प्रतिशत तो ग्रोथ उसका है, इतना बढ़िया काम आपका हो रहा है तो मैं समझती हूं कि दो लाख किसानों को देकर के हम लोगों ने इतना हल्ला किया, सब लोगों ने उसकी इतनी बात की और खोदा पहाड़ और उसके नीचे निकली चूहिया।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

दूसरी मजेदार बात आप एक ओर सुन लो कि इसके बैंक के जो लोन होते हैं...(व्यवधान) आपको जो कहना है वह कहो, यह सच्चाई है और आपको फील्ड में इसको फेस करना पड़ेगा इसलिए तैयार हो जाओ। फील्ड में आपको फेस करना पड़ेगा। मैं यह कहना चाहती हूं कि सही बात तो यह है कि... (व्यवधान) मैं आपको यह और बताना चाहूंगी कि जो पैसे माफ किये जा रहे हैं वो राज्य के बिना सहयोग के वैसे भी हो नहीं सकते और इसलिए मैं तो यह कहना चाहती हूं कि केन्द्र सरकार अगर राय हम लोगों से ले लेती तो कितना अच्छा होता। सुन लें आप। क्योंकि बिना राय लिये हमारे प्रदेश के अन्दर हमारे को-आपरेटिव बैंक से त्रण दिलवाने की बात कर रहे हैं तो इसमें बिना स्टेट से बात किये कैसे हो सकता है। यह तो आप अधिकारों की बात अभी थोड़ी देर पहले ही कर रहे थे, मैं तो इतने बड़े अधिकार की बात कर रही हूं कि वहां बैठे-बैठे उस सरकार ने यह तय कर लिया कि राजस्थान का को-आपरेटिव बैंक, अधिकार की बात जब आप करते हो तो यह सब चीज सब लोगों के लिए है, खाली इधर बैठे हुए लोगों के लिए नहीं है, सब के लिए है और हम लोगों को जो प्रिंसिपल बात है उसके बारे में सोचने की जरूरत है। मैं समझती हूं कि अगर यह बात हमसे कही होती तो हम थोड़े ही ना करते, हम तो उनके साथ जुड़कर के एक अच्छी स्कीम बनाकर के ऐसी स्कीम पहुंचाते जिस तरीके से हमारे पूरे गरीब लोगों का कुछ न कुछ फायदा हो जाता। इस तरीके की नहीं कि हमारा पैसा माफ भी हो जाए और हमारे गरीब तक भी न पहुंचे तो मैं समझती हूं कि इससे बुरी बात और क्या हो सकती है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ये महावीरजी ने पेपर छिपा दिये ऐसा लगता है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): हां, वो कह रहे हैं कि वित्त विधेयक की बात भी कर लो ताकि आप लोगों को बाद में प्राब्लम नहीं हो, फिर आप लोगों के भी जवाब देने हैं। इसलिए वो मेरे को उसकी रिमाइंड कर रहे हैं। यह फायदा आपका ही है, मेरे को नहीं होगा तो फिर मैं रिमाइंड कैसे करूंगी।

जहां हमारे राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य हैं उन्होंने अपने आज के उद्बोधन के अन्दर कई इश्यूज उठाये परन्तु वो ही इश्यूज जो हम पहले तीन साल से जिनके साथ हम लोग जूझते आ रहे हैं क्योंकि देख लिया कि अब चौथे-पांचवें साल के अन्दर भी कुछ बचा नहीं है जिसके ऊपर आप

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

एक्चुअली में हम लोगों को पिन-पाइंट कर सकें या हम लोगों को किसी कटघरे में रखने की कोशिश कर सकें। फिर बात वो ही निकलती है कि सारी स्टेट्स को मिला है, आरबीआई ने और फलां बैंक ने, कितने सारे बैंकों ने क्या कहा है कि सब पूरे प्रदेश बढ़िया कंडीशन में हैं तो आप भी बहुत अच्छी कंडीशन में हो। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है तो इसमें मैं यह कहना चाहती हूं कि यह जरूरी नहीं है कि सब पूरे प्रदेश बढ़िया स्थिति में हैं। मैंने अभी वो ही आपके जो पेज थे वो भी देखे और मैंने उसमें देखा कि अगर फिस्कल डेफिसिट की बात करो तो आन्ध्र प्रदेश में सब से प्राब्लम है 7904, झारखण्ड में 5257, मध्य प्रदेश में it is much better, महाराष्ट्र में स्माल इम्प्रूवमेंट, राजस्थान में 5003, मच मच बैटर। इस तरीके से अगर रेवेन्यू डेफिसिट भी देखो तो नेगेटिव है। आंध्र प्रदेश, it's not necessary कि सब के सब States are good performers. Not every State is performing well. Even though people are talking about Andhra Pradesh, यह बात जरूर है कि आंध्र प्रदेश का जो फिस्कल परफोर्मेंस है, it's not very good. और अगर उसके उसमें आप देखें, अगर उसके कम्पेरिजन में आप देखें तो Rajasthan is doing well. और उसके लिए I want to thank नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने, जिन्होंने कहा, yes, if good things are happening, हम लोग उसको सराहेंगे। मैं यही विश्वास करती हूं कि आप भी उनकी बातों के साथ जुड़ेंगे और इस चीज को सराहेंगे कि राजस्थान का काम हुआ है, अच्छा हुआ है।

फिर आपने कहा कि पैसा मिला है, सब को मिला है, क्या बड़ी बात हुई है। आपने एनडीए के टाइम में खाली 63 हजार करोड़ पकड़ाया और उसको बांटा सब लोगों के बीच में और हम लोगों ने अपने टाइम में एक लाख पच्चीस हजार तक उसको ले गये। मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि जब 63 हजार करोड़ का टाइम था तो वही मुसीबत में बेचारी एनडीए सरकार थी, उसने सब ठीक-ठाक करके, जमा कर जब आपकी सरकार आई तब हैण्ड ओवर किया तो यह नौ प्रतिशत ग्रोथ जो उनको मिल रही है, अगर वह सरकार नहीं होती तो इस सरकार को नौ प्रतिशत ग्रोथ भी नहीं होता और यह जो आपका जो 63 हजार से एक लाख के ऊपर गया है वह एक लाख तक जाते ही नहीं और दूसरी बात एक चीज और आप ध्यान में रखें जिसकी वजह से बेचारे गरीब की कमर टूट गई है और वह है महंगाई। इतनी जोरदार महंगाई इस सरकार की वजह से हम लोगों को वहन करना पड़ रहा है कि जहां जाओ वह

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

इलाके के अंदर आदमी रो कर यही कहता है कि हमारी इस महंगाई के बारे में कुछ करो। इतनी महंगाई है तो प्रोडक्शन कास्ट भी महंगा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन का कास्ट भी महंगा होगा और इसके बाद भी नेचुरली हमारी जो योजनाएं हैं वह भी प्रभावित होंगी। और इसीलिए जो पैसा हम ला रहे हैं किसी भी तरीके से मिल-मिला करके सब लोगों से, उसका भी कास्ट बढ़ेगा। और मैं यह कहना चाहूंगी कि अगर गवर्नमेंट आफ इण्डिया वेलफेयर स्टेट की बात करती है और कहती है कि भई, हम लोग सब को सैटल करने की कोशिश करना चाहते हैं तो यह जो इनकी फाइनेंशियल बातें हैं वह पूरी तरह से इस चीज को इफेक्ट कर रही है। फिर मैं यह पूछना चाहती हूं कि अगर सब स्टेट को जैसा आपने कहा पैसा मिल रहा है तो उनकी भी परफोर्मेंस राजस्थान जैसी क्यों नहीं है? आखिर में इतने सारे स्टेट को नरेगा के लिए पैसा मिल रहा है, राजस्थान को भी उनके साथ-साथ मिल रहा है परन्तु राजस्थान को क्यों सराहा जा रहा है पूरे देश के अंदर? क्यों लोग, अर्थशास्त्री, इकोनोमिस्ट, बाहर के लोग, आपकी पार्टी के लोग, आपके मंत्री लोग यहां आ-आकर राजस्थान का नाम ले-लेकर राजस्थान को सराह क्यों रहे हैं, दूसरे का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, किसी और स्टेट का नाम क्यों नहीं ले रहे? वह तो जब ले रहे हैं तो मैं खाली इतना प्वाइंट आउट आपको करना चाहती हूं कि पैसा आया, परन्तु अगर उसका सही उपयोग नहीं हो तो उसका आना व्यर्थ है और इस सरकार ने उस पैसे का सही तरीके से इंतजाम करके लोगों तक पहुंचाया है। इसीलिए लोगों ने उसको सराहा है। इसीलिए लोगों ने उसको सराहा है और इस बात को मैं आपके सामने, फिर आपने यह बात कही जो शायद हमारे डिस्ट्रिक्ट का दुर्भाग्य ही है, आपने कहा कि कोई भी इलेक्शन डवलपमेंट के ऊपर जीतता नहीं है। मैं समझती हूं कि अब वह यह हाउस के...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): I am not interrupting. मैंने कहा था कि आज भी चुनाव में क्या मुद्दे होते हैं, विकास ही अकेला मुद्दा नहीं होता। अधिकार की भूख बढ़ती चली जाती है। मैंने कहा है यह बात। I don't deny it.

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): नहीं-नहीं, पर यह तो हाउस में आया हुआ है कि डवलपमेंट इश्यू नहीं है। यही यहां सब के सामने, सब ने सुना कि डवलपमेंट इश्यू नहीं है, कोई चुनाव डवलपमेंट के ऊपर नहीं जीतता है। मैं आपको यह कहना चाहती हूं कि दुनिया बदल गई है माननीय सदस्य और हम लोग चुनाव डवलपमेंट के ऊपर ही लड़ेंगे, गुजरात डवलपमेंट के ऊपर

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

लड़कर जीता। और मैं समझती हूं कि अब हमारी मानसिक सोच को हमको बदलाव में लाना है। और यह जरूरी है कि अगर किसी भी प्रदेश को आगे बढ़ना है, किसी भी प्रदेश से वह बीमारू स्थिति से निकाल कर बाहर लाना है तो जब तक हम और आप मिलकर डवलपमेंट का नहीं सोचेंगे तो वह प्रदेश कहीं बाहर जा ही नहीं सकता। इसीलिए at the risk of politics हमको डवलपमेंट के ऊपर आना ही पड़ेगा। This is the need of the hour और इसके लिए मैं आपको यह कहना चाहती हूं कि ठीक है, हमने तो अभी तक कहीं नहीं कहा कि खजाना खाली है। हम कहां से पैसा लाये, कहीं से कैसे उपयोग उसका किया, आप तो यह कहते हैं कि आप लोगों ने भी बहुत सारे काम किये, मुश्किल था उस समय, फिर भी आप लोगों ने काम किये परन्तु वह मुश्किल हर सरकार को होती है। हर सरकार को अपने आप को स्टेज करना पड़ता है परन्तु हमारे स्वाभिमान को क्रश करने की बात है तो मैं समझती हूं कि इस सरकार ने नहीं की। और मैं समझती हूं कि हमारा स्वाभिमान हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। हम इसीलिए कहते हैं कि किसी के सामने हम भीख की कटोरी नहीं रखेंगे सामने और किसी के सामने हम नहीं कहेंगे कि हम कंगाल हैं, हम भिखारी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। आपने कहा कि स्कूल तो खुलने ही हैं, खुलेंगे, रोड तो बनना ही है, बनेंगे, तो पहले पिछले साल में क्यों नहीं बने। कर्मचारियों को सब देना है, देंगे, तो क्यों नहीं दिये। यह सब चीजें आज कहने के लिए बहुत अच्छी लगती हैं परन्तु आपका पिछला रिकार्ड हमारे सामने है, और वह पिछला रिकार्ड कुछ और चीज कहता है। वह पिछला रिकार्ड यह कहता है कि नहीं मिलेगा, कंगाल होंगे, फिर वही स्थिति बनेगी और हम लोगों ने अपने रिकार्ड के द्वारा आप लोगों को यह बताया है कि ठीक है, पालिटिक्स में, अखबारबाजी में, टेलीविजन पर हो सकता है कि हम कमजोर हैं, परन्तु हमने उस बेचारे गरीब तक एक लास्ट पैसा पहुंचाने की कोशिश की है और वह जनता भी मानती है।

अब नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत सारी बातें हमारे सामने रखीं। उनको चिंता थी, उनको बहुत चिंता थी कि हम लोगों ने आगे चलकर, क्या कहते हैं, पैसे का सही इस्तेमाल करने की बात है ताकि हम टैक्सेज के अंदर उसको भी जोड़ सकें। मैं भी यही समझती हूं कि बिलकुल अपने को जोड़ने की जरूरत है, इसलिए हम लोगों ने बहुत सारे काम करने की कोशिश की है। For the first time, और उसको भी आपके देश के अंदर माना

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

गया है। हम लोगों ने फ्री-होल्ड, गारंटी टाइटल, जिसके बारे में अनाउंसमेंट अभी करने वाली हूं, इन सब चीजों के ऊपर हम लोगों ने काम किया है। और दो साल से हम लोग जिस तरीके से अरबन एरिया के ऊपर काम कर रहे हैं और जो एक्सपर्टस हमारे साथ काम कर रहे हैं वह भी यही कह रहे हैं कि अगर इस चीज को दस-पन्द्रह साल पहले लिया होता तो शायद इस स्थिति में राजस्थान नहीं होता। हम अब पूरे बैकलाग को खतम करके एक नई दिशा में राजस्थान को ले जाने की कोशिश में हैं अरबन एरिया के अंदर। और मैं आपको यह भी बताना चाहती हूं कि हरियाणा इतना सा स्टेट है, राजस्थान का और उसका कोई कम्पेरिजन हो ही नहीं सकता। और अगर आप हरियाणा डवलपमेंट अथारिटी की बात कर रहे हैं, अरबन डवलपमेंट की अथारिटी की बात कर रहे हैं कि अरबन डवलपमेंट उसका इतना है, राजस्थान छह करोड़ आदमियों के ऊपर और कितना ह्यूज स्टेट है उस चीज को अगर व्यवस्थित अपने को करना है तो उसको तो काम लगेगा जी, एक रात के अंदर हम लोग उसको नहीं कर सकते, और उसके ऊपर पूरी तरह से हम लोग लगे हैं। हम आपको यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमसे कोई इसमें कमी नहीं होगी। जहां-जहां तक हम लोग इसको, लूप को प्लग कर सकते हैं, उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे और काश, अगर यही आप लोगों ने अपनी सरकार के टाइम में एन्टरटेनमेंट पैरेडाइज या फोर्टिस हास्पीटल हो या वह कौन सी जगह है वह, ट्राइडेंट होटल के अपाजिट, जल महल हो, इन चीजों के ऊपर यही ध्यान अगर अपन ने दिया होता तो शायद अपने को इतनी प्रोब्लम नहीं होती। कहीं अपन एक रुपये पर तो जमीन नहीं दे देते, कहीं अपन ऐसा एग्रीमेंट तो नहीं करते जहां इतनी वेल्यूएबल जमीन only at the cost of Rs. 2 crores a year हम लोग किसी को दे देते। तो मैं समझती हूं कि इन चीजों को जितना अपन कम खोदें उतना बढ़िया क्योंकि एकदफा खुलना शुरू हो जाय तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको अपन खोलकर लोगों के सामने दिखा सकते हैं।

जहां तक प्रोजोन की बात है, मैं इसके बारे में आप लोगों को क्लियर, मैंने पहले भी क्लियर किया और मैं अब फिर से क्लियर करना चाहती हूं कि कोई भी इश्यू आता है तो उसके ऊपर डिसकशन तो होगा। एक चिट्ठी दूसरे को चिट्ठी लिखेगा और उसके ऊपर क्या डिसीजन होता है, that is the ultimate. इसके ऊपर कोई डिसीजन हुआ ही नहीं है अभी तक, तो आई थिंक, थोड़ा सा समय आप निकाल लेते, थोड़ा सा समय और रुक जाते तो शायद

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

आप अगले सेशन में इसको बड़ी जोरदारी के साथ यह ला सकते थे। परन्तु आज के दिन तो I am sorry, it is a bit of failed cartridge. इसके साथ-साथ मैं एक, फिर वहीं अपन आ गये सीएजी के रिपोर्ट के ऊपर और सीएजी की रिपोर्ट के बारे में सुन-सुन कर, सुन-सुन कर मैं समझती हूं कि मेरे तो कान पक गये और मैं समझती हूं कि पूरे हाउस के कान पक गये। पहली दफा सीएजी की रिपोर्ट टाइम के अंदर वहां हाउस के अंदर रखी जा रही है। मुझे बतायें आप लोग, I am not so clear क्योंकि मेरा तो इतना नहीं है समझ हाउस का, परन्तु मुझे नहीं मालूम कि पिछले पांच साल में सीएजी की रिपोर्ट कभी टाइम पर रखी जाती थी। और मैं समझती हूं कि अगर हमारे पास कुछ छिपाने की बात होती तो शायद हम भी उस सीएजी की रिपोर्ट को टेबल के ऊपर नहीं रखते। परन्तु क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है, we are very clear और इसीलिए हम लोगों ने यह कह दिया है कि सीएजी की रिपोर्ट रखो, आपको कोई बात क्लियर करनी है तो वह राजस्थान के अच्छे के लिए ही आप रखेंगे और उसके ऊपर हम ध्यान रखें, और अगर वह उसकी कोई बात होती है तो उसको सुलझाने में भी हम पीछे नहीं रहेंगे।

मैं थोड़ा सा आपका जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसके ऊपर मैं एक खाली फीगर टच करना चाहूंगी। 1998-99 से 2002-03 के अंदर जो आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू that was 7,600 और जो 2003-04 से 2007-08 के अन्दर जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वह 14235 हो गया है। They have grown. मैं समझती हूं कि इसको और ज्यादा करने की जरूरत है अपने को but they have grown. They have doubled from the last government's period. मैं समझती हूं कि यह अपने आप में ठीक काम है। अब जहां तक आपने कर्मचारियों की बात कही, यह तो बहुत ही... मैं खुद बहुत ही टच्ड हूं कि आप इतने टच्ड हो। आपका हमारा सब का दिल पसीजा यहां और बहिन-भाई का रिश्ता दिखाया और आपने इतना दु:ख बताया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इतना दु:ख अगर आपने बाद में यह जताया है तो आपने पांच साल के अन्दर उसका कुछ किया क्यों नहीं? क्योंकि आपने जो नहीं किया था, उसको पूरा हमने किया है। यहां और मैं समझती हूं, मुझे उसके बारे में किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि लीव एन्केशमेंट या डी.ए. है या हड़ताल पीडियड के पेमेंट्स हैं या क्या-क्या किया है, वह मुझे कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि कर्मचारियों की बिरादरी को मैं अच्छी तरह से जानती हूं। मैं जानती यह भी हूं कि अगर यह

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

चिंता आपको होती तो शायद दो साल पहले ही आप कर देते, दो साल पहले इस बात को कर देते, एक साल पहले यह बात कर देते पर यह हमारे ध्यान में यह बात ला दी परन्तु लगातार हम लोग...(व्यवधान) अब चुनाव आ गया है और इसीलिए आप लोगों को इनके बारे में एकदम से ध्यान आ गया है। बहुत सारी चीजें आपके ध्यान में आ रही है, आपको आदिवासी ध्यान में आ रहा है, आपको कर्मचारी ध्यान में आ रहा है, आपको सब चीजें ध्यान में आ रही हैं, परन्तु प्रोब्लम आपकी यह है कि हमने इतने सारे परिवार को टच कर दिया है कि आपको मुश्किल हो रही है कि कहां टच करे और कैसे टच करे और टच करके कैसे अपनी तरफ मोड़े। यह आप कर रहे हैं तो आपको मैं कहना चाहती हूं कि sorry, friends, too little and too late. It should have been done a little earlier. मैं समझती हूं कि इसके बारे में अपने को देखने की जरूरत है।

अब बात आई, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा था कि आफ-बजट बोरोइंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो आप तो जानते ही हैं कि पी.एस.यू. की जो बोरोइंग हैं, वह आफ-बजट बोरोइंग, ए.जी. ने भी यह बात कही है। ओके, आप यह कह रहे हैं, अगर बिजली कम्पनियां बोरो करके एक पावर प्लांट बनाती हैं और एफ.आर.पी. करती हैं तो मैं समझती हूं कि राज्य में असैट्स बन रही है और अगर यह प्लान खर्च नहीं होता तो क्या होगा। अब राज्य में असैट्स बढ़ती है तो मैं समझती हूं कि आज राज्य को अपन स्ट्रैंथन दे रहे हैं। और इसीलिए पी.एस.यू. ने अपनी बैलेंस-शीट पर और हमारी गारंटी के ऊपर यह बोरोइंग किया है तो आपके समय में न तो पी.एस.यू. की बैलेंस-शीट सही थी और न गारंटी देने का कोई स्पेस था, इसलिए शायद आप उस समय उसको नहीं कर सके थे। परन्तु अगर पी.एस.यू. सरकार के रेवेन्यु एक्सपेंडीचर के लिए बोरो करे तब तो मैं यह मानती हूं कि बुरा है परन्तु अगर यह हमने असैट्स क्रिएट करने के लिए कुछ किया है तो मैं समझती हूं कि इसमें कोई प्रोब्लम नहीं है। और बल्कि केन्द्रीय वित्त मंत्री ने यह तो बार-बार ही किया है, आपको मालूम है, बार-बार आफ-बजट बोरोइंग किया है। पेट्रोलियम बांड्स, फलानां-फलानां वह करते रहते हैं तो आज के दिन भी मैं समझती हूं कि over a lakh and a half off-budget है, which we do not know about. तो उसके लिए भी 50,000 करोड़ रुपये तो आयल बांड्स के ही हैं और इसी तरह से इन्होंने जो आफ-बजट बोरोइंग किया है, अपने आप में पेड-अप करने के लिए है, वह भी किसी से छिपी हुई नहीं है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

मैं दोनों तरफ से माननीय सदस्यों को यह कहना चाहती हूं कि आप लोगों ने अपनी-अपनी बात उठाई है। एक बात और थी। जे.डी.ए. की बात आपने कही, उसके बारे में मैंने कहा था कि जो पेरीफेरियल एरिया है, उसके अन्दर भी डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। अब डिफरेंशिएशन तो मैं समझती हूं, माननीय तिवाड़ीजी ने इस बात को रखा था कि होना ही है to some extent क्योंकि आप जहां तक पेराफेरी बढ़ाओगे, उसके बोर्डर से कुछ न कुछ टच तो करता ही है और जो भी उसको टच करता है, वह कलक्टर के दायरे में आता है उसमें।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): I am sorry. I don't want to intervene. But that is not the case. इसको आप साइडट्रेक कर रहे हैं। 247 गांव रेवेन्यु विलेज जे.डी.ए. के पास नहीं थे, उनके लैण्ड कन्वर्जन का एक रुपया है और जो जे.डी.ए. के अन्दर है, उनके अन्दर आप 50 रुपया ले रहे हैं तो I am sorry to intervene…

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): जो जे.डी.ए. के अन्दर है, वह तो होंगे ही. Please don't intervene. आपने अपनी बात कही, अब मैं अपनी बात कहना चाहती हूं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): It's not a charge. Please don't confuse it. It is clear-cut advantage to the builders, which is a fact.

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): No, no, I am not saying charges. I am not saying charges. I am saying very clearly that there will always be a periphery. There will always be a periphery. इसलिए we must be very clear that if there are issues, those issues can be brought to us. You are in-charge of a very important Committee. Those issues are brought up before us and if at any point, मेरा यह कहना नहीं है। आप यहां कई सरकार के लोग जहां बैठे हुए हैं, उन सब की तरफ से मैं यह कहना चाहती हूं, आप कोई इश्यु वर्थ एग्जामिनिंग हमारे सामने रखेंगे, it will be examined क्योंकि अगर आप उस उजड्ड दिमाग के होते तो हम सब तबके को खुश नहीं कर सकते थे, न सब तबके के बात भी सुन सकते थे।

आज हमने अगर बजट बनाया तो हमने बजट एक खाली चार उद्योगों से मिलकर नहीं किया है। हमने किसानों से बात की, महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, इंस्टीट्यूशन से बात की, सब लोगों से बात की और बात करने के बाद में हम लोगों ने बजट बनाया। एक ऐसा बजट बनाया जो सब

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

तबके को छूता है इसलिए मुझे जो भी कहनी है बात, कोई भी सुझाव हो, जो सुझाव अच्छे हैं, जिसकी वजह से लोगों को फायदा हो, हम उस सुझाव को स्वीकार करने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं. We have no problem about it. मैं यह भी आपको बताना चाहूंगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): उजड्ड दिमाग।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): आप इसको मत रेज करिये, मैंने किसी को कहा नहीं है, यह मैं आपको क्लियर करना चाहती हूं ...(व्यवधान)

तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक पाइंट उठाया है। राजस्थान गरीबी उन्मूलन और विकास फण्ड का गठन करके आपने उसके अन्दर 100 करोड़ रुपये रखे हैं 2006-2007 में और इस वर्ष 2007-2008 में उसमें आपने 531 करोड़ रुपये ट्रांसफर किये हैं। यह फण्ड मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमने बनाया, स्पेसिफिक बनाया, 17 प्रतिशत के ऊपर अगर हमारे पैसा आ जाता है तो उसमें से कुछ पैसा हम निकालकर इन फण्ड में डालेंगे only to be used अगर बहुत सीवियर आवश्यकता स्टेट के ऊपर आती है तो ऐसी स्थिति के अन्दर for the development of the State and only for development work यह फण्ड अपना उसमें से निकालकर वह इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूं कि यह फण्ड बहुत सेफ है। क्योंकि इसको सेफ-गार्ड करने के लिए भी हमने बताया है कि it can only be used as far as development is concerned and we have put that money aside only for that purpose.

इसके बाद कुछ नई बातें आपके सामने हम रखना चाहेंगे। 2007-2008 में यह गारंटी टाइटल की बात करना चाह रहे हैं। 2007-2008 में बजट प्रस्तुत करते हुए मेरे द्वारा यह कहा गया था, हमारा यह प्रयास है कि हम शहरी भूमि में गारंटी टाइटल प्रदान करने की व्यवस्था स्थापित करेंगे। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रथम कदम के रूप में राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम, जयपुर, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में लीज-होल्ड सम्पति को फ्री-होल्ड में परिवर्तित करने हेतु आवश्यक संशोधन हम कर चुके हैं। अब इसको आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार का यह प्रयास होगा कि राज्य में गारंटी टाइटल अधिनियम लागू किया जाये ताकि शहरी भूमि में ओनरशिप को लेकर विवाद समाप्त हो जाये और

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

प्रत्येक व्यक्ति को उसकी भूमि के अन-डिस्पुटेड टाइटल प्राप्त हो। इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। राजस्थान भारत में पहला ऐसा राज्य होगा जो यह महत्वपूर्ण भूमि सुधार को लागू करेगा जिसे पूरे विश्व में विकास के लिए आधारभूत सुधारों में माना गया है।

हमारी सरकार ने पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित पदों पर महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत लागू करके एक नई मिसाल कायम की थी। हमारी शहरी महिलाएं भी बराबर की ही भागीदारी निभाये, इसलिए मैं अब यह घोषणा करती हूं कि अरबन लोकल बोडीज निर्वाचित पदों पर भी महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत होगा। मैंने सोचा कि...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मुंगेरी लाल के सपने हैं (व्यवधान) क्यों अपन बात कर रहे हैं? चुनाव के बाद आएगा।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मुंगेरी लाल के सपने, महिलाओं के प्रति आपके यह विचार? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं, महिलाओं को मूर्ख बनाने का काम नहीं हो। आपको मालूम है कि यह चुनाव दो साल बाद है और घोषणा अभी कर रहे हो। क्या मालूम है? क्यों मूर्ख बना रहे हो इनको? दो साल बाद आपकी पंचायतों के, पंचायती राज के चुनाव होंगे, at that time do the amendment. दो साल तक कुछ है नहीं, खाली बातें कर रहे हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): चुनाव अगर दो साल बाद में भी हो ना तो आपके लिए तो यह कानून और हमारे लिए यह कानून अभी इसी सत्र में बनने वाला है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हमको पता है, आप 100 प्रतिशत कर देंगे, आप जैसे आदमी को आउट करने के लिए 100 प्रतिशत कर देंगे, चिंता क्यों कर रहे हो। आप जैसे आदमी नहीं चाहिए हमें, 100 प्रतिशत कर देंगे। पर आप वह बात कह रहे हो, जो आपका टेन्योर है नवम्बर 2008 तक, जो बात नहीं होनी है उनको, आप तो सिर दिखा रहे हो। जो काम आप कर रहे हो, सिर दिखाने का काम क्यों कर रहे हो? (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): आप क्यों दु:खी हो रहे हो? (व्यवधान) आप क्यों दु:खी हो रहे हो?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आप बदलना चाहते हैं क्या?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): इसलिए हो रहे हैं कि खाना कौन बनाएगा? उनको भेज दोगी चुनकर के तो घर में खाना कौन बनाएगा?

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): इतनी शक्ति है कि खाना भी बना लेंगे और काम भी कर लेंगे, आप चिंता मत करो।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप यह पंचायती राज में मुख्य मंत्रीजी...(व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): लोकतांत्रिक अधिकारों की अभिरक्षा के लिए आपातकाल में न्यूनतम तीन महीनों के लिए निरुद्ध रहे मीसा बंदियों को तीन हजार से छह हजार पेंशन ...

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप पंचायती राज और नगरपालिकाओं में करवा रहे हो, आप एमपी, एमएलए में 50 प्रतिशत देंगे क्या महिलाओं को उसकी पार्टी की तरफ से यह कह दें, महिलाओं को एमएलए में 50 प्रतिशत देंगे।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से दिया जाएगा। मैं फिर से दुबारा आप सुने तब तो, लोकतांत्रिक अधिकारों की अभिरक्षा के लिए आपातकाल में न्यूनतम तीन महीने के लिए निरुद्ध रहे मीसा बंदियों को तीन हजार से छह हजार रुपए पेंशन दिनांक 1 अप्रैल, 2008 को दे दी जाएगी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं भी मीसा बंदियों को भी प्राप्त होंगी। इस हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश एक माह के अंदर हम लोग करेंगे। बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए शहरों की जनसंख्या में बेशुमार वृद्धि हो रही है जिसके कारण परिवहन और यातायात की गम्भीर समस्या बनती जा रही है। इसलिए हमारी सरकार द्वारा कोटा और उदयपुर में कंपनी बनाकर निजी सहभागिता से शहरी बस सेवा प्रारम्भ की गई है। इसके अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं, अत: मैं घोषणा करती हूं कि इसे अन्य ज़िलों पर जहां पर शहरी बस सेवा की आवश्यकता हो वहां पर भी इसी प्रकार कंपनी खोलकर निजी सहभागिता से शहरी बस सेवाओं को प्रारम्भ किया जाएगा।

जैसे हमको भारतीय होने पर गर्व है उसी प्रकार हम सब को अपने किसी प्रदेश या किसी शहर से होने का भी गर्व है। लेकिन अगर मेरे शहर की मुख्य सड़क भी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हो तो मुझे मानसिक क्षति होना तो स्वाभाविक है। इसलिए मैं घोषणा करती हूं कि राजस्थान के 169 हमारी जो

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

बॉडीज है श्रेणी-2, 3 व 4 की नगरपालिकाओं की मुख्य सड़क सीमेंट की बनाई जाएंगी और साथ में इसका सौंदर्यकरण और लाइटिंग भी होगा। इस हेतु एक विस्तृत योजना हम सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा घोषित करेंगे। इस सदन के सम्मानित पूर्व विधायकों के सम्बन्ध में मेरे द्वारा 29 फरवरी, 2008 को सदन में की गई घोषणा को मैं और थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगी कि पूर्व विधायकों को राज्य सरकार से पांच हजार रुपए तक की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, मैंने घोषणा की थी कि भूतपूर्व विधायकों को चिकित्सा भत्ते की सुविधा भी उपलब्ध होगी। यह सुविधा विकल्प के रूप में हैं, जो भूतपूर्व विधायक चाहते हैं वह पुनर्भरण ले उनके लिए वह विकल्प भी खुला रहेगा, साथ ही मैं यह भी घोषणा करती हूं कि पुनर्भरण की सीमा अब बढ़ाकर 8 हजार रुपए होगी और भूतपूर्व विधायक जो 75 साल की आयु से अधिक हैं उनके लिए 12 हजार रुपए तक यह प्रतिवर्ष हो जाएगी। राज्य परिवहन निगम की बसों में यात्रा के लिए पूर्व विधायकों को 100 कूपन प्रतिवर्ष की संख्या को बढ़ाकर इसको 200 करने की घोषणा करती हूं और यह भी घोषणा करती हूं कि राजस्थान में समस्त सर्किट हाउसों और डाक बंगलों में भूतपूर्व विधायक सेवानिवृत्त राज्य कर्मियों की दरों पर गृह ज़िले को छोड़कर पांच दिवस पर प्रतिमाह ठहर सकेंगे। विधान सभा सदस्यों को अभी रेल से प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित में सफर करने की सुविधा उपलब्ध है। राजधानी एक्सप्रेस और उसके समकक्ष रेल गाड़ियों में केवल वातानुकूलित चैयर कार में ही सफर करने का प्रावधान है। मैं घोषणा करती हूं कि राज्य विधान सभा के माननीय सदस्यों को सभी तरह की रेल गाड़ियों में किसी भी श्रेणी में यात्रा करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। राज्य में पंचायत जनता जल योजना के नाम से विभिन्न पेयजल योजना चला रहे हैं। इसके अंशकालीन कर्मियों को पांच सौ रुपए प्रतिमाह भुगतान हेतु राज्य सरकार पंचायतों को अनुदान देती है। पंचायतों द्वारा इसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। अत: मैं घोषणा करती हूं कि ऐसे अंशकालीन कर्मियों को पंचायत द्वारा भी पांच सौ रुपए प्रतिमाह का अतिरिक्त आनरेरियम दिया जाएगा। मैंने अपने बजट भाषण में यह घोषणा की थी कि नई एवं वर्तमान में इन-एक्टिव सहकारी समिति के माध्यम से एक लाख लीटर दूध प्रतिदिन से अधिक अतिरिक्त दूध इकट्ठा करने पर राज्य सरकार एक करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध कराएगी। कुछ माननीय सदस्यों से यह सुझाव आया कि यह सहायता 50 हजार लीटर अतिरिक्त दूध एकत्रित

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

करने पर भी मिलनी चाहिए। अत: मैं घोषणा करती हूं कि यदि कोई जिला दूध उत्पादक संघ अपनी इन-एक्टिव सहकारी समितियों और नई सहकारी समितियों के माध्यम से कम से कम 50 हजार दूध प्रतिदिन अतिरिक्त इकट्‌ठा करती है तो राज्य सरकार ऐसे संघ को 40 लाख रुपए की सहायता ढांचागत विकास हेतु उपलब्ध कराएगी। हमने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। महिला शिक्षा को महाविद्यालय स्तर पर और सपोर्ट दिए जाने की आवश्यकता है। मैं राजकीय विद्यालयों में वाणिज्यिक, कला और विज्ञान विषयों में अध्ययनरत बालिकाओं का शिक्षा शुल्क को भी माफ करने की घोषणा करती हूं। साथ ही यह भी घोषणा करती हूं कि प्रत्येक बीपीएल परिवार के स्नातक स्तर तक शिक्षा पूर्ण करने वाली लड़की को राज्य सरकार की तरफ से 5 हजार रुपए पुरस्कार दिया जाएगा। जयपुर शहर और कुचामन सिटी में एसीएम कोर्ट की स्थापना करने की घोषणा, पुलिस कर्मियों को मिलने वाले मैस अलाउंस की राशि 675 रुपए से 700 तक बढ़ाने की घोषणा गृह मंत्री जी ने अपने विभाग से संबंधित डिमाण्ड का जवाब देते समय की थी। गृह मंत्री जी चाहते हैं कि मैस अलाउंस की राशि को मैं और भी बढ़ाऊं, उनकी भावना की कद्र करते हुए मैं मैस अलाउंस की राशि 700 रुपए से बढ़ाकर 725 रुपए करने की घोषणा करती हूं। मंदिरों एवं अन्य धार्मिक स्थलों की ओर इस सरकार की हमेशा पूर्ण आस्था रही है। मैं घोषणा करती हूं कि एमपी एलएडी, एमएलए एलएडी या अन्य किसी भामाशाह या मंदिर के स्वयं सहायता संस्थानों से 25 प्रतिशत सहयोग भी अगर प्राप्त होता है तो राज्य सरकार ऐसे धार्मिक स्थानों को सबसे नजदीक की सड़कों से डेढ़ किलोमीटर की दूरी तक सड़क बनाने के लिए 75 प्रतिशत सहयोग देगी। इस हेतु विस्तृत योजना अगले माह में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा घोषित की जाएगी। अब माननीय सदस्य धौलपुर शहर...

श्री जुबेर खान (रामगढ़): इसमें दरगाहों को भी जोड़ दें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): हां-हां, मंदिरों एवं अन्य धार्मिक स्थलों को, मैं कभी किसी से भेदभाव नहीं करती हूं। अच्छा अब हमारे माननीय सदस्य धौलपुर वालों को, धौलपुर शहर को बिजली के मामले में जयपुर शहर का ट्‌वि-इन सिटी बनाया जाएगा। बिजली की आवश्यकताओं का निराकरण तथा तमाम बिजली व्यवस्था जयपुर शहर की तरह उत्कृष्ट की जाएगी। अब मैं पोलिटिक्स तो नहीं कर रही हूं न, वैसे करना नहीं चाहिए था।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): देर आये, दुरुस्त आये।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अच्छा, 26 साल के बाद हमने आपका ताप बिजली घर चालू कर दिया, अब यह भी सही है देर आये, दुरुस्त आये और इस कार्य के लिए 26 करोड़ रुपए की लागत से बिजली की पुरानी लाइनों को हटाने के लिए 491 किलोमीटर भूमिगत केबल डालने और 150 नए ट्रांसफार्मरों को लगाने का काम वर्ष 2008-09 में जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा अपने ख़र्चे पर पूर्ण कराया जाएगा। कुछ कहेंगे आप? मैं देख रही हूं धौलपुर शहर वाले माननीय विधायक तो बिलकुल चुप बैठे हैं। (व्यवधान) पूर्वी राजस्थान से निरन्तर यह मांग आती रही है कि वहां पर भी एक विश्वविद्यालय कायम होना चाहिए..

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): वैरी गुड।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): किसने कहा?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नंदलालजी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): इस क्षेत्र के छात्रों का राजस्थान में योगदान को देखते हुए मैं घोषणा करती हूं कि भरतपुर में महाराज सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय, अलवर में राज ऋषि भृतहरि मद से महाविद्यालय यह दोनों स्थापित किए जाएंगे। बाड़मेर शैक्षणिक दृष्टि से अन्य ज़िलों के बराबर नहीं रहा है। यहां पर शिक्षा को बढ़ावा देने की दृष्टि से मैं घोषणा करती हूं कि राजकीय महाविद्यालय बालोतरा में राजनीति शास्त्र एवं वाणिज्यिक संकायों को पीजी स्तर पर क्रमोन्नत किया जाएगा। भीलवाड़ा और चित्तौड़ ज़िलों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को वर्तमान में पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है, भीलवाड़ा शहर में पीने के पानी की भी कमी है अत: इन ज़िलों में स्थित औद्योगिक इकाइयों एवं भीलवाड़ा शहर में पीने के पानी की नियमित आपूर्ति हेतु गोसुन्दा बांध से 600 एम.सी.एफ.टी. जल उपलब्ध कराया जाएगा और इस कार्य के लिए पीपीपी मोड में परियोजना तैयार कर शीघ्र क्रियान्वयन की जाएगी। जैसा कि सदन के माननीय सदस्य जानते हैं शेखावटी क्षेत्र के निवासियों का शिक्षा की ओर विशेष रुझान रहा है। अत: मैं यह घोषणा करती हूं कि दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय भी अगले वित्तीय वर्ष में स्थापित किया जाएगा। यह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त संस्थाओं के साथ संयुक्त रूप से स्थापित किया जाएगा। ठीक है न...(व्यवधान) आप उसकी चिंता मत करो। सिद्धमुख नोहर परियोजना

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

और भाखड़ा सिंचाई प्रणाली की अमरसिंह जसाणा कमान क्षेत्र में खासों का निर्माण सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा स्वीकृत नक्शे के अनुरूप किसानों के स्वयं द्वारा या चक समितियों का गठन कर करवाया जाएगा। इस कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा 9 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर भुगतान किया जाएगा। पचास प्रतिशत भुगतान कार्य आरम्भ होने के समय और शेष पचास प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर किया जाएगा।

महिला स्वयं सहायता समूह महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में उभर कर आये इन समूहों की आर्थिक गतिविधियों को और गति देने की दृष्टि से मैं घोषणा करती हूं कि बैंकों से ऋण लेने वाले in other words credit linked महिला स्वयं सहायता समूह जो एक वर्ष तक लगातार पूर्ण ऋण भुगतान समय पर करते हैं उन्हें सरकार की ओर से एक पाँच सौ रुपये के रिचार्ज कूपन सहित मोबाइल फोन पुरस्कार स्वरूप दिया जाएगा। इस हेतु एक योजना राज्य सरकार द्वारा जारी की जाएगी। सीकर में भारतीय गोवंश संवर्धन और संरक्षण अग्रदेवाचार्य पीठ द्वारा रेवासा में चलाये जा रहे गौशाला के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए मैं घोषणा करती हूं आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए इनको राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त तीस लाख रुपये दिये जाएंगे। टोंक की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए मैं घोषणा करती हूं कि यहां के राजकीय अस्पतालों में पचास शैयाओं की वृद्धि की जाएगी साथ ही इस अस्पताल में एक सीआरएम मशीन भी स्थापित की जाएगी। पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाते हुए राज्य में राजकीय पेंशनर के साथ एक अन्याय हो गया था। वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार पेंशन जिस पद से सेवानिवृत्त पेंशनर जिस पद से सेवानिवृत्त हुआ उस पद के 1996 में संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के पचास प्रतिशत से कम उसकी पेंशन नहीं होनी चाहिए थी। अब मैं यह अन्याय खतम कर 1 अप्रैल, 2008 से इन पेंशनर्स को ये लाभ देने की घोषणा करती हूं। इससे 38 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का अतिरिक्त लाभ प्रि-96 पेंशनर्स को मिलेगा। शहरों व कस्बों में मंदिरों के समीप स्थापित मदिरा की दुकानों के संबंध में निरंतर शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। रिकार्ड के अनुसार मंदिर संस्था आदि के समीप देशी व विदेशी मदिरा की 294 दुकानों को 1992 से लगातार अलग-अलग वर्षों में अलग-अलग संख्या में छूट दी गई। 1992 से 2004-05 तक ये दुकानें ठेकेदारों के समूहों द्वारा चलायी जाती थीं। इनके सम्बन्ध में केवल अब

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

शिकायतें उत्पन्न होनी प्रारम्भ हुई हैं। तो इन तथाकथित शिकायतों और समाचार पत्रों की रिपोर्ट के पीछे कौन हैं ये मुझे इस सदन के समझदार सदस्यों को समझाने की आवश्यकता नहीं है। कमर टूटेगी तो किसी न किसी रूप में चीख तो निकलेगी। फिर भी मैंने आदेश दिये हैं कि हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान जिन दुकानों को नियमों में शिथिलता दी गई है उन सभी को रिव्यु किया जाएगा और अगले माह से इनको इस रिव्यु के परिणामस्वरूप बंद भी किया जाएगा।

इस वर्ष कुल कर राजस्व का लगभग 12 प्रतिशत हिस्सा आबकारी आय से प्राप्त होगा। मैं यह तो चाहती हूं कि अगर हम इस आय का कोई विकल्प ढूंढ पायें जैसा कि गुजरात को पेट्रोलियम की आय से हुआ तो हमें राजस्थान में गांधीजी द्वारा दिखाये गये शराबबंदी के रास्ते पर ही चलना चाहिए। यह मेरा सोच है। खादी और हैंडलूम सिल्क की बंधेज की साड़ियां कर मुक्त हैं लेकिन अन्य सिल्क की साड़िया चार प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं। जहां तक कर योग्य सिल्क को छोड़ कर अन्य प्रकार की बंधेज की साड़ियों का संबंध है किसी प्रकार की सिलाई नहीं होने पर ऐसी साड़ियां टैक्सटाइल मेडअप्स की श्रेणी में नहीं आती हैं अत: टैक्सटाइल की श्रेणी में होने से ये वर्तमान में करमुक्त हैं । राज्य में सभी प्रकार के कागज जिनमें हस्तनिर्मित कागज तथा अख़बार के कागज भी शामिल हैं वर्तमान में चार प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं इसमें स्पष्ट है कि राज्य में हस्तनिर्मित कागज साढ़े बारह प्रतिशत की दर से कर योग्य नहीं हैं इसलिए हस्तनिर्मित कागज की कर दर अन्य प्रकार के कागजों के समान चार प्रतिशत ही है। जैसा कि सदन में अवगत करा चुकी हूं कि महिलाओं के नाम पर कृषि भूमि के पंजीयन की स्थिति में पांच प्रतिशत की रियायती दर पर स्टांप ड्यूटी लगाने के उत्साहवर्धक परिणाम सामने आये। महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में मैं अब ये घोषणा करती हूं कि ये दर अब शहरी क्षेत्रों पर भी लागू होगी और दोनों शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि के अलावा अन्य स्थावर यानी इम्मूवेबल प्रॉपर्टी पर लागू होगी। उपरोक्त रियायत को राजस्व दृष्टि से तर्कसंगत बनाने के लिए इम्मूवेबल प्रापर्टी के अन्य समस्त पंजीयन पर दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से 8 प्रतिशत की दर से स्टांप ड्यूटी लगाया जाना प्रस्तावित है। इसलिए अभी कुछ दिन बाकी हैं इस करके महिलाओं के नाम पर जल्दी से अपनी स्टांप ड्यूटी पेमेंट करा दिया जाएगा तो मैं समझती हूं कि बहुत लाभ भी होगा, परिवार को भी लाभ होगा और स्टेट को भी होगा।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

वर्तमान में विवाह स्थलों पर विलासिता कर देय है। कई धार्मिक और अन्य ट्रस्टों और धर्मशाला आदि ने ये शंका जताई है कि इससे उन पर टैक्स का भार पड़ा है। मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि अब ऐसी संस्था शादी विवाह जैसे समारोहों के लिए अपने होल अथवा उद्यान समारोह स्थल के रूप में किराये पर देते हैं और वह भी एक हजार रुपये प्रतिदिन से ज्यादा किराये पर तभी विलासिता कर देय है। और इस विलासित कर का भार किराये पर लेने वाले पर पड़ेगा ना कि संबंधित संस्था पर परन्तु धर्मार्थ से किये जा रहे कार्य को देखते हुए बिना लाभ हानि से चलने वाली ऐसी संस्थाओं के लिए मैं इस सीमा को दस हजार रुपये तक बढ़ाने की घोषणा करती हूं। वर्ष 2006-07 के बजट में मेरे द्वारा पर्यावरण को सुधारने की दृष्टि से ग्रीन टैक्स लगाया गया था । मुझे सदन को यह बताते हुए हर्ष है कि इस वर्ष ग्रीन टैक्स से चार करोड़ रुपये की आय अनुमानित है चूंकि यह कर पर्यावरण को सुधारने की दृष्टि से लगाया गया था, यह न्यायसंगत ही होगा कि इस राशि का उपयोग राजमार्ग पर ट्रकों की पार्किंग व्यवस्था, ड्राइविंग ट्रेक्स के विकास और तिपहिया वाहनों को सीएनजी में कन्वर्ट करने हेतु किया जाए सो मैं घोषणा करती हूं कि इन योजनाओं हेतु वर्ष 2008-09 में चार करोड़ रुपये की राशि हम उपलब्ध करवायेंगे। राज्य के साबुन उद्योग की व्यावहारिक कठिनाइयों के निराकरण की दृष्टि से तेल आधारित कपड़े धोने का साबुन जो टब या बार के रूप में हो अथवा अनपेकेज्ड टिकिया के रूप में हो की कर दर चार प्रतिशत प्रस्तावित करती हूं। फिनिश्ड कोटा स्टोन की कर दर साढ़े बारह प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत किये जाने के पश्चात् इसी श्रेणी के फिनिश्ड निम्बाहेड़ा के स्टोन की कर दर को भी साढ़े बारह प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है । राज्य के आटा, मैदा, सूजी उत्पादक इकाइयों के अनुरोध पर गेहूं के चापड़ को करमुक्त किया गया था लेकिन करमुक्त होने के कारण से इस उद्योग को इनपुट टैक्स क्रेडिट का पूरा लाभ नहीं मिलता था अत: मैं गेहूं की चापड़ को दिनांक 1 अप्रैल, 2006 से 1 प्रतिशत से कर योग्य किया जाना प्रस्तावित कर रही हूं जिससे कि ऐसे व्यवहारी इनपुट टैक्स क्रेडिट का पूरा लाभ प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार खाद्य तेल उद्योग को भी डीआयल्ड केक कर मुक्त होने से इनपुट टैक्स क्रेडिट का पूरा लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है अत: डिओयल्ड केक तेल रहित को भी दिनांक 1 अप्रैल, 2006 से एक प्रतिशत की दर से कर योग्य किया जाना प्रस्तावित है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने दो सुझाव यहां दिये एक तो यह था कि धौलपुर के पत्थर को भी साढ़े बारह प्रतिशत की बजाय चार प्रतिशत कर दर करनी चाहिए। सिद्घांतत: मैं इस सुझाव से सहमत हूं और सदन को आश्वस्त करती हूं कि सेंड स्टोन के सम्बन्ध में समुचित निर्णय शीघ्र ही ले लिया जाएगा। इसको स्कीम बनाकर, क्योंकि आपने उसको किया अब आप नहीं करोगे तो मैं इसको वापस ले रही हूं ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): स्कीम तो घोषणा कर दी इसकी स्कीम बना रही हूं स्कीम घोषणा कर दी। स्कीम...(व्यवधान) क्या है?

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): आपने अभी बताया है न ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नहीं-नहीं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आपको कहीं कोई रोक नहीं है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): आपने कितने प्यार से कहा है और हमने आपको ...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैंने आपकी बात मान ली है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): ... इतने प्यार से आश्वस्त कर दिया है तो ताली पीटोगे तो फिर सोचेंगे इसके बारे में।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): All right, we trust you. We trust you.

श्री दलजीत सिंह (बाड़ी): ...(व्यवधान) सबसे गरीब वर्गों के लिए यह पत्थर बिकता है...(व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): कौन सा? (व्यवधान) मैं खाली देख रही हूं कि आपका कुछ रह गया क्या। (व्यवधान) इतने सारे रोड्स के आपके सामने कर दिये हैं।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि दक्षिणी राजस्थान तो पत्थर के सनम हैं, आपने दक्षिणी राजस्थान को बिलकुल इग्नोर किया है । कहीं न कहीं पर्यटन के लिए, पत्थर के लिए कुछ तो दीजिये दक्षिणी राजस्थान को। वहीं से आप भी पधारती हैं। वहीं से आप भी पधारती हैं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): आपने कोटा स्टोन का नहीं सुना था अभी।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): कोटा स्टोन, पर्यटन इसलिए तो अभी तो आप आश्वस्त कर रही हैं, हमको आश्वासन नहीं चाहिए। (व्यवधान)

श्री टीकम चन्दकांत (सिवाना): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वो ग्रेनाइट के विषय में भी निर्णय लेने की बात थी। ग्रेनाइट के विषय में बात करने की बात थी, निर्णय लेने की बात थी।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): ...(व्यवधान) आप पर छोड दिया था मिसिंग लिंक की मुख्य मंत्रीजी घोषणा करेंगी एक तो वह आप फरमायें और एमएलए लैड को भी जब आपने 20 प्रतिशत रिजर्वेशन कर दिया तो एक करोड़ करने का ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अंत में मैं यह कहना चाहूंगी कि राज्य का आर्थिक प्रबन्धन राजनीतिक अर्थव्यवस्था अथवा पोलिटिकल इकोनोमी की श्रेणी में आता है फिर भी पिछले पांच वर्षों में जहां मेरी सरकार ने इस प्रदेश के हर तबक़े को राहत देने का और सहायता प्रदान करने का प्रयास किया है। विशेषकर कमजोर और अशक्त वर्गों को, वहीं पर दूसरी ओर हमारा वित्तीय प्रबन्धन भी किसी रूप से कम नहीं हुआ है और हमने उसमें अपनी दूरगामी सोच भी दिखाई है । हमने एफआरबीएम एक्ट के तहत न केवल स्वयं को बांधा है बल्कि इस अनुशासन की पालना भी पूर्ण रूप से की है। 12वे वित्त आयोग द्वारा किये गये मापदंड की पूर्ति कर राज्य के लिये पूर्ण डेट वेवर भी हम लोगों ने प्राप्त किये हैं । इस वर्ष के राजनीतिक चुनौती के बावजूद इस सदन के समक्ष राजस्व और बजटीय सरप्लस का हमने बजट प्रस्तुत किया है । यह आसान नहीं था आप सब लोगों की कुछ न कुछ बातों को उठा कर हम लोगों ने अपने बजट में लाने की कोशिश की है । पूरे राजस्थान के सब तबकों को कुछ न कुछ देने की हमने कोशिश की है । पर मेरे को यह बताइए कि हमने तो संकीर्ण राजनीतिक सोच से उठ कर काम किया है केन्द्र की वर्तमान सरकार जो राज्यों को हिदायत देती है, अनुशासन की पालना हेतु हमको बाध्य भी करती है स्वयं इस अनुशासन के अनुसार राजकोषीय घाटे का एफआरबीएम टार्गेट इस वर्ष हासिल नहीं कर पाई, यह क्या बात हुई । हमको तो कहती है रोज आप इसमें बंधे हैं, आपको इसको करना है, हम लोग तो कर रहे हैं परन्तु वह खुद नहीं कर सकी। इसिलए हम यह कहते हैं कि बहुत आसान है लोगों को कहना और लोगों को बताना और

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

बहुत मुश्किल है इसको खुद क्रियान्वित करना और वह उन्होंने खुद ने देख लिया। लेकिन उसके बाद भी मैंने अपने हर बजट में समाज के हर वर्ग को छूने का प्रयास किया है। मेरे वर्तमान बजट को लोक लुभावना होने की संज्ञा दे दी गई है और किन्हीं लोगों ने कहा है कि अब चुनाव आ गये हैं इसलिए ऐसा बजट पेश किया जा रहा है । परन्तु आप मेरा पहला बजट क्यों नहीं उठा कर देख लेते, दूसरा देख लें, तीसरा देख लें या चौथा देख लें। इन सभी में हमने पूरी मेहनत की है। लोगों को बुलाया है, दर्जनों समूहों से बात की है, हर वर्ग की आवश्यकता को समझने की हम लोगों ने कोशिश की है। और जहां तक सम्भव हो सके हमारे साधनों में हमने उनको मदद करने की भी कोशिश की है। साथ ही सभी बजट राजस्थान की समृद्धि से प्रेरित है। पूर्व सरकार के विपरीत हमने चार साल तक नहीं बोला कि हमारा खजाना खाली है और हमने लास्ट ईयर में जाकर लोक लुभावनी घोषणाएं नहीं की, हमने कंसीस्टैंट बन कर पांचों साल में अच्छे बजट पेश किये हैं और उनका वित्त पोषण भी हमने किया है। पांचों साल में लोगों को लाभ हुआ है। इसमें प्रत्येक वर्ग की विशिष्ट आवश्यकता को ध्यान में रखा है और इसी कारण मैं समझती हूं कि हमारे बजट की बहुत अच्छी प्रशंसा हुई है। इसीलिए मैं यह कहती हूं कि भाजपा को वोट देना अच्छी राजनीति है, आप सब को बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान वित्त विधेयक, 2008 को जनमत जानने के लिये जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं उन्हें अस्वीकार करते हुए राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2008 को व राजस्थान वित्त विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाये ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (बैर): माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भारत के वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण में की गई घोषणा के बारे में कहा कि यदि इस ऋण माफी को ऋण माफी मान लें, थोडा संदेह व्यक्त किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बाद में मुख्य मंत्रीजी द्वारा की गई इस सदन की घोषणाओं को भी हम धोखा और संदेहप्रद मान लें?

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): आप भले ही कर सकते हैं यह, यह मेरी बात नहीं है यह तो इकोनोमिस्ट की बात है ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (बैर): आपने बजट भाषण के बारे में इस सदन में कहा है । बाहर आप कुछ भी कह सकती हैं ।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): हां मैंने सदन में कहा है, इकोनोमिस्ट और बैंकर्स से बात करने के बाद कहा है । मैं अपने मन से नहीं कह रही हूं । आप भले ही कह सकते हो आप बैठे हैं, मैं तो यह बार-बार आपको कह रही हूं कि आपको इसकी गहराई में जाने की जरूरत है क्योंकि बाद में यह आपको ही फेस करना पडेगा । मुझे और कुछ नहीं कहना है इसमें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ...(व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्री जी हाउसिंग बोर्ड में हो रही अव्यवस्थाओं के बारे में कोई घोषणा करें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य बैठिए। आज आपको क्या हो गया है?

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): जांच कराने की घोषणा कर दें । उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी जांच कराने की घोषणा कर दें हम तो इतना ही चाहते हैं कि उसकी सही जांच होनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आज आपको हो क्या गया है?

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): मैं आप सब को खाली इतना कहना चाहती हूं, मैंने अभी नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य से कहा कि आप लोगों के सुझाव हैं, कोई ऐसी बात है उनमें हमने आपको कभी ना नहीं किया है । आप आइए, बताइए हम उसको देखेंगे क्या प्रोब्लम है ।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाये ?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ... पहले उस पर वोट लो ।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2008 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान वित विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया ।

(श्री उपाध्यक्ष)

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2008 : खंडश: विचार

खंड 2 व 3 कोई संशोधन नहीं ।

प्रश्न यह है कि खंड 2 व 3 स्वीकार किये जाये ?

(स्वीकृत)

खंड 2 व 3 स्वीकार किये गये ।

खंड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि-कोई संशोधन नहीं ।

प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाये ?

(स्वीकृत)

खंड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये ।

राजस्थान वित्त विधेयक, 2008 : खंडश: विचार

खंड 2 से 19 कोई संशोधन नहीं ।

प्रश्न यह है कि खंड 2 से 19 स्वीकार किये जाये ?

(स्वीकृत)

खंड 2 से 19 स्वीकार किये गये ।

खंड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं ।

प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाये ?

(स्वीकृत)

खंड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये ।

विधेयक का पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2008 व

राजस्थान वित्त विधेयक, 2008

श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2008 व राजस्थान वित्त विधेयक, 2008 को पारित किया जाये ।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2008 व राजस्थान वित्त विधेयक, 2008 को पारित किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2008 व राजस्थान वित्त विधेयक, 2008 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2008 व राजस्थान वित्त विधेयक, 2008 पारित किया गया ।

वित्तीय कार्य

अतिरेक मांगें वर्ष 2003-04 एवं वर्ष 2004-05 का उपस्थापन एवं मतदान

श्रीमती वसुन्धरा राजे, मुख्य मंत्री वर्ष 2003-04 एवं वर्ष 2004-05 के लिये अतिरेक मांगों का उपस्थापन करेंगी ।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2003-04 एवं वर्ष 2004-05 के लिये अतिरेक मांगों का उपस्थापन करती हूं ।

श्री उपाध्यक्ष: अतिरेक मांगों का पारण

मांग संख्या-16

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या-16 पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,06,173/- (एक लाख छह हजार एक सौ तिहत्तर) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या-48 विद्युत

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या-48 विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 28,30,68,508/- (अट्ठाईस करोड़ तीस लाख अड़सठ हजार पांच सौ आठ) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या-15 पेंशन व अन्य सेवानिवृति लाभ

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या-15 पेंशन व अन्य सेवानिवृति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को रुपये 17,02,56,933/- (सत्रह करोड़ दो लाख छप्पन हजार नौ सौ तैंतीस) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-21 सड़कें एवं पुल

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या-21 सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को रुपये 6,25,05,705/- (छह करोड पच्चीस लाख पांच हजार सात सौ पांच) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-27 पेयजल योजना

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या-27 पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को रुपये 19,85,66,171/- (उन्नीस करोड़ पचासी लाख छियासठ हजार एक सौ इकहत्तर) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या-34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 का समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को रुपये 7,37,74,055/- (सात करोड़ सैंतीस लाख चौहत्तर हजार पचपन) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-45 राज्य कर्मचारियों को ऋण

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या-45 राज्य कर्मचारियों को ऋण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 56,275/- (छप्पन हजार दो सौ पिचहत्तर) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय मुख्य मंत्रीजी, यह विधायक कोष की राशि को और खतम कर दो आप, बिलकुल बचत हो जाएगी। नहीं, ईमानदारी की बात है, हम सब सहमत हैं। आप इसको खतम कर दो बिलकुल ही। बहुत विकास कर दिया वैसे ही, बहुत पैसा दे रही हो आप हर मद में, विधायक को पैसा देने की जरूरत ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): विधायक विकास कोष की कोई आवश्यकता ही नहीं है, इसको खतम करो बिलकुल।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

मुखबंद

अनुपूरक अनुदान की मांगे वर्ष 2007-08

मांग संख्या-1 राज्य विधान मण्डल

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-1 राज्य विधान मण्डल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 17,70,000/- (सत्रह लाख सत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या-2 मंत्रिपरिषद्

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-2 मंत्रिपरिषद् के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 65,10,000/- (पैंसठ लाख दस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–5 प्रशासनिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-5 प्रशासनिक सेवाओं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,46,39,000/- (सात करोड़ छियालीस लाख उनतालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-6 न्याय प्रशासन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-6 न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 96,63,000/- (छियानवे लाख तिरसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-7 निर्वाचन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-7 निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 29,20,000/- (उनतीस लाख बीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या-10 विविध सामान्य सेवायें

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-10 विविध सामान्य सेवाओं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,42,49,000/- (एक करोड़ बयालीस लाख उनचास हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-11 विविध सामाजिक सेवायें

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-11 विविध सामाजिक सेवाओं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,06,49,000/- (पांच करोड़ छह लाख उनचास हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-12 अन्य कर

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-12 अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 21,30,15,000/- (इक्कीस करोड़ तीस लाख पन्द्रह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-14 बिक्री कर

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-14 बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,02,59,09,000/- (एक अरब दो करोड़ उनसठ लाख नौ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-16 पुलिस

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-16 पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 63,07,18,000/- (तिरसठ करोड़ सात लाख अठारह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-17 कारागार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-17 कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,88,52,000/- (पांच करोड़ अठासी लाख बावन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-18 जन सम्पर्क

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-18 जन सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,17,03,000/- (बारह करोड़ सत्रह लाख तीन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-19 लोक निर्माण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-19 लोक निर्माण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 32,90,79,000/- (बत्तीस करोड़ नब्बे लाख उन्नासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-20 आवास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-20 आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,33,71,000/- (दो करोड़ तैंतीस लाख इकहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-21 सड़कें एवं पुल

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-21 सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,32,21,64,000/- (एक अरब बत्तीस करोड़ इक्कीस लाख चौंसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-22 क्षेत्र का विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-22 क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,71,98,000/- (एक करोड़ इकहत्तर लाख अठानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-23 श्रम और रोजगार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-23 श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 26,38,39,000/- (छब्बीस करोड़ अड़तीस लाख उन्तालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,02,12,79,000/- (तीन अरब दो करोड़ बारह लाख उन्यासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 42,80,30,000/- (बयालीस करोड़ अस्सी लाख तीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-27 पेयजल योजना

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-27 पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,57,53,17,000/- (छह अरब सतावन करोड़ तिरपन लाख सत्रह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष

(श्री उपाध्यक्ष)

में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 36,93,15,000/- (छत्तीस करोड़ तिरानवे लाख पन्द्रह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 43,97,23,000/- (तियालीस करोड़ सतानवे लाख तेईस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-30 जनजाति क्षेत्रीय विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-30 जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,06,54,65,000/- (तीन अरब छह करोड़ चौवन लाख पैंसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-31 पुनर्वास एवं सहायता

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-30 पुनर्वास एवं सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,45,000/- (दो लाख पेंतालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या-32 नागरिक आपूर्ति

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-22 नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,65,36,000/- (दो करोड़ पैंसठ लाख छत्तीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

प्रश्न है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,11,95,95,000/- (एक अरब ग्यारह करोड़ पिचानवे लाख पिचानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 55,03,93,000/- (पचपन करोड़ तीन लाख तिरानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-35 विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-35 विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये

(श्री उपाध्यक्ष)

8,89,34,09,000/- (आठ अरब नवासी करोड़ चौंतीस लाख नौ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-36 सहकारिता

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-36 सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,61,53,000/- (छह करोड़ इकसठ लाख तिरेपन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-37 कृषि

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-37 कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को रुपये 1,80,44,88,000/- (एक अरब अस्सी करोड़ चवालीस लाख अट्ठासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-38 लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-38 लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,83,28,000/- (चार करोड़ तिरयासी लाख अट्ठाईस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-39 पशुपालन एवं चिकित्सा

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-39 पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये

(श्री उपाध्यक्ष)

जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,94,39,000/- (ग्यारह करोड़ चौरानवे लाख उनतालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-40 राजकीय उपक्रम

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-40 राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 33,99,97,000/- (तैंतीस करोड़ निन्यानवे लाख सतानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-41 सामुदायिक विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-41- सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,16,92,42,000/- (एक अरब सोलह करोड़ बानवे लाख बयालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-42 उद्योग

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-42 उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को रुपये 9,80,12,000/- (नौ करोड़ अस्सी लाख बारह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-43 खनिज

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-43 खनिज के संबंध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय

(श्री उपाध्यक्ष)

के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,62,00,000/- (पांच करोड़ बासठ लाख) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-44 लेखन सामग्री एवं मुद्रण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-44 लेखन सामग्री एवं मुद्रण के संबंध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,53,84,000/- (एक करोड़ तिरेपन लाख चौरासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-46 सिंचाई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-46 सिंचाई के संबंध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 20,00,36,000/-(बीस करोड़ छत्तीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-47 पर्यटन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-47 पर्यटन के संबंध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 30,92,000/-(तीस लाख बानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-48 विद्युत

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-48 विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 17,75,91,25,000/- (सत्रह अरब

(श्री उपाध्यक्ष)

मपचहत्तर करोड़ इक्यानवे लाख पच्चीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-50 ग्रामीण रोजगार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-50 ग्रामीण रोजगार के संबंध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 60,20,37,000/-(साठ करोड़ बीस लाख सैंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-51 अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-51 अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के संबंध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 68,00,57,000/- (अडसठ करोड़ सतावन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2008

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2008, श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री यह प्रस्ताव करेंगी कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2008

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड-2 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2008 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2008

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2008 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2008 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2008 पारित किया गया।

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2008

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2008, श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2008

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड-2 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-1 अधिनियमन-सूत्र, नाम आदि- कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन-सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन-सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री यह प्रस्ताव करेंगी कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2008 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2008

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2008 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2008 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2008 को पारित किया गया।

विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2008

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2008, श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2008

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाए?

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड-2 व 3 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 व 3 स्वीकार किये जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 व 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1 अधिनियमन-सूत्र, नाम आदि।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन-सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन-सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2008 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2008

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2008 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2008 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2008 को पारित किया गया।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 18 मार्च, 2008 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.51 बजे मंगलवार, दिनांक 18 मार्च, 2008 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गयी)

अनुपस्थित सदस्यों का तारांकित प्रश्नोत्तर

जोधपुर सहकारी उपभोक्ता भण्डार के कार्मिकों को पांचवें वेतन आयोग का लाभ

280. **श्री मनोहर सिंह (लाडनूं)** : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राजफैड, कानफैड व डेयरी के कर्मचारियों को पांचवां वेतन आयोग का लाभ दे दिया गया है? यदि हां, तो कब से एवं किस आधार पर?

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर उपभोक्ता होलसेल भण्डार लाभ में चल रहा है? यदि हां, तो इसके कर्मचारियों को पांचवें वेतन आयोग का लाभ नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं?

(3) क्या सरकार जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार के कर्मचारियों को पांचवें वेतन आयोग का लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजफैड, कानफैड एवं आर.सी.डी.एफ. व जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के कर्मचारियों को राज्य सरकार (प्रशासनिक सुधार विभाग/अनुभाग-3) द्वारा गठित स्थाई समिति की बैठक दिनांक 24.6.1998 की अनुशंषा के आधार पर पांचवां वेतन आयोग का लाभ दिया जा रहा है।

(2) जी हां। जोधपुर उपभोक्ता होलसेल सहकारी भण्डार के कर्मचारीगण को पांचवें वेतन आयोग का लाभ नहीं दिये जाने का मुख्य कारण यह रहा है कि पांचवां वेतन आयोग राज्य कर्मचारीगण हेतु था जिनकी नियोक्ता राज्य सरकार है जब कि भण्डार के कर्मचारीगण का वेतनभार स्वयं भण्डार द्वारा वहन किया जाता है तथा भण्डार भी एक ऐसी सहकारी संस्थाओं में से है जिनके व्यापार एवं वित्तीय स्थिति हमेशा एक समान नहीं रहती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में लाभदायकता कम होकर हानि की स्थिति आ जाने पर इस बढ़ी हुई आवर्ती लागतों को पूरा न कर पाने के कारण इनके बन्द होने की परिस्थिति आ जाती है। अत: इन संस्थाओं में वर्षवार लाभ की स्थिति में कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त परिलाभ देने की दृष्टि से विभाग द्वारा कार्य -प्रोत्साहन योजना दिनांक 10.3.1999 से लागू है। जिसका लाभ भण्डार के

(सहकारिता मंत्री)

कर्मचारीगण को इस वर्ष 4.53 लाख रुपये के अतिरिक्त भुगतान के रूप में किया गया है।

(3) जी नहीं। जोधपुर उपभोक्ता होलसेल भण्डार की व्यापार एवं वित्तीय स्थिति हमेशा एक समान नहीं रहती है। भण्डार में प्रतिकूल परिस्थितियों में लाभदायकता कम होकर हानि की स्थिति में आने पर लागत को पूरा न कर पाने के कारण बन्द होने की स्थिति न हो इसलिए पांचवां आयोग का लाभ न देकर कार्य-प्रोत्साहन योजना लागू की गई है।

अजमेर जिले के पोषाहार केन्द्रों पर लाभान्वित महिलाएं

284. **श्री देवीशंकर भूतड़ा** (ब्यावर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अजमेर जिले के कितने केन्द्रों पर पोषाहार वितरण किया जाता है? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त केन्द्र पर प्रतिदिन कितने बालकों व कितनी गर्भवती महिलाओं को पोषाहार प्रदान किया जाता है? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में पोषाहार वितरण से संबंधित शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) अजमेर जिले में 1617 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 85 मिनी आंगनबाडी केन्द्रों के माध्यम से पोषाहार का वितरण किया जा रहा है। तहसीलवार विवरण निम्नानुसार है :-

तहसील	**पोषाहार वितरण करने वाले**	
	आ. बा. केन्द्र	**मिनी केन्द्र**
अजमेर	211	16
ब्यावर	273	30
नसीराबाद	150	07

(महिला एवं बाल विकास

तहसील	पोषाहार वितरण करने वाले	
	आ. बा. केन्द्र	मिनी केन्द्र
मसूदा	167	07
भिनाय	112	06
सरवाड	133	00
केकड़ी	147	00
किशनगढ़	288	19
पीसांगन	136	00
योग	1617	85

(2) माह जनवरी, 2008 के केन्द्रवार व संख्यावार लाभार्थियों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि

286. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) केन्द्र सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2005-06 व 2006-07 में राज्य सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त योजना के अन्तर्गत किन-किन परिवारों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अब तक राज्य के किस-किस जिले में कितने-कितने बी.पी.एल. परिवार इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किये जा चुके हैं? संख्या विवरण जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(4) उपरोक्त योजना के सम्बन्ध में अब तक केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा क्या-क्या आदेश/परिपत्र जारी किये गये? जारी प्रपत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि. के माध्यम से राज्य को वर्ष 2005-06 में 47.18 करोड़ रुपये व वर्ष 2006-07 में 87.24 करोड़ रुपये जारी किए गए।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत राज्य के 32 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के कुल 519837 सामान्य व 1751093 बीपीएल परिवारों को घेरलू विद्युत कनेक्शन जारी कर लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। अभी तक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा 18 जिलों की ही राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(3) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत 18 जिलों की योजनाओं के ग्रामीण क्षेत्रों में 186136 बीपीएल परिवारों को विद्युत कनेक्शन जारी कर लाभान्वित किया जा चुका है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट–अ पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अन्य जिलों में भी कुटीर ज्योति योजनान्तर्गत 25261 कनेक्शन बी.पी.एल. परिवारों को जारी किये गये हैं।

(ऊर्जा मंत्री)

(4) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देशों की प्रति एवं स्वीकृति राशि के उपयोग हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, विद्युत वितरण निगमों एवं राज्य सरकार के बीच त्रिपक्षीय अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया है जिसकी भी प्रति क्रमश: परिशिष्ट-ब व परिशिष्ट-स पर उपलब्ध है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थानीय निकायों के अध्यक्षों/सदस्यों के वेतन भत्तों में वृद्धि

287. **श्री सुरेन्द्र पारीक** (हवामहल) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गत चार वर्षों में नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगरपालिकाओं के निर्वाचित अध्यक्षों व सदस्यों के वेतन और भत्तों में वृद्धि की गई है? यदि हां, तो कब और कितनी?

(2) क्या यह सही है कि इन्हें अतिरिक्त वित्तीय अधिकार भी प्रदान किये गये हैं? यदि हां, तो प्रत्येक को किस सीमा तक?

उत्तर

(1) जी हां। आदेश दिनांक 05.04.2007 (प्रभावी दिनांक 01.04.2007) के द्वारा नगर निगम/परिषद/पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों के मानदेय भत्तों में वृद्धि की गई एवं अधिसूचना दिनांक 24.05.2007 (प्रभावी दिनांक 01.06.2007) से बोर्ड के अध्यक्ष (महापौर/सभापति/अध्यक्ष) के मासिक भत्तों में वृद्धि की गई है।

बैठक भत्तों को पूर्व से दुगुना किया गया है एवं अन्य भत्तों/मानदेय में 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

उक्त वृद्धि के पश्चात दिये जाने वाले मानदेय/भत्तों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी, हां। विभागीय अधिसूचना दिनांक 31.01.2007 द्वारा निम्नानुसार वित्तीय अधिकार प्रदान किये गए हैं :-

पदनाम	वित्तीय शक्तियां
महापौर	25.00 लाख रु. तक
सभापति	10.00 लाख रु. तक
जिला मुख्यालय की नगर पालिकाओं के अध्यक्ष	5.00 लाख रु. तक
अन्य नगर पालिकाओं के अध्यक्ष	1.00 लाख रु. तक

परिशिष्ट "अ"

नगर निगम/परिषद/पालिका के निर्वाचित सदस्यों को दिये जा रहे मासिक भत्ता एवं अन्य सुविधाओं हेतु देय भत्तों की दरें (दिनांक 01.04.2007 से प्रभावी)

निकायों की श्रेणी	टैलीफोन भत्ता रुपये/माह	स्टेशनरी भत्ता रुपये/माह	वाहन भत्ता रुपये/माह	बैठक में भाग लेने का पारिश्रमिक
नगर निगम	1050/-	375/-	750/-	200/- प्रति मिटिंग अधिकतम 700/- प्रतिमाह
नगर परिषद्	750/-	300/-	525/-	150/- प्रति मिटिंग अधिकतम 600/- प्रतिमाह
नगर पालिका	450/-	225/-	375/-	100/- प्रति मिटिंग अधिकतम 400/- प्रतिमाह

नगर निगम/परिषद्/पालिका के अध्यक्ष (महापौर/सभापति सहित) को देय मासिक भत्ता (दिनांक 01.06.2007 से प्रभावी)

क्र.सं.	निकायों की श्रेणी	मासिक भत्ता
1	समस्त नगर निगम	रुपये 7,500/- प्रतिमाह
2	समस्त नगर परिषद्	रुपये 4,500/- प्रतिमाह
3	अन्य समस्त नगर पालिका	रुपये 1,500/- प्रतिमाह

तहसील नैनवां (बूंदली) के अपूर्ण एनीकटों के निर्माण हेतु वितीय स्वीकृति

288. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अपूर्ण रहे एनीकट आदि कार्यों को पूर्ण करवाने में प्राथमिकता दी जाती है? यदि हां, तो वर्ष 1998-99 से अपूर्ण चले आ रहे बड़ी का खाल (बारी का नाल) एनीकट सीसोला (नैनवां) जिला बून्दी को अब तक पूर्ण नहीं करवाये जाने के क्या कारण रहे हैं?

(2) क्या यह सही है कि वितीय प्रावधानों के अभाव में उक्त कार्य नहीं करवायें जा रहे हैं? यदि हां, तो उक्त कमी को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है?

(3) क्या यह सहीं है कि उक्त एनीकट को पूर्ण कराने हेतु राशि की स्वीकृति जिला परिषद्, बूंदी से चाही गई है? यदि हां, तो इस संबंध में अब कब तक राशि प्राप्त कर निर्माण कार्य को पूर्ण करवा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। अपूर्ण कार्यों को वितीय उपलब्धता होने पर पूरा कराये जाने हेतु प्राथमिकता दी जाती है।

जिला बूंदी के बड़ी का खाल (बारी का नाल) एनीकट वितीय प्रावधान राज्य योजना से उपलब्ध न हो पाने के कारण पूरा नहीं कराया जा सका है।

(2) जी हां। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना की समाप्ति (31.3.2008) के पश्चात् बचत राशि का उपयोग 2010 तक करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार एवं जापान बैंक आफ इन्टरनेशनल कॉपरेशन को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें जल संरक्षण संरचनाओं के कार्य भी प्रस्तावित किये गये हैं। यह राशि प्राप्त होने पर उक्त कार्य करने का पूरा प्रयास किया जायेगा।

(3) जी हां। जिला परिषद् बूंदी द्वारा एनीकट पूरा करवाने हेतु राशि उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की गई है।

रावतभाटा-एकलिंगपुरा-रामगंजमण्डी सड़क का आदर्श सड़क निर्माण हेतु चयन

289. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में एक आदर्श सड़क बनाने की स्वीकृति जारी की गई है? यदि हां, तो कब व कितनी लम्बी व इस सड़क की क्या-क्या विशेषताएं होंगी?

(2) चित्तौड़गढ़ जिले में कौनसी सड़क इस योजनान्तर्गत चयनित की गई? क्या रावतभाटा से रामगंजमण्डी रोड वाया एकलिंगपुरा सड़क भी चयनित की जा सकती है?

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में एक आदर्श सड़क बनाने की स्वीकृति दिनांक 06.07.2005 को जारी की है। प्रत्येक जिले में घोषित आदर्श सड़कों की लम्बाई का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है। आदर्श सड़क पर चौराहों का सुधारीकरण, यातायात साइन बोर्ड लगाना, सड़क पर सेन्टर लाइन लगाना एवं सड़क की राइडिंग क्वालिटी में सुधार करने का प्रावधान है।

(2) चित्तौड़गढ़ जिले में धरियावद-प्रतापगढ़-मन्दसौर सड़क को आदर्श सड़क घोषित किया गया है। रावतभाटा से रामगंजमण्डी रोड वाया एकलिंगपुरा सड़क का चयन आदर्श सड़क के रूप में किया जाना सम्भव नहीं है। क्योंकि राज्य सरकार की नीति अनुसार एक जिले में एक ही आदर्श सड़क घोषित किये जाने का प्रावधान है।

परिशिष्ट ''अ''

जिलों में बनाई गई आदर्श सड़कों की सूची

क्र. सं.	जिला का नाम	आदर्श सड़क का नाम	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी.)
1	नागौर	फलौदी-पानचौड़ी-नागौर-खाटू-कुचामन-रेनवाल-कालाडेरा कि.मी. 93/0 से 142/0 (एस.एच.डब्ल्यू-19)	49.00
2	जालौर	जालौर-भीनमाल-रानीवाड़ा कि.मी. 74/0 से 106/0 (एस.एच.डब्ल्यू-31)	32.00
3	झालावाड़	झालरापाटन से अगर-उज्जैन से म.प्र. सीमा तक कि.मी. 0/0 से 30/0 (एस.एच.डब्ल्यू-1)	30.00

1	2	3	4
4	चूरू	चूरू-सरदारशहर वाया पुलासर कि.मी. 0/0 से 48/0 (एस.एच.डब्ल्यू-30)	48.00
5	गंगानगर	श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ सड़क कि.मी. 0/0 से 33/0 (एस.एच.डब्ल्यू-36)	33.00
6	सीकर	सीकर-सालासर सड़क कि.मी. 4/800 से 53/300 (एस.एच.डब्ल्यू-20)	48.50
7	झुंझुनूं	झुंझुनूं-बिसाउ सड़क कि.मी. 166/0 से 198/000 (एस.एच.डब्ल्यू-37)	32.00
8	दौसा	महुआ-मण्डावर सड़क कि.मी. 32/0 से 48/600 (एस.एच.डब्ल्यू-35)	16.60
9	अलवर	भरतपुर जिला सीमा से बागड तिराहा कि.मी. 76/0 से 94/300 (एस.एच.डब्ल्यू-14)	18.30
10	भरतपुर	भरतपुर-डीग-अलवर सड़क कि.मी. 2/700 से 33/0 (एस.एच.डब्ल्यू-14)	30.30
11	अजमेर	सरवाड़-अराई-किशनगढ़ एस.एच.-7 कि.मी. 42/0 से 70/0	28.00
12	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा-कांकरोली सड़क कि.मी. 0/0 से 26/0 (एस.एच.-12)	26.00
13	टोंक	सोयला से डिग्गी (एमडीआर-1) कि.मी. 0/0 से 32/0	32.00
14	बीकानेर	बीकानेर-छतरगढ़ सड़क (एस.एच.-3) (पूगलफांटा) कि.मी. 2/800 से 30/0	27.20
15	जयपुर	जयपुर-जोबनेर सड़क कि.मी. 9/900 से 40/00 (एस.एच.-2सी)	30.10
16	धौलपुर	धौलपुर से साइपाउ सड़क राज्य सीमा तक कि.मी. 0/00 से 30/0 (एस.एच.डब्ल्यू.-23)	30.00
17	बाड़मेर	चावा-सिणधरी सड़क कि.मी. 0/00 से 30/00 (एस.एच.-16)	30.00

1	2	3	4
18	जैसलमेर	जैसलमेर से सम सड़क कि.मी. 0/00 से 45/00 (एमडीआर-53)	45.00
19	जोधपुर	दांतीवाड़ा-पीपाड़सिटी सड़क जिला सीमा तक कि.मी. 26/500 से 61/00 (एस.एच.-21)	34.50
20	पाली	तखतगढ़-साण्डेराव-देसूरी सड़क कि.मी. 208/0 से 225/0 (एस.एच.-16)	17.00
21	सिरोही	आबू से अम्बाजी सड़क गुजरात सीमा तक कि.मी. 0/0 से 16/200 (एमडीआर-49)	16.20
22	बारां	छीपाबड़ौद से छबड़ा सड़क कि.मी. 0/0 से 15/200 (ओडीआर)	15.200
23	बूंदी	खाटाकर-केशवराव पाटन कि.मी. 90/0 से 115/0 (एस.एच.-34)	25.00
24	करौली	कैलादेवी-करौली सड़क कि.मी. 99/700 से 116/0 (एमडीआर-3)	16.30
25	कोटा	कोटा-कैथून (सुल्तान 38/0 से इटावा 76/0) सड़क (एमडीआर-51)	38.00
26	सवाई माधोपुर	सवाईमाधोपुर से श्यामपुरा सड़क कि.मी. 0/0 से 24/0 (एमडीआर)	24.00
27	बांसवाड़ा	मण्डली-गढ़ी-कालांजर-कुशलगढ़ सड़क (0 कि.मी. एट मण्डली) (एमडीआर-43)	32.00
28	चित्तौड़गढ़	धरीयावाद-प्रतापगढ़-मन्दसौर सड़क कि.मी. 17/0 से 62/0 (एमडीआर-12)	45.00
29	डूंगरपुर	आसपुर-डूंगरपुर सड़क (0 कि.मी. एट आसपुर) कि.मी. 23/0 से 42/800 (एस.एच.-54)	19.80
30	राजसमंद	मादरी-आमेट-देवगढ़-ताल-लासानी कि.मी. 26/0 से 56/0 (एस.एच.-56)	30.00
31	उदयपुर	डबोक-मावली-फतेहनगर-चित्तौड़गढ़ कि.मी. 37/0 से 56/0 (एस.एच.-9) (0 कि.मी. एट डबौक)	19.00
32	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़ जंक्शन से सूरतगढ़ वाया पीलीबंगा सड़क 0/0 से 26/0	26.00

ग्रामीण क्षेत्रों की कामकाजी महिलाओं हेतु शिशु पालना गृहों की स्थापना

290. **श्री कन्हैयालाल मीणा** (बस्सी) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राज्य में कामकाजी महिलाओं के लिए शिशु पालना गृह की योजना कब से प्रारम्भ की गई और ऐसे कितने शिशु पालना गृह का लक्ष्य था और उसके विरुद्ध कितनी उपलब्धि प्राप्त हुई? क्या ग्रामीण क्षेत्रों की कामकाजी महिलाओं के लिए भी यह व्यवस्था है? यदि हां, तो किन-किन जिलों में कितने शिशु पालना गृह हैं तथा उनमें कितने बच्चे हैं? इस योजना के प्रारम्भ से अब तक की प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य में कामकाजी महिलाओं के शिशुओं के लिये शिशु पालना गृह की योजना वर्ष 2004-05 में आरम्भ की गई।

500 शिशु पालना गृह खोलने का लक्ष्य था और उसके विरूद्ध 271 शिशु पालना गृह संचालित हो रहे हैं।

जी। हां। यह व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों की कामकाजी महिलाओं के लिये है। राज्य में 13 जिलों में 271 शिशु पालना गृह चल रहे हैं, जिसमें 6765 बच्चे हैं, जिसका विवरण जिलेवार परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

इस योजना के आरम्भ से अब तक की प्रगति का विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'अ''

राजस्थान सरकार

निदेशालय महिला अधिकारिता

शिशु पालना गृहों की स्थिति – फरवरी 2008

क्र.सं.	जिला	2007-08	लाभान्वित बच्चों की संख्या
1	अजमेर	6	106
2	अलवर	5	48
3	बांसवाड़ा	29	799
4	भरतपुर	29	838
5	भीलवाड़ा	29	907

क्र.सं.	जिला	2007-08	लाभान्वित बच्चों की संख्या
6	बीकानेर	5	133
7	डूंगरपुर	32	920
8	झालावाड़	36	1027
9	झुन्झुनूं	19	227
10	कोटा	7	149
11	पाली	8	119
12	राजसमन्द	37	624
13	उदयपुर	29	860
	योग	271	6757

परिशिष्ट "ब"

शिशु पालना गृहों की आरम्भ से अब तक की वर्षवार प्रगति

क्र.सं.	वर्ष	योजना का नाम	लक्ष्य	प्राप्ति
1	2004-05	शिशुपालना गृह	500	442
2	2005-06	शिशुपालना गृह	500	317
3	2006-07	शिशुपालना गृह	500	309
4	2007-08	शिशुपालना गृह	500	271

सीलिंग अधिशेष भूमि का भूमिहीनों को आवंटन

291. **श्री अमराराम (धोद)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

राज्य में सीलिंग से अधिशेष भूमि कितनी है तथा उसमें से कितनी भूमि जनवरी, 2004 से जनवरी, 2008 तक भूमिहीनों में वितरित की गयी? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य में राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत 6,09,746.43 एकड़ भूमि अधिशेष घोषित की गई। इसमें से जनवरी, 2004 से जनवरी, 2008 के मध्य भूमिहीनों को 2374.16 एकड़ भूमि वितरित की गयी। सूची परिशिष्ट "अ" पर प्रस्तुत है।

परिशिष्ट "अ"

राज्य में अधिशेष भूमि एवं जनवरी, 2004 से जनवरी, 2008 तक आवंटित भूमि का जिलेवार विवरण

क्र. सं.	जिला	अधिशेष भूमि (एकड़ में)	जनवरी, 04 से जनवरी, 08 तक भूमिहीनों को वितरित भूमि (एकड़ में)
1	अजमेर	11272.39	0.00
2	अलवर	1725.11	0.00
3	बारां	20443.05	163.26
4	बांसवाड़ा	1442.06	0.00
5	बाड़मेर	48761.00	0.00
6	भरतपुर	977.51	0.00
7	भीलवाड़ा	36495.00	587.00
8	बीकानेर	95859.00	0.00
9	बूंदी	23997.00	175.00
10	चितौड़गढ़	8455.07	0.00
11	चूरू	2202.00	0.00
12	दौसा	3888.06	49.81
13	डूंगरपुर	2073.00	0.00
14	धौलपुर	1388.00	0.00
15	हनुमानगढ़	16053.00	114.38
16	गंगानगर	16487.00	57.77
17	जयपुर	15338.00	57.00
18	जैसलमेर	91619.14	139.16
19	जालौर	34953.00	0.00
20	झालावाड़	4001.51	66.79
21	झुन्झुनूं	993.00	0.00
22	जोधपुर	31573.00	0.00

1	2	3	4
23	कोटा	30721.00	312.33
24	करौली	4078.50	0.00
25	नागौर	6766.53	0.00
26	पाली	46268.60	269.25
27	राजसमन्द	6176.63	4.80
28	सवाई माधोपुर	5127.00	164.21
29	सीकर	1380.00	0.00
30	सिरोही	9062.64	0.00
31	टोंक	15211.63	64.12
32	उदयपुर	14958.00	149.28
	योग	609746.43	2374.16

आमेर विकास प्राधिकरण द्वारा राजकीय सम्पत्तियों के पुनरुद्धार पर व्यय

292. **श्री लाल चन्द कटारिया** (आमेर) : क्या कला, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जयपुर जिले में अवस्थित कतिपय राजकीय सम्पत्तियों का पुनरुद्धार कार्य आमेर विकास प्राधिकरण नामक संस्था को सौंपा गया है? यदि हां, तो किन-किन राजकीय सम्पत्तियों को व किन-किन शर्तों पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) आमेर विकास प्राधिकरण को सरकार द्वारा अब तक कितनी कितनी राशि पुररुद्धार कार्य हेतु अथवा अनुदान के रूप में किस-किस तिथि को उपलब्ध करवाई गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आमेर विकास प्राधिकरण नामक संस्था द्वारा तक कौन-कौन से कार्य पूर्ण किये गये एवं उन पर कितनी राशि व्यय की गई तथा कौन-कौन से कार्य पूर्ण किये जाने शेष हैं और ये कार्य कब तक पूर्ण कर दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। आमेर पैलेस, आमेर शहर कोट, घाट की गुणी, (विद्याधर का बाग, रूप निवास, पीला महल, रामनिवास बाग), हाथी गांव, पुरानी विधान

(कला, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री)

सभा भवन एवं जलेब चौक का जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य हेतु आमेर विकास एवं प्रबन्धन प्राधिकरण संस्था को सुपुर्द किये गये हैं।

(2) पुनरूद्धार कार्य हेतु प्राप्त राशि का विवरण

क्र. सं.	कार्य का विवरण	राशि रु. लाखों में	राशि प्राप्ति दिनांक	विभाग का नाम
1	आमेर महल का जीर्णोद्धार व नवीनीकरण कार्य।	166.65 166.67 12.50 100.00 100.00	6.02.2006 31.03.2006 10.01.2008 अक्टुबर, 2007 जनवरी, 2008	केन्द्र प्रवृतित योजना (CSS) State Share पर्यटक विभाग के माध्यम से पर्यटन विभाग के माध्यम से (कंटीन्जेंसी मद) बारहवां वित्त आयोग (TFC) बारहवां वित्त आयोग
2	लाइट एण्ड शाउण्ड शो, आमेर	116.33	6.02.2006	केन्द्र प्रवृतित योजना (CSS)
3	पुरानी विधान सभा एवं जलैब चौक का जीर्णोद्धार व	100.00 100.00 200.00	18.08.2006 19.08.2006 12.09.2006	जयपुर नगर निगम JDA जयपुर नगर निगम
4	घाट की गूणी, जयपुर	200.00	31.10.2006	JDA
5	शहर कोट, आमेर	200.00 100.00	11.10.2007 16.01.2008	JDA JDA
6	हाथी गांव विकास परियोजना, आमेर	392.94 21.00 20.00	14.3.2007 17.7.2007 9.8.2007	पर्यटन विभाग, राजस्थान पर्यटन विभाग, राजस्थान पर्यटन विभाग, राजस्थान

(कला, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री)

(3) आमेर विकास एवं प्रबन्धन प्राधिकरण संस्था को क्रियान्विति हेतु दिये गये सभी जीर्णोद्धार व नवीनीकरण परियोजना कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं तथा कोई कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। चालू परियोजना कार्यों का विवरण इस प्रकार है :-

क्र.सं.	परियोजना कार्य	31.01.2008 तक व्यय (राशि लाख रु. में)	परियोजना पूर्ण होने का सम्भावित समय
1	आमेर महल एवं परिसर क्षेत्र के जीर्णोद्धार, संरक्षण एवं विकास कार्य	638.53	दिसम्बर, 2010
2	साउन्ड एवं लाइट शो, आमेर	43.06	मार्च, 2008
3	आमेर टाउन बाल का जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण कार्य	413.71	अप्रैल, 2009
4	घाट की गूणी (रूप निवास, विद्याधर का बाग एवं पिला महल) का जीर्णोद्धार, संरक्षण एवं विकास कार्य	53.38	दिसम्बर, 2008
5	हाथी गांव परियोजना में हाथियों हेतु ठाण निर्माण, महावतों हेतु आवास निर्माण, बाउन्ड्री वाल, अन्य सुविधाओं	230.05	दिसम्बर, 2008
6	जलेब चौक एवं पुरानी विधान सभा भवन का जीर्णोद्धार, संरक्षण एवं विकास कार्य	31.41	जुलाई, 2008

स्थानीय निकायों द्वारा विकलांगों को आबंटित भू-खण्ड

293. **श्री सी. डी. देवल** (रायपुर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री सी.डी. देवल)

(1) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास, विकास प्राधिकरण एवं नगरपालिकाओं मे विकलांग व्यक्तियों के लिये भू-खण्डों के आरक्षण का प्रावधान है ? यदि हां, तो इस संबंध में जारी आदेशों/नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गत पांच वर्षों में कुछ स्थानों पर विकलांग लोगों को भूखण्ड दिये गये हैं? यदि हां, तो प्रत्येक नगरपालिका/नगर परिषद्/नगर निगम/नगर विकास न्यास/हाउसिंग बोर्ड एवं नगर सुधार न्यास द्वारा कितने-कितने भूखण्ड किस साइज के किन-किन विकलांगों को आबंटित किये गये ? यदि निर्धारित कोटे से आबंटन नहीं किया गया तो उनके लिए कौन दोषी है और सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 में विकलांग व्यक्तियों हेतु भूखण्ड आबंटन में आरक्षण का प्रावधान नहीं है।

राजस्थान इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट (शहरी भूमि निस्तारण) नियम, 1974 के नियम-17 (2) (3) (e) के अनुसार आवासीय योजना में लाटरी से आबंटित भूखण्डों में विकलांग व्यक्तियों हेतु 2 प्रतिशत भूखण्डों के आरक्षण किये जाने का प्रावधान है। प्रावधानों की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना में विकलांग एवं अन्य हेतु 5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। योजना का मार्गदर्शिका परिशिष्ट 'ब' पर है।

(2) जी हां। गत पांच वर्षों में विकलांग व्यक्तियों को राज्य की विभिन्न नगर विकास न्यासों द्वारा आबंटित भूखण्डों का विवरण परिशिष्ट 'स' एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित भूखण्डों का विवरण परिशिष्ट 'द' पर है। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा भूखण्डों का आबंटन नहीं किया जाता है। नगर निगम/परिषद्/पालिकाओं द्वारा आबंटित भूखण्डों का विवरण परिशिष्ट 'य' पर संलग्न है।

विकलांग व्यक्तियों को भूखण्डों का आबंटन निर्धारित कोटे के अनुसार किया गया है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकलाय में रखी गई)

राष्ट्रीय पक्षी मोर के पंखों के उपयोग पर प्रतिबन्ध

294. **श्री भरत सिंह** (दीगोद) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री भरत सिंह)

(1) राज्य में वर्ष 2007-08 में मोर मारने के कितने प्रकरण उजागर हुए हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मोर पंखों के संग्रह करने की प्रदेश में छूट होने के कारण मोर पंखों की मांग की पूर्ति हेतु मोरों का मारना एक प्रमुख कारण है ?

(3) क्या यह सही है कि मोर पंखों का उपयोग मयूर नृत्य, शादी विवाह समारोह में मयूर डेकोरेशन व अन्य सजावट कार्यों में किया जाता है, जिससे इनकी मांग लगातार बढ़ रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार के उपयोग को प्रतिबन्धित करने का विचार रखती है ?

(4) क्या यह भी सही है कि जहरीली कीटनाशक का उपयोग अनाज के दाने में मिलाकर मोर मारने के कार्य में प्रदेश में व्यापक रूप में प्रचलित है ? यदि हां, तो इसे रोकने हेतु व राष्ट्रीय पक्षी मोर को कारगर रूप से संरक्षण प्रदान करने हेतु प्रशासनिक स्तर पर क्या पहल की गई ?

उत्तर

(1) वर्ष 2007-08 में मोरों के मरने के प्रकरणों की जिलेवार सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) मोर पंखों की मांग की आपूर्ति हेतु मोरों के मारे जाने की सम्भावना होती है। अत: मोरों के मारे जाने हेतु उत्तरदायी अनेक कारणों में से यह भी एक सम्भावित कारण है।

(3) मोर पंखों का उपयोग मयूर नृत्य सजावटी कार्यों एवं धार्मिक कार्यों में किया जाने के कारण मोर पंखों की मांग रहती है। वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 43 एवं 44 के अन्तर्गत मोर पंखों एवं इससे बनी वस्तुओं के लिए छूट प्रदान की गई है। मोर पंखों के कारोबार पर रोक लगाये जाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(4) जी हां। कीटनाशक से उपचारित, बीज को खाने से मोरों की मृत्यु के मामले सामने आये हैं। मोरों को मारने की घटनाओं के लिये दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाती है। ऐसी घटनाओं की रोकथाम हेतु जिला स्तर तक के समस्त वनाधिकारियों को परिपत्र भेजकर दिनांक 1.5.2007 से 30.6.2007 तक एक अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान बीजों में कीटनाशक दवाइयों

(वन राज्य मंत्री)

का उपयोग कम करने/सावधानीपूर्वक करने के सम्बन्ध में पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली बैठकों में ग्रामवासियों को समझाइश करने, मोरों को पीने का पानी एवं छाया उपलब्ध करवाने तथा मोरों की सुरक्षा के प्रति स्थानीय लोगों में जन चेतना जाग्रत करने का कार्य भी किया जाता है।

परिशिष्ट "क"

वर्ष 2007-08 में मोर मारने के प्रकरणों का जिलेवार विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	मोर मारने के दर्ज प्रकरण		कुल दर्ज प्रकरण
		वन विभाग द्वारा	पुलिस विभाग द्वारा	
1	बारां	1	1	2
2	सवाई माधोपुर	3	1	4
3	जयपुर	3	1	4
4	कोटा	1	0	1
5	भरतपुर	23	0	23
6	जोधपुर	3	0	3
7	झालावाड़	2	5	7
8	बांसवाड़ा	1	0	1
9	अजमेर	8	2	10
10	टोंक	1	2	3
11	अलवर	5	3	8
12	नागौर	0	3	3
13	उदयपुर	1	0	1
14	झुन्झुनूं	0	1	1
15	सीकर	0	2	2
16	दौसा	0	1	1
17	बीकानेर	0	1	1
18	हनुमानगढ़	0	1	1
19	चित्तौड़गढ़	0	5	5

(वन राज्य मंत्री)

1	2	3	4	5
20	डूंगरपुर	0	1	1
21	राजसमन्द	0	2	2
22	भीलवाड़ा	0	4	4
23	बूंदी	0	11	11
	योग	52	47	99

चम्बल ब्रिज (कोटा क्षेत्र) की मरम्मत हेतु कंसलटेन्सी शुल्क का भुगतान

295. **श्री प्रहलाद गुंजल** (रामगंजमण्डी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2006 में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर कोटा स्थित चम्बल ब्रिज की मरम्मत हेतु कंसलटेन्सी हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी? यदि हां, तो उक्त कार्य के लिए सरकार को कितनी राशि का एस्टीमेट बनाकर भेजा गया?

(2) क्या यह सही है कि भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2007-08 में चम्बल ब्रिज की मरम्मत हेतु लगभग 4 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है, जिसमें राज्य सरकार को सिर्फ कंसलटेन्सी फीस की राशि व्यय करनी हैं?

(3) क्या सरकार द्वारा वर्ष 2006 में चम्बल ब्रिज की मरम्मत की कंसलटेन्सी का कार्य करा लिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2007-08 में चम्बल ब्रिज की मरम्मत हेतु 4 करोड़ रुपये का कार्य प्रस्तावित कार्यों में सम्मिलित किया गया है। इस कार्य हेतु कंसल्टेंसी फीस की राशि भारत सरकार द्वारा ही वहन किया जाना है।

(3) जी नहीं। वर्ष 2006 में वित्तीय स्वीकृति के अभाव में कन्सलटेंसी का कोई कार्य नहीं किया गया।

बाल विकास परियोजना अधिकारी, परबतसर के पद पर पदस्थापन

296. **श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) जिला नागौर में कहां-कहां पर बाल विकास परियोजना अधिकारियों के कार्यालय संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में जिला नागौर के कार्यालयों में कौन-कौन कार्यरत हैं एवं कहां-कहां पर बाल विकास परियोजना अधिकारियों के पद रिक्त हैं?

(3) बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय परबतसर का कार्यभार किसको व कब से एवं क्यों दे रखा है?

(4) बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय परबतसर के कार्यालय का कार्यभार परबतसर के विकास अधिकारी व तहसीलदार को कब कब व कितने-कितने समय के लिये दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) विधायक परबतसर द्वारा उक्त कार्यालय का कार्यभार परबतसर के किस अधिकारी को देने की अभिशंसा कब की गई थी? क्या उसे कार्यभार दे दिया गया? यदि हां, तो कब एवं नहीं, तो क्यों?

(6) क्या सरकार उक्त अधिकारी को परबतसर बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय का कार्यभार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला नागौर में सभी 11 पंचायल समिति मुख्यालयों एवं 2 नगरपालिका मुख्यालयों पर कुल 13 बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय संचालित हैं। इनका विवरण निम्नानुसार है :- 1 परियोजना नागौर, 2 मूण्डवा, 3 मेडतासिटी, 4 रियाबडी, 5 डेगाना, 6 लाडनूं, 7 जायल, 8 डीडवाना ग्रामीण, 9 कुचामन सिटी, 10 मकराना ग्रामीण, 11 परबतसर, 12 डीडवाना शहरी, 13 मकराना शहरी।

(2) जिला नागौर के बाल विकास परियोजना कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। नागौर जिले में परबतसर एवं मकराना शहर बाल विकास परियोजना में परियोजना अधिकारी के पद रिक्त हैं।

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

(3) बाल विकास परियोजना अधिकारी, परबतसर का पद रिक्त होने के कारण अतिरिक्त विकास अधिकारी, परबतसर को दिनांक 25.02.2008 से दिया गया है। परियोजना में प्रशासनिक व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत उक्त आदेश जारी किये गये है।

(4) बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय, परबतसर के कार्यालय का कार्यभार परबतसर के विकास अधिकारी को दिनांक 09.09.2005 से 28.11.2005 तथा 25.02.2008 से लगातार दिया गया हैं तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय परबतसर का कार्यभार तहसीलदार को दिनांक 15.07.2004 से 09.09.2005 तक के लिये दिया गया था।

(5) विधायक, परबतसर द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी, परबतसर का कार्यभार विकास अधिकारी को देने की अभिशंषा अपने पत्र दिनांक 02.01.2008 द्वारा की गई। प्रशासनिक दृष्टि से बाल विकास परियोजना अधिकारी परबतसर का अतिरिक्त कार्यभार विकास अधिकारी परबतसर को विभागीय आदेश क्रमांक 9423 दिनांक 18.02.2008 के द्वारा दिया गया।

(6) बिन्दु संख्या 5 के अनुसार।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर जिले में नवीन राजस्व ग्रामों के गठन हेतु लम्बित प्रस्ताव

297. **श्री रामचन्द्र सराधना** (जमवारामगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में नये राजस्व गांवों का गठन करने के लिए कोई शर्तें तय हैं? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त शर्तों के अनुसार जिला जयपुर में नये राजस्व गांवों का गठन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने गांवों का और कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) जयपुर जिला राजस्व मण्डल और तहसील स्तर पर नये राजस्व गांव गठित करने और आबादी भूमि घोषित करने के ऐसे कौन-कौन से प्रस्ताव हैं जो एक वर्ष या इससे अधिक अवधि से विभिन्न स्तरों पर लम्बित हैं? ये प्रस्ताव कितने समय तक कहां-कहां लम्बित रहे और क्यों? अब कब तक इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया जाएगा?

(श्री रामचन्द्र सराधना)

(4) क्या यह सही है कि ऐसे प्रस्तावों के तहसील स्तर पर पहुंचने के बाद अन्तिम निर्णय के लिए समय सीमा तय है ? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो क्या सरकार ऐसी समय सीमा तय करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में नये राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के सम्बन्ध में परिपत्र दिनांक 19.3.2007 द्वारा मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं। परिपत्र की प्रति सदन के पटल पर रखी गई है।

(2) जी हां। जिला जयपुर में नवीन राजस्व ग्रामों के प्रस्ताव लम्बित नहीं है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार नवीन राजस्व ग्राम घोषित किए जा सकेंगे।

(3) नवीन राजस्व ग्राम गठित करने के एक वर्ष से अधिक के कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है। आबादी भूमि घोषित किये जाने के लम्बित प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट 'अ' सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(4) अधिनियम एवं नियमों में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है किन्तु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत सार्वजनिक कार्य हेतु भूमि सेट-अपार्ट किये जाने के सम्बन्ध में तहसील स्तर पर 15 दिन, उपखण्ड स्तर पर 7 दिन एवं जिला कार्यालय स्तर पर 5 दिवस की समयावधि निश्चित है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

उपखण्ड श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर) में विशेष श्रेणी के लम्बित आवेदन-पत्र

298. **श्री मंगलाराम गोदारा** (डूंगरगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उपखण्ड श्रीडूंगरगढ़ में विशेष श्रेणी में कृषि कनेक्शन के आवेदन गत दो वर्षों से लम्बित हैं ? यदि हां, तो कितने व क्यों ?

(2) क्या सरकार विशेष श्रेणी के सभी आवेदकों को कृषि कनेक्शन जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व कितने तथा नहीं, तो क्यों?

(श्री मंगलाराम गोदारा)

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा किसानों से सामान्य श्रेणी से 2 गुना आवेदन शुल्क लेकर तीन माह में तुरन्त प्राथमिकता से कृषि कनेक्शन देने के लिए विशेष श्रेणी बनाई गई थी ? यदि हां, तो जोधपुर डिस्कॉम द्वारा अब तक इसका पालन क्यों नहीं किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। श्रीडूंगरगढ़ उपखण्ड में वर्तमान में विशेष श्रेणी की 750 कृषि आवेदन पत्रावलियां लम्बित हैं।

(2) जी हां। विशेष कृषि श्रेणी के सभी लम्बित आवेदकों को वर्ष 2008-09 में मांग पत्र जारी कर कनेक्शन जारी किया जाना प्रस्तावित है।

(3) कृषि कनेक्शन नीति 2004 के बिन्दु संख्या 3 (ब) के अनुसार जो आवेदक वरीयता लांघ कर कनेक्शन लेना चाहते हैं तो वह आवेदन कर विशेष श्रेणी कृषि कनेक्शन ले सकते हैं किन्तु वर्तमान में नये आवेदन स्वीकार करने पर विद्युत वितरण निगमों द्वारा रोक लगाई हुई है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

उपखण्ड भादरा (हनुमानगढ़) में उपकोष कार्यालय की स्थापना

538. डा. **सुरेश चौधरी** (भादरा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार हनुमानगढ़ जिले के भादरा उपखण्ड पर स्वतन्त्र उपकोष कार्यालय स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। हनुमानगढ़ जिले के भादरा मुख्यालय पर राजस्व उपकोष कार्यालय कार्यरत है। राजस्व व्यय में नियंत्रण की आवश्यकता व तुलनात्मक लाभ कम होने से राजस्व उपकोषों को स्वतंत्र उपकोषों में परिवर्तित नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

पंजीयन एवं मुद्रांक कार्यालयों में दीर्घावधि से पदस्थापित कार्मिकों का स्थानान्तरण

539. **श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में लेखा सेवा से सम्बन्धित वित्तीय सलाहकार, लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, लेखाकार एवं कनिष्ठ लेखाकार तथा इसी अनुरूप विधि परामर्शी के पद विद्यमान हैं ? यदि हां, तो इन पदों पर कौन-कौन पदाधिकारी कब-कब से कार्यरत है ? क्या सरकार ऐसे पदाधिकारी जिन्हें एक ही पद पर दो वर्ष अधिक का समय हो गया है, का स्थानान्तरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि ए.डी.एम. स्टाम्प्स कार्यालय, जयपुर में अधिकांश कर्मी दो वर्ष से लम्बी अवधि से एक ही पद पर पदस्थापित हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन व कब-कब से? नाम व पद सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ऐसे कर्मियों का अविलम्ब स्थानान्तरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। विभाग ने लेखा सर्विस से सम्बन्धित वित्तीय सलाहकार, लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, लेखाकार एवं कनिष्ठ लेखाकार तथा इसी

(वित्त मंत्री)

अनुरूप विधि सेवा के विधि परामर्शी के पद विद्यमान है। यह सरकार से स्वीकृत पद है। उक्त पदों पर कौन पदाधिकारी कब से कार्यरत है। सूची परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। ऐसे पदाधिकारी जिन्हें एक ही पद पर 2 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, का स्थानान्तरण करने हेतु यथा समय विचार किया जावेगा।

(2) ए.डी.एम. स्टाम्प्स कार्यालय जयपुर में कुल 6 कर्मचारी कार्यरत हैं जिनमें से 3 कर्मचारी निम्न तालिका अनुसार 2 वर्ष से अधिक से पद स्थापित हैं।

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	पद	पदस्थापन दिनांक
1	श्री जगदीश लाल माथुर	व. लि.	22.05.2005
2	श्री दयाराम वर्मा	क. लि.	28.06.1999
3	श्री शंकर सिंह	च. श्रे. क.	19.09.2001

(3) कर्मचारियों का स्थानान्तरण सतत् प्रक्रिया है विभाग के अधीन कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो 2 वर्ष से अधिक एक ही पद पर कार्यरत हैं को प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण हेतु यथा समय विचार किया जायेगा।

परिशिष्ट 'अ'

राजस्थान सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग

'कर भवन' राजस्थान अजमेर

विभाग में पदस्थापित लेखा सर्विस से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी मय पदस्थापन दिनांक

क्र. सं.	पद	नाम अधि./कर्म.	पदस्थापन दिनांक
1	वित्तीय सलाहकार	श्री राजेश कुमार शर्मा	01.06.2006
2	लेखाधिकारी	श्री लक्ष्मण टिलवानी	04.06.2005
3	लेखाधिकारी	श्री सुशील मिड्डा	20.07.2006
4	सहायक लेखाधिकारी	श्री अभिमन्यु	12.07.2001

क्र. सं.	पद	नाम अधि./कर्म.	पदस्थापन दिनांक
5	सहायक लेखाधिकारी	श्री अशोक कुमार पारीक	13.03.2004
6	सहायक लेखाधिकारी	श्री गंगाधर	06.10.2004
7	सहायक लेखाधिकारी	श्री किशन गोपाल सोमानी	25.08.2005
8	लेखाकार	श्री कल्याण सिंह	25.06.2005
9	लेखाकार	श्री रामावतार विजय	25.07.2006
10	कनिष्ठ लेखाकार	श्री महेन्द्र सेठी	18.10.1999
11	कनिष्ठ लेखाकार	श्री विष्णुदत्त शर्मा	28.01.1997
12	कनिष्ठ लेखाकार	श्री लक्ष्मण प्रजापति	28.06.1998
13	कनिष्ठ लेखाकार	श्री बृजेश कुमार शर्मा	15.07.2004
14	कनिष्ठ लेखाकार	श्री उमेश कुमार जोशी	16.07.2004
15	कनिष्ठ लेखाकार	श्री सतीश उपाध्याय	16.07.2004
16	कनिष्ठ लेखाकार	श्री सुभाष सेठी	19.07.2006
17	कनिष्ठ लेखाकार	श्री आशाराम सांखला	01.09.2006
18	कनिष्ठ लेखाकार	श्री सुनिल कुमार जैन	20.07.2006
19	कनिष्ठ लेखाकार	श्री सरदार खां	04.10.2004
20	कनिष्ठ लेखाकार	श्री सुशील कुमार तंवर	19.06.2003
21	कनिष्ठ लेखाकार	श्री जगदीश त्रिपाठी	16.10.2007
22	कनिष्ठ लेखाकार	श्री महेन्द्र कुमार रमन	25.05.2006
23	कनिष्ठ लेखाकार	श्री जुगलकिशोर वैष्णव	19.05.2006
24	कनिष्ठ लेखाकार	श्रीमति शकुन्तला कासट	20.09.2004
25	कनिष्ठ लेखाकार	श्री राजेन्द्र चौधरी	18.07.2007
26	कनिष्ठ लेखाकार	श्री राजेन्द्र पुरोहित	11.09.1997
27	कनिष्ठ लेखाकार	श्री विष्णु कुमार शर्मा	01.08.2005
28	कनिष्ठ लेखाकार	श्री हरिकिशन वर्मा	29.07.2003
29	कनिष्ठ लेखाकार	श्री रवि हजरती	28.07.2001
30	कनिष्ठ लेखाकार	श्री दिनेश कुमार देवल	03.06.2003

विभाग में पदस्थापित विधि सर्विस से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी मय पदस्थापन दिनांक

क्र. सं.	पद	नाम अधि./कर्म.	पदस्थापन दिनांक
1	सहायक विधि	श्री नरेन्द्र नाथ शर्मा	25.02.2006
2	मुख्य विधि सहायक	श्री अशोक कुमार घीया	06.08.2007
3	मुख्य विधि सहायक	श्रीमति शान्ता अभिचन्दानी	23.12.1998
4	विधि सहायक	श्री कुशल चन्द	21.07.2004

वैयक्तिक रंजिशवश नैतिक अक्षमता आरोपित प्रकरणों का पुनरीक्षण

540. **श्री शिवजीराम मीणा** (जहाजपुर) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा लोक सेवकों के आपराधिक प्रकरणों में निलम्बन एवं निलम्बन से बहाली के सम्बन्ध में परिपत्र/नियम जारी किये गये हैं? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नैतिक अक्षमता से सम्बन्धित प्रकरणों में निलम्बन का प्रावधान है ? यदि हां, तो नैतिक अक्षमता में भारतीय दण्ड संहिता की कौन-कौनसी धाराओं को शामिल किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि किसी कार्मिक के विरुद्ध व्यक्तिगत रंजिश/ कारणों से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 एवं 420 के तहत न्यायालय में चालान होने पर इस कार्यवाही को भी नैतिक अक्षमता की परिभाषा में माना गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे प्रकरणों में पुन: परीक्षण करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजसेवकों के निलम्बन एवं निलम्बन से बहाली हेतु राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 में वांछित प्रावधान है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर दिशा-निर्देश आदि भी प्रसारित किये गये हैं। नियम 13 एवं परिपत्र दिनांक 10.08.2001 की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट-1 व 2)

(कार्मिक मंत्री)

(2) जी हां। राजसेवक के विरुद्ध यदि कोई भी फौजदारी प्रकरण अन्वेषणाधीन हो अथवा न्यायालय में विचारण हेतु लम्बित हो तो उस राजसेवक को निलम्बित किया जा सकता है। इसमें नैतिक अक्षमता के अपराध भी स्वत: ही सम्मिलित है। मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा नैतिक अक्षमता को परिभाषित करते हुये पवन कुमार बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य के मामले में निर्णय दिनांक 07.05.1996 परिभाषित किया है। जिसका सुसंगत भाग संलग्न है। (परिशिष्ट-3)

(3) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 एवं 420 के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय द्वारा जो निर्वचन परिभाषित किया है, उसके अनुसार उक्त दोनों धाराओं में वर्णित अपराध नैतिक अक्षमता से सम्बन्धित है। ऐसे प्रकरणों में पुर्नविचार की कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

किराया नियंत्रण अधिनियम संशोधन विधेयक, 2005 में 'जनसंख्या सीमा' की समाप्ति

541. **श्री दाताराम गुर्जर** (खेतड़ी) एवं **श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा दिनांक 28 सितम्बर, 2005 को किराया नियंत्रण अधिनियम संशोधन विधेयक, 2005 में संशोधन किया गया है ? यदि हां, तो उक्त विधेयक की संशोधित प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अधिनियम में '1991 की जनगणना के अनुसार 50 हजार से अधिक की जनसंख्या वाले' वाक्यांश को लोपित कर देने मात्र से राज्य की समस्त नगरपालिकाओं में यह अधिनियम लागू हो जाएगा ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त संशोधन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2005 के प्रारूप का अनुमोदन मंत्रीमण्डल द्वारा दिनांक 24.09.2005 को किया गया। जो विधान सभा से पारित होने एवं महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

प्राप्त करने के पश्चात अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर, 2005 को जारी की गई। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

राजस्थान किराया नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2005 के प्रारूप का अनुमोदन मंत्रीमंडल द्वारा दिनांक 24.09.2005 को किया गया जो विधान सभा से पारित होने के पश्चात महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात् 19 जनवरी, 2006 को अधिसूचना जारी की गई। प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। यद्यपि उक्त अधिनियम में '1991 की जनगणना के अनुसार पचास हजार से अधिक की जनसंख्या वाले' वाक्यांश को अधिसूचना दिनांक 19 जनवरी, 2006 द्वारा लोपित किया जा चुका है, परन्तु जिला मुख्यालय से भिन्न नगरीय निकायों में लागू करने हेतु राजकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करना आवश्यक है, जो वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

नदबई (भरतपुर) की कालोनियों में नाली निर्माण कार्य

542. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर** (नदबई) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार कस्बा नदबई (भरतपुर) के मोहल्लों एवं नई कालोनियों के गन्दे पानी की निकासी हेतु नाली निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

वर्तमान में कस्बे का गन्दा पानी पालिका क्षेत्र में स्थित पोखरों में एकत्रित होता है। उक्त गन्दे पानी को शहरी क्षेत्र से निकासी पालिका द्वारा आवश्यकतानुसार पम्पिंग मोटर लगा कर की जा रही है। पक्का कुण्डा/पोखर से गंदे पानी की निकासी हेतु एक बिजली मोटर स्थाई रूप से लगाई हुई है।

गन्दे पानी की निकासी की समस्या के स्थाई समाधान हेतु 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2007-2012 में नाला एवं नालियों के निर्माण हेतु कार्य योजना राशि 121.00 लाख रुपये की जिला कलक्टर, भरतपुर (जिला आयोजना समिति) को पत्रांक 4084 दिनांक 25.01.2007 से प्रस्तुत की गई है। अपेक्षित स्वीकृति व राशि प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

कस्बा चौमूं में सड़क निर्माण में व्याप्त अनियमितताओं की जांच

543. **श्री रमेश खींची** (कठूमर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा चौमूं कस्बे में सड़क निर्माण कार्य करवाये गये हैं? यदि हां, तो दिनांक 1 अप्रैल, 2007 से अब तक कहां कहां व कौन-कौन से कार्य करवायें गये? इनमें से कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो गये व कौन-कौन से अपूर्ण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि निर्माण में घटिया किस्म की सामग्री काम में ली गई है, जिससे सड़क दो महीने में ही टूट गई ?

(3) क्या सरकार चौमूं में बनाई जा रही घटिया किस्म की सड़क निर्माण की जांच करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस एजेन्सी से व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। 01 अप्रैल, 2007 से अब तक चौमूं कस्बे में नगर पालिका चौमूं द्वारा कराये गये सड़क निर्माण कार्यो का पूर्ण विवरण परिशिष्ट 'अ' पर एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कराये गये सड़क निर्माण कार्यो का पूर्ण विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) इस भाग का उत्तर बिन्दु सं. 2 के उत्तर में निहित है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।

नगरपालिका हनुमानगढ़ का क्रमोन्नयन

544. **चौधरी विनोद कुमार** (हनुमानगढ़) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर पालिका को नगर परिषद में क्रमोन्नत करने के क्या मानदण्ड है ?

(2) क्या सरकार हनुमानगढ़ नगर पालिका को नगर परिषद में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार हनुमानगढ़ के शहरी क्षेत्र में कूड़ा-करकट डालने के स्थान सुरक्षित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नगर पालिका को नगर परिषद में क्रमोन्नत करने हेतु प्रावधान राजस्थान द्वारा पालिका अधिनियम, 1959 की धारा 8 एवं अधिसूचना दिनांक 09.08.1994 द्वारा निर्धारित है। जिसकी प्रति परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' पर संलग्न है।

(2) प्रकरण वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। नगर पालिका हनुमानगढ़ मे हनुमानगढ़ जंक्शन संगरिया बाईपास रोड पर कूडा-करकट डालने हेतु स्थान आरक्षित है।

परिशिष्ट 'अ'

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959

धारा 8

नगर परिषदों और नगर निगमों की स्थापना और निगमन (Establishment and incorporation of Municipal Councils) – (1) प्रत्येक लघुतर नगरीय क्षेत्र में एक नगर परिषद् की स्थापना की जायेगी और ऐसी प्रत्येक परिषद् उस नगर की, जिसके प्रति निर्देश से नगरपालिका जानी जाती है, नगर परिषद के नाम से एक निगमित निकाय होगी तथा उसे शाश्वत उत्तराधिकारी होगा और उसकी एक सामान्य मुहर होगी तथा उसके निगमित नाम से वह वाद चला सकेगी और उस पर वाद चलाया जा सकेगा।

(2) प्रत्येक वृहत्तर नगरीय क्षेत्र में एक नगर निगम होगा और ऐसा प्रत्येक निगम उस नगर के, जिसके प्रति निर्देश से नगरपालिका जानी जाती है, नगर निगम के नाम से एक निगमित निकाय होगा तथा उसका शाश्वत उत्तराधिकारी होगा और उसकी एक सामान्य मुहर होगी और उसके निगमित नाम से वह वाद चला सकेगा और उस पर वाद चलाया जा सकेगा :

लेकिन ऐसे नगरीय क्षेत्र या उसके भाग में इस धारा के अधीन किसी नगर परिषद या किसी नगर निगम का गठन नहीं किया जा सकेगा जिसे राज्यपाल, क्षेत्र के आकार को और उस क्षेत्र के किसी औद्योगिक संस्थान द्वारा उपबंधित करायी जा रही या उपबंधित किये जाने हेतु प्रस्तावित नगरपालिका सेवाओं को और ऐसी अन्य बातों को वह उचित समझे, ध्यान में रखते हुए अधिसूचना द्वारा औद्योगिक नगर विनिर्दिष्ट करे।

परिशिष्ट 'क'

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग

संख्या : नियम/(श्रेणी)/डीएलबी/94/4486		जयपुर, दिनांक : 9.8.1994

<u>अधिसूचना</u>

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959(अधिनियम सं. 38 सन् 1959) की धारा 7, 8 में निहित प्रावधानों के अनुसार एवं धारा 297 की उपधारा-2(यू) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा राजस्थान राज्य में स्थित समस्त नगर पालिकाओं का श्रेणी विभाजन संलग्न परिशिष्ट के अनुसार किया जाता है :-

1. वृहत शहरी क्षेत्र, नगर निगम	:	5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरी केन्द्र
2. लघु शहरी क्षेत्र, नगर परिषद	:	1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या वाले शहर
3. संक्रमणशील क्षेत्र, नगरपालिका बोर्ड	:	1 लाख तक की जनसंख्या वाले शहर

उपरोक्त अधिसूचना विभागीय अधिसूचना सं.प. 8(ग)(86)(नियम)(श्रेणी) डीएलबी/93/7192 दिनांक 25.9.1993 को अधिक्रमित की जाती है।

संस्थापन शाखा, जयपुर विकास प्राधिकरण में पदस्थापित लेखाकार

545. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण के संस्थापन शाखा में लेखाकार व कनिष्ठ लेखाकार के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं?

(2) क्या उक्त शाखा में कार्यरत लेखाकार जयपुर विकास प्राधिकरण के कर्मचारी हैं? यदि हां, तो उक्त लेखाकार का संस्थापन शाखा में क्या कार्य रहता है?

(3) उक्त लेखाकार ने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर पूर्व में किस-किस प्रकोष्ठ में क्या-क्या कार्य किया? यदि नहीं, तो किस आधार पर इनकी पदोन्नति लेखाकार के पद पर की गई?

(4) वर्तमान में उक्त लेखाकार संस्थापन शाखा में कौनसा वित्तीय कार्य देख रहे हैं अथवा वित्तीय राय दे रहे हैं? उक्त लेखाकार द्वारा किये जा रहे कार्यों बाबत प्रमाण-पत्र सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त लेखाकार संस्थापन शाखा में कनिष्ठ लेखाकार से वर्तमान पद पर कब से कार्यरत हैं?

(श्री संयम लोढ़ा)

(6) क्या सरकार बिना स्वीकृति के संस्थापन शाखा में पदस्थापित लेखाकार के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण में लेखाकार के 6, कनिष्ठ लेखाकार के 70 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में प्रकोष्ठवार पद स्वीकृत नहीं किये हुये हैं।

(2) संस्थापन शाखा में कार्यरत लेखाकार प्राधिकरण सेवा के कर्मचारी हैं, जिनके द्वारा संस्थापन शाखा में कार्यरत कनिष्ठ लेखाकार द्वारा भिजवाई जाने वाली राय संबंधी पत्रावली उपायुक्त (प्रशासन) को भिजवाई जाती है।

(3) संस्थापन शाखा में कार्यरत लेखाकार जिनके द्वारा पूर्व में लेखा संबंधी कार्य करने एवं लेखा कार्य अनुभव होने के फलस्वरूप सहायक/कनिष्ठ सहायक से कनिष्ठ लेखाकार के पद पर वर्ष 1994-95 की डी.पी.सी. की बैठक दिनांक 20.04.1994 को आयोजित की गई जिसमें श्री विमल कुमार शर्मा को विभागीय जांच विचाराधीन होने के कारण उनके प्रकरण में इस डी.पी.सी. का परिणाम सील कवर में रखा गया था। जांच समाप्त होने के उपरान्त दिनांक 26.07.2006 को रिव्यू डी.पी.सी. की बैठक आयोजित कर इन्हें वर्ष 1994-95 को रिक्तियों में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर पदोन्नत किया गया। वर्ष 1994-95 में कनिष्ठ लेखाकार से लेखाकार के पद पर पदोन्नत होने के फलस्वरूप वर्ष 2005-06 में लेखाकार के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र होते हैं। कनिष्ठ लेखाकार से लेखाकार के पद पर वर्ष 2005-06 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 14.9.2005 को अयोजित कर ली गई थी, श्री विमल कुमार शर्मा को लेखाकार के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 21.9.2006 को रिव्यू डी.पी.सी. की बैठक आयोजित की गई तथा श्री विमल कुमार शर्मा को वर्ष 2005-06 की रिक्तियों में पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर लेखाकार के पद पर पदोन्नत किया गया।

(4) संस्थापन शाखा में कार्यरत कनिष्ठ लेखाकार के माध्यम से वित्तीय राय हेतु प्राप्त होने वाली पत्रावलियां लेखाकार द्वारा उपायुक्त (प्रशासन) को प्रेषित की जाती है। प्रमाण-पत्र संलग्न है।

(5) संस्थापन शाखा में कार्यरत लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार के पद पर पदोन्नति होने की दिनांक 29.7.2006 से एवं लेखाकार के पद पर दिनांक 26.12.2006 से कार्यरत है।

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

(6) प्राधिकरण में प्रकोष्ठ वाइज कनिष्ठ लेखाकार/लेखाकारों के पद स्वीकृत नहीं हैं। उक्त लेखाकार सक्षम स्वीकृति से ही संस्थापन प्रकोष्ठ में कार्यरत है। अतः इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : प-14(1)जविप्रा/संस्था/2004 दिनांक 1.5.1007

<u>आज्ञा</u>

कार्मिक प्रकोष्ठ के लेखा संबंधी कार्यो के प्रभावी निस्तारण को दृष्टगित रखते हुए प्रकोष्ठ में कार्यरत कनिष्ठ लेखाकार को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी पत्रावलियां श्री विमल कुमार शर्मा, लेखाकार के माध्यम से उपायुक्त (प्रशासन) को प्रेषित करेंगे। साथ ही श्री शर्मा पूर्व आबंटित कार्य को यथावत करते रहेंगे।

अति. आयुक्त (प्रशासन)

फिल्म सिटी निर्माण हेतु कार्य-योजना

546. **श्री सुभाष चन्द्र शर्मा** (कोठपूतली) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार राज्य में फिल्म सिटी बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस स्थान पर? सरकार इस दिशा में क्या प्रयास कर रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। जयपुर में फिल्म सिटी परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग आगरा रोड एवं दिल्ली रोड के मध्य में ग्राम रूपा की नांगल एवं जयसिंहपुरा खोर की सरकारी एवं इसी भूमि के मध्य में आने वाली निजी खातेदारों की भूमि पर बनाया जाना प्रास्तावित है।

ग्राम रूपा की नांगल में निजी खातेदारी की 90.20 एकड़ भूमि अवाप्ति हेतु धारा 4 व 6 की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है तथा ग्राम जयसिंहपुरा खोर की 11.05 एकड़ भूमि की धारा 4(1) की कार्यवाही हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 6.9.2007 को अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

घाट की गूणी (जयपुर) में सुरंग निर्माण हेतु निविदा

547. **श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

(1) क्या सरकार नेशनल हाइवे संख्या 8 से जयपुर में आने वाले ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए घाट की गूणी में सुरंग बनाने का विचार रखती है?

(2) क्या यह भी सही है कि वन विभाग से इसकी स्वीकृति ले ली गई है? यदि हां, तो इस कार्य को सरकार द्वारा कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा? क्या इस सम्बन्ध में कोई टेण्डर भी हो चुके हैं? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) घाट की गूणी एन.एच. संख्या 8 पर नहीं है बल्कि एन.एच. 11 पर है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा एक परियोजना बीओटी पर आधारित तैयार की गयी है जिसके तहत ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे से घाट की गूणी का वैकल्पिक मार्ग प्रस्तावित है, जिसके तहत सुरंग बनाकर आगरा रोड एन.एच. 11 किमी 228 पर गोनेर तिराहे तक जोडने का प्रस्ताव है।

(2) जी नहीं। वन विभाग से 15.45 हैक्टेयर वन भूमि पर परियोजना की क्रियान्वित हेतु स्वीकृति चाही गई है, अभी तक अनापत्ति पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। वन विभाग द्वारा अनापत्ति पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। वन विभाग द्वारा अनापत्ति पत्र प्राप्त होने के पश्चात् इस की निविदायें बी.ओ.टी. आधारित पद्धति पर आमंत्रित की जानी प्रस्तावित है तथा सफल निविदादाता को कार्यादेश आबंटित होने के पश्चात् इस परियोजना का क्रियान्वयन लगभग 3 वर्ष में किया जाना प्रस्तावित है।

स्वेज फार्म-हवा सड़क, जयपुर में सम्पर्क सड़क निर्माण हेतु भूमि की अवाप्ति

548. **प्रो. बीरुसिंह राठौड़** (बनीपार्क) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार स्वेज फार्म जयपुर की 60 फीट सड़क को सीधा जोड़ने हेतु विद्युत स्टेशन को हटाकर हवा सड़क से सीधी लिंक रोड बनाने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि इस योजना में निजी/राजकीय भूमि को अवाप्त किये जाने हेतु सरकार द्वारा कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो कब व उक्त योजना कब तक क्रियान्वित हो जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। विद्युत स्टेशन परिसर की कुछ भूमि अवाप्त कर विद्युत स्टेशन न हटाते हुए हवा सडक से सीधी लिंक रोड को बनाया जाना प्रस्तावित है।

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

(2) लिंक रोड न्यू सांगानेर रोड से हवा सडक को जोड़ने हेतु ग्राम सुदर्शनपुरा में चम्बल प्रोजेक्टस सब-स्टेशन पावर हाउस 132 के.वी. की 4196.80 वर्गमीटर व मान इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड जयपुर की 927.20 वर्गमीटर भूमि अवाप्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1.5.2007 को धारा 4(1) की अधिसूचना जारी की गई। भूमि अवाप्ति की कार्यवाही अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत की जाती है। अवाप्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है अधिनियम अनुसार प्रक्रिया पूर्ण होने पर जयपुर विकास प्राधिकरण को कब्जा प्राप्त होने के पश्चात् जयपुर विकास प्राधिकरण के स्तर पर कार्यवाही सम्भव होगी।

सत्य विहार/कृष्णा नगर, जयपुर के भू-खण्डों का नियमन

549. **श्री शांति लाल चपलोत** (मावली) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लालकोठी क्षेत्र में स्थित विभिन्न गृह निर्माण सहकारी समितियों की योजनाओं के भूखण्डों के नियमन हेतु अगस्त, 2002 में नियमन शिविर लगाकर भूखण्डों के पट्टे दिये गये थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसके पश्चात् नियमन से शेष रहे भूखण्डधारियों से 31 मार्च, 2006 तक नियमन राशि जमा कराने की विज्ञप्ति जारी की गई थी ? यदि हां, तो कितने भूखण्डधारियों द्वारा राशि जमा कराई गई ?

(3) क्या यह सही है कि मार्च, 2006 के पश्चात् लालकोठी क्षेत्र के सत्य विहार एवं कृष्णा नगर के ही कुछ भूखण्डधारियों को पट्टे जारी किए गये, शेष भूखण्डधारियों जिन्होंने यथासमय नियमन राशि जमा कराई थी, को पट्टे जारी नहीं किये गये? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार नियमन से शेष रहे भूखण्डधारियों को कैम्प लगाकर पट्टे जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

(2) जी हां। लगभग 150 भूखण्डधारियों द्वारा (स्वनिर्धारण के तहत) राशि जमा करायी गई। विज्ञाप्ति की छाया प्रति संलग्न है।

(3) जी हां। शेष भूखण्डधारियों के प्रकरणों में कार्यवाही विचाराधीन है।

(4) इस सम्बन्ध में कार्यवाही विचाराधीन है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम नींदड़ (जयपुर) में विभिन्न संस्थाओं को आबंटित भूमि

550. **श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि हरमाड़ा एवं नींदड़, तहसील आमेर, जिला जयपुर में कई संस्थाओं को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आबंटित की गई है? यदि हां, तो किन-किन को? संस्था का नाम, आबंटित भूमि का रकबा, किस वर्ष में आबंटित की गई सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम नींदड़ में जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि पर कब्जा करने वालों को धारा 72 के नोटिस जारी किये गये हैं ? तो किन-किन को? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम नींदड़, तहसील आमेर, जिला जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में संस्थाओं को आबंटित भूमि के साइट प्लान में परिवर्तन किया जा रहा है ? यदि हां, तो किन-किन में व क्यों? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि साइट प्लान में परिवर्तन से इन संस्थाओं को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित भूमि का क्षेत्र कम हुआ है ? यदि हां, तो परिवर्तन क्यों किया जा रहा है एवं क्या कम हुई भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संस्थाओं को उपलब्ध कराई जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत ग्राम नींदड़ तहसील आमेर में मेरी गोल्ड पब्लिक स्कूल को 4.00 बीघा भूमि का आबंटन दिनांक 12.08.2009 को किया गया है। इसके अलावा ग्राम हरमाडा व नींदड़ में कोई आबंटन नहीं किया है।

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

(2) जी हां। ग्राम नींदड़ में जयपुर विकास प्राधिकरण एक्ट 1982 की धारा 72 के तहत श्री शंकर लाल पुत्र श्री भूराराम शर्मा, नानूराम पुत्र श्री मुनीराम शर्मा बडपीपली बस स्टैण्ड, सीकर रोड, थाना हरमाडा, जयपुर के नाम से नोटिस जारी किया गया।

(3) जी हां। ग्राम नींदड़, जिला जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में संस्थाओं को आबंटित भूमि के साइट प्लान में अब तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(4) साइट प्लान में अब तक कोई परिवर्तन नहीं होने के कारण आबंटित भूमि कम नहीं हुई है।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा चौंमू एवं बगरू क्षेत्रों के विकास पर व्यय

551. **श्री मुरारीलाल मीणा** (बांदीकुई) : नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जयपुर विकास प्राणिकरण के उद्देश्यों में जयपुर नगर पर जनसंख्या का भार कम करने के लिए जयपुर के चारों ओर सभी आवश्यक सुविधाओं से युक्त उपनगरों का विकास करना भी शामिल है? यदि हां, तो प्राधिकरण द्वारा अपने स्थापना काल से अब तक कितने ऐसे सर्व सुविधा सम्पन्न उपनगरों का विकास किया गया है? विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गत दस वर्षो में चौमूं तथा बगरू नगरपालिका क्षेत्रों सहित किस-किस पंचायत समिति क्षेत्रों में निर्माण कार्यो पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत दस वर्षो में प्राधिकरण के किस-किस आयुक्त ने बगरू नगरपालिका क्षेत्र का किस-किस उद्देश्य से दौरा किया ?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर के चारों ओर स्थित उप नगरीय कस्बे जैसे बस्सी, बगरू, जमवारामगढ़, चौमूं, अचरोल, शिवदासपुरा/चंदलाई आदि में जो कि पुराने बसे आबादी क्षेत्र हैं, उनमें मौके की आवश्यकतानुसार एवं उपलब्ध संसाधनों से लगातार विकास कार्य यथा सड़क, नाली, स्कूल भवन का निर्माण, शमशानों का विकास का कार्य आदि करवाये जाते रहे हैं। इने अलावा शहर के नजदीक वाले उपनगरीय कस्बे जैसे भांकरोटा, बिन्दायका, कूकस, आमेर, सांगानेर, सिरसी, हरमाडा, गौनेर एवं कानोता में भी विकास कार्य करवाये जाते रहे हैं।

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गत 10 वर्षों में विभिन्न नगरपालिका/पंचायत समिति क्षेत्रों में निम्नलिखित राशि व्यय की गई है :-

चौमूं नगर पालिका – रु. 21.91 करोड़ ।

बगरू नगर पालिका- रु. 2.21 करोड़ ।

जमवारामगढ़ पंचायत समिति- रु.24.00 करोड़।

बस्सी पंचायत समिति – रु. 17.79 करोड़।

गोविन्दगढ़ पंचायत समिति- रु. 4.51 करोड़ ।

झोटवाड़ा पंचायत समिति – रु. 13.95 करोड़ ।

सांगानेर पंचायत समिति- रु. 55.61 करोड़ ।

आमेर पंचायत समिति - रु.- 59.49 करोड़ ।

फागी पंचायत समिति - रु. 40.18 करोड़।

(3) इस प्रकार का रिकार्ड प्राधिकरण के द्वारा संधारित नहीं किया हुआ है।

अतारांकित प्रश्न संख्या-552

(स्थगित)

ग्रामीण क्षेत्रों में ''पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान'' योजनान्तर्गत विकसित मूलभूत सुविधाएं

553. **डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर) : क्या युवा एवं खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिभावन खिलाड़ियों को छात्रवृति प्रदान की जाती है ? यदि हां, तो वर्ष 2004 से अब तक उक्त मद में केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई कितनी राशि में से कितने राशि व्यय कर कितने खिलाड़ियों को छात्रवृति प्रदान की गई ? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जनवरी, 2003 से 31 मार्च, 2005 तक केन्द्र सरकार द्वारा खेल मैदानों के उत्थान हेतु राज्य सरकार को कितनी उपलब्ध राशि के विरूद्व कितनी राशि व्यय कर क्या-क्या कार्य सम्पादित किये गये? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

(3) क्या राज्य में ''पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान'' प्रारम्भ कर ग्रामीण इलाकों में खेलकूद प्रोत्साहन हेतु मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं? यदि हां, तो जिलेवार उपलब्ध राशि के विरूद्ध विभिन्न मदों में व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जिला/तहसील स्तर पर खेल स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक तथा उक्त के लिए क्या बजटीय प्रावधान रखे गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भारत सरकार द्वारा खिलाड़ियों को सीधे ही राशि स्वीकृत की जाती है। जिसकी सूचना राज्य सरकार को नही दी जाती है।

(2) जनवरी 2003 से 31 मार्च तक केन्द्र सरकार द्वारा खेल मैदानों स्टेडियम के उत्थान हेतु राज्य सरकार को उपलब्ध करवाई गयी राशि, व्यय एवं सम्पादित किये गये कार्यो का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। युवा मामले एवं खेल विभाग में इस नाम से कोई योजना संचालित नहीं की जा रही है।

(4) जी हां। जिला/तहसील स्तर पर गुणावगुण एवं वित्तीय संसाधनों के अनुरूप स्टेडियम निर्माण करावाया जा सकेगा। वर्ष 2007-2008 के लिए 5.00 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान रखा गया है तथा वर्ष 2008-2009 के बजट में इसके लिए 10.00 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा जाना प्रस्तावित किया गया है।

परिशिष्ट "अ"

जनवरी 2003 से 31.03.2005 तक केन्द्र सरकार द्वारा खेल स्टेडियम निर्माण हेतु राज्य सरकार को उपलब्ध करवायी गई राशि एवं व्यय का विवरण

जिले का	निर्माण कार्य	केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि का			व्यय की गई	सम्पादित कार्य	विशेष विवरण
अजमेर	इण्डोर स्टेडियम	1-F23-3/2002 SPI	29.03.03	10.00 लाख	37.55 लाख	इण्डोर खेलों के लिए हाल का निर्माण	कार्य पूर्ण। कार्य हेतु राज्य सरकार ने भी वर्ष 2001-02 में 13.72 लाख की राशि स्वीकृत की है एवं शेष राशि स्थानीय
		2-F23-3/2000 SPI	10.06.04	8,72,500			
कोटा	तरणताल का निर्माण	1-F23-3/2002 SPI	11.07.03	13.00 लाख	55.06 लाख	तरणताल का निर्माण	कार्य पूर्ण। शेष राशि स्वयं के स्तर से व्यय की गई।
		1-F23-3/2002 SPI	31.03.04	12.00 लाख			

राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र में इनडोर स्टेडियम/युवा आवास

554. **श्री बंशीलाल खटीक** (राजसमंद) : क्या युवा एवं खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र राजसमंद के जिला मुख्यालय पर इनडोर स्टेडियम एवं युवा आवास स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार तहसील मुख्यालय रेलमगरा पर इनडोर स्टेडियम स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। राजसमन्द जिला मुख्यालय पर इन्डोर हाल बनाने के प्रस्ताव प्राप्त होने पर गुणावगुण एवं वित्तीय संसाधनों के अनुरूप निर्माण पर विचार किया जा सकेगा।

(2) जी हां। राजसमन्द में युवा आवास के निर्माण हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाये गये हैं। भारत सरकार से युवा आवास निर्माण की स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

ग्राम पंचायत खेजरोली (चौमूं) की राजस्व ग्राम योग्य ढाणियां

555. **श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत खेजरोली प्रदेश में आबादी व भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम पंचायत की कई ढाणियां जिसमें बराला की ढाणी, लेसवां की ढाणी, पिल्यों वाली ढाणी, निमरावाली ढाणी आदि ढाणियों की आबादी 500 से अधिक होने के बाद भी राजस्व गांव नहीं हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इन ढाणियों को राजस्व ग्राम घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने के निर्धारित मापदण्ड पूरा नहीं करने के कारण इन ढाणियों को नये राजस्व गांव घोषित करने की कार्यवाही नही की गई है।

तहसील वल्लभनगर में पटवार सर्किल रहित पंचायतें

556. **श्री रणधीर सिंह भीण्डर** (वल्लभनगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वल्लभनगर तहसील में कितने पटवार सर्कल हैं।

(2) क्या यह सही है कि प्रत्येक पंचायत के लिए पटवार सर्कल है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उन पंचायतों में जहां पटवारी नहीं है वहां पटवारी लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वल्लभनगर तहसील में 48 पटवार सर्कल हैं।

(2) जी नहीं। फिलहाल कोई विचार नहीं है।

रेवाड़ी-रींगस-फुलेरा गुड्स फ्रेट कोरिडोर हेतु अवाप्त भूमि

557. **श्री हरलाल सिंह खर्रा** (श्रीमाधोपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) रेवाड़ी-रींगस-फुलेरा गुड्स फ्रेट कोरिडोर में रेलवे द्वारा राज्य की किस-किस तहसील के किन-किन ग्रामों में कितनी-कितनी भूमि अवाप्त की जायेगी ? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अवाप्त की जाने वाली भूमि का मुआवजा किस दर से तथा किन नियमों के तहत भुगतान किया जायेगा ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वरिष्ठ मण्डल इन्जीनियर (समन्वय) उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर के पत्र दिनांक 28.06.2006 द्वारा दिल्ली से मुम्बई तक (वाया रेवाड़ी-रींगस-फुलेरा-अजमेर) वेस्टर्न कॉरिडोर डेडीकेटेड फ्रेट रूट हेतु प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण हेतु रेल्वे लाइन के दोनों ओर पूर्व रेल्वे भूमि के अतिरिक्त 200-200 मीटर हेतु भूमि का राजस्व रिकार्ड चाहा गया था जिसके संबंध में जिला कलक्टर, सीकर कार्यालय के पत्र क्रमांक 3433/राजस्व दिनांक 12.09.2006 द्वारा वरिष्ठ मण्डल इन्जीनियर (समन्वय) को किस-किस ग्राम की कितनी कितनी भूमि अवाप्त की जानी है, का पूर्ण विवरण भिजवाने हेतु लिखा गया था। जहां से अभी कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) जब भूमि अवाप्ति नहीं की गई है तो मुआवजा भुगतान का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

बीकानेर जिले में पटवारियों के रिक्त पद

558. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) :- क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बीकानेर में कुल कितने पटवार मण्डल हैं तथा उनमें कितने पटवारियों के पद रिक्त हैं? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पटवारियों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला बीकानेर में कुल 286 पटवार मण्डल हैं, तथा 36 पटवारियों के पद रिक्त है। तहसीलवार रिक्त पदों की सूचना निम्न प्रकार है :-

तहसील	रिक्त पदों की संख्या
1. बीकानेर	-
2. लूणकणनसर	4
3. नौखा	4
4. कोलायत	6
5. पूगल	4
6. खाजूवाला	3
7. छत्तरगढ़	6
8. श्रीडूंगरगढ़	9

(2) जी हां। प्रदेश में 1500 पटवारियों की भर्ती हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

सार्वजनिक तालाब सूंथड़ा (टोंक) की भूमि पर अतिक्रमण

559. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम पंचायत सूंथड़ा, तहसील उनियारा, जिला टोंक में स्थित सार्वजनिक तालाब की राजस्व रिकार्ड के अनुसार कितनी भूमि है ? नक्शा ट्रेस सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस गैर मुमकिन तालाब की भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर बाड़े बना लिये तथा खेती की जा रही है ? यदि हां,

(श्री नवरतन राजोरिया)

तो किन-किन व्यक्तियों द्वारा कितनी-कितनी भूमि पर? नाम व खसरा नम्बर सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि गैर मुमकिन तालाब की भूमि पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों के विरूद्ध, क्या कार्यवाही कब-कब की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार तालाब की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्रमा पंचायत सूंथड़ा तहसील उनियारा जिला टोंक में राजस्व रेकार्ड के अनुसार ख.नं. 353, 367, 369, 370 व 381 कुल किता-5 रकबा 26.67 हैक्टर भूमि सार्वजनिक तालाब के नाम अंकित है। नक्शा ट्रेस की छाया प्रति संलग्न है।

(2) जी हां। जिन व्यक्तियों द्वारा गै.मु. तालाब की भूमियों पर अतिक्रमण कर रखा है, की व्यक्तिवार, खसरा नम्बर एवं रकबावार सूची संलग्न है।

(3) जी हां। अतिक्रमियों के विरूद्ध नियमानुसार एल.आर. एक्ट की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर बेदखली की कार्यवाही की जा रही है।

(4) प्रश्न के भाग-3 के उत्तर अनुसार।

(नक्शा की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नागौर के खसरा नम्बर 262/673 के आबंटित भू-खण्ड का अमल दरामद प्रकरण

560. **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बासनी सीमेंट पाइप इण्डस्ट्रीज नागौर को नागौर के खसरा नम्बर 262/673 में से 5 बीघा जमीन 99 वर्ष की लीज पर आबंटित की गई थी ? यदि हां, तो किस वर्ष में किसके द्वारा ? आबंटन आदेश एवं म्यूटेशन अमल दरामद की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त रजिस्टर्ड फर्म के चार में से दो भागीदार श्री हाजी उस्मान एवं श्री हबीबुर्रहमान ने वर्ष 1970 में उक्त फर्म से

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

अपनी भागीदारी निकाल ली थी उसके बाद भी श्री हाजी उस्मान के देहावसान के बाद उपरोक्त भूमि के लीज धारक के रूप में श्री हाजी उस्मान के वारिसान का नाम इंद्राज कर दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त म्यूटेशन कब एवं किसके द्वारा अमल दरामद किया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त जमीन पर आज भी बासनी सीमेंट पाइप इण्डस्ट्रीज के वर्तमान भागीदारों का पूरी तरह से कब्जा है ? यदि हां, तो फिर म्यूटेशन दूसरों के नाम कैसे हो गया ? इस गलत म्यूटेशन के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है तथा उसके विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार उक्त म्यूटेशन को निरस्त कर उक्त जमीन पुनः उक्त फर्म के नाम दर्ज करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रश्नगत भूमि जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 23.01.1965 द्वारा 99 वर्ष की लीज पर आबंटित की गई थी। आबंटन आदेश एवं जमाबन्दी की फोटो प्रति संलग्न है।

(2) किसी भागीदार के बाहर हो जाने की जानकारी नहीं है। श्री हाजी उस्मान की मौत हो जाने से जायंदा वारिसान के नाम नामान्तरकरण संख्या 1187 दिनांक 28.5.2007 को निर्णित किया गया। उक्त म्यूटेशन पटवारी नागौर द्वारा भरा गया था, जिसकी जांच निरीक्षक भू-अभिलेख राजस्व द्वारा दिनांक 9.5.2007 को की गई है तथा तहसीलदार नागौर द्वारा दिनांक 28.5.2007 को स्वीकृत किया गया।

(3) वर्तमान में उक्त उद्योग बन्द होने से कब्जे के सम्बन्ध में ताइद सम्भव नहीं है। नामा. सं. 1187 के विरूद्ध न्यायालय अपर कलक्टर नागौर में अपील प्रस्तुत की हुई है, जिसके जैरकार रहते हुए रेस्पोडेन्ट ने एक राजस्व निगरानी मा0 राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के तहत की जाने वाली कार्यवाही को स्थगित किया गया है। वर्तमान में मामला न्यायिक प्रक्रिया के तहत विचाराधीन है। निर्णय उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही सम्भव होगी। लीज होल्डर फर्म द्वारा आबंटन शर्तो के अनुसार उद्योग नहीं चलाने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने हेतु जिला कलक्टर को निर्देश दिये जा रहे हैं।

(आदेश/जमाबंदी की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

उदयपुर जिले की देवस्थान सम्पत्तियों पर किरायेदारों का अतिक्रमण

561. श्री शांति लाल चपलोत (मावली) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला उदयपुर में देवस्थान विभाग के किन-किन किरायेदारों को कितनी-कितनी भूमि किराये पर दी गई है ? सहायक अभियन्ता की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) किन-किन किरायेदारों ने कितनी-कितनी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है ? अतिक्रमण की गई भूमि का बाजार मूल्य क्या है ? सहायक अभियन्ता की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त भूमि से अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित राजकीय मंदिर/संस्थाओं की भूमि निम्नानुसार किराये पर दी गई है। सहायक अभियन्ता की रिपोर्ट (किराया निर्धारित प्रपत्र) की छाया प्रति संलग्न है :-

क्र. सं.	नाम मंदिर/संस्था	नाम किरायेदार	क्षेत्रफल वर्गफीट
1	2	3	4
1	सराय फतह मेमोरियल	श्री रणजीत लाल अग्रवाल	6800.00
2	सराय फतह मेमोरियल	इंडियन आयल	8076.85
3	सराय फतह मेमोरियल	श्री भंवर सिंह	12
4	सराय फतह मेमोरियल	श्री अल्लाबक्ष	214.31
5	सराय फतह मेमोरियल	श्री जगदीश धोबी	20
6	श्री जगन्नाथराय जी	श्री उदय लाल	375
7	श्री अभयस्वरूप बिहारी	श्री जगन्नाथ तंबोली	24.75
8	श्री ऋषभदेव जी	श्री झमक लाल	148.50
9	श्री ऋषभदेव जी	श्री शंकर लाल	90.00
10	श्री ऋषभदेव जी	श्री नारायण तेली	181.25

(देवस्थान मंत्री)

1	2	3	4
11	श्री ऋषभदेव जी	श्री प्रताप तेली	24.00
12	श्री ऋषभदेव जी	श्री कालीदास कलाल	136.00
13	श्री ऋषभदेव जी	श्री गणेशलाल (धर्मनारायण)	262.50
14	श्री ऋषभदेव जी	श्री शंकरलाल (चिमनलाल)	528.75
15	श्री ऋषभदेव जी	श्री कचरू लाल मिस्त्री	580.00
16	श्री ऋषभदेव जी	श्री गणेशलाल (धर्मनारायण)	262.50
17	श्री ऋषभदेव जी	श्री बद्रीलाल अंबालाल	243.75
18	श्री ऋषभदेव जी	श्री धर्मेन्द्र रावल	108.00
19	श्री ऋषभदेव जी	श्री किशनलाल रावल	189.00
20	श्री ऋषभदेव जी	श्री मूलचंद हकरा कलाल	229.50
21	श्री ऋषभदेव जी	श्री पूंजा मेघवाल	119.00
22	श्री ऋषभदेव जी	श्री मणीलाल सोहनलाल	27.50
23	श्री ऋषभदेव जी	श्री गिरजाशंकर रतनलाल	22.50
24	श्री ऋषभदेव जी	श्री मणीलाल (सुन्दरलाल)	27.50
25	श्री ऋषभदेव जी	श्री सुन्दरलाल पहाड़	26.37
26	श्री ऋषभदेव जी	श्री अशोक कुमार जैन	27.50
27	श्री ऋषभदेव जी	श्री नाथूलाल नाई	65.00
28	श्री ऋषभदेव जी	श्रीमति जसोदा बाई	28.75
29	श्री ऋषभदेव जी	श्री कालूलाल गोतमजी	21.00
30	श्री ऋषभदेव जी	श्री देवीलाल दाडमचन्द	21.00
31	श्री ऋषभदेव जी	श्री शंकरलाल वीरचन्द	21.00
32	श्री ऋषभदेव जी	श्री भंवरलाल दोवडिया	21.00
33	श्री ऋषभदेव जी	श्री रतन लाल	21.37
34	श्री ऋषभदेव जी	श्री रमेशचन्द्र शंकरलाल	21.00
35	श्री ऋषभदेव जी	श्री प्रताप गणेशलाल तेली	21.00
36	श्री ऋषभदेव जी	श्री बालकृष्ण लिमजीपंचाल	133.88
37	श्री ऋषभदेव जी	श्री कस्तुरा धोबी	21.00
38	श्री ऋषभदेव जी	श्री अमृतलाल मीणा	25.00

(देवस्थान मंत्री)

(2) उक्त किरायेदारों में से निम्न किरायेदार द्वारा उसको किराये पर दी गई भूमि से निम्नानुसार अधिक भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है, जिसका वर्तमान बाजार मूल्य रु. 8,79,470/- है। सहायक अभियन्ता की रिपोर्ट की प्रति संलग्न किए गए पृष्ठ संख्या-1 पर उपलब्ध है।

क्र.	नाम किरायेदार	अतिक्रमण का क्षेत्रफल	वर्तमान बाजार मूल्य
1	श्री रणजीत लाल अग्रवाल,	141.85 वर्ग फीट	8,79,470/-

(3) उक्त किरायेदार को दी गई किराये की भूमि की लीज अवधि समाप्त हो जाने से काबिज व्यक्ति के विरूद्ध सम्पदा अधिकारी के न्यायालय में दायर प्रकरण में सम्पदाधिकारी द्वारा बेदखली के आदेश भी दिनांक 29.1.2008 को पारित किये जा चुके हैं किन्तु काबिज अप्रार्थी द्वारा जिला न्यायालय में अपील दायर कर देने तथा जिला न्यायालय द्वारा दिनांक 05.3.2008 को प्रकरण रिमाण्ड कर देने से प्रकरण पुन: सम्पदाधिकारी न्यायालय में विचाराधीन हैं। सम्पदा न्यायालय के निर्णय के अनुसार किरायेदारी की भूमि के साथ-साथ अतिक्रमित भूमि के संबंध में भी कार्यवाही की जावेगी।

ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों को प्रदत्त अधिकार एवं सुविधाएं

562. **श्रीमती राजकुमारी शर्मा** (सीकर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना क्या है ?

(2) ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों की संरचना का आधार क्या है ? सरकार द्वारा उन्हें क्या-क्या अधिकार व सुविधाएं प्रदान की जावेंगी ?

(3) खण्ड 2 में वर्णित समितियों को कहां-कहां, किन-किन क्षेत्रों के लिये अधिकृत किया गया है ?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 2003-04 से जापान बैंक फार इन्टरनेशनल को-ऑपरेशन से वित्तपोषित एक पांच वर्षीय योजना 18 जिलों (हाल 19 जिले) में जन सहभागिता से वन संवर्धन एवं वन संरक्षण कार्यों हेतु प्रारम्भ की गई। जिसे राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का नाम दिया गया है।

(2) वन भूमि के विकास, सुरक्षा एवं प्रबंध में स्थानीय ग्रामवासियों की सक्रिय सहभागीदारी प्राप्त करने की दृष्टि से ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति का गठन किया जाता है। ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति जिस ग्राम/ग्राम-समूह/फला/चक/ढाणी हेतु गठित की जाती है उसकी राजस्व सीमा में पड़ने वाले सभी परिवार जो ग्राम के स्थायी निवासी हों तथा जिन्हें ग्राम के प्राकृतिक संसाधन से लाभ प्राप्त करने के अधिकार एवं रियासतें प्राप्त हो, उनको समिति की सदस्यता प्राप्त करने का अधिकार है। ग्राम/ग्राम-समूह/फला/चक/ढाणी जिसके लिये समिति गठित की गई है उसके प्रत्येक परिवार का कम से कम दो वयस्क सदस्य जिनमें एक पुरुष एवं एक महिला समिति का सदस्य बनने के पात्र होते हैं।

ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों को दिये गये अधिकार एवं सुविधाओं का विवरण राज्यादेश क्रमांक एफ7(39)वन/90 दिनांक 17.10.2000 में दिया हुआ है जो परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(3) ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति को अपने प्रबंधाधीन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले वन क्षेत्र की सुरक्षा एवं विकास हेतु अधिकृत किया गया है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बारां जिले की वन भूमि पर अतिक्रमण

563. **श्री राईया मीणा** (आसपुर) एवं **श्री प्रमोद जैन 'भाया'** (बारां) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां जिले में कितने हैक्टेयर वन भूमि है ? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वन भूमि किस-किस गांव में कितनी-कितनी हैक्टेयर है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त वन भूमि में किस-किस गांव व शहर में कितनी-कितनी भूमि वन विहीन है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राईया मीणा)

(4) जिले में कितनी वन भूमि पर कितने अतिक्रमियों का कब्जा है ? गांववार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले में कुल 2,23,931.63 हैक्टेयर वन भूमि है। वन भूमि का तहसीलवार विवरण परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(2) उक्त वन भूमि का ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-'ख' पर संलग्न है।

(3) सघन वन एवं वन विहीन वन भूमि का ग्रामवार विवरण उपलब्ध नहीं है तथापि उपग्रह चित्र के आधार पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित स्टेट फोरेस्ट्री रिपोर्ट 2005 के अनुसार समग्र बारां जिले में वनावरण की स्थिति Moderately Dense Forest में 135 वर्ग किलोमीटर में और Open Forest में 948 वर्ग किलोमीटर आंकी गई है।

(4) बारां जिले में 5080.19 हैक्टेयर वन भूमि पर 4767 अतिक्रमियों का कब्जा है। अतिक्रमण का ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-'ग' पर संलग्न है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

वन कार्मिकों की वरिष्ठता सूची/पदोन्नति

564. श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या वन विभाग के क्षेत्रीय ग्रेड-1 के पदों की वर्ष 1982 के पश्चात् सेवा में आये कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची जारी हो चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार 26 वर्षों से कार्यरत वन अधिकारियों की वरिष्ठता सूची जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या सरकार वन अधीनस्थ सेवा के कर्मचारियों की पदोन्नति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। दिनांक 10.10.2002 से पूर्व स्थायी क्षेत्रीय प्रथम की ही वरिष्ठता सूची नियमानुसार जारी की जा सकती थी। पर्याप्त संख्या में स्थायी पदों के अभाव में स्थायीकरण नहीं होने से वर्ष 1982 के पश्चात नियुक्त क्षेत्रीय प्रथम की वरिष्ठता सूची जारी नहीं हो पाई। रेंजर्स प्रशिक्षण कालेजों से परीक्षाओं के प्राप्तांक प्राप्त होने में हुए विलम्ब तथा न्यायालय प्रकरणों की वजह से इनकी वरिष्ठता सूची जारी नहीं हो पाई है। न्यायालय के निर्णय

(वन राज्य मंत्री)

दिनांक 22.5.1998 व 22.11.2007 की पालना में रेंजर प्रथम की प्रशिक्षण अवधि को 'इन सर्विस' माने जाने का संशोधन राजस्थान वन अधिनस्थ सेवा नियम, 1963 में कराया जा रहा है। इस संशोधन उपरान्त क्षेत्रीय प्रथम की वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया जावेगा।

(2) जी हां। वन अधीनस्थ सेवा में वन रक्षक के पद से सहायक वनपाल से वनपाल के पद पर पदोन्नति ही की जा रही है। वनपाल से क्षेत्रीय द्वितीय एवं क्षेत्रीय-द्वितीय से क्षेत्रीय प्रथम के पद के लिये विभागीय पदोन्नति समिति का गठन हेतु राजस्थान वन अधिनस्थ सेवा नियम 1963 में संशोधन कराया जा रहा है। नियमों में संशोधन होते ही इन पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही की जावेगी। क्षेत्रीय प्रथम से सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति क्षेत्रीय प्रथम की वरिष्ठता सूची प्रचलित होने पर की जावेगी।

उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में वन विकास पर व्यय

565. **श्रीमती वन्दना मीणा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में वनों का विकास कार्य करवाया जा रहा है ? यदि हां, तो इस वर्ष में किस-किस परियोजना/योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्य करवाये जा रहे हैं तथा वर्तमान में कार्य प्रगति क्या है ? ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गत 5 वर्षों से अब तक विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में कराये गये कार्यों का तथा उस पर किये गये व्यय का विवरण स्वीकृत बजट सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2007-08 में करवाये जा रहे वानिकी विकास कार्यों का विवरण परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर में गत पांच वर्षों (वर्ष 2003-04 से वर्ष 2007-08 में अब तक) में वन विभाग द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण मय स्वीकृत एवं व्यय राशि के परिशिष्ट-'ख' पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

वार्ड नम्बर 36 व 44, टोंक की वन भूमि पर अतिक्रमण

566. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि टोंक के वार्ड नं. 36 व 44 की सीमा के पास रसिया की छतरी पहाड़ी के नीचे बनी हुई पानी की टंकी के आस-पास वन विभाग की भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कच्चे/पक्के मकान बनाकर अतिक्रमण कर लिये हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक अतिक्रमियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वन विभाग की पहाड़ियों में चेजा पत्थर की अवैध खानें चल रही हैं तथा मिलीभगत से वन विभाग को करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है ? यदि हां, तो अवैध खनन को रोकने के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वार्ड नम्बर 36 व 44 के आसपास वन विभाग की भूमि में सीमेन्टेड सड़कों का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो कब व किस की अनुमति से ?

(4) क्या सरकार वन भूमि पर किये गये अवैध निर्माण को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) टोंक शहर के वार्ड नम्बर 36 के पास स्थित खसरा नम्बर 5853 में जो कि वन भूमि है, में वर्ष 2001-02 में 18 व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर कच्चे/पक्के मकान एवं बाड़े बना लिये गये थे। इन अतिक्रमणों के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत न्यायालय सहायक वन संरक्षक, टोंक में प्रकरण दर्ज किये गये। न्यायालय सहायक वन संरक्षक द्वारा दिनांक 30.03.2002 को इन अतिक्रमणों को बेदखल किये जाने के आदेश दिये गये। इस आदेश के विरुद्ध 13 अतिक्रमियों ने न्यायालय जिला कलक्टर टोंक में अपीलें प्रस्तुत कर बेदखली की कार्यवाही निरस्त करने का अनुरोध किया। न्यायालय जिला कलक्टर टोंक द्वारा 28.07.2003 को इन अपीलों को खारिज कर दिया गया। इस निर्णय के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी टोंक में अपील दायर की गयी। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी टोंक ने दिनांक 19.07.2007 को अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त करते हुए वन भूमि का पुन: सुस्पष्ट सीमांकन कराने के पश्चात ही कार्यवाही करने

(वन राज्य मंत्री)

के निर्देश दिये। तदनुसार वन क्षेत्र का सुस्पष्ट सीमांकन कराने के पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(2) टोंक जिले में वन विभाग की पहाड़ियों से यदा-कदा चोरी छिपे अवैध खनन के प्रकरण सामने आते हैं परन्तु मिलीभगत से अवैध खनन का कोई मामला सामने नहीं आया है। अवैध खनन को रोकने हेतु स्थानीय स्टाफ द्वारा नियमित गश्त की जाकर कार्यवाही की जाती है। गत तीन वर्षों में टोंक जिले में अवैध खनन के 629 प्रकरण दर्ज कर 14,18,827/- रुपये का एवजाना वसूला गया है।

(3) नगर परिषद टोंक द्वारा खसरा नम्बर 5853 की अतिक्रमित वन भूमि में माह अक्टूबर, 2007 में बिना पूर्व अनुमति के सीमेंट की पक्की सड़क बनाने का कार्य प्रारम्भ करवा दिया गया था। विभाग को जानकारी प्राप्त होते ही इस निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रूकवाकर नगर परिषद् टोंक को लिखित में पाबंद कर दिया गया।

(4) जी हां। वन क्षेत्र के सुस्पष्ट सीमांकन के उपरांत अवैध निर्माण को हटाने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र की सड़कों का नवीनीकरण

567. **श्री कैलाश त्रिवेदी** (सहाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में वर्तमान वित्तीय वर्ष में सड़कों का नवीनीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौनसी सड़कों का व कितने-कितने किलोमीटर का कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। वर्तमान वित्तीय वर्ष में सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र में निम्नलिखित सड़कों का नवीनीकरण कार्य होना सम्भावित है।

क्र.सं.	सड़क का नाम	स्वीकृत लम्बाई (किमी. में)
1	कोशीथल, मोखुन्दा जिलोला सड़क जिला सीमा तक कि.मी. 17/500 से 16/0	3.50
2	आशाहोली-बोरियापुरा सड़क कि.मी. 0/0 से 3/0	3.00
3	कोशीथल आमली सड़क कि.मी. 14/0 से 17/0	3.00

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

क्र.सं.	सड़क का नाम	स्वीकृत लम्बाई (किमी. में)
4	भुणास, महेन्द्रगढ़ आमली सड़क कि.मी. 6/0 से 12/0	6.00
5	पोटला, गिलुण्ड सड़क कि.मी. 0/0 से 1/0 एवं 5/0 से 7/0	3.00
6	सोनियाणा सांकरिया सड़क कि.मी. 0/0 से 4/0	4.00
7	गंगापुर-लाखेला सड़क कि.मी. 0/0 से 6/0	6.00
8	सम्पर्क सड़क भुणास कि.मी. 0/0 से 1/0	1.00
9	लाखेला अरनिया सोनियाणा सड़क कि.मी. 0/0 से 5/0	5.00
10	सम्पर्क सड़क सिविल लाइन कि.मी. 0/0 से 1/0	1.00
11	समोडी दरीबा महेन्द्रगढ़ डेलाना सड़क कि.मी. 35/0 से 37/0 एवं 45/0 से 46/0	3.00
	योग	**38.50**

काली सिंध-उजाड़ नदी (झालावाड़) पर निर्मित पुल

568. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार बारां-झालावाड़ मेगा हाइवे पर पड़ने वाली काली सिंध व उजाड़ नदी पुलिया को ऊंचा बनवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। वर्तमान में रिडकोर द्वारा निर्माणाधीन बारां से झालावाड़ मेगा हाईवेज के कार्य क्षेत्र में काली सिंध व उजाड़ नदी पर पुलिया को ऊंचा बनाना सम्मिलित नहीं है।

जालौर जिले में नवीनीकरण हेतु प्रस्तावित सड़कें

569. **डा. समरजीत सिंह** (भीनमाल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत जिला जालौर में वर्ष 2003 से 2007 तक कौन-कौनसी सड़कों का नवीनीकरण किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि भारत सरकार द्वारा भारत सड़क निर्माण योजना में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना नवीनीकरण वर्ष 2007-08 में वर्ष 2008-09 के लिए जालोर जिले की सड़कों के प्रस्ताव मांगे गये हैं ? यदि हां, तो कौन-कौनसी सड़कों के प्रस्ताव भेजे गये ? उनमें से कितनों की स्वीकृति प्राप्त हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस योजना के अन्तर्गत भीनमाल से पांथेड़ी व भागल सेवदा से मोदरा वाया बोरटा की सड़कों के प्रस्ताव भी भेजे गये ? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त दोनों सड़कों का नवीनीकरण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत जालौर जिले में वर्ष 2003 से 2007 तक किसी भी सड़क पर नवीनीकरण नहीं किया गया।

(2) जी नहीं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत जालौर जिले की कोरनेट की थ्रू रूट व मेजर रूरल लिंक जो निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पाये गये ऐसी 24 सड़कों के उन्नयन (सी.यू.पी.एल.) के प्रस्ताव वर्ष 2007-08 में प्रेषित किये गये थे। उक्त प्रस्तावों में प्रेषित 24 सड़कों की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (सी.यू.पी.एल.) में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं पाये जाने के कारण भीनमाल पांथेड़ी व भागल सेप्टा से मोदरा वाया बोरटा की सड़कों के प्रस्ताव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत नहीं भिजवाये गये।

(4) राज्य सरकार के वितीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

परिशिष्ट 'अ'

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत (सी.यू.पी.एल.) वर्ष 2007-08 में स्वीकृत सड़क उन्नयन के कार्यों का विवरण

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	सड़क का नाम	स्वीकृत लम्बाई (किमी)	स्वीकृत लागत (लाख में)
1	आहोर	गुडा इन्दरपुरा से जोड चौराहा	31.00	294.93
2	आहोर	जोड चौराहा से राइथल	29.50	238.90
3	आहोर	आहोर से डोडयाली	21.00	483.10
4	भीनमाल	भीनमाल से पुनासा थोबाउ	26.50	355.84
5	भीनमाल	सेवाडी से वाडा भाडवी	5.00	237.65
6	जालोर	बागरा से बाकरा	23.00	231.45
7	जालोर	एस.एच. 31 किमी 23 से मेडा उपरला	20.00	278.57
8	जालोर	एस.एच. 31 किमी 26 से आकोली-सीयाणा-सिरोही	21.00	187.73
9	जालोर	जालोर से मिठन	13.65	291.96
10	जालोर	सियाणा से बांदना	3.00	178.36
11	जालोर	एस.एच. 31 किमी 3 से धवला	9.00	205.44
12	जसवन्तपुरा	एस.एच. 31 से भरूडी-तवाब-मोदरा	22.60	383.17
13	जसवन्तपुरा	मालवाडा से जसवन्तपुरा	28.60	482.86
14	जसवन्तपुरा	मालवाडा-जसवन्तपुरा सड़क से राजी का वास	0.70	68.41
15	जसवन्तपुरा	जसवन्तपुरा से सीलदर	2.50	66.15
16	रानीवाडा	रानीवाडा-जाखरी-थानोल सड़क	14.50	312.14

1	2	3	4	5
17	रानीवाडा	कुडा से करडा सड़क	15.00	323.30
18	रानीवाडा	मेडा से सीलासन	17.20	427.98
19	सांचोर	एन.एच.-15 (सिवाडा) से जोधावास	27.00	511.97
20	सांचोर	भीनमाल-सांचोर-वाया करडा	32.00	541.82
21	सांचोर	सांकड से दुगावा	13.50	89.37
22	सायला	जालौर से रेवतडा सायला	33.00	410.09
23	सायला	पोसाणा से जीवाना	16.00	264.74
24	सायला	पांथेडी से पोसाणा	8.00	247.89
		योग	**433.25**	**7113.82**

पाली जिले के सड़क विहीन ग्राम

570. **श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल** (देसूरी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2003-04 से अब तक पाली जिले के कितने गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ा गया और कितने शेष रहे? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार शेष गांवों को सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 2003-04 से वर्ष 2007-08 की अवधि में पाली जिले के 220 गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ा गया। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। वर्तमान में 56 गांवों को सड़क से जोड़ने की स्वीकृति प्राप्त है। जिनमें से 34 का कार्य प्रगति पर है तथा 22 कार्यों की निविदा प्रक्रियाधीन है। सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। 250 से कम आबादी के 48 गांव सड़क मार्ग से वंचित हैं। सूची परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(2) शेष बचे 48 गांव 250 से कम आबादी के गांव हैं और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नहीं हैं। राज्य सरकार ने अपने स्तर पर नीतिगत निर्णय लिया है कि रेगिस्तानी व जनजाति क्षेत्रों के समस्त गांवों को सड़कों से जोड़े जाने का कार्यक्रम हाथ में लिया जायेगा। डी.डी.पी.

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

जिलों में सीलेन्ट वाली ग्रेवल सड़कें व अन्य क्षेत्रों में डामर की सड़कें बनाई जायेंगी।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भीम-जस्साखेड़ा मार्ग (भीम) पर दुर्घटनाओं की रोक-थाम हेतु वन-वे

571. **श्री हरीसिंह रावत** (भीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र भीम के भीम-जस्साखेड़ा (नेशनल हाईवे नम्बर 8) मार्ग पर बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए उक्त मार्ग के मोड़ पर वन-वे मार्ग बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। वर्तमान में इस कार्य की कोई स्वीकृति इस विभाग को प्राप्त नहीं है। उक्त सैक्शन में भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बी.ओ.टी. स्कीम के अन्तर्गत 4 लेन करने हेतु सम्भाव्यता अध्ययन (फिजिबिलिटी स्टडी) करवाई जा रही है जिस पर निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाना है।

तहसील सीकर की निर्माण योग्य मिसिंग लिंक सड़कें

572. **श्री महीपाल यादव** (बानसूर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बन्ध्या जोहड़ा तन ग्राम बिडोली, तहसील सीकर, जिला सीकर में डामरयुक्त रोड बनी हुई है ? यदि हां, तो क्या इस डामरयुक्त रोड में से एक लिंक कंकरीट रोड मिडिल स्कूल व ग्रिड सब-स्टेशन ग्राम जीणवास, तहसील दांतारामगढ़ तक जाती है जो कि करीबन दस वर्ष पहले बनी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार इस खंडित कंकरीट रोड को मिसिंग लिंक रोड योजना के अन्तर्गत डामरयुक्त बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम मान्डोता से ग्राम बिडोली, तहसील सीकर में काफी वर्षों पहले कंकरीट रोड बनी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार

(श्री महीपाल यादव)

इस लिंक रोड को मिसिंग लिंक रोड योजना के अन्तर्गत डामरयुक्त बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि ताखरों की ढाणी, तहसील सीकर तक डामरयुक्त रोड बनी हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार ताखरों की ढाणी वाया मांडोली से मिडिल स्कूल ग्राम जीणवास, तहसील दांतारामगढ़ तक मिसिंग लिंक रोड योजना के अन्तर्गत डामरयुक्त रोड बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। बंध्या जोहड़ा तन ग्राम बिड़ोली, तहसील सीकर, जिला सीकर में डामर रोड बनी हुई है। इस डामरयुक्त रोड में से मिडिल स्कूल व सब ग्रिड-स्टेशन ग्राम जीणवास, तहसील दांतारामगढ़ तक ग्रेवल सड़क वर्ष 1996-97 में निर्मित की गई थी। इस सड़क का डामरीकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है।

(2) ग्राम मान्डोता से ग्राम बिडोली, तहसील सीकर में पूर्व राहत कार्य के तहत ग्रेवल सड़क का निर्माण किया हुआ है। इस सड़क का डामरीकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है।

(3) जी हां। ताखरों की ढाणी वाया मांडोली से मिडिल स्कूल ग्राम जीणवास, तहसील दांतारामगढ़ तक मिसिंग लिंक रोड योजना के अन्तर्गत डामरयुक्त रोड का कार्य राज्य सरकार की प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है।

फलासिया विधान सभा क्षेत्र के अविद्युतीकृत ग्राम

573. **श्री बाबू लाल खराड़ी** (फलासिया) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र फलासिया के उपखण्ड झाडोल एवं कोटड़ा के कितने ग्राम विद्युतीकृत हैं? उनमें कितने प्रतिशत लोगों को विद्युत कनेक्शन दिये गये? क्या सरकार शत-प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वाले गांवों को पूर्ण विद्युतीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र फलासिया के उपखण्ड झाडोल में 232 एवं कोटड़ा में 111 ग्रामों को विद्युतीकृत किया जा चुका है। उक्त गांवों में झाडोल उपखण्ड में

(ऊर्जा मंत्री)

27 प्रतिशत एवं कोटड़ा उपखण्ड में 32.43 प्रतिशत घरेलू विद्युत कनेक्शन दिये हुए हैं।

शेष 34 गांवों को दूरस्थ ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 2006-07 के माध्यम से सौर ऊर्जा चालित घरेलू प्रकाश संयंत्रों के माध्यम से विद्युतिकृत किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के तहत सभी इच्छुक लाभार्थियों को शत प्रतिशत प्रकाश संयंत्र उपलब्ध कराये जाने की प्रक्रिया जारी है।

सिरोही जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत व्यय राशि

574. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सिरोही जिले में वर्ष 2006-07 वे 2007-08 में व्यय के लिए किन-किन कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई ?

(2) अब तक उक्त में से कौन-कौन से कार्यों पर कितना-कितना व्यय किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि एक भी गांव में स्वीकृत कार्य, राशि एवं व्यय का सूचना पट्ट प्रदर्शित नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) उक्त में से किस-किस गांव में कितने-कितने बी.पी.एल. परिवारों को बिजली कनेक्शन किये गये एवं किन-किन के छोड़ दिये गये ? छोड़ने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) सिरोही जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में वर्ष 2006-07 व 2007-08 में व्यय के लिए कार्यों एवं आबंटित राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	**कार्य का नाम**	**आबंटित राशि (करोड रु. में)**
1	नये गांवों का विद्युतीकरण एवं पुराने विद्युतीकृत ग्रामों में विद्युत तंत्र का विस्तार	8.68
2	बी.पी.एल. परिवारों को नि:शुल्क विद्युत सम्बन्ध	3.68
	कुल आबंटित राशि	12.36

(ऊर्जा मंत्री)

(2) उक्त कार्यों पर माह फरवरी 2008 तक व्यय की गई अन्तरिम राशि निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	कार्य का नाम	व्यय की गई अंतरिम
1	नये गांवों का विद्युतीकरण एवं पुराने	5.20
2	बी.पी.एल. परिवारों को नि:शुल्क विद्युत	0.38
	कुल व्यय राशि	5.58

(3) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में नये गांवों के विद्युतीकरण की सूचना हेतु गांव में बोर्ड लगाने की व्यवस्था है, जो लगवाये जा रहे हैं। इस योजना के लिए प्राप्त प्रारूप में गावों के लिए स्वीकृत एवं व्यय की गई राशि का उल्लेख नहीं है।

(4) इस योजना में सिरोही जिले के प्रस्तावित 24,566 बी.पी.एल. परिवारों को नि:शुल्क कनेक्शन देने का प्रावधान है जिसमें से माह फरवरी 2008 तक 2,553 बी.पी.एल. परिवारों को नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं जिनका ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है। चूंकि योजना में पूर्ण विद्युतिकृत गांव में तंत्र स्थापना हेतु मात्र एक लाख रुपये का ही प्रावधान है जिससे पूर्ण तंत्र स्थापित नहीं किया जा सकता है। अत: सभी बी.पी.एल. परिवारों को कनेक्शन नहीं दिये जा सके हैं। इस सन्दर्भ में योजना के प्रावधान बढाने की कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अन्तरराज्यीय विद्युत परियोजनाओं में राज्य की हिस्सेदारी

575. **डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अन्तरराज्यीय विद्युत परियोजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में राज्य का कितना-कितना हिस्सा है? उसकी तुलना में कितनी बिजली राज्य को वास्तविकता में प्राप्त हो रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

(2) अन्तरराज्यीय विद्युत परियोजनाओं का परियोजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अन्तरराज्यीय विद्युत परियोजनाओं से सम्बन्धित विभिन्न विवादों के बारे में परियोजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभिन्न अन्तरराज्यीय विद्युत परियोजनाओं के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के हिस्से 972.95 मेगावाट का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध हैं।

(2) विवरण परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(3) इंडस जल संधि की शर्तों और सतलज, व्यास और रावी नदियों के जल में हिस्से के सम्बन्ध में उत्तरवर्ती करारों के अनुसार राजस्थान ने पंजाब की आनन्दपुर साहिब जल विद्युत परियोजना (134 मे.वा.) मुकेरियन जल विद्युत परियोजना (207 मे.वा.) यू.बी.डी.सी. चरण-द्वितीय (45 मे.वा.), थीन बांध परियोजना (600 मे.वा.) और शाहपुर कांडी जल विद्युत परियोजना (168 मे.वा.) की विद्युत उत्पादन परियोजनाओं में विद्युत हिस्सेदारी के सम्बन्ध में दावे दायर किये थे।

उपरोक्त परियोजनाओं में राजस्थान व हरियाणा का हिस्सा तय करने के सम्बन्ध में दिनांक 10.05.1984 को ऊर्जा मंत्री, भारत सरकार तथा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की राज्य सरकारों के मध्य एक समझौता हुआ था जिसमें निर्णय लिया गया था कि भारत सरकार रावी और व्यास नदियों पर पंजाब द्वारा स्थापित थीन बांध, आनन्दपुर साहिब, मुकेरियन, यू.बी.डी.सी. चरण-द्वितीय और शाहपुर कांडी जल विद्युत परियोजनाओं में उत्पादित विद्युत के लिए राजस्थान और हरियाणा का दावा सर्वोच्च न्यायालय को उसकी राय हेतु भेजेगी तथा भारत सरकार, राजस्थान और हरियाणा को केन्द्रीय विद्युत संयंत्रों के अनाबंटित हिस्से में से आबंटित किये गये हिस्सों से अतिरिक्त विद्युत आबंटन करने के दावों को भी ध्यान में रखेगी। इन निर्णयों की अनुपालना अभी तक नहीं की गई है।

परिशिष्ट 'अ'

विभिन्न अन्तरराज्यीय विद्युत परियोजनाओं में राज्य के हिस्से का विवरण निम्न प्रकार है

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कुल क्षमता	राज्य का हिस्सा	राज्य का हिस्सा
अ.	भाखड़ा ब्यास कॉम्पलेक्स			
1.	भाखड़ा कॉम्पलेक्स			
(i)	भाखड़ा लेफ्ट बैंक (5x108)	540	15.22	82.18
(ii)	भाखड़ा राइट बैंक (5x157)	785	15.22	119.48
(iii)	कोटला	77.65	15.22	11.82
(iv)	गंगवाल	77.65	15.22	11.82
2.	ब्यास कॉम्पलेक्स			
(v)	देहर (6x165)	990	20	198
(vi)	पोंग (6x66)	396	58.5	231.66
	योग-अ	2866.30		654.95
ब.	चम्बल-सतपुड़ा कॉम्पलेक्स			
1.	पन विद्युत परियोजनाएं			
(i)	गांधीसागर (5x23)	115	50	57.5
(ii)	राणा प्रतापसागर (4x43)	172	50	86
(iii)	जवाहरसागर (3x33)	99	50	49.5
2.	तापीय विद्युत परियोजना			
(i)	सतपुड़ा (5x62-2)	312.5	40	125
	योग-ब	698.50		318
	योग (अ+ब)	3564.80		972.95

बाड़मेर जिले में विद्युत कर्मियों के रिक्त पद

576. डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(डा. जालम सिंह रावलोत)

बाड़मेर जिले के विद्युत कार्यालयों में श्रेणीवार कितने-कितने पद स्वीकृत हैं, उनमें से कितने पद कब से रिक्त चल रहे हैं ? सरकार रिक्त पदों पर कब तक भर्ती करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला बाड़मेर में विद्युत कार्यालयों में विभिन्न वर्गों में श्रेणीवार स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है। रिक्त पदों पर वर्तमान में कनिष्ठ अभियन्ता, लेखाकार व तकनीकी सहायकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। अतः भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने पर रिक्तियों के अनुपात अनुसार रिक्त पद भर दिये जायेंगे। मंत्रालयिक संवर्ग में नई नियुक्तियों पर फिलहाल रोक है।

परिशिष्ट "अ"

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर

बाड़मेर वृत

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	किस वर्ष से पद रिक्त है
1	अधीक्षण अभियन्ता	1	1	0	-
2	अधिशासी अभियन्ता	3	3	0	-
3	सहायक अभियन्ता	11	11	0	-
4	कनिष्ठ अभियन्ता	34	29	5	1 पद – 2002 1 पद – 2004 2 पद – 2006 1 पद – 2007
5	लेखाधिकारी	1	1	0	-
6	सहायक लेखाधिकारी	1	1	0	-
7	अनुभाग अधिकारी	1	1	0	-
8	कार्मिक अधिकारी	1	0	1	2006

1	2	3	4	5	6
9	सहायक राजस्व अधिकारी/लेखाकार	13	8	5	2000
10	आषुलिपिक ग्रेड प्रथम	1	0	1	2006
11	आशुलिपिक ग्रेड द्वितीय	2	0	2	2000
12	कनिष्ठ लेखाकार	12	9	(7-2) 5 (2) पद प्रति नियुक्ति	2000
13	कार्यालय अधीक्षक द्वितीय	8	3	5	2000
14	सांख्यिकी	1	0	1	2006
15	सांख्यिकी सहायक	3	0	3	2000
16	वरिष्ठ लिपिक	32	15	17	2000
17	कनिष्ठ लिपिक	107	75	32	2000
18	चतुर्थ श्रेणी/चौकीदार	37	17	20	2000
19	सुरक्षा गार्ड	8	8	0	-

नोट :- कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों को वर्ष 2007 में समाप्त (Abelish) कर दिया गया है।

तकनीकी कर्मचारी

1	लाइनमैन प्रथम	1	1	0	-
2	इलेक्ट्रीशियन कम वायरमैन प्रथम	2	2	0	-
3	इलेक्ट्रीशियन कम वायरमैन द्वितीय	8	6	2	2005
4	लाइनमैन द्वितीय	27	17	10	2005
5	वाहन चालक	31	11	20	2000
6	फीटर	3	3	0	-
7	आर्टिशियन प्रथम	2	2	0	-

(ऊर्जा मंत्री)

8	आर्टिशियन द्वितीय	5	5	0	-
9	सब-स्टेशन सहायक द्वितीय	18	18	0	-
10	सब-स्टेशन सहायक तृतीय	54	54	0	-
11	मीटर पाठक प्रथम	7	7	0	-
12	मीटर पाठक द्वितीय	32	32	0	-
13	सहायक प्रथम	82	82	0	-
14	सहायक द्वितीय	94	94	0	-
15	सी.सी.ए. तृतीय	163	163	0	-
16	ऐस्टीनेटर	1	1	0	-
17	तकनीकी सहायक	75	75	0	-

तिलम् संघ के अधिशेष कर्मियों का सहकारी उपक्रमों में समायोजन

577. **श्री अर्जुन लाल जीनगर** (गंगानगर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा तिलम् संघ में कार्यरत कितने अतिरिक्त कर्मचारियों को अन्य सहकारी उपक्रमों में भेजा गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर के आदेश क्रमांक फा. 1/22/संविरा/प्रोसे/2003 दिनांक 24 फरवरी, 2005 द्वारा तिलम् संघ से आये कर्मचारियों को स्थाई रूप से समायोजन करने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त आदेश की पालना में भगवती लाल शर्मा, सहायक कर्मचारी को चित्तौड़गढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा, भूपालसागर में स्थाई रूप से समायोजित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) तिलम संघ, जयपुर के अधिशेष घोषित 30 कर्मचारियों को विभिन्न सहकारी संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। सम्बन्धित आदेश दिनांक 24.02.2005 की प्रति परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। प्रशासक एवं जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ के द्वारा समायोजन हेतु गठित कमेटी ने श्री भगवती लाल शर्मा सहायक कर्मचारी को बैंक में समायोजन के योग्य नहीं माना।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम गाडरिया एवं देवपुरा (नैनवां) का ग्राम सेवा सहकारी समिति गुढादेवजी में विलीनीकरण

578. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों की आर्थिक सक्षमता को मद्देनजर रखते हुए उनके पुनर्गठन पर अनिश्चित अवधि के लिए रोक लगी होने के कारण पुनर्गठन हेतु विचाराधीन प्रकरणों पर निर्णय नहीं लिया जाने से अनेक ग्रामों एवं सदस्यों को अनावश्यक समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है ? यदि हां, तो सहकारिता के प्रचार-प्रसार व फैलाव बाबत सरकार द्वारा पुनर्गठन की प्रक्रिया कब तक प्रारम्भ कर दी जावेगी ?

(2) क्या बून्दी जिले के ग्राम गाडरिया एवं देवपुरा (नैनवां) 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम सेवा सहकारी समिति सहण के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हैं, जब कि उक्त दोनों ग्राम के सदस्य मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम सेवा सहकारी समिति गुढादेवजी के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित होना चाहते हैं, किन्तु उन्हें सम्मिलित नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त ग्रामों को ग्राम सेवा सहकारी समिति गुढादेवजी (बून्दी) के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किए जाने की कार्यवाही की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों की आर्थिक सक्षमता को मध्यनजर रखते हुए वर्तमान में उनका पुनर्गठन नहीं हो रहा है जिससे कुछ ग्रामों के सदस्यों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों के अनुसार वित्तीय रूप से असक्षम पैक्स को अवसायन में लाया जाकर उसके क्षेत्र को पास की समिति में अथवा दो पैक्स को विलय करने बाबत निर्णय वित्तीय पैकेज प्राप्त हो जाने पर लिया जा सकेगा।

(2) जी हां। वर्तमान में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन पर राज्य सरकार द्वारा रोक होने के कारण ग्राम गडरिया एवं देवपुरा को ग्राम सेवा सहकारी समिति गुढादेवजी के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार द्वारा पुर्नगठन सम्बन्धी निर्णय वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति पर तत्सम्बन्धी वित्तीय पैकेज प्राप्त होने के पश्चात् ही इस विषय पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्मिकों का वेतनमान

579. **श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची** (टिब्बी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सहकारी समितियों के सहायक व्यवस्थापक/व्यवस्थापक राजकीय सेवा के अन्तर्गत आते हैं? यदि हां, तो किस संवर्ग/श्रेणी में?

(2) वर्तमान में, सहायक व्यवस्थापक/व्यवस्थापकों को कौनसा वेतनमान किस तिथि से दिया जा रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 1986 के बाद उक्त संवर्ग को पुनरीक्षित वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि हां, तो कौन-कौनसा व नहीं तो क्यों ?

(4) क्या सरकार सहायक व्यवस्थापकों को स्थाई करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(सहकारिता मंत्री)

(2) वर्तमान में नियमित रूप से चयनित व्यवस्थापकों को दिनांक 26.07.2004 से वेतन श्रृंखला 3050-50-3200-60-3500-75-4475 तथा वरिष्ठ वेतन श्रृंखला 3200-60-3380-75-3755-90-4925 तथा क्रेफिकार्ड योजनान्तर्गत नियुक्त सहायक व्यवस्थापकों को 1.3.1986 से 350-8-390-10-550 वेतनमान दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त समिति स्तर से नियुक्त व्यवस्थापक/सहायक व्यवस्थापकों का वेतन सम्बन्धित समिति की प्रबन्धकारिणी के स्तर से निर्धारित है।

(3) नियमित रूप से चयनित व्यवस्थापकों को दिनांक 26.7.2004 से रिवाईज वेतन दिया जा रहा है क्रेफिकार्ड योजनान्तर्गत सहायक व्यवस्थापकों को 1986 के बाद संशोधित वेतनमान नहीं दिया गया है, क्योंकि जिस उद्देश्य (अकृषि व्यवसाय, मिनी बैंक) हेतु इन्हें नियुक्तियां दी गई थीं, उनकी पूर्ति अधिकांश प्रकरणों में नहीं हुई है, तथा वर्तमान में वैद्यनाथन पैकेज की क्रियान्विति भी प्रक्रियाधीन है।

(4) जी नहीं। सहायक व्यवस्थापकों का नियमितीकरण वैद्यनाथन पैकेज में नाबार्ड से इनकी अनुमोदित सेवा शर्तों/सेवा मानदण्डों के प्रावधानों पर निर्भर करता है।

केन्द्रीय सहकारी बैंक बारां द्वारा किराये पर लिया गया वाहन

580. **श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) केन्द्रीय सहकारी बैंक बारां में किराये की बोलेरो जीप आर. जे. 28 – 0199 किसके आदेश से लगाई गई आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बोलेरो जीप का कितना भुगतान प्रतिमाह किया गया? किराये के बिलों व लॉग बुक की प्रति के साथ विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जीप पूर्व में कोटा सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक में किस-किस माह में कितने-कितने दिन के लिये लगाई गई? आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) केन्द्रीय सहकारी बैंक बारां में उक्त जीप का किराया किस दर पर कितना-कितना भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरिमोहन शर्मा)

(5) उक्त किराये पर ली गई उक्त जीप की किराया राशि का निर्धारण किस आधार पर किया गया? संबंधित टिप्पणी/आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त बोलेरो जीप का मालिक कौन है ? वाहन के पंजीयन की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केन्द्रीय सहकारी बैंक बारां में किराये की बोलेरो जीप आर.जे.28-यू.ए. 0199 बैंक अध्यक्ष के निर्देशों के अन्तर्गत लगायी गयी है। कार्यालय नोटशीट पर दिये गये इन निर्देशों के अन्तर्गत सम्पादित इकरारनामे की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त बोलेरो जीप के किराये पेटे माह मार्च, 2007 के रुपये 9500/-, माह अप्रैल, 2007 के रुपये 13500/-, माह मई, 2007 के रुपये 14000/-, माह जून, 2007 के रुपये 12000/-, एवं माह जुलाई, 2007 के रुपये 13500/- व टी.डी.एस. कटौती कुल रुपये 1322/- पश्चात उक्तानुसार भुगतान किया गया है। भुगतान लागबुक के आधार पर किया गया जिसके विवरण की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) उक्त जीप माह अक्टूबर, 2006 में 26 दिन एवं नवम्बर, 2006 में 2 दिन के लिए कोटा सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक में लगायी गयी। आदेशों एवं लॉगबुक की प्रति क्रमश: परिशिष्ट-3 व 4 पर संलग्न है।

(4) बारां में उक्त जीप के किराये का 500/- रुपये प्रतिदिन की दर पर 125 दिन का भुगतान दिनांक 17.10.2007 को रुपये 61178/- टैक्स कटौती करने के बाद किया गया।

(5) बारां में किराये पर ली गई उक्त जीप की किराया राशि का निर्धारण अध्यक्ष, बारां केन्द्रीय सहकारी बैंक के निर्देशों के अन्तर्गत किया गया है। जिसकी प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न कर दी गई है।

(6) उक्त बोलेरो जीप के मालिक पंजीयन प्रमाण पत्र के अनुसार श्री हेमन्त गोस्वामी है। पंजीयन की प्रति परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(विवरण की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गईं)

बाली विधान सभा क्षेत्र के माड़ा क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्र

581. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाली के माड़ा चयनित गांव/ढाणियों को आंगनबाड़ी केन्द्रों का लाभ नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो कहां-कहां आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं हैं तथा कहां-कहां भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं?

(2) क्या सरकार माड़ा क्षेत्र में प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने व आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधानसभा क्षेत्र बाली के मांडा क्षेत्र में चयनित सभी ग्राम/ढाणी आंगनबाड़ी केन्द्रों से जुड़े हुए हैं। सभी ग्राम/ढाणियां आई.सी.डी.एस. सेवाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भवन रहित कोई केन्द्र नहीं है।

(2) माडा क्षेत्र में कुल 21 आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं। इनमें से 6 केन्द्र विभागीय भवनों में संचालित हैं। तथा 15 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में चल रहे हैं।

राज्य में लगभग 40 प्रतिशत आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हो रहे हैं। शेष भवन विहीन केन्द्रों के लिये आंगनबाड़ी भवन निर्माण का कार्य चरणबद्ध रूप से करवाया जा रहा है।

पोषाहार वितरण योजना का संचालन

582. श्री नन्दलाल बंशीलाल (दौसा) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

पोषाहार वितरण योजना क्या है ? क्या यह योजना शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से संचालित है ? यदि हां, तो संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है तथा इसके तहत होने वाले व्यय भार को किसके द्वारा वहन किया जा रहा है?

उत्तर

समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं तथा

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार जो उन्हें उनके घर से प्राप्त नहीं होता तथा जो कुपोषण को दूर करने वाला होता है, का वितरण किया जाता है।

यह योजना शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से संचालित है। इस योजना का संचालन राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा लाभान्वितों हेतु निर्धारित वित्तीय मापदण्डानुसार पूरक पोषाहार वितरण पर होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत अथवा वास्तविक व्यय का 50 प्रतिशत एक रुपये तक जो भी कम हो, केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है एवं शेष राशि राज्य सरकार के द्वारा वहन की जाती है।

भीलवाड़ा जिले में पोषाहार परिवहन पर व्यय

583. **श्री रामरतन बैरवा** (शाहपुरा) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पोषाहार परिवहन का कार्य निविदा के आधार पर होता है ?

(2) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले में इस बार पोषाहार परिवहन हेतु निविदायें 3-4 बार आमंत्रित की गई हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) वित्तीय वर्ष 2007-08 में केन्द्रवार पोषाहार परिवहन पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि परिवहन की राशि गत वर्ष की तुलना में अधिक व्यय हुई है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इस हेतु दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) भीलवाड़ा जिले में पोषाहार परिवहन हेतु चालू वित्तीय वर्ष में तीन बार निविदाएं आमंत्रित की गई।

प्रथम बार दिनांक 9.4.2007 को निविदाएं आमंत्रित की गई। परिवहन दरें अधिक आने के कारण पुनः निविदाएं आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

दूसरी बार दिनांक 15.5.2007 को निविदाएं आमंत्रित की जाकर दिनांक 8.6.2007 को निविदाएं निर्णित कर आदेश प्रसारित किए गए किन्तु पोषाहार परिवहनकर्ता फर्मो से प्राप्त परिवहन के बिलों में व्यय अधिक होने की जानकारी प्राप्त होने पर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के प्रस्तावानुसार 15.11.2007 को निविदाएं निरस्त कर दी गई।

तीसरी बार दिनांक 3.12.2007 को पुनः निविदाएं आमंत्रित की गई। निविदा में प्राप्त न्यूनतम दरों के आधार पर वर्तमान में पोषाहार परिवहन का कार्य करवाया जा रहा है।

(3) चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में जनवरी, 2008 तक पोषाहार परिवहन पर व्यय का विवरण निम्नानुसार है :-

1. बा.वि.प. सहाडा	60892/-
2. बा.वि.प. भीलवाडा शहर	25487/-
3. बा.वि.प. माण्डलगढ	99719/-
4. बा.वि.प. रायपुर	49966/-
5. बा.वि.प. माण्डल	50000/-
6. बा.वि.प. शाहपुरा	151407/-
7. बा.वि.प. कोटडी	119047/-
8. बा.वि.प. जहाजपुर	19384/-
9. बा.वि.प. सुवाणा	69995/-
10. बा.वि.प. आसीन्द	240427/-
11. बा.वि.प. बनेडा	69793/-
12. बा.वि.प. हुरडा	25497/-
योग	**981614/-**

(4) जी हां। परिवहन पर अधिक राशि के व्यय के कारण निम्न रहे हैं :-

- चालू वित्तीय वर्ष में जिले में 227 आंगनबाड़ी केन्द्र नये खोले गये हैं।
- वित्तीय वर्ष 2006-07 के लम्बित दावों का भुगतान किया गया है।

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

- डीजल एवं पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि के कारण परिवहन दरें भी कुछ अधिक आई हैं।

परिवहन की निविदाएं नियमानुसार आमंत्रित की गई हैं। परिवहन कार्य पर व्यय निर्णित निविदाओं के अनुरूप किये जाने के कारण कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की नियुक्ति

584. **श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़** (गंगानगर) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष/सदस्यों के कितने पद कब से व किन कारणों से रिक्त हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार लोक सेवा आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान में अध्यक्ष व सदस्यों के पद रिक्त न रहें, इस हेतु कोई नीति बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक ?

उत्तर

(1) राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर दिनांक 23.02.2008 को नियुक्ति दी जा चुकी है। आयोग में वर्तमान में सभी 5 सदस्यों के पद उनके सम्मुख अंकित तिथि से रिक्त हैं :-

1 सदस्य (राजकीय)	20.09.2006 से
2 सदस्य (राजकीय)	24.02.2008 से
3 सदस्य (अराजकीय)	10.11.2005 से
4 सदस्य (अराजकीय)	19.06.2006 से
5 सदस्य (अराजकीय)	07.02.2008 से

(2) जी नहीं। अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद पर नियुक्ति संविधान के प्रावधानों के तहत की जाती है।

राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका आवासीय विद्यालय निवाई का नवनिर्मित भवन

585. **श्री हीरालाल** (निवाई) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हीरालाल)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र निवाई के निवाई शहर में राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका आवासीय विद्यालय में अतिरिक्त भवन निर्मित कराया गया है ? यदि हां, तो कब ? भवन निर्माण की स्वीकृति आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालय में उक्त स्वीकृत कार्य में कितनी राशि के क्या-क्या कार्य किस-किस ठेकेदार के मार्फत कराये गये और उनमें कितनी राशि का भुगतान किस-किस व्यक्ति/संस्था को किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त निर्मित भवन में जगह-जगह दरारें पड़ गई हैं और भवन का निर्माण कार्य घटिया स्तर का है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है तथा सरकार द्वारा उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त भवन का कब्जा अभी तक सरकार को नहीं सम्भलाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार कब्जा संभालने से पूर्व भवन के निर्माण कार्य व निर्माण की गुणवत्ता की जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार व किससे तथा नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय उच्च माध्यमिक जनजाति बालिका आवासीय विद्यालय निवाई (टोंक) में अतिरिक्त भवन (छात्रावास) निर्मित कराया गया है। निर्माण कार्य वर्ष 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 में करवाया गया है। इस कार्य हेतु राशि 135.00 लाख रु. की स्वीकृति जारी की गई जिसकी फोटो प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त आवासीय विद्यालय में राशि 135.00 लाख का छात्रावास निर्माण आवासीय अभियंता राजस्थान राज्य सडक विकास एवं निर्माण निगम लि. जयपुर के द्वारा निर्माण कराया गया है जिसमें 135.00 लाख रु. की राशि का भुगतान किया गया है।

(3) यह सही है कि उक्त भवन में दरारें पड़ गयी हैं इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियंता (अभियांत्रिकी) जिला परिषद (जिला ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) टोंक से जिला परिषद द्वारा जांच कराई गई थी जिसकी फोटो प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार इन दरारों में संरचनात्मक दृष्टि से भवन की संरचना पर विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

नहीं है। निर्माण कार्य घटिया स्तर का होना नहीं बताया गया है। छोटी-मोटी मरम्मत कर एवं दरारें भरवाकर ही भवन को अधिग्रहित किया जावेगा।

(4) उक्त निर्मित भवन का कब्जा अभी तक नहीं संभलाया गया है क्योंकि उक्त भवन तक आने-जाने के लिए 13.81 लाख रु. की लागत से पुलिया एवं सड़क का निर्माण अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग मालपुरा (टोंक) द्वारा किया जा रहा है जो कि लगभग पूर्ण हो गया है और शीघ्र ही उक्त भवन का कब्जा संभला दिया जावेगा। निर्माण की गुणवत्ता की जांच करवा ली गई है जिसकी फोटो प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र का जनजाति उपयोजना क्षेत्र में विलीनीकरण

586. **श्री मांगीलाल गरासिया** (गोगुन्दा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा को जनजाति उपयोजना क्षेत्र में सम्मिलित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या सरकार पंचायत समिति कोटड़ा का पार्ट राजस्व विभाग की तरह टाडा में सम्मिलित करते हुये वास, मादडा, पडावली कला, समीजा, पडावली खुर्द को गोगुन्दा पंचायत समिति में मिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा पंचायत समिति के 74 ग्रामों को जनजाति उपयोजना क्षेत्र (अनुसूचित क्षेत्र) में सम्मिलित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार को दिनांक 29.4.2004 एवं 5.4.2007 को भिजवाये गये हैं, जो भारत सरकार के विचाराधीन है।

(2) पंचायत समिति, कोटडा की ग्राम पंचायत, वास, मादडा, पडावली कलां, समीजा, पडावली खुर्द को गोगुन्दा पंचायत समिति में मिलाने हेतु राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 में वर्णित प्रावधानों के तहत प्रकरण का परीक्षण पंचायती राज विभाग द्वारा किया जा रहा है।

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या- 282का विवरण)

परिशिष्ट 'अ'

स्टेडियम विकास कार्यक्रम के तहत संभाग/जिला/तहसील स्तर पर स्टेडियम बनाने की योजना के मापदण्ड

क्र. सं.	स्तर	क्षेत्रफल	राशि	बनाये जाने वाले खेल मैदान
1.	संभाग स्तर	10 हैक्टर	243.00 लाख	एथलेटिक ट्रेक (400 मीटर), फुटबाल, हाकी, हैण्डबाल, बास्केटबाल, वॉलीबाल, टेनिस, खो-खो, कबड्डी, तरणताल एवं बहुउद्देशीय इन्डोर स्टेडियम की सुविधाओं को सम्मिलित करते हुए सुविधा भाग कार्यालय भवन सिटिंग स्टेप्स का निर्माण।
2.	जिला स्तर	8.68 हैक्टर	198.00 लाख	एथलेटिक ट्रेक (400 मीटर), फुटबाल, हाकी हैण्डबाल, बास्केटबाल, वॉलीबाल, टेनिस, खो-खो, तथा कबड्डी खेल सुविधाओं के साथ ऑफिस बिल्डिंग तथा सिटिंग स्टेप्स का निर्माण।
3.	तहसील स्तर	8 हैक्टर	79.00 लाख	एथलेटिक ट्रेक (200 मीटर), बास्केटबाल, वॉलीबाल, खो-खो, कबड्डी आदि के प्रावधान के साथ कार्यालय भवन एवं सिटिंग स्टेप्स का निर्माण।

1. स्टेडियम निर्माण का वरीयता क्रम :-

स्टेडियम निर्माण के लिए निम्नानुसार माध्यम से प्राथमिकता तय की जायेगी।

1. प्रथम प्राथमिकता उन प्रस्तावों को दी जायेगी जिसमें संबंधित जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय/अन्य संस्थाओं द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है एवं इसके अतिरिक्त सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे

   MP, MLA-LAD योजनाएं या स्थानीय निकाय योजना के अन्तर्गत कुछ फण्ड उपलब्ध कराया जाता है।

2. दूसरी प्राथमिकता उन मामलों में दी जायेगी जहां भूमि निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है।

(3) तीसरी प्राथमिकता उन मामलों में दी जायेगी जहां पर स्पोर्टस कॉन्सिल के स्वामित्व की भूमि पर निर्माण कार्य के लिए वितीय सहयोग उपलब्ध होता है।

2. वित्तीय एवं कोषीय तरीके :-

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्टेडियम विकास के लिए वितीय प्रबंधन के कई विकल्प खुले हुए हैं जिनमें से निम्नांकित विकल्प विचारणीय होंगे।

1. पूरी तरह से सरकार द्वारा पोषित/अन्य विभाग जैसे शिक्षा, जनजाति विकास, पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास विभाग आदि द्वारा फण्ड उपलब्ध कराना।
2. स्थानीय निकायों जैसे यू.आई.टी. शहरी विकास प्राधिकरण आदि द्वारा फण्ड उपलब्ध कराना।
3. शहरी विकास एवं स्थानीय निकाय/प्राधिकारी द्वारा बैंको से दीर्घ कालीन ऋण एवं स्टेडियमों के बहुउद्देशीय उपयोग जैसे सामुदायिक उद्देश्यों, वाणिज्यिक उपयोग आदि के लिए वितीय प्रबंधन करना।
4. पी.पी.पी. माडल जैसे लीजिंग, लाईसेंसिग, बील्ड आपरेट और ट्रांसफर, विज्ञापन आदि।

परिशिष्ट-'ब'

गत चार वर्षों में खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु प्रारम्भ की गई योजनाओं का विवरण

1. राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की आधुनिक खेल सुविधाएं मुहैया करवाने का नीतिगत निर्णय लिया गया। जिसके तहत प्रदेश में निम्नलिखित निर्माण कार्य करवाये गये :-

जयपुर में करवाये गये निर्माण कार्य :-

1. 859.07 लाख रुपये की लागत से सवाई मानसिंह स्टेडियम पर वातानुकूलित इन्डोर स्टेडियम का निर्माण।
2. 334 लाख रुपये की लागत से सवाई मानसिंह स्टेडियम पर हॉकी एस्ट्रोटर्फ का निर्माण।
3. 751 लाख रुपये की लागत से सवाई मानसिंह स्टेडियम पर दिन-रात के मैच आयोजन हेतु फ्लड लाइट लगाई गई।
4. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जगतपुरा जयपुर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की आधुनिकतम सुविधायुक्त राइफल शूटिंग रैंज का निर्माण करवाया गया है। इस रैंज में राइफल शूटिंग हेतु फ्रांस की लापोर्ट कम्पनी से ट्रेप एण्ड स्कीट उपकरण आयात किये गये हैं ताकि राज्य के खिलाड़ियों को आधुनिकतम सुविधा उपलब्ध हो सके।
5. 107.50 लाख रुपये की लागत से सवाई मानसिंह स्टेडियम पर बालकों एवं बालिकाओं के लिए खेल छात्रावास का निर्माण कार्य।
6. 25.90 लाख रु. की लागत से सवाई मानसिंह स्टेडियम पर जूडो व वेटलिफ्टिंग हाल की निर्माण।
7. 50.00 लाख रुपये की लागत से सवाई मानसिंह स्टेडियम पर साईकिल वेलोड्रम पर पैवेलियन का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण।
8. 142.50 लाख रुपये की लागत से सवाई मानसिंह स्टेडियम पर ऑल वेदर कवर्ड स्वीमिंग पूल का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण।
9. 432 लाख रुपये की लागत से सवाई मानसिंह स्टेडियम पर सिन्थेटिक एथलेटिक्स ट्रेक का निर्माण कार्य।
10. 10 लाख रुपये की लागत से सवाई मानसिंह स्टेडियम पर सिन्थेटिक टेनिस कोर्ट का निर्माण।

प्रदेश के अन्य जिलों में खेल सुविधाऐं :-

(क) खेल संकुल झालावाड़ :- झालावाड़ में खेल संकुल निर्माण पर 599.38 लाख रु. व्यय किये जा चुके हैं। इस खेल संकुल में क्रिकेट, इन्डोर स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वालीबाल, कबड्डी, टेनिस आदि मैदानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(ख) **हॉकी एस्ट्रो टर्फ अजमेर :-** अजमेर में रु. 373 लाख की लागत से हॉकी एस्ट्रोटर्फ के निर्माण का कार्य अजमेर नगर विकास न्यास द्वारा करवाया जा रहा है।

(ग) **छः जिला मुख्यालयों पर स्टेडियम का विकास :-** चूरू, सीकर, धौलपुर एवं श्रीगंगानगर में खेल स्टेडियम के निर्माण पर प्रत्येक स्टेडियम हेतु 16.00 लाख रू. की राशि का चैक सम्बन्धित जिला कलक्टरों को भेजे जा चुके है जबकि नागौर खेल स्टेडियम निर्माण के लिए 30 लाख रू. जिला कलक्टर नागौर को जारी कर दिये गये है एवं बारां को 36.00 लाख रुपये स्वीकृत किये गये।

(घ) **जोधपुर स्थित स्टेडियमों का विकास :-** जोधपुर के बरकतुल्लाह खां स्टेडियम के लिए 60.00 लाख रुपये एवं श्री उम्मेद राजकीय स्टेडियम के विकास के लिए 100.00 लाख रु. की राशि जारी की गई।

(ड) उदयपुर में स्टेडियम का निर्माण – 146 लाख रु. की लागत से निर्माणाधीन स्टेडियम के लिए 50.00 लाख रुपये जारी किये जा चुके हैं।

(च) 7000 से अधिक आबादी वाले 338 गांवों में खेल मैदान विकसित किये जाने हेतु प्रत्येक गांवों के लिए 25 हजार रु. स्वीकृत किये गये है। यह राशि सम्बन्धित जिला परिषदों को भिजवायी जा चुकी है।

2. खेल एवं खेल क्रियाकलापों में व्यक्तिगत एवं सामूहिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अधिनियम 2005 लागू किया है।

3. खिलाड़ियों को देय सुविधा में वृद्धि करते हुए वर्तमान दैनिक भत्ते में वृद्धि की गयी राज्य प्रतियोगिता हेतु 60/- से 100/- रु. एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिता हेतु 80/- से बढ़ाकर 150/- रु. किये गये।

4. राज्य के जो खिलाड़ी राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में जीत हासिल कर राज्य को गौरवान्वित करते हैं उन्हें वर्तमान नियमों में अधिकतम 50 हजार रु. का पुरस्कार दिया जा सकता है। प्रदेश के

Games	स्वर्ण पदक	रजत पदक	कांस्य पदक
Olympic	15 लाख रुपये	10 लाख रुपये	5 लाख रुपये
Asian	5 लाख रुपये	3 लाख रुपये	1 लाख 50
Commonwealth	5 लाख रुपये	3 लाख रुपये	1 लाख 50
National	1 लाख 50	75 हजार रुपये	25 हजार रुपये

खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से individual events हेतु निम्न राशि तय की जा रही है।

5. **खेल छात्रावास** :- वर्ष 2004 से 30 छात्रों का एक छात्रावास, एथलेटिक्स, तीरंदाजी और साईक्लिंग में सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में प्रारम्भ। एक अन्य छात्रावास 30 छात्रों हेतु बास्केटबाल, वालीबाल और एथलेटिक्स में इन्दिरा इण्डोर स्टेडियम, जैसलमेर में प्रारम्भ। छात्रावास में रहने वाले खिलाड़ियों को नि:शुल्क भोजन, आवास, शिक्षा तथा खेल प्रशिक्षण। वर्ष 2006-07 से जैसलमेर में बास्केटबाल जयपुर में एथलेटिक्स, वालीबाल एवं तीरन्दाजी के खेल छात्रावास चलाए जा रहे हैं। बीकानेर में 2006-07 में साईक्लिंग का डे-बोर्डिंग शुरू।
6. महिला बास्केटबॉल एकेडमी जयपुर में प्रारम्भ की जा चुकी है।
7. ग्राम भारती विद्यापीठ खेल स्कूल कोठ्यारी सीकर में बास्केटबाल, एथेलेटिक्स, कबड्डी, फुटबाल, वॉलीबाल खेल का प्रशिक्षण दिये जाने हेतु खेल स्कूल की स्थापना की जा चुकी है।
8. **विभिन्न पदों पर दी गई नियुक्तियां**

1. ऑलम्पियन एवं अर्जुन अवार्ड से सम्मानित अन्तर्राष्ट्रीय तीरन्दाज सर्व श्री लिम्बाराम को प्रशिक्षक ग्रेड प्रथम एवं श्यामलाल को प्रशिक्षक ग्रेड द्वितीय के पद पर शैक्षणिक योग्यता में छूट देते हुए नियमित वेतन श्रृंखला में नियुक्ति दी गई।
2. पांच अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को एक वर्ष के अनुबन्ध पर नियुक्त किया गया है।
3. जनसम्पर्क अधिकारी के पद पर एक अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का चयन कर नियुक्ति दी गई।

9. **परम्परागत खेलों का आयोजन एवं प्रोत्साहन :-**
विगत वर्षों में प्रचलित खेलों पर ही सब का ध्यान था, परम्परागत खेल लुप्त हो रहे थे। माननीया मुख्यमंत्री महोदया की पहल पर वर्ष 2005 से प्रत्येक वर्ष परम्परागत खेलों का जिला, सम्भाग एवं राज्य स्तर पर वृहद रूप में आयोजन किया जा रहा है।

10. जनजाति क्षेत्र की पंचायत समिति में युवा केन्द्र खोले जा चुके हैं।

11. 12वीं कक्षा पास 311 छात्र खिलाड़ियों को अनुबंध के तहत संयोजक नियुक्त किये जा चुके हैं।

12. स्टेडियम विकास कार्यक्रम के तहत संभाग, जिला, तहसील स्तर पर स्टेडियम निर्माण करने का निर्णय।

परिशिष्ट-2

(विशेष उल्लेख की सूचनाएं जो पढ़ी हुई मानी गई)

विधान सभा क्षेत्र सांचोर में महाविद्यालय खोलने के क्रम मे

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं विधान सभा क्षेत्र सांचोर में महाविद्यालय खोलने के क्रम में बोलने जा रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय जालौर जिले का दूरस्थ शहर सांचोर उपखण्ड मुख्यालय है, जो जिला मुख्यालय से 154 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां से छात्र/छात्राओं को सीनियर तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु जालौर, भीनमाल, सिरोही व बाड़मेर जाना पड़ता है। कमजोर तबके के लोग अपने बच्चों के उच्च शिक्षा दिलवाने में असमर्थता अनुभव करते हैं क्योंकि वे अपनी आमदनी से अधिक व्यय नहीं कर पाते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय सांचोर उपखण्ड में 14 राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय हैं जिनमें कक्षा 12वीं में 729 छात्र/छात्राएं वर्तमान में अध्ययनरत हैं तथा 500 छात्र/छात्राएं अन्यत्र उच्च शिक्षा की शिक्षाओं में अध्ययनरत हैं। यदि संचोर में उपखण्ड मुख्यालय पर इसी वर्ष से महाविद्यालय खोल दिया जाए तो 1000-1500 से ज्यादा गरीब छात्र/छात्राएं प्रतिवर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे जो कि महाविद्यालय नहीं होने के कारण 12वीं कक्षा के अध्ययन के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं।

अत: उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके मार्फत सरकार से यह गुजारिश करूंगा कि कई वर्षों से उच्च शिक्षा से वंचित सांचोर में एक महाविद्यालय खोलने की कार्यवाही करावें।

धन्यवाद।

जीवाराम चौधरी
(सांचोर)

जोधपुर शहर में एम.आर.आई. मशीन की स्थापना बाबत

उपरोक्त विषयान्तर्गत नियम 295 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत कर अनुरोध है राज्य सरकार की यह नीति रही है कि आधुनिकतम चिकित्सा सुविधाओं का लाभ हर तबके तक पहुंचे। इस हेतु आधुनिक चिकित्सा सुविधा का विस्तार किया जा रहा है।

वर्तमान युग में नित्य नये आधुनिक अनुसंधान होने से असाध्य रोगों की चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। गम्भीर रोगों के इलाज में आधुनिक जांचों की अनिवार्य आवश्यकता सहज ही समझी जा सकती है। एम.आर.आई. जांच से सूक्ष्म स्तर पर गम्भीर रोगों का पता लगाकर उपयुक्त चिकित्सा प्रारम्भ की जा सकती है। जोधपुर संभाग मुख्यालय होने के साथ पूरे पश्चिमी राजस्थान की बड़ी चिकित्सकीय आवश्यकताओं की पूर्ति का केन्द्र है।

संभाग मुख्यालय और इतना महत्वपूर्ण दूसरा सबसे बड़ा शहर होने के बावजूद भी यहां राजकीय स्तर पर एम.आर.आई. मशीन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में गरीब रोगियों को गम्भीर रोग के साथ ही निजी जांच केन्द्रों से महंगी जांच की मजबूरी भी झेलनी पड़ती है। मेरा माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि जोधपुर शहर के आम एवं गरीब व्यक्तियों तक राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा सुविधाओं का लाभ और अधिक प्रभावी और कारगर रूप में पहुंचे इसलिए आप शीघ्रताशीघ्र एक नई एम.आर.आई. मशीन की स्थापना महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर में कराने की स्वीकृति प्रदान करें।

सादर !

सूर्यकान्ता व्यास

(जोधपुर)

अजमेर की राजकीय गुलाब बाड़ी डिस्पेन्सरी एवं धोलाभाटा डिस्पेन्सरी के लिए भूमि उपलब्ध करवाने बाबत

उपरोक्त विषयान्तर्गत नियम 295 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत कर आग्रह है कि अजमेर में राजकीय गुलाब बाडी डिस्पेन्सरी एवं धोलाभाटा डिस्पेन्सरी संचालित है। यह दो डिस्पेन्सरीज किराये के भवन में संचालित होने से कई तरह की परेशानियां उत्पन्न होती हैं। समयावधि पूर्ण होने पर मकान मालिक से नया करार करना और उसमें दोनों पक्षों की सहमति होना कई बार विवाद का कारण बन जाता है। भवन में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन/परिवर्धन सम्भव न होना वहां के निवासियों को और अधिक सुविधाऐं उपलब्ध करवाने में बाधक होते हैं। अत: मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि गुलाब बाड़ी डिस्पेन्सरी हेतु मेयो कालेज के पीछे कस्टोडियन की रिक्त भूमि उपलब्ध करवायी जावे तो भवन निर्माण हेतु राशि मैं अपने विधायक फण्ड से उपलब्ध करवाने के लिये सहमत हूँ साथ ही धोलाभाटा डिस्पेन्सरी हेतु भूमि धोलाभाटा

क्षेत्र में नगर सुधार न्यास की भूमि उपलब्ध करवायी जावे ताकि उस पर भी डिस्पेन्सरी का निर्माण करवाया जा सके।

श्री विजय नगर में उप खण्ड कार्यालय खोलने हेतु

मैं आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र की तहसील श्री विजय नगर की ओर दिलाना चाहूंगा। श्री विजय नगर जो कि नगरपालिका है श्री विजय नगर तहसील में 28 ग्राम पंचायतें हैं वह नगर पालिका में 20 वार्ड भी हैं। इस क्षेत्र के लोगों को उप जिला कलक्टर कार्यालय में कार्यो हेतु रायसिंह नगर जाना पड़ता है जो कि श्री विजय नगर से 35 किमी. दूर है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को तो और भी ज्यादा सफर करना पड़ता है व काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जैसा कि राज्य सरकार की भी मन्शा है कि सभी तहसील मुख्यालय पर उप जिला कलक्टर कार्यालय खोला जायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदया से आग्रह करना चाहता हूँ कि श्री विजय नगर में उप जिला कलक्टर कार्यालय खोलने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को दिशा-निर्देश प्रदान कर मुझे अनुग्रहित करें।

धन्यवाद।

अशोक नागपाल

(सूरतगढ़)

संविदा पर नियुक्त शिक्षकों का नियमितीकरण

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य की यशस्वी मुख्य मंत्री श्री मा. वसुन्धरा राजे जी ने चार वर्ष पूर्व जब से राज्य की बागडोर सम्भाली थी, तब से राजस्थान को कुछ अर्से पूर्व से बिमारू प्रदेश कहा जाता था। राजस्थान को जनता ने सुनहरे राजस्थान के सपने के साथ चहुंमुखी बहुआयामी विकास की अपेक्षाओं के साथ जो जनादेश दिया था। माननीया मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में बनी वर्तमान सरकार ने उस सुनहरे राजस्थान के सपने को साकार किया है व राजस्थान को बिमारू राज्य से परिवर्तित कर जुझारू राजस्थान का सम्मान दिया है। इसके लिए मैं राजस्थान की वर्तमान सरकार को बारम्बार साधुवाद एवं धन्यवाद देता हूं।

इसके साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ वर्षो पूर्व राजस्थान में संविदा पर शिक्षण कार्य के अनुभवी शिक्षकों को तृतीय श्रेणी वेतन श्रृंखला में नियमित नियुक्ति दी थी। कि चित्तौड़गढ़ में योग्य आशार्थियों के उपलब्ध

होने, उनके द्वारा विधिवत दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद भी नियुक्ति नहीं दी गई, जो कि चित्तौड़गढ़ के आशार्थियों के साथ अन्याय ही हुआ है। अतः उनको नियुक्ति दिये जाने हेतु निवेदन करता हूँ।

इसके अलावा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने बेरोजगार युवाओं के साथ छल करते हुए उनके नियुक्ति पदनाम के पूर्व पेरा शब्द लगाकर कम वेतन पर उनको शिक्षण कार्य पर रखा गया। अर्थात उनको पेरा टीचर की संज्ञा देकर कम वेतन पर रखा गया, किन्तु राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री जी माननीया वसुन्धरा जी ने अध्यापकों को नयी भर्तियां खोल कर अधिकांश पेरा टीचर्स को उसमें विधिवत भर्ती किया, शोध पेरा टीचर्स को कार्य से हटाया नहीं गया, बल्कि उनका वेतन बढ़ाया गया है। अब उनको स्थाई करने का सरकार का प्रयास जारी है। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि पेरा टीचर्स को जैसे भी हो कानूनी तरीका निकाल कर स्थाई किया जाकर नियमित वेतन श्रृंखला दी जाने की कृपा करावें।

इसके अलावा मेरा निवेदन है कि पूर्व में राज्य में लोकर जुम्बिश परियोजना लागू थी। उसमें चार प्रकार के कार्मिक कार्यरत थे। प्रथम तो वे कर्मचारी जो अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर लिये गये थे। द्वितीय वे कर्मचारी जो अनुबन्ध पर रखे गये थे, तृतीय वे कर्मचारी जो सेवानिवृत कर्मचारियों को लिया गये थे। एवं चतुर्थ वे कर्मचारी पूर्व सैनिक वेलफेयर सोसायटी के नाम से एजेन्सी पर लिये गये थे। बाद में लोक जुम्बिश परियोजना कार्य पूर्ण होने से सर्व शिक्षा अभियान नाम से नया प्रोजेक्ट चल रहा है। सर्व शिक्षा अभियान में लोक जुम्बिश में कार्यरत अनुबन्ध कर्मचारियों को पुनः शामिल कर लिया गया। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत को पुनः विभागों में लौटा दिया। किन्तु जो कर्मचारी एजेन्सी के माध्यम से लोक जुम्बिश में लगे हुए थे उनको नहीं रखा गया, उनको कार्य से हटा दिया गया, अतः उनके साथ अन्याय ही हुआ है। अतः निवेदन है कि ऐसे 748 पूर्व लोक जुम्बिश कर्मचारियों को भी पुनः लगाया जाये।

इसके अलावा मेरा एक और निवेदन है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, जिसके लिए नियमित व्यायाम करना आवश्यक है, तथा विद्यालयों में भी ऐसे अध्यापक होना अति आवश्यक है, कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं हो जिसमें शारीरिक शिक्षक नहीं हो, प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में बेरोजगार युवक शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले एवं विधान सभा क्षेत्र कपासन में शारीरिक शिक्षकों के काफी पद रिक्त हैं। ऐसी परिस्थितियों में रिक्त पदों पर पदस्थापन हेतु भर्ती खोला जाना आवश्यक है।

अतः मेरा निवेदन है कि चूंकि कई वर्षों से शारीरिक शिक्षकों के पदों पर भर्ती नहीं हुई है। बेराजगारों की मांग है कि उनको उक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जावे। अतः निवेदन है कि राज्य शारीरिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अतिशीघ्र विज्ञप्ति प्रसारिक्त करने की कृपा करावें।

अतः निवेदन है कि उपरोक्तानुसार निवेदन है कि विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये मेरे द्वारा प्रस्तुत निवेदन अनुसार चारों मांगों की पूर्ति कराने की कृपा करावें।

बद्रीलाल जाट

(कपासन)

जिला नागौर के विभिन्न क्षेत्रों में अकालग्रस्त कार्य शुरू नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि नागौर जिले की तहसील डेगाना में औसत 26.2 प्रतिशत कम वर्षा, लाडनूं में 39.9 कम वर्षा, नावो में 37.5 प्रतिशत से कम वर्षा और डीडवाना में 45 प्रतिशत कम वर्षा दिनांक 1.1.2007 से 31.12.2007 तक पायी गई परन्तु गलत गिरदावरी के आकलन के होते हुए केवल 192 ग्राम ही अकालग्रस्त घोषित किये गये। अत्यन्त खेद का विषय है कि इन ग्रामों में भी एम.एल.ए. लेड. एम.पी.लेड. आदि से केवल डवरेल के कार्य ही अभी तक किये गये है। राज्य सरकार की तरफ से अकाल राहत के कोई भी कार्य शुरू नहीं किये गये, न ही गोशालाओं को अनुदान जारी किया गया तथा न ही चारा डिपो खोले गये और न ही पशु शिविर चलाये गये।

अतः मेरा आपके माध्यम से राहत मंत्रीजी से अनुरोध है कि नागौर जिले में राहत कार्य शीघ्र चलाये जायें, तथा पंजीकृत गोशालाओं को बढ़ी हुई दरों से अनुदान स्वीकृत कराने की कृपा करावें।

रामचन्द्र जारोड़ा

(मेड़ता)

रेवदर क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने बाबत

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र रेवदर कृषि क्षेत्र है क्षेत्र के कई बेरोजगार हैं क्षेत्र की जनता को लाभ पहुंचाने के लिए मेरा निम्न प्रकार निवेदन है।

1. क्षेत्र में मार्बल एवं ग्रेनाइट का भण्डार है। जिसमें कई खाने आबंटन की हुई हैं। जिसमें से ब्लाक निकलकर अन्य शहरों में जाते हैं। जहां उनकी

कटींग, पोलीश इत्यादि कार्य अन्य फैक्ट्रीयों में होता है। यदि रेवदर में फैक्ट्रीयां होती तो यह सम्पूर्ण कार्य वहा पर ही होता।

2. क्षेत्र में लाइम स्टोन भी है। कुछ खाने भी है। जिससे सीमेन्ट, चूना इत्यादि बनाने में लगाया जाता है।

3. क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में अधिक मात्रा में टमाटर, अरण्डी, सरसों इत्यादि की खेती होती है। कच्चा माल गुजरात राज्य की मण्डियों में जाता है। टमाटर के उत्पादन से टमाटो ज्यूस, टमाटो सोस इत्यादि प्लान लगाकर वहां बनाया जा सकता है। सरसों व अरण्डी मील लगाई जावे तो यहां के किसानों को लाभ मिलेगा।

4. रेवदर विधान सभा क्षेत्र गुजरात व राजस्थान सीमा पर आया हुआ है व क्षेत्र से कांडला दिल्ली नेशनल हाइवे गुजरता है। तथा क्षेत्र के कई बडे उद्यमी अन्तर राज्यों में बड़े-बड़े उद्योग लगा कर अपना निवेश कर व्यवसाय करते है। यदि रेवदर क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर सुविधा महोया करवाई जाए जो क्षेत्र के उधमी यहा उद्योग लगाकर क्षेत्र के विकास में सहभागी बन सकते हैं। तथा कई बेरोजगार युवकों को रोजगार का लाभ मिलेगा साथ ही समूचे क्षेत्र का विकास भी होगा।

धन्यवाद।

जगसीराम कोली

(रेवदर)

विधान सभा क्षेत्र घाटोल के तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ में पटवारियों की कमी पूर्ति करा आदिवासी किसानों का राजस्व कार्य समय पर निपटाने बाबत

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अभी हाल प्रतापगढ़ नया जिला बनने से उप तहसील पीपलखूँट को जिला प्रतापगढ़ में शामिल किया गया है व उप तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा दिया गया है। पूर्व में उप तहसील के क्षेत्र में पंचायत समिति पीपलखूंट की 18 ग्रा.प. शामिल थी। उन 18 ग्रा.प. के किसानों का राजस्व कार्य निपटाने का 11 पटवार मण्डलों की व्यवस्था थी लेकिन उन 11 पटवार मण्डलों में अभी हाल 4 ही पटवारी कार्यरत हैं व 7 पटवार मण्डलों के पद रिक्त हैं जो निम्नानुसार विवरण है :-

1. पटवार मण्डल बौरी

2. पटवार मण्डल केलामेला
3. पटवार मण्डल कूपडा
4. पटवार मण्डल पृथ्वीपुरा
5. पटवार मण्डल नायण
6. पटवार मण्डल कुशलपुरा
7. पटवार मण्डल केसरपुरा

योग 11 पटवार मण्डलों में से क्रमशः 1-7 तक पद पटवारियों के रिक्त पड़े है जिससे किसानो को विकास कार्य में बाधायें आ रही हैं।

अतः मैं नियम 295 के तहत प्रस्ताव द्वारा जानकारी ले रहा हूँ कि उक्त खाली पडे पदों में पटवारियों की पूर्ति करा किसानों को राहत दिलावें।

नवनीत नीनामा
(घाटोल)

बरदपुरा तालाब में पानी की आवक बढ़ाने के लिए एनीकट मय फीडर निर्माण की आवश्यकता हेतु नियम

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम, 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख द्वारा अत्यन्त लोक महत्व का विषय सदन के ध्यान में लाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र के उपखण्ड जहाजपुर में 67 मिलियन क्यूबिक फीट भराव क्षमता की बरदपुरा लघु सिंचाई परियोजना विद्यमान है जिसके द्वारा कुल 217 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है। किन्तु गत कई वर्षो से पानी की आवक कम हो जाने से इस बांध में भराव क्षमता से आधा या कम ही पानी भरता आ रहा है। जिससे परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र की कृषि भूमि में पर्याप्त सिंचाई नहीं हो सकती है तथा काश्तकारों के आजीविका का और कोई साधन नहीं होने से कर्ज में डूबते जा रहे हैं।

मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस बांध के पास ही ऊपर की तरफ एक नाला बहता है जिसका पानी व्यर्थ ही बहकर निकल जाता है यदि इस नाले पर गोरमगढ एनीकट का निर्माण करा दिया जाता है तथा एनीकट से बरदपुरा तालाब की आव तक फीडर निर्माण करा दिया जाता है तो ग्राम गोरमगढ के भूजल स्तर में तो वृद्धि होगी ही साथ-साथ बरदपुरा तालाब में भी भराव क्षमता अनुसार पानी भर जावेगा जिससे कमाण्ड क्षेत्र के काश्तकारों को फसलों के लिए पर्याप्त पानी मिल जावेगा।

अत: मेरा सरकार से विनम्र शब्दों में आग्रह है कि मेरे क्षेत्र की बरदपुरा सिंचाई परियोजना में पानी की आवक बढाने के लिए गोरमगढ एनिकट मय फीडर के निर्माण की स्वीकृति कराने का कष्ट करें।

शिवजीराम मीणा

(जहाजपुर)

रम्भा नदी पर पुलिया का निर्माण

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम रम्भा पंचायत डांगरथल विधान सभा क्षेत्र निवाई का अन्तिम ग्राम है। तथा बीच में रम्भा नदी बहती है। उसके पार विधान सभा क्षेत्र निवाई एवं पीपलू के ग्राम आते है। जिससे नदी के बहाव के कारण बरसात में आवागमन अवरूद्ध हो जाता हैं। साथ ही ग्राम रम्भा से 1 किमी. सडक एवं पुलिया की रपट बना दिया जावे तो निवाई तहसील एवं पीपलू तहसील के ग्राम सीधे जुड़ जावेंगे। जिससे 30 हजार दोनो विधान सभा क्षेत्र की जनता को राहत मिलेगी। तथा पीपलू जाने के लिए सीधा ही 30 किमी. की दूरी कम पडेगी। तथा निवाई विधान सभा पीपलू, मालपुरा जाने के लिये तथा लाने के लिये कृषकों को सीधा लाभ मिलेगा।

अत: आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण विभाग से मांग करता हूं कि रम्भा से 1 किमी. सडक एवं पुलिया निर्माण करा कर जनता को राहत पहुंचायें।

हीरालाल

(निवाई)

नगरपालिका निम्बाहेड़ा मे दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित वेतन श्रृंखला दिये जाने के सक्षम स्वीकृति प्रदान कराने हेतु

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के तहत निम्बहेड़ा नगर पालिका में पिछले 15-16 वर्षो से कई कर्मचारी दैनिक वेतन पर कार्य कर रहे हैं। ये कर्मचारी कार्य के प्रति सजग एवं कर्तव्यनिष्ठा से अपनी सेवाए दे रहे हैं। इनकी कार्य कुशलता, योग्यता एवं सन्तोषप्रद कार्य को देखते हुए नगरपालिका मण्डल की साधारण बोर्ड बेठक में सर्वसम्मति से उन्हें नियमित वेतन श्रृंखला प्रदान करने का निर्णय लिया है।

यह कि इन कर्मचारियों को नियमित वेतन श्रृंखला प्रदान करने हेतु, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर को सक्षम स्वीकृति हेतु बार-बार पत्र लिखकर निवेदन किया जाता रहा है, किन्तु वांछित स्वीकृति अभी

तक नगरपालिका को प्राप्त नहीं हुई है। माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने भी विभाग से आवश्यक कार्यवाही शीघ्र करने के निर्देश दिये हैं।

सक्षम स्वीकृति के अभाव में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को अपने परिवार का भरण पोषण करने में काफी कठिनाई हो रही है।

उल्लेखनीय है कि नगरपालिका में ये कर्मचारी वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं, उनमें इनकी पूर्ण दक्षता है तथा नगरपालिका में पद भी रिक्त है। नगरपालिका को इन्हें नियमित वेतन श्रृंखला में लेने से किसी प्रकार बजट आदि की समस्या भी नहीं है।

मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन है कि व्यापक जनहित एवं नगरपालिका के हित में दैनिक वेतन पर कार्य कर रहे कर्मचारी को नियमित वेतन श्रृंखला दिये जाने की विभाग से सक्षम स्वीकृति दिलाने का कष्ट करावें।

अशोक कुमार नलवखां

(निम्बाहेड़ा)

ट्रोमा-यूनिट किशनगढ़ के नवीन भवन निर्माण की आवश्यक स्वीकृति कराने बाबत

उपरोक्त विषयान्तर्गत विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत आपसे अनुरोध है कि राज्य सरकार के अथक प्रयासों से राजस्थान के प्रमुख-प्रमुख राज्य एवं राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली सडक दुर्घटनाओं में आवश्यक एवं आपातकालीन चिकित्सा सुविधा दिलाने हेतु साढ़े तीन वर्ष पूर्व सितम्बर 2004 में छः स्थानों पर ट्रोमा यूनिट की स्वीकृति की गई थी जिनमें भीम, सोजत, देवली, महुआ, शाहपुरा, जयपुर एवं किशनगढ़ अजमेर का चयन किया गया था। इनकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य हाइवे मार्गो पर होने वाली गम्भीर दुर्घटनाओं में ग्रस्त रोगियों को शीघ्र उपचार की सुविधा उपलब्ध कराना है।

मान्यवर, इसी के तहत किशनगढ़ अजमेर स्थित राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय में भी ट्रोमा यूनिट की स्वीकृति पश्चात वर्तमान भवन में ही ट्रोमा यूनिट की स्थापना कर संचालन कर दिया गया था। और इसी वर्ष 2004-05 में लगभग 20 लाख रुपए का बजट आबंटन कर आवश्यक उपकरण क्रय किये गये एवं एक एम्बुलेंस भी चिकित्सालय को उपलब्ध करा दी गई। लेकिन मान्यवर, साढ़े तीन वर्ष से भी अधिक का समय व्यतीत हो

जाने के बाद भी आज तक इस ट्रोमा यूनिट के नवीन भवन निर्माण हेतु कोई विभागीय बजट का आबंटन नहीं किया गया है। जब कि वर्तमान चिकित्सालय परिसर में आवश्यक जगह भी उपलब्ध है।

मान्यवर, तत्पश्चात् जनहित में इस ट्रोमा यूनिट के नवीन भवन निर्माण हेतु श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी चैरिटीज-किशनगढ़ द्वारा स्वयं के खर्च पर निजी सहभागिता के आधार पर सहयोग करने का प्रस्ताव विभागीय उच्चाधिकारियों का भेजा गया है। इस प्रस्ताव में दानदाता द्वारा पर्याप्त भवन निर्माण की सहमति प्रदान कर दी गई है। अत: आपसे निवेदन है कि तत्काल विभागीय उच्चाधिकारियों का निर्देशित कर ट्रोमा यूनिट के नवीन भवननिर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृत कराने के सक्षम आदेश प्रदान करावें। ताकि किशनगढ उपखण्ड के समस्त नागरिकों को एवं विशेष कर हाइवे मार्ग पर होने वाले गंभीर दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को तत्काल आपालकालीन एवं ज्यादा बेहतर चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल सकें।

भागीरथ चौधरी

(किशनगढ़)